रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 12—अप्रैल 18, 2014 (चैत्र 22, 1936)

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 12—APRIL 18, 2014 (CHAITRA 22, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	597
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	293
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	513
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	341
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	2759
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	373
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	597
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	293
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	513
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	341
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2759
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	373
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च, 2014

सं. 24-प्रेज/2014--राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री जयंत सोनोवाल,
ए बी कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 29.09.2012 को लगभग 1600 बजे विश्वसनीय स्रोतों से इस आशय की गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि भारत संघ के विरुद्ध युद्ध करने और विनाशक गतिविधियां शुरु करने की योजना के साथ 4/5 संदिग्ध उल्फा कैडर बोरडुमसा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सुकानी-चुक, रोटोनीपाथेर गांव के सामान्य क्षेत्र में शरण लिए हुए हैं। तदनुसार, 8वीं बिहार आर्मी रेजीमेंट, कैम्प बोरडुमसा के साथ डा. प्रदीप सैकिया एपीएस, उप-पुलिस अधीक्षक, तिनसुकिया, बोरडुमसा पुलिस स्टेशन और पेंगेरी पुलिस स्टेशन के पुलिस स्टाफ के साथ श्री जयन्त सारथी बोरा, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) तिनसुकिया के नेतृत्व में संयुक्त अभियान शुरु किया गया। लगभग 1900 बजे तलाशी अभियान के दौरान श्री जयंत सारथी बोरा, एपीएस, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) तिनसुकिया के नेतृत्व वाले पुलिस दल ने सुकानीचुक रोटोनीपाथेर गांव के श्री बीरेश्वर मोरन के घर में कुछ संदिग्ध आवाजाही देखी। संदिग्ध आवाजाही देखने पर अभियान दल के नेता श्री जयन्त सारथी बोरा, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) पुलिस बलों के साथ अपने निर्देश में संदिग्ध घर के निकट आ गए और इस प्रक्रिया में उग्रवादियों ने उन्हें देख लिया और उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी आरंभ कर दी। अभियान दल भारी गोलीबारी में आ गया, जिसके बाद उग्रवादियों ने जयन्त सारथी बोरा और उनके दल को लक्ष्य बनाकर हैंड ग्रेनेड भी फेंका। भारी हथियारबंद उग्रवादियों ने सिविलियनों का कवर लेते हुए दल के सदस्यों को मारने के इरादे से पुलिस दल पर गोलीबारी की, जिसके तुरंत बाद जयन्त सारथी बोरा ने एक मिनट भी गवांए बिना अन्य स्टाफ

को तुरंत जवाबी कार्रवाई के लिए आदेश दिया। तदनुसार, अभियान दल ने अपनी जान को अत्यधिक जोखिम में डालकर जवाबी गोलीबारी की। अल्पकालीन दोतरफा गोलीबारी के दौरान एक कांस्टेबल, जयन्त सोनोवाल गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए और एक उग्रवादी भी गोली लगने से घायल हो गया तथा अन्य उग्रवादी अंधेरे का फायदा उठाकर बचकर निकलने में सफल रहे। गोलीबारी बंद होने के बाद, पुलिस दल ने तुरंत घायल पुलिस कांस्टेबल और उल्फा कैडर को उपचार हेतु पेंगारी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र भेजा। घायल संदिग्ध उल्फा कैडर के शरीर की तलाशी लेने पर उसके पास से एक एके-81 राइफल, मैगजीन (एके-81)-3, मैगजीन (पिस्तौल)-2, जिंदा कारतूस एके सीरीज-40 राउंड, जिंदा कारतूस पिस्तौल-3, मोबाइल हैंड सेट-1, पॉकेट डायरी-2, मोबाइल सिम कार्ड-7, आरसीआईईडी का रिमोट कंट्रोल-1 और अपराध संकेती दस्तावेज जब्त किए गए। बाद में, सुरक्षा बलों ने सामान्य क्षेत्र की तलाशी ली और अभियान स्थल से एके सीरिज के 7 खाली खोखे और स्पिलंटर आदि बरामद हुए। घायल उल्फा कैडर, जिसे उपचार के लिए पेंगारी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में स्थानांतरित किया गया था, को पेंगारी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के डाक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया और घायल कांस्टेबल जयंत सोनोवाल को पेंगारी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र से आईओसी (एओडी) अस्पताल, डिगबोई भेज दिया गया और उन्हें बेहतर उपचार हेतु एएमसीएच, डिब्रूगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। इस संबंध में श्री जयंत सारथी बोरा, एपीएस, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) तिनसुकिया द्वारा एक एफआईआर प्रस्तुत की गई थी और एफआईआर के आधार पर आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क)/27, यूए(पी) अधिनियम की धारा 10/13 तथा ई एस अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख), 121(क)/333/307/34 के अंतगर्त बोरडुमसा पुलिस स्टेशन मामला सं. 53/2012 दर्ज किया गया था।

बाद में, उल्फा कैडर के शव की पहचान गांव हुल्लांग गुतिबारी, पुलिस स्टेशन: बोरडुमसा के श्री सुलेन गोगोई पुत्र श्री जोयकांता गोगोई द्वारा की गई, क्योंकि मृतक उनका भतीजा एस.एस. सार्जेंट मेजर दिगांता गोगोई उर्फ मोहन गोगोई (उम्र 28 वर्ष) था, जो गांव हुल्लांग गुतिबारी, पुलिस स्टेशन: बोरडुमसा के निवासी श्री गोनेश साहू का पुत्र था।

इस मुठभेड़ में, श्री जयन्त सोनोवाल, एबी कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30.09.2012 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 25-प्रेज/2014--राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री ताहिर सजाद भट,
पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 07.10.2011 को दो एचएम आतंकवादियों नामत: असादुल्लाह उर्फ उफैदुल्लाह, निवासी स्वात, पाकिस्तान और कासिम शाह उर्फ तल्हा, निवासी धीर, पाकिस्तान द्वारा गंदरबल वन के ऊपरी हिस्सों से गांव पाथपोरा चत्तेरगुल कंगन (गंदरबल) में बेस कैम्प स्थानांतरित करने के बारे में प्राप्त विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए, श्री ताहिर सजाद भट, पुलिस अधीक्षक, आपरेशन, श्रीनगर के नेतृत्व में पुलिस घटक श्रीनगर के एक विशेष दल ने उक्त आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई की योजना बनाने के लिए क्षेत्र की टोह ली। दिनांक 08.10.2011 को, श्री ताहिर सजाद भट, पुलिस अधीक्षक, आपरेशन, श्रीनगर के नेतृत्व में पुलिस घटक श्रीनगर का एक दल बहुत कम समय में उस स्थल की ओर गया। कार्रवाई शुरु करने से पहले, समानांतर क्षति को रोकने और सफाई से कार्रवाई करने के लिए सेना (24 आरआर) और जिला पुलिस, गंदरबल को सहयोजित करने का निर्णय लिया गया। नफरी को तीन दलों में विभाजित किया गया। पहले दल में गंदरबल पुलिस और 24 आरआर शामिल थे। इसे लक्षित क्षेत्र की बाहरी घेराबंदी करने का कार्य सौंपा गया था। दूसरे दल में श्रीनगर पुलिस और 24 आरआर शामिल थे। तदनुसार, लक्षित घर वाले मोहल्ले की घेराबंदी कर ली गई। तीसरे दल में पुलिस घटक श्रीनगर और गंदरबल पुलिस शामिल थे। इस दल को मोहम्मद सुभान मीर पुत्र गनी मीर निवासी पाथपुरा चत्तेरगुल के घर की भीतरी घेराबंदी करने का कार्य सौंपा गया था, जिसमें आतंकवादी छिपे हुए थे और आवश्यकता पड़ने पर पूर्ण समन्वय के साथ श्री ताहिर सजाद, पुलिस अधीक्षक आपरेशन, श्रीनगर की कमान के तहत प्रवेश करना था। दिनांक 09.10.2011 को लगभग 0500 बजे सभी दल लक्षित क्षेत्र की और बढ़े और योजना के अनुसार उन्होंने अपनी-अपनी पोजीशन ले ली। 0530 बजे, भीतरी घेराबंदी दल के प्रभारी श्री ताहिर सजाद भट, पुलिस अधीक्षक, आपरेशन श्रीनगर ने लक्षित घर के निवासियों को बाहर निकालने के लिए पुलिस घटक श्रीनगर के जवानों का एक छोटा दल बनाया। दल ने बड़ी कुशलता और बहादुरी से घर के निवासियों को बाहर निकाला और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसी प्रकार, नजदीक के घरों के निवासियों को भी यह सुनिश्चित करने के लिए बाहर निकाला गया कि कोई समानांतर क्षति न हो। पहले, श्री ताहिर सजाद भट पुलिस अधीक्षक ने छिपे हुए दोनों आतंकवादियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, जिससे उन्होंने इंकार कर दिया और इसके बदले उन्होंने अभियान दल पर अंधाधुंध गोलीबारी आरंभ कर दी। भीतरी घेराबंदी दल ने पोजीशन संभाल ली और घर में प्रवेश करने की योजना बनाई। प्रवेश दल ने सभी सावधानियां बरतते हुए प्रवेश की प्रक्रिया आरंभ कर दी।

तथापि, जैसे ही प्रवेश दल लक्षित घर के निकट पहुंचा, तभी घर के अंदर पोजीशन लिए हुए आतंकवादियों ने उन पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी। एक रणनीतिक चाल के रूप में, प्रवेश दल पीछे की ओर से घर में प्रवेश करने के लिए वहां से पीछे हट गया। इस समय पुलिस अधीक्षक ताहिर सजाद भट ने दो छोटे दल बनाए और सामने की ओर से प्रवेश करने के साथ पीछे की ओर से भी घर में प्रवेश करने का निर्णय लिया। ज्योंही दूसरे दल ने पीछे की ओर से घर में प्रवेश करने का प्रयास किया, त्योंही छिपे हुए आतंकवादियों ने खिड़की से ग्रेनेड फेंके, लेकिन इससे कोई क्षति नहीं हुई, क्योंकि आगे बढ़ने वाला दल कुशलतापूर्वक आगे बढ़ता रहा। पुलिस अधीक्षक ताहिर सजाद भट अपने दल के साथ रेंगकर खिड़की के निकट पहुंचे, जहां से आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंके थे। इसी समय आतंकवादियों ने पहली मंजिल का मुख्य द्वार खोला और घेरा तोड़ने तथा बचकर निकलने के प्रयास में अंधाधुंध गोलीबारी आरंभ कर दी। इस समय पुलिस अधीक्षक ताहिर सजाद भट कुछ पुलिस कर्मियों के साथ लक्षित घर तक पहुंच गए थे और अपनी जान की परवाह किए बिना प्रभावी रूप से जवाबी गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप छिपा हुआ एक आतंकवादी नामत: असादुल्लाह उर्फ उफैदुल्लाह निवासी स्वात, पाकिस्तान, एचएम का उच्च कमांडर मारा गया। स्थिति की गंभीरता को भांपकर उसके साथी नामत: कासिम शाह उर्फ तल्हा, निवासी धीर, पाकिस्तान ने घेरे से बच निकलने का प्रयास किया, घर को आग लगा दी और पीछे की खिड़की से अंधाधुंध गोलीबारी आरंभ कर दी, लेकिन पहले दल, जिसने पहले ही घर के निकट पोजीशन ले ली थी, ने बहादुरी से जवाबी गोलीबारी की और दोतरफा गोलीबारी में उक्त आतंकवादी भी मारा गया। दोनों आतंकवादियों का खात्मा पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और एचएम संगठन के लिए एक बड़ा झटका था।

बरामदगी:

1.	एके राइफल	02
2.	मैगजीन एके	08
3.	पिस्तौल	02
4.	यूबीजीएल	01
5.	रेडियो सेट	01
6.	एके जिंदा कारतूस	28 राउंड

इस मुठभेड़ में, श्री ताहिर सजाद भट, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 09.10.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 26-प्रेज/2014--राष्ट्रपति, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. पंकज शर्मा,
उप-निरीक्षक

02. इम्तियाज मोहम्मद,
हेड कांस्टेबल

03. लतीफ अहमद,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 03.02.2012 को लगभग 1715 बजे गांव अड़ूरा, पुलवामा में दो आतंकवादियों के उपस्थित होने के बारे में एसओजी, पुलवामा को एक विशिष्ट आसूचना प्राप्त हुई। तदनुसार, सूचना को 55 आरआर, 182 बटालियन, सीआरपीएफ के साथ साझा किया गया और संयुक्त घेराबंदी की गई। एसओजी, पुलवामा ने लक्षित क्षेत्र की उत्तरी और उत्तर पश्चिमी ओर घेराबंदी की, सीआरपीएफ ने पूर्वी ओर तथा 55 आर आर ने बाकी क्षेत्र की घेराबंदी की। उप-निरीक्षक, पंकज शर्मा हेड कांस्टेबल इम्तियाज अहमद के साथ घेरे को सुदृढ़ करते और कसते हुए बशीर अहमद शाह पुत्र अब अहद शाह, निवासी अड़ूरा के घर के पश्चिमी ओर के निकट वाली सडक पर पहुंचे और उसी समय उक्त घर में छिपे आतंकवादियों ने एक ग्रेनेड फेंका और सड़क की ओर वाली खिड़की से उन पर अंधाधुंध गोलीबारी आरंभ कर दी। ग्रेनेड लुढ़कता हुआ सड़क के पार चला गया और पास वाले नाले में फट गया, जिसमें वे बाल-बाल बच गए। अनुकरणीय साहस और सूझ-बूझ का प्रदर्शन करते हुए, उप-निरीक्षक पंकज शर्मा ने तुरंत ईंटो के ढेर के पीछे और हेड कांस्टेबल अम्तियाज अहमद ने एक पेड़ के पीछे पोजीशन ली और जवाबी गोलीबारी के कारण आतंकवादियों को वापस जाने के लिए बाध्य होना पड़ा और इस प्रकार उनके बचकर निकलने का प्रयास विफल हो गया। दोतरफा गोलीबारी में एक आतंकवादी घायल हो गया जिसकी बाद में मौत हो गई और उसका शव अगले दिन बरामद किया गया।

जैसे ही आतंकवादियों की उपस्थिति का पता चला, लक्षित घर चारों ओर घेरे को सुदृढ़ कर लिया गया। इसी समय, चूंकि रोशनी कम हो गई थी, इसलिए सुरक्षा बलों द्वारा जनरेटर सेट की मदद से रोशनी की व्यवस्था की गई ताकि आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग न सकें। यह भी पता चला कि कुछ सिविलियन भी लक्षित घर और आस-पास के घरों में फंसे हुए थे। वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण में लिया और दलों को और अधिक सावधान रहने के निर्देश दिए ताकि किसी भी निर्दोष सिविलियन को क्षति न हो। तदनुसार, एसओजी पुलवामा, सेना और सीआरपीएफ के सभी अधिकारी/कर्मी लगभग शून्य तापमान के बावजूद रात भर सतर्क रहे। दिनांक 04.02.2012 को भोर में, वहां फंसे सिविलियनों को संबोधित करने के लिए पी.ए. सिस्टम का उपयोग किया गया। सिविलियनों

को बचाने के लिए एक दल का गठन किया गया, जिसमें उप-निरीक्षक पंकज शर्मा, हेड कांस्टेबल इम्तियाज मोहम्मद और कांस्टेबल लतीफ अहमद शामिल थे। अनेक प्रयासों के बाद वे आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हो रही गोलीबारी के बावजूद लक्षित और आस-पास के घरों से 17 सिविलियनों को बचाने में सफल रहे। बचाए गए लोगों ने बताया कि घरों के अंदर दो आतंकवादी हैं और उनमें से एक गंभीर रूप से घायल है जिसकी बाद में मौत हो गई, इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि लक्षित घर के अंदर कोई और सिविलियन नहीं फंसा है। उनसे प्राप्त की गई संगत और महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर लक्षित घर के अंदर घुसकर दूसरे आतंकवादी को निष्क्रिय करने हेतु अंतिम हमला करने के लिए दो दलों, एक सेना का और दूसरा हेड कांस्टेबल इम्तियाज अहमद और कांस्टेबल लतीफ अहमद सहित उप-निरीक्षक पंकज शर्मा के नेतृत्व में एसओजी का गठन किया गया। कवरिंग फायर के तहत जब एसओजी और सेना के हमला दलों ने लक्षित घर की सीमा वाली दीवार के निकट पोजीशन ली तो उन्होंने छिपे हुए आतंकवादी को एक घर से दूसरे घर में पोजीशन बदलते हुए देखा। हमला दलों ने बिना समय गवांए तुरंत आतंकवादी पर गोलीबारी की और उसे निष्क्रिय कर दिया। बाद में मारे गए आतंकवादियों की पहचान एलईटी संगठन के कमांडर सैयद अशाक हुसैन पुत्र सैयद ए. गनी, निवासी पंजगाम, अवंतीपुरा, जिला पुलवामा और एलईटी संगठन के समीर अहमद नजर पुत्र अब रहमान नजर, निवासी बटपुरा अरवानी बिजबेहरा के रूप में की गई।

उप-निरीक्षक पंकज शर्मा, हेड कांस्टेबल इम्तियाज अहमद और कांस्टेबल लतीफ अहमद पूरी मुठभेड़ के दौरान अपनी व्यक्तिगत जान की परवाह किए बिना बहादुरी से लड़े और दोनों आतंकवादियों का खात्मा करने में अग्रणी भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त, ऊपर उल्लिखित अधिकारियों/कर्मियों की सूझ-बूझ की वजह से गोलीबारी के बीच फंसे अनेक सिविलियनों और बच्चों को बिना किसी समानांतर क्षति के बचा लिया गया।

बरामदगी:-

1.	राइफल एके 56	-	02
2.	मैगजीन एके 47	-	05
3.	राउंड एके 47	-	120
4.	पाउच	-	03
5.	मैट्रिक्स शीट	-	06

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री पंकज शर्मा, उप निरीक्षक, इम्तियाज अहमद, हेड कांस्टेबल और लतीफ अहमद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 03.02.2012 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 27-प्रेज/2014--राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. शेर मोहम्मद,
हेड कांस्टेबल

02. मोहम्मद मजनून,
फालोवर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 05.07.2012 को पुलिस जिला हंडबाड़ा के गांव बोवान में आतंकवादियों के मौजूद होने के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी। श्री राजेश कुमार, आईपीएस, डीआईजी, एनकेआर बारामुला ने और अधिक आसूचना एकत्र की और सेना 06, 21, 30, 31, 32, 35 आरआर और 09 पैरा के साथ कार्रवाई की योजना बनाई। उपर्युक्त अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस और सेना का छोटा सा घटक गांव बोवान पहुंचा और वे लक्षित स्थल की ओर बढ़े। क्षेत्र में सिविलियनों की उपस्थिति को भांपकर, अधिकारी ने एक बचाव दल बनाया और हेड कांस्टेबल शेर मोहम्मद, 7वीं बटालियन और अनुचर मोहम्मद मजनून के सहयोग से आगे रहकर नेतृत्व किया। उच्च साहस का प्रदर्शन करते हुए, बचाव दल छिपे हुए आतंकवादियों की भारी गोलीबारी के बीच सिविलियनों की ओर बढ़ा। डीआईजी एनकेआर और उक्त अधिकारियों की असाधारण प्रतिबद्धता के कारण सिविलियनों को सफलतापूर्वक निकाला जा सका। बचाव कार्य के तुरंत बाद, कार्रवाई दल ने आतंकवादियों को भयंकर गोलीबारी में उलझाया। अत्याधिक सूझ-बूझ का प्रदर्शन करते हुए, नामित कार्मिक शेष कार्रवाई दल की प्रभावी कवर फायर की सहायता से आतंकवादियों की ओर बढ़े। छिपने के स्थान के काफी नजदीक पहुंचकर, उन्होंने आतंकवादियों पर हमला कर दिया और गोलीबारी घंटों तक जारी रही, जिसके दौरान हेड कांस्टेबल शेर मोहम्मद और सेना के तीन अन्य जवान गोलियों से घायल हो गए। लगातार खून बहने के बावजूद, हेड कांस्टेबल शेर मोहम्मद अपनी पोजीशन पर बने रहे और जवाबी गोलीबारी की। श्री राजेश कुमार, आईपीएस और सेना/पुलिस के कुछ कार्मिक आगे आए और घायल हेड कांस्टेबल/सेना के जवानों को बचाया। कार्रवाई पूरी रात चलती रही और 06 जुलाई को बहुत कम समय में डीआईजी, एनकेआर, बारामुला अनुचर मोहम्मद मजनून और सेना/पुलिस के कुछ सहयोगियों के साथ आतंकवादियों की ओर आगे बढ़े तथा छिपने के स्थान पर अचानक हमला करके एक अज्ञात आतंकवादी को मार गिराया।

बरामदगी:

1.	एके 47 राइफल	-	01
2.	एके 56 राइफल	-	01
3.	एके मैगजीन	-	04 (दो जली हुई)

4.	एके राउंड	-	48
5.	खाली कारतूस	-	01

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री शेर मोहम्मद, हेड कांस्टेबल और मोहम्मद मजनून, फालोवर ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 06.07.2012 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 28-प्रेज/2014--राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक/पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01.	फयाज अहमद, उप-पुलिस अधीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
02.	शौकत अहमद, हेड कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 28.03.2012 को, पंजवानी वनों में आतंकवादियों की उपस्थिति के संबंध में एक विशिष्ट सूचना पर उप-पुलिस अधीक्षक फयाज अहमद (तत्कालीन एसडीपीओ हंदवाड़ा) ने 21 आरआर की सहायता से कार्रवाई की योजना बनाई। अधिकारी ने पुलिस के एक छोटे घटक को कमांड किया और लक्षित स्थल की ओर गए, जहां आरआर और पुलिस के अन्य कार्रवाई घटकों के दल उनके साथ शामिल हो गए और क्षेत्र की घेराबंदी/तलाशी की कार्रवाई आरंभ कर दी। हेड कांस्टेबल शौकत अहमद के नेतृत्व में तलाशी दल जब आतंकवादियों के छिपने के स्थान के पास वाले घर की ओर जा रहा था, तब आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी कर दी। क्षेत्र में सिविलियनों की उपस्थिति को भांपकर, उप पुलिस अधीक्षक फयाज अहमद ने तलाशी दल को सिविलियनों को हताहत होने से रोकने के लिए जवाबी गोलीबारी न करने का निर्देश दिया। अधिकारी हेड कांस्टेबल शौकत अहमद और पुलिस/सेना के कुछ कार्मिकों के साथ सिविलियनों को वहां से निकालने के कार्य के लिए आगे आए और अपने आप को अत्यधिक जोखिम में डालकर अनवरत प्रयास किए। उप-पुलिस अधीक्षक फयाज अहमद ने उच्च स्तर की व्यावसायिकता का प्रदर्शन किया और बचाव कार्रवाई के दौरान अपने कार्मिकों का प्रभावी रूप से मार्गदर्शन किया, जिससे लक्षित क्षेत्र के आस-पास के स्थानों से सिविलियनों को सुरक्षित निकाला जा

सका। तथापि, हेड कांस्टेबल शौकत अहमद, जो सिविलियनों को बचाने में भी शामिल थे, का आतंकवादियों की गोलीबारी से सामना हुआ, उप-पुलिस अधीक्षक फयाज अहमद ने तुरंत हेड कांस्टेबल शौकत अहमद की ओर एक बीपी रक्षक भेजा, उन पर भी आतंकवादियों ने हमला किया, लेकिन अधिकारी को अपने कर्मी के निकट जाने से नहीं रोक सके। जैसे ही बीपी रक्षक ने कुछ दूरी तय की, हेड कांस्टेबल दो सिविलियनों के साथ इस ओर बढे और उन्हें बचाने में सफल रहे।

जैसे ही सिविलियनों का बचाव अभियान पूर्ण हुआ, उप-पुलिस अधीक्षक फयाज अहमद और स्थल पर उपस्थित सभी कार्रवाई अधिकारियों ने आतंकवादियों पर हमला करने के लिए एक विशेष रणनीति तैयार की जिसके लिए तीन अलग-अलग संयुक्त हमला दल बनाए गए थे। उप पुलिस अधीक्षक फयाज अहमद ने स्वयं हेड कांस्टेबल शौकत अहमद और अन्य कार्मिकों के साथ एक ऐसे हमला दल का नेतृत्व किया और लक्षित स्थल की ओर आगे बढ़े। इसका आभास होने पर, आतंकवादियों ने भारी हमला करके घेरे को तोड़ने का प्रयास किया, तथापि, अंदर के घेरे में तैनात कार्मिकों ने अच्छी सूझबूझ का प्रदर्शन किया और आतंकवादियों को घटना स्थल से भागने का कोई मौका नहीं दिया। इसी बीच उप-पुलिस अधीक्षक फयाज अहमद के नेतृत्व वाले दल ने आतंकवादियों को एक ओर से भंयकर गोलीबारी में उलझा दिया। प्रत्येक मिनट के बाद, अभियान और अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था क्योंकि आतंकवादी अंधाधुंध गोलीबारी करके और ग्रेनेड फेंक करके पुलिस कर्मियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे तथा घेरे को तोड़ने का भी निरंतर प्रयास कर रहे थे। उप-पुलिस अधीक्षक फयाज अहमद के नेतृत्व वाले दल और आतंकवादियों के बीच एक घंटे से अधिक देरी तक नजदीकी गोलीबारी चली। आतंकवादियों की ओर से बढ़ती जवाबी कार्रवाई को भांपकर कुछ अन्य कार्मिकों के साथ ये पुलिसकर्मी आतंकवादियों की तरफ और आगे बढ़े और लक्षित स्थल पर अचानक धावा बोल दिया जिसके परिणामस्वरूप तीन आतंकवादी नामत: एलईटी के पाक अधिकृत कश्मीर निवासी जबीउल्लाह, पाक अधिकृत कश्मीर निवासी अली भाई और पाक अधिकृत कश्मीर निवासी मुजामिल उर्फ आबिद मारे गए। ये आतंकवादी हिंसा की अनेक कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार थे।

की गई बरामदगी:

i)	एके 47 राइफल	-	03
ii)	एके मैगजीन	-	13
iii)	हैंड ग्रेनेड-चीन निर्मित	-	02
iv)	एके राउंड	-	304 राउंड
v)	आरएस ऐंटिना	-	03 (क्षतिग्रस्त)
vi)	यूबीजीएल थ्रोवर	-	02
vii)	यूबीजीएल ग्रेनेड	-	03

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री फयाज अहमद, उप-पुलिस अधीक्षक और शौकत अहमद, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक/पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28.03.2012 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 29-प्रेज/2014--राष्ट्रपति, झारखंड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. दीपक कुमार सिन्हा,
अपर पुलिस अधीक्षक
02. मो.परवेज आलम,
उप-निरीक्षक
03. राजू सिंह, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल
04. रमेश गिरी,
कांस्टेबल
05. सीता राम मार्डी,
कांस्टेबल
06. ब्रजेश कुमार,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 11.09.2011 को 12.15 बजे मो. परवेज आलम, उप निरीक्षक सह प्रभारी अधिकारी, आर.आई.टी.पी.एस. जिला सरायकेला – खरसवान को दीपक कुमार सिन्हा, अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन), सरायकेला से सूचना मिली कि अनेक आपराधिक मामलों में वांछित दो जेल तोड़कर भागे खूंखार नक्सली, रवि सिंह मुंडा और बलराम साहू उर्फ डेविड उर्फ बोलोसाहू उगाही करने और किसी की हत्या करने के इरादे से आदित्यपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सलडीह बस्ती के एक घर में काफी समय से गुप्त रूप से रह रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) के अनुदेशों का पालन करते हुए, वे टाइगर मोबाइल कांस्टेबल राजू सिंह, कांस्टेबल ब्रजेश कुमार, कांस्टेबल टिंकू कुमार और कांस्टेबल रविन्द्र कुमार के साथ तुरंत आशियाना मोड़, आदित्यपुर पहुंचे। नक्सली ईएसआई अस्पताल के ठीक सामने एक टाइल वाले घर के अंदर थे और वहां से जाने वाले थे। अपर पुलिस अधीक्षक (आपरेशन),

उप-निरीक्षक मो. परवेज आलम, कांस्टेबल ब्रजेश कुमार, कांस्टेबल रमेश गिरी, कांस्टेबल सीताराम मार्डी और कांस्टेबल राजू सिंह गुप्त रूप से परिसर में घुसे। जैसे ही वे अंदर आए, अंदर के कमरे में उपस्थित दो व्यक्तियों ने उनके आने का अंदाजा लगा लिया और उन्होंने अपने आप को छिपाने का प्रयास किया। यह देखकर अपर पुलिस अधीक्षक ने ऊंची आवाज में अपना परिचय दिया और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। कई बार आवाज लगाने पर भी कोई उत्तर नहीं मिला। तब अपर पुलिस अधीक्षक ने कांस्टेबल सीताराम मार्डी, कांस्टेबल राजू सिंह, कांस्टेबल रमेश गिरी, कांस्टेबल ब्रजेश कुमार और कांस्टेबल नीरज कुमार को सावधानीपूर्वक कमरे में प्रवेश करने और छिपे हुए नक्सलियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जैसे ही वे कमरे के पास पहुंचे, एक नक्सली ने कमरे के अंदर से गोलीबारी कर दी, जो सनसनाती हुई कांस्टेबल सीताराम मार्डी के बगल से निकल गई। अत्यंत साहस और दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन करते हुए वे तेजी से उस पर झपटे और हाथों से उसे पकड़ लिया। यह देखकर दूसरे नक्सली ने गोलीबारी कर दी, जो दुर्भाग्यवश कांस्टेबल राजू सिंह की छाती में लगी और वे नीचे गिर गए। नक्सलियों ने अपर पुलिस अधीक्षक और उप निरीक्षक मो. परवेज आलम को निशाना बनाकर दोबारा गोलीबारी की, जो सामने से नक्सलियों का मुकाबला कर रहे थे। खतरनाक स्थिति और हमले का सामना करने का कोई विकल्प न पाकर अपर पुलिस अधीक्षक ने अपने अंगरक्षक कांस्टेबल सीताराम मार्डी को सीमित गोलीबारी करने का आदेश दिया। उन्होंने अपनी एके 47 राइफल से चार राउंड गोलियां चलाई। दो में से एक नक्सली बलराम साहू उर्फ डेविड उर्फ बोलो साहू ने पुलिस दल पर गोलीबारी करते हुए पूर्वी दिशा में भागने का प्रयास किया। कांस्टेबल ब्रजेश कुमार ने अपनी पिस्तौल से गोलीबारी करते हुए उसका पीछा किया। उनके श्रेष्ठ प्रयास के बावजूद, दुस्साहसी क्षेत्र की घनी आबादी का फायदा उठाकर भाग निकला। पुलिस दल ने कुछ मिनट तक देखा और इंतजार किया लेकिन कमरे के अंदर कोई हलचल दिखाई नहीं दी। इसके बाद, अपर पुलिस अधीक्षक और उप निरीक्षक मो. परवेज आलम ने सावधानीपूर्वक कमरे में प्रवेश किया। गोली लगने के कारण एक नक्सली मृत पाया गया, जो कमरे के फर्श पर खून में डूबा हुआ था, जिसकी पहचान रवि सिंह मुंडा के रूप में की गई थी। गोली लगने के कारण गंभीर कांस्टेबल राजू सिंह को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

मृतक नक्सली के शव के पीछे दो देशी पिस्तौलें, 7.62 एमएम के 4 (चार) खाली खोखे और 5 (पांच) जिंदा कारतूस पाए गए थे। जिस घर में नक्सली गुप्त रूप से रह रहे थे, उस घर के आंगन से जेएच 01-एच-7213 नम्बर वाली एक लूटी हुई हीरो होंडा (पैशन प्लस) बरामद की गई थी। यह पुलिस स्टेशन इच्छागढ़ में आईपीसी की धारा 392 के तहत मामला सं. 42/11 में उल्लिखित है।

आईपीसी की धारा 353/307/302/34, आयुध अधिनियम की 25 (1-ख) क/26/27/35 और 17 सीएलए अधिनियम के तहत दिनांक 11.01.2011 के आदित्यपुर पुलिस स्टेशन के मामला सं. 213/11 की आगे जांच से यह पता चला है कि मृतक रवि सिंह मुंडा और बचकर भागा हुआ बलराम साहू काफी हिंसक और प्रेरित नक्सली थे। उन्होंने कई घिनौने और जघन्य अपराध किए थे। वे आतंक के पर्याय थे। वे सरायकेला, चांडिल और इसके आस-पास के क्षेत्रों के लोगों से जबरन उगाही करते थे। उनकी

हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वे दिनांक 17.08.2011 को उप-कारागार सरायकेला को तोड़कर भाग गए थे। यह आईपीसी की धारा 224/225/2125(क)/341/342/222/120(ख) और 17 सीएलए अधिनियम के तहत दिनांक 18.08.2011 के सरायकेला पुलिस स्टेशन के मामला सं. 63/1 में उल्लिखित है।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री दीपक कुमार सिन्हा, अपर पुलिस अधीक्षक, मो. परवेज आलम, उप-निरीक्षक, (स्वर्गीय) राजू सिंह, कांस्टेबल, रमेश गिरी, कांस्टेबल, सीता राम मार्डी, कांस्टेबल और ब्रजेश कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11.09.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 30-प्रेज/2014--राष्ट्रपति, झारखंड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. अश्विनी कुमार सिन्हा,
उप-प्रभागीय पुलिस अधिकारी
02. बीरेन्द्र कुमार राम,
उप-निरीक्षक
03. प्रदीप कुमार मेहता,
कांस्टेबल
04. प्रवीण कुमार झा,
कांस्टेबल
05. उदय चन्द मीणा,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 27/28.01.2011 को लगभग 2100 बजे पुलिस अधीक्षक लातेहार ने सूचित किया कि 14 से 15 सशस्त्र सीपीआई माओवादी कैडर एक बड़ी आपराधिक घटना करने के लिए पुलिस स्टेशन बरवाडीह के अंतर्गत लुहुर गांव में प्रवेश कर गए हैं। सूचना के आधार पर एसडीपीओ बरवाडीह श्री अश्विनी कुमार सिन्हा अपने घर के गार्ड, बरवाडीह पुलिस स्टेशन के रिजर्व गार्ड, बरवाडीह पुलिस स्टेशन के उप-निरीक्षक बिरेन्द्र कुमार राम, उप निरीक्षक आर.पी. सिंह, सीआरपीएफ कंपनी कमांडर

सुभाष झा कैम्प बरवाडीह और सीआरपीएफ के साथ लगभग 1.00 पीएम छापा मारने के लिए निकले। पुलिस अधीक्षक लातेहार ने दोबारा मोबाइल पर सूचित किया कि सशस्त्र सीपीआई माओवादी कैडर लुहुर गांव में पहुंच गए हैं और बैजनाथ सिंह खरवार के घर में शरण ले रखी है। उस सूचना के आधार पर एसडीपीओ बरवाडीह श्री अश्विनी कुमार सिन्हा ने स्वयं, कांस्टेबल प्रवीण कुमार झा, कांस्टेबल उदय चंद मीणा, कांस्टेबल गोपाल चौधरी, ओसी बरवाडीह पुलिस स्टेशन, उप निरीक्षक बीरेन्द्र कुमार राम, कांस्टेबल अवधेश पासवान, कांस्टेबल प्रदीप कुमार मेहता, कांस्टेबल सैयद जुबेर अहमद और 11 बटालियन, सीआरपीएफ के निरीक्षक/जीडी एस.सी. झा उनके सैन्य दल को मिलाकर एक हमला पार्टी बनाई। पार्टी नाइट विजन उपकरण की मदद से लहुर बरवाडीह की ओर बढ़ी। अर्ध रात्रि का समय था और चारों ओर अंधेरा ही अधेरा था। पुलिस दल ने लक्ष्य से एक किलोमीटर पहले योजना के अनुसार लक्ष्य के आस-पास अपनी पोजीशन ले ली। एनवीडी की मदद से यह देखा गया कि 5-10 मीटर की दूरी पर बैजनाथ सिंह खरवार के घर के सामने हथियार के साथ एक संतरी को रखा गया है जहां अन्य नक्सली छिपे हुए थे। निरीक्षक/एस.सी. झा के नेतृत्व में सीआरपीएफ हमला दल के साथ श्री अश्विनी कुमार सिन्हा, एसडीपीओ, बरवाडीह के नेतृत्व वाली पुलिस पार्टी और नजदीक पहुंची, उनकी गतिविधि को संतरी ने भांप लिया और उसने उन पर गोलीबारी आरंभ कर दी और उस घर की ओर भागा जहां नक्सली छिपे हुए थे। पुलिस दल ने नक्सलियों से गोलीबारी बंद करने और समर्पण करने के लिए कहा लेकिन नक्सलियों ने खिड़की और मुख्य द्वार से गोलीबारी करना जारी रखा। नक्सली मुख्य द्वार से पुलिस पार्टी पर भारी गोलीबारी कर रहे थे, लेकिन एसडीपीओ बरवाडीह श्री अश्विनी कुमार सिन्हा ने अपने दल के साथ अपनी जान को जोखिम में डालकर और गोलीबारी सीधी उनकी ओर आने के बावजूद नक्सलियों पर गोलीबारी की जो उन्हें लगी और अंतत: नक्सली दरवाजे के पास गिर गये। 4-5 मिनट के लिए गोलीबारी बंद हो गई लेकिन अंदर से फिर गोली चलाई गई। बसंत यादव के रूप में पहचाने गए आखिरी नक्सली ने बचकर भागने का प्रयास किया और पूर्वी दिशा में भागा, लेकिन एसडीपीओ बरवाडीह श्री अश्विनी कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस दल गोलीबारी करते हुए उसी दिशा में रेंगकर आगे बढ़ा और उसे मार गिराया। दिन निकलने पर मुठभेड़ स्थल की पूर्ण तलाशी ली गई और नौ खूंखार सीपीआई माओवादियों के शव बरामद किए गए।

शवों के अलावा घटना स्थल से निम्नलिखित हथियार/गोलाबारुद और सामान भी बरामद किए गए:-

(1) 7.62 एमएम की एसएलआर-01 (सं. 10050017390 एफएफ 95)
(2) राइफल के साथ 7.62 एमएम बोल्ट-05
(3) बैरल के साथ देशी पिस्तौल-03
(4) एसएलआर मैगजीन-02
(5) 7.62 एमएम जिंदा कारतूस-76 राउंड
(6) 7.62 एमएम खाली खोखे-10
(7) 7.62 x39 एमएम जिन्दा कारतूस-41 राउंड

(8) 7.62x39 एमएम खाली खोखे-12

(9) सेमी आटोमेटिक खाली खोखे (कैलिबर का पता नहीं)-02

(10) 08 एमएम के खाली खोखे-01

(11) राउन्ड बुलेट (केलिबर का पता नहीं)-01

(12) अतिरिक्त बैटरी के साथ नोकिया मोबाइल-03

इस संबंध में ओसी बरवाडीह पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक बीरेन्द्र कुमार राम के स्व वक्तव्य के आधार पर सीपीआई माओवादी के सब-जोनल कमांडर बसंत जी उर्फ बसंत यादव पुत्र जोहन यादव, गांव-अम्बातंद पुलिस स्टेशन-रांका, जिला गड़वा (मृत), (2) देवदूत यादव उर्फ विक्रांत पुत्र गोपाल यादव, गांव-होन्हे, पुलिस स्टेशन रांका, जिला-गड़वा, सात अन्य मृत नक्सलियों और 5-6 अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147/148/149/353/307/ 121, आयुध अधिनियम 25 (1-ख) क/26/27/35 और 17/सी/एलए अधिनियम के तहत बरवाडीह पुलिस स्टेशन में दिनांक 28.01.2011 को मामला सं. 4/11 दर्ज किया गया है।

पुलिस दल ने अपनी जान जोखिम में डालकर बहादुरी से नक्सलियों का सामना किया और सीपीआई माओवादी के सब जोनल कमांडर बसंत जी उर्फ बसंत यादव को मार गिराया जो अन्य 8 नक्सलियों के साथ अनेक मामलों में वांछित था और 9 हथियार, बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस और अन्य सामग्रियां बरामद कीं।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री अश्विनी कुमार सिन्हा, उप-प्रभागीय पुलिस अधिकारी, बीरेन्द्र कुमार राम, उप-निरीक्षक, प्रदीप कुमार मेहता, कांस्टेबल, प्रवीण कुमार झा, कांस्टेबल और उदय चन्द मीणा, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28.01.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव

राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 31-प्रेज/2014--राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. राकेश प्रताप सिंह,
पुलिस अधीक्षक

02. रत्नेश तोमर,
निरीक्षक

03. वासुदेव रावत,
हेड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 25 जून, 2012 को एएसआई ब्रजमोहन रावत और हेड कांस्टेबल वासुदेव रावत को एक विश्वसनीय सूचना मिली कि खूंखार डाकू पप्पू गुर्जर अपने दल के सदस्यों के साथ माडेवा गांव की ओर से आगरा-बम्बई मार्ग पार करके पावा गांव की ओर आएंगे। मुखबिर की यह सूचना थी कि यह दल रामहेत और रामअवतार गुर्जर की हत्या करेगा और मरिखेड़ा बांध के किसी अधिकारी का अपहरण करेगा। यह सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक, शिवपुरी के निर्देशों के अनुसार निरीक्षक रत्नेश तोमर, एएसआई ब्रजमोहन रावत, एडी दल, एसओ सतनवाड़ा, संजय मिश्रा और बल कनकेर गांव के पास आगरा-बम्बई मार्ग पर इकट्ठा हुए और पुलिस अधीक्षक शिवपुरी भी वहां पहुंच गए। श्री आर.पी. सिंह, जो पहले ग्वालियर और मुरैना जैसे डकैती वाले क्षेत्रों में तैनात थे और नक्सली क्षेत्र नारायणपुर (छत्तीसगढ़) में भी रह चुके थे, ने क्षेत्र कला और रणनीति तथा रात्रि में रणनीतिक गतिविधि के बारे में पूरी तरह से बल को समझाने में अपनी जानकारी और अनुभव का इस्तेमाल किया। अधिकारियों और कर्मियों को आगे की कार्रवाई के बारे में बताया गया।

तब समूचे बल को दो दलों में बांटा गया। पहले दल का नेतृत्व स्वयं पुलिस अधीक्षक ने किया, जिसमें निरीक्षक रत्नेश तोमर, एएसआई मसीह खान, एएसआई ब्रज मोहन, हेड कांस्टेबल वासुदेव, हेड कांस्टेबल असलम खान, हेड कांस्टेबल प्रवीण त्रिवेदी, कांस्टेबल ऊदल सिंह आदि ने उनकी सहायता की और दूसरे दल का नेतृत्व एसओ सतनवाड़ा, उप निरीक्षक संजय मिश्रा ने किया जिसके सदस्य हेड कांस्टेबल गौरी शंकर, कांस्टेबल रूद्र प्रताप सिंह, कांस्टेबल आदेश धाकर आदि थे। समूचा बल आगरा-बम्बई मार्ग के पास पहुंचा और घात लगाकर हमला करने के लिए पोजीशन ले ली।

रात में लगभग 10 बजे ए.बी. मार्ग के नीचे सुरंग से कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। पांच सशस्त्र व्यक्ति सुरंग पार करते हुए दिखाई दिए, जिन्हें नाइट विजन उपकरण की सहायता से मंद चांदनी में देखा गया। पुलिस अधीक्षक ने उनसे पूछा कि वे कौन हैं? पुलिस अधीक्षक ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए भी कहा, लेकिन पुलिस की चेतावनी से बेखौफ बदमाशों ने पुलिस बलों को लक्ष्य बनाकर अंधाधुंध गोलीबारी आरंभ कर दी। तब निरीक्षक रत्नेश तोमर, हेड कांस्टेबल, वासुदेव रावत और हेड कांस्टेबल असलम खान डाकुओं द्वारा बरसाई जा रही भारी गोलियों के बीच अनुकरणीय साहस और असाधारण रणनीति का प्रदर्शन करते हुए डाकुओं के बांई ओर पहुंचने के लिए रेंगकर आगे बढ़े। इस वीरतापूर्ण गतिविधि को देखकर डाकुओं ने मारने के इरादे से इस दल को निशाना बनाकर भारी गोलीबारी आरंभ कर दी। एक डाकू ने गाली दी और अपने आप को पप्पू गुर्जर बताया और कहा कि उसने पुलिस से राइफलें लूटी हैं और एक कांस्टेबल को भी मारा है। अपनी जान को आसन्न खतरे को देखते हुए दो डाकुओं को मार गिराने के लिए अपने बचाव में जवाबी कार्रवाई की, जिनमें से बाद में एक डाकू की पहचान पप्पू गुर्जर के रूप में की गई। डाकुओं ने पुलिस बल को मारने के इरादे से भारी गोलीबारी जारी रखी। तब पुलिस अधीक्षक आर.पी. सिंह ने हेड कांस्टेबल आदि के साथ अपनी जान को जोखिम में

डालकर रेंगना आरंभ किया और जान को भीषण खतरे में डालकर अपने बचाव में जवाबी कार्रवाई की और एक डाकू को मार गिराया। ऐसा पुलिस अधीक्षक आर.पी. सिंह के आश्चर्यजनक साहस, रणनीतिक कार्रवाई और बहादुरी के परिणामस्वरूप हुआ। एक अन्य डाकू का पीछा करने के बाद निरीक्षक रत्नेश तोमर, कांस्टेबल ऊदल सिंह आदि द्वारा उसी तरह वीरतापूर्वक खात्मा कर दिया गया। पुलिस द्वारा इस अंतिम हमले और गोलीबारी के दौरान एक चीख सुनाई दी। इसके तुरंत बाद डाकुओं की ओर से गोलीबारी बंद हो गई। पांचवा डाकू जंगल और नाले का फायदा उठाकर वहां से गायब हो गया।

तलाशी के दौरान चार डाकुओं के शव मिले जिनकी बाद में पप्पु गुर्जर, रामकिशन आदिवासी के रूप में पहचान की गई। इन दोनों में से प्रत्येक पर डी.जी.पी. मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा पच्चीस हजार रू. के इनाम की घोषणा की गई थी। राम खिलारी गुर्जर पर पुलिस अधीक्षक, शिवपुरी द्वारा 5,000/-रू. के इनाम की घोषणा की गई थी और लक्ष्य-39 के रूप में सूचीबद्ध रामनाथ गुर्जर, पप्पू गुर्जर अपने दल का नेता था।

घटनास्थल से घातक असला एक 7.62 एमएम एसएलआर, एक .315 बोर की राइफल और 12 बोर की दो बंदूकों के साथ बड़ी मात्रा में जिंदा और खाली कारतूस बरामद किए गए थे। ऊपर बताए गए तथ्य पुलिस अधिकारियों की अदम्य वीरता, नेतृत्व, कर्तव्य के प्रति अनुकरणीय समर्पण और असाधारण स्तर के आत्मबलिदान के कार्यों का वर्णन करते हैं। पप्पू गुर्जर दल इतना निर्भीक और दु:साहसी था कि वर्ष 2010 में उन्होंने शिवपुरी में एक मुठभेड़ के दौरान कांस्टेबल एसएएफ इन्द्र बहादुर की हत्या कर दी थी।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री राकेश प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक, रत्नेश तोमर, निरीक्षक और वासुदेव रावत, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25.06.2012 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 32-प्रेज/2014--राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. परदेशी सुकुजी देवांगण, हेड कांस्टेबल (वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक) (मरणोपरांत)
02. विट्ठल शंकर पवार, उप निरीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

जिला पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) सहित एओपी पोटेगांव की पुलिस पार्टी मकदचवा जंगल क्षेत्र में नक्सलियों की संदिग्ध आवाजाही की सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 19-8-2011 को प्रात: लगभग 3.50 बजे उक्त क्षेत्र में नक्सल-रोधी कार्रवाई करने के लिए रवाना हुई। हेड कांस्टेबल देवांगण सुकुजी परदेशी, जो एओपी पोटेगांव में तैनात थे, एडवांस यूनिट पार्टी के सदस्य थे।

लगभग 7.30 बजे, जब पुलिस पार्टी मकदचुवा गांव के निकट पहुंची, तब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल एफ/192 बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री जोशी ने कुछ सशस्त्र नक्सलियों की संदिग्ध आवाजाही देखने के पश्चात पुलिस पार्टी को सतर्क कर दिया। हेड कांस्टेबल देवांगण सुकुजी परदेशी ने, जो सबसे आगे थे, एक आड़ के पीछे पोजीशन ले ली। जब एसी जोशी ने उन सशस्त्र नक्सलियों को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, तब उन्होंने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरु कर दी। सबसे आगे खड़े हेड कांस्टेबल देवांगण सुकुजी परदेशी ने जबावी गोलियां चलाई। रणनीति के रुप में हेड कांस्टेबल देवांगण सुकुजी परदेशी ने अपने साथियों का बांयी ओर से नेतृत्व किया, जबकि एसी जोशी और उनके कार्मिकों ने छिपे हुए नक्सलियों पर दायीं ओर से बंदूकों से भारी गोलीबारी शुरु कर दी। जब एसी जोशी अपने कुछ साथियों के साथ छिपे हुए नक्सलियों की ओर बढ़ रहे थे, तभी हेड कांस्टेबल देवांगण सुकुजी परदेशी और उनके साथियों ने कुशलतापूर्वक गोलियां चलाकर उनकी सहायता की। एक नक्सली ने, जो इस हमले में गोली से जख्मी हो गया था, घने जंगल की ओर भागना शुरु कर दिया। जब एसी जोशी और अन्य पुलिस कर्मियों ने उसका पीछा करने की कोशिश की, तो छिपे हुए नक्सलियों ने बायीं ओर से उन पर गोलियां चलाई, जिससे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कांस्टेबल चन्दन नाथ गोली लगने से घायल हो गए। नक्सलियों ने एसी जोशी के दल को घेरने के लिए भारी गोलीबारी की। हेड कांस्टेबल देवांगण सुकुजी परदेशी ने अपने सहकर्मियों की जान को जोखिम होने का अनुमान लगाते हुए, तत्काल एक साहसिक निर्णय लिया और वीरतापूर्वक दूसरी ओर से उन नक्सलियों पर भारी गोलीबारी करते हुए आगे बढ़े, जो पुलिस को घेरने की कोशिश कर रहे थे। उनके वीरतापूर्वक आगे बढ़ने से नक्सली पीछे हटने पर मजबूर हो गए और इस हमले में दो नक्सली घायल हो गए। बहादुर हेड कांस्टेबल देवांगण सुकुजी परदेशी निडरता से उनकी ओर बढ़ते रहे ताकि वे उन्हे फरार होने से रोक सकें। तभी कुछ छिपे हुए नक्सलियों ने मक्का के खेत से हेड कांस्टेबल देवांगण सुकुजी परदेशी पर गोलिंया दागी और एक गोली उनकी छाती में लगी। इस नाजुक स्थिति में भी, हेड कांस्टेबल देवांगण सुकुजी परेदशी ने आगे बढ़ना जारी रखा। किन्तु उनके मर्मस्थल पर गोली लगने के कारण घायल होने की वजह से कार्रवाई के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई।

इस दुर्घटना के बाद, जब हेलीकाप्टर द्वारा अतिरिक्त बल भेजने और घायल पुलिस कर्मियों को वहां से हटाने की योजना बनाई गयी, तब सी-60 पार्टी के प्रभारी पुलिस उप निरीक्षक विट्ठल शंकर पवार, अभियान में आगे बढ़े। आधे घण्टे के भीतर वे घटना स्थल पर पहुंच गए। नक्सलियों द्वारा लगातार किए जा रहे गोलियों के हमले से विचलित हुए बिना ये बहादुर अधिकारी सीआरपीएफ के घायल कांस्टेबल चन्दन नाथ को वहां से हटाने में सफल हो गये जिनकी जान पीएसआई विट्ठल शंकर पवार के इस वीरतापूर्ण कार्य के कारण बचायी जा सकी। उन्होंने नक्सलियों के साथ अपनी मुठभेड़

जारी रखी। जब विठ्टल शंकर पवार ने कोबरा 206 बटालियन के कुछ सिपाहियों के साथ नक्सलियों को बायीं ओर से घेरने का प्रयास किया, तब नक्सलियों ने पुलिस उप निरीक्षक विट्ठल शंकर पवार पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी। बदले में, उप निरीक्षक विट्ठल शंकर पवार और उनके दल ने छिपे हुए नक्सलियों पर तेज हमला शुरु कर दिया। यह हमला इतना प्रभावशाली था कि नक्सलियों का धैर्य टूट गया और उन्होंने पीछे हटने का निर्णय लिया। यह देखकर कि कुछ नक्सली अपने घायल साथियों को खींचकर घने जंगल में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, कोबरा के कुछ कांस्टेबलों ने उनका पीछा करने की कोशिश की। कुछ छिपे हुए नक्सलियों ने दांयी ओर से जबावी गोलियां चलाई जिससे कोबरा कांस्टेबल चन्द्रशेखर टोर और यासर खान को गम्भीर चोटें आईं और घायल होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गयी। कोबरा सिपाहियों को बुरी तरह घायल देखकर, पीएसआई विट्ठल शंकर पवार घायल कर्मियों को गोलियों से बचाने के लिए उनकी ओर बढ़े। किन्तु इस बार भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और नक्सलियों द्वारा चलाई गई गोली उनकी टांग में लगी। उक्त अधिकारी को घायल देखकर, अन्य पुलिसकर्मी घबरा गए किन्तु पीएसआई विट्ठल शंकर पवार शांतचित से आगे बढ़ते रहे और अन्य साथियों को उनके पीछे आने के लिए प्रेरित करते रहे। कुछ समय बाद पीएसआई विट्ठल शंकर पवार और उनके साथी घायलों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में सफल हो गए। इसके बाद, पीएसआई विट्ठल शंकर पवार को हेलीकाप्टर द्वारा चिकित्सा के लिए गढ़चिरौली ले जाया गया।

हेड कांस्टेबल देवांगण सुकुजी परदेशी और पीएसआई विट्ठल शंकर पवार वीरतापूर्वक लड़े और नक्सलियों की सतत् गोलीबारी में भी नरम नहीं पड़े। इन दोनों की यह शौर्यपूर्ण कार्रवाई कट्टर नक्सलियों के विरुद्ध लड़ाई अथक साहस का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।

की गई बरामदगियां

1.	303 राइफल	-	01
2.	303 के जीवित राउंड्स	-	14
3.	मेगजीन	-	01
4.	चार्जर	-	04
5.	10,231/रु. की नगद राशि		
6.	पत्र और फोटोग्राफ		

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री (स्वर्गीय) परदेशी सुकुजी देवांगण, हेड कांस्टेबल और विट्ठल शंकर पवार, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20.08.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 33-प्रेज/2014--राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री राजवर्धन,
उप पुलिस आयुक्त

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 26 नवम्बर, 2008 को लगभग 21.40 बजे दस आतंकवादियों में से दो आतंकवादियों ने भीड़-भाड़ वाले सीएसटी रेलवे स्टेशन के भीतर एके-47 से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरु कर दी। अन्य आतंकियों ने जोड़ों में इधर-उधर घूमकर कोलाबा में नरीमन हाऊस, होटल ट्राइडेंट, होटल ताज और कैफे लियोपोल्ड की घेराबन्दी कर ली। आखिरी जोड़े ने पहले कैफे लियोपोल्ड पर हमला किया और विदेशी पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने के बाद होटल ताज में अपने अन्य साथियों से मिलने के लिए चले गए। होटल में घुसने से पहले, उन्होंने गेटवे आफ इंडिया के आस-पास दो शक्तिशाली आईईडी लगा दिए।

होटल ताज में घुसने के बाद, चार आतंकवादियों ने मेहमानों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरु कर दी। उनका इरादा यथा सम्भव अधिक से अधिक लोगों की हत्या करना था, जिसके लिए उन्होंने हैंड ग्रेनेडों का भी उपयोग किया। होटल ताज आगंतुकों से पूरी तरह भरा हुआ था, जिसमें बहुत से विदेशी नागरिक भी शामिल थे। तथापि, मुम्बई पुलिस के यथा समय हस्तक्षेप से बहुत सी जानें बच गईं। होटल ताज में घुसे आतंकवादियों को रोकने के लिए श्री विश्वास नांगरे पाटिल, डीसीपी, जोन-I, श्री राजर्वधन डीसीपी, एसबी-II, श्री दीपक धोले, पीआई, श्री काकडे, पीएसआई, श्री अमित खेतले, पीसी, श्री अरुण माने, पीसी, श्री राहुल शिंदे, पीसी, राज्य रिजर्व पुलिस बल (एसआरपीएफ) और श्री समाधान मोरे पीसी, राज्य रिजर्व पुलिस बल की टीम सबसे आगे थी। उन्होंने आतंकवादियों की गोलियों के आक्रमण के जबाब में तत्काल गोलियां चलानी शुरु कर दी और इस कार्यवाही में एक आतंकी घायल हो गया। उक्त दल ने आतंकवादियों का पीछा किया और उन्हें होटल की बिल्डिंग की छठी मंजिल पर एक कोने में जाने पर मजबूर कर दिया जिससे वे दुश्मनों की गोलीबारी से अन्य मेहमानों/पर्यटकों की रक्षा कर सके। उक्त दल ने जबावी गोलियां चलाते हुए इन आतंकवादियों को लगभग 3 घण्टे से अधिक समय तक छठी मंजिल पर रोके रखा और उन्हें बच कर निकलने अथवा अधिक लोगों को हानि पहुंचाने का अवसर नहीं दिया। इस दौरान, दल ने होटल के प्रबन्धक वर्ग और फायर ब्रिगेड से समन्वय स्थापित किया और होटल में फंसे हुए 500 से अधिक पर्यटकों और कर्मचारियों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया।

हमले के तुरन्त बाद, महाराष्ट्र सरकार ने इस संकट के प्रशमन और समाधान हेतु विभिन्न सरकारी एजेन्सियों द्वारा की गई कार्रवाई का अध्ययन करने के लिए श्री प्रधान की अध्यक्षता में एक

उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया था। रिपोर्ट में, समिति ने उक्त दल द्वारा किए गए अनुकरणीय और शौर्यपूर्ण कार्य की प्रशंसा की है।

श्री राजर्वधन, उप पुलिस आयुक्त,एसबी-II मुम्बई द्वारा निभाई गई भूमिका

वर्ष 2008 में, श्री राजवर्धन आसूचना ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर थे और मुम्बई में उप पुलिस आयुक्त, एसबी-II थे। दिनांक 26.11.2008 को लगभग 2140 बजे जब उक्त हमला किया गया, उस समय वे घर पर थे। जैसे ही उन्हें कोलाबा स्थित कैफे लियोपोल्ड पर हमले की सूचना मिली, वे तुरन्त विस्तृत जानकारी लेने के लिए कोलाबा पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पहुंचने पर, उन्हें होटल ताज पर चल रहे हमले की जानकारी मिली। उन्होंने तत्काल होटल ताज की ओर जाने का निर्णय लिया।

श्री राजवर्धन को सामरिक लड़ाई का अच्छा अनुभव है, और उन्हें यह अनुभव गढ़चिरौली में पुलिस अधीक्षक के रुप में अपनी तैनाती के दौरान प्राप्त हुआ था। श्री राजवर्धन ने होटल ताज पहुंचकर अनुभव किया कि यह पूर्णतया समन्वित आतंकवादी हमला था। वे शीघ्र ही श्री विश्वास नांगरे पाटिल और आतंकवादियों से भिड़ रही उनकी टीम में शामिल हो गए। टीम की कार्रवाई के परिणामस्वरुप आतंकवादी वापस सीढ़ियों पर चले गए। चूंकि होटल ताज बहुत बड़ा होटल है, इसलिए टीम के लिए उनकी ठीक-ठीक पोजीशन का पता लगाना असम्भव था। इस स्थिति में, श्री राजवर्धन होटल के सीसीटीवी नियंत्रण स्टेशन पर गए और आतंकवादियों की सही-सही पोजीशन का पता लगाया, जो छठी मंजिल पर छिपे हुए थे। इससे टीम को रणनीति तय करने और ऊपरी मंजिलों पर आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पोजीशन लेने में बहुत सहायता मिली। आतंकवादियों ने बंधकों के साथ सीढ़ियों से नीचे आने के कई प्रयत्न किए किन्तु टीम ने लगातार गोलियां चलाकर उनकी आवाजाही को लगभग 3 घण्टे के अधिक समय तक होटल की पांचवीं और छठी मंजिल के बीच ही सीमित बनाए रखा। इस अवधि में, श्री राजवर्धन ने होटल के प्रबन्धक वर्ग और फायर बिग्रेड के साथ भी समन्वय स्थापित किया और होटल में फंसे हुए 500 से अधिक पर्यटकों और कर्मचारियों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया।

प्रात: लगभग 0300 बजे एनएसजी घटना स्थल पर पहुंच गई और टीम से कार्यभार ले लिया। जब गार्ड को बदला जा रहा था, तब गोलीबारी बंद थी और जैसे ही टीम मोर्चाबन्दी की स्थिति से बाहर निकली तब क्रोध से उन्मत आतंकवादियों ने टीम पर गोलियां चलाई और उसी समय हैंड ग्रेनेड भी फेंके, जिससे श्री राहुल शिंदे, पीसी, एसआरपीएफ शहीद हो गए और श्री राजवर्धन और दो अन्य कांस्टेबल गम्भीर रुप से घायल हो गए।

रिपोर्ट में, उच्च स्तरीय जांच समिति ने भी श्री राजवर्धन और श्री विश्वास नांगरे पाटिल के नेतृत्व वाले दल द्वारा किए गए अनुकरणीय एवं शौर्यपूर्ण कार्य की सराहना की है, जो इस प्रकार है "उनमें से हम दो लोगों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहेंगे: श्री विश्वास नांगरे पाटिल, उप पुलिस आयुक्त, जोन-I और श्री राजवर्धन, उप पुलिस आयुक्त, प्रभारी, एसबी-II, जिन्होंने धरोहर ताज के अंदर से आतंकवादियों को ढूंढ कर बाहर निकालने का प्रयास किया।"

इस मुठभेड़ में, श्री राजवर्धन उप पुलिस आयुक्त ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26-11-2008 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 34-प्रेज/2014--राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री गुरदियाल सिंह, (मरणोपरान्त)
सहायक उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

श्री गुरदियाल सिंह, सहायक उप निरीक्षक (एसएसआई) की तैनाती पुलिस चौकी शहीद भगत सिंह नगर (पुलिस स्टेशन सराभा नगर लुधियाना) के प्रभारी के रुप में की गई थी। इस पुलिस चौकी का कार्य क्षेत्र काफी बड़े क्षेत्र में फैला है और कानून और व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील है। इस क्षेत्र में समाज विरोधी तत्व सक्रिय थे और सुबह भ्रमण करने वाले लोगों से सोने के गहने छीनने की कई घटनाएं सूचित की गई थीं। इसके परिणामस्वरुप जनसाधारण में बहुत आतंक फैला हुआ था। इस अपराध को रोकने और अभियुक्तों को पकड़ने के लिए, स्थानीय पुलिस ने ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया था ताकि जनसाधारण में विश्वास और सुरक्षा की भावना उत्पन्न की जा सके। इस क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आसूचना नेटवर्क को भी सुदृढ़ किया गया था।

दिनांक 17/05/2011 को एएसआई गुरदियाल सिंह के एक अत्यावश्यक किसी जमानत के मामले में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ गए और सायं देर से पुलिस चौकी लौटे। इसके पश्चात, कुछ पुलिस कर्मियों के साथ उन्होंने असामाजिक तत्वों को खोजने और संदिग्ध वाहनों की जांच करने के लिए विशेष नाकाबन्दी की। नाकाबन्दी के दौरान उन्हें किसी सूत्र से सूचना मिली कि कुछ असामाजिक तत्व उक्त क्षेत्र में कोई बड़ा अपराध करने की योजना बना रहे हैं। इस पर, एएसआई गुरदियाल सिंह ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना स्थल की ओर गए, किन्तु अपराधी सफलतापूर्वक भाग निकले।

दिनांक 18.05.2011 को प्रात: काल में, एएसआई गुरदियाल सिंह, प्रभारी पुलिस चौकी, शहीद भगत सिंह नगर (पुलिस स्टेशन सराभा नगर) लुधियाना हेड कांस्टेबल अमरजीत कुमार और स्रोत के साथ उसी क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की उपस्थिति के बारे में प्राप्त सूचना के आधार पर गश्त लगा रहे थे। ए एस आई गुरदियाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने दो लोगों को बिना नम्बर प्लेट की एक मोटर साइकिल पर संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए देखा और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा/संरक्षा की परवाह किए बगैर तत्काल उनका पीछा करना शुरु कर दिया और काफी हाथापाई के बाद एएसआई गुरदियाल सिंह एक अपराधी को पकड़ने में सफल हो गए। लेकिन इसी बीच में दूसरे अपराधी ने एएसआई गुरदियाल सिंह पर हथियार से गोली चलाई, जो उनके सिर में लगी। इसके परिणामस्वरूप एएसआई गुरदियाल सिंह गम्भीर चोट लगने के कारण गिर गए। अभियुक्त ने स्रोत पर भी गोली चलाकर उसे घायल कर दिया। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अभियुक्त भाग निकले। घटना की जानकारी मिलने पर, वरिष्ठ अधिकारी तुरन्त घटना स्थल की ओर भागे। एएसआई गुरदियाल सिंह को चिकित्सा के लिए तत्काल डीएमसी और हास्पिटल लुधियाना ले जाया गया, जहां वे जीवन के लिए संघर्ष करते रहे और घायल होने की वजह से दिनांक 12.06.2011 को उनकी मृत्यु हो गई। इस सम्बन्ध में, अज्ञात अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस स्टेशन सराभा नगर, लुधियाना में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307/34 और आयुध अधिनियम की धारा 25/54/59 के अंतर्गत दिनांक 18.05.2011 को एफआईआर संख्या 94 दर्ज की गई थी।

एएसआई गुरदियाल सिंह ने असामाजिक तत्वों से लड़ते हुए अपनी सुरक्षा और संरक्षा की परवाह किए बिना अदम्य साहस और बहादुरी दर्शाते हुए अपने जीवन की कुर्बानी दे दी।

इस मुठभेड़ में, स्वर्गीय श्री गुरदियाल सिंह, सहायक उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18.05.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 35-प्रेज/2014--राष्ट्रपति, राजस्थान पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री निहाल सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

पुलिस स्टेशन सदर में तैनात कांस्टेबल श्री निहाल सिंह, आकस्मिक छुट्टी पर थे और दिनांक 02.07.2011 को प्रात: 8.45 बजे अपने गृह गांव बारोडकन के बस स्टैंड पर बैठे थे। वहां उन्होंने महेन्द्र

मीना (वाहन चोरी में वांछित अपराधी) को उसके दल के सदस्यों के साथ देखा। उन्होंने अलवर सिटी के सी. ओ. को बारंबार इसकी सूचना दी। सी. ओ. सिटी ने एस एच ओ कथुमार को अपराधियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। एसएचओ कथुमार को बस स्टैंड पर देखकर, महेन्द्र मीना और उसके ग्रुप के सदस्यों ने भागने की कोशिश की। उन्हें पकड़ने के लिए कांस्टेबल निहाल सिंह अपनी मोटर साइकिल पर उनके पीछे भागे। अपराधी महेन्द्र मीना ने अपने "देशी कट्टे" से कांस्टेबल निहाल सिंह पर गोली चलाई। इसकी वजह से पेट और शरीर के दायीं ओर कई गोलियां लगीं। गोलीबारी की आवाज सुनकर पुलिस पार्टी और ग्रामीण अपराधियों के पीछे भागे। इसी बीच नजदीकी पुलिस स्टेशन की पुलिस पार्टियों को घटना स्थल पर पहुंचने की सूचना दी गई। घायल कांस्टेबल निहाल सिंह को प्राथमिक चिकित्सा के लिए कथुमार स्थित सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसके बाद वहां से उन्हें जनरल हॉस्पिटल अलवर में भर्ती कराया गया और वहां से उन्हें आगे इलाज के लिए एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर भेजा गया। जिला अलवर के पुलिस स्टेशन कथुमार में श्री बलराम पुत्र श्री दौलतराम यादव निवासी बारोडकन द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307, 332, 353 और आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अन्तर्गत दिनांक 02.07.2011 को एक मामला संख्या 173/2011 दर्ज कराया गया था।

श्री निहाल सिंह, कांस्टेबल, पुलिस स्टेशन सदर द्वारा छुट्टी पर रहते हुए भी अपना कर्तव्य भली भांति निभाया गया और उन्होंने वांछित अपराधी महेन्द्र मीना को पकड़ते हुए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। श्री निहाल सिंह ने छुट्टी पर होने के बावजूद अत्यधिक साहस और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण का प्रदर्शन किया। इस कार्रवाई के दौरान वह गम्भीर रुप से घायल हो गए और उन्हें हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। चिकित्सा के दौरान दिनांक 22.07.2011 को उनकी मृत्यु हो गई।

इस मुठभेड़ में, स्वर्गीय श्री निहाल सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 02.07.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 36-प्रेज/2014--राष्ट्रपति, तमिलनाडु पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री टी. अलविन सुधन (मरणोपरान्त)
उप -निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

श्री टी. अलविन सुधन को वर्ष 2011 के दौरान सीधे उप पुलिस निरीक्षक (श्रेणी-I) के रूप में भर्ती किया गया था। शैक्षिक प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए तिरुनेलवेली जिले के संकरनकोविल तालुक पुलिस स्टेशन पर तैनात किया गया था। व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, उनकी तैनाती सिवगंगा जिले में की गई थी और उन्होंने दिनांक 24-8-2012 को तिरुपचेथी पुलिस स्टेशन में कार्यभार सम्भाला। दो महीने की छोटी सी अवधि में, उन्होंने कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट कार्य किया। उन्होंने रेत माफिया गैंग के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की और उनकी गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगा दी। उन्होंने भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत 28 मामले दर्ज किए और उपद्रव की गतिविधियों को नियंत्रित किया। 28 मामलों में से 7 मामले दोषसिद्ध, 8 मामले आरोप-पत्रित तथा 7 मामले जांचाधीन थे और 6 मामलों में कार्रवाई रोक दी गई थी। उन्होंने माइकल पट्टिनम, मीनाक्षीपुरम, मथुर, टी.वेलारंगुलम, वम्पाथुर, मालवारायनेंथल गावों जो, तिरुप्पाचिती पुलिस स्टेशन की सीमा में आते हैं, में आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों में बंदोबस्त ड्यूटी निभाई थी। दिनांक 11-9-2012 को इमैनुएल शेखरन स्मृति दिवस के अवसर पर उन्होंने पचेरी कालोनी क्षेत्र के संवेदनशील इलाके में जनसाधारण और स्वयंसेवकों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया था। दिनांक 27.10.2012 को कलैयारकोवी में मरुथुपंडियार गुरु पूजा के अवसर पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और एनएच-49 पर यातायात का अबाध प्रवाह सुनिश्चित किया। उसी समय उन्हें सूचना मिली कि वी पुथुकुलम से सम्बन्धित कुछ उपद्रवी प्रभु के नाम से एक 2-टाटा सूमो कार में उपद्रव कर रहे हैं और वेम्पाथुर में जन अशांति उत्पन्न कर रहे हैं। समस्या के समाधान के लिए, वे उस घटनास्थल पर गए। उस समय उक्त प्रभु गैंग मनमदुरै के उप पुलिस अधीक्षक श्री करुणानिधि और निरीक्षक श्री विजयकुमार के साथ वेम्पाथुर लक्ष्मीपुरम रोड़ पर झगड़ा कर रहा था और उन्होंने उप पुलिस अधीक्षक को गिरा दिया था और उन्हें तलवार से मारने का प्रयास कर रहा था। उस समय श्री टी. अलविन सुधन, उप पुलिस निरीक्षक ने उन्हें बचाने और उपद्रव को रोकने का प्रयत्न किया। किन्तु उपद्रवी प्रभु ने उप निरीक्षक के सीने पर तलवार से हमला कर दिया। घायल होने के कारण अस्पताल ले जाते समय उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई।

श्री अलविन सुधन ने अपनी जान देकर उप पुलिस अधीक्षक, एक निरीक्षक और दो हेड कांस्टेबलों की जान बचाई ।

इस मुठभेड़ में स्वर्गीय श्री टी. अलविन सुधन, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27.10.2012 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 37-प्रेज/2014--राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री गोविन्द सिंह, (मरणोपरांत)
निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 18.4.2012 को, श्री जोगेन्द्र कुमार, एसपी, मऊ को करमी मथिया गांव, पुलिस स्टेशन चिरैयाकोट में एसजीओ के कुख्यात और इनामी अपराधी धीरज सिंह के साथ पुलिस मुठभेड़ की सूचना मिली। इस पर तुरन्त कार्रवाई करते हुए वे घटनास्थल की ओर भागे। अपराधी धीरज और उसके साथी ने करमी मथिया गांव में रामजी बरनवाल के घर में जबरदस्ती घुसकर उनकी निर्दयता से हत्या कर दी थी और उनके 5 वर्षीय बच्चे को बंधक बना लिया था और लगातार पुलिस दल पर गोलियां चला रहे थे। इसी बीच कोतवाली सिटी मऊ के निरीक्षक/एसएचओ श्री गोविन्द सिंह वहां पहुंचे और पुलिस पार्टी का नेतृत्व करते हुए उन्होंने रणनीतिपूर्वक दोनों अपराधियों को चुनौती दी और अपनी जान और शरीर की परवाह न करते हुए अदम्य साहस एवं बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए उन्हें जीवित पकड़ने के लिए नियंत्रित गोलीबारी करते हुए आगे बढ़े, किन्तु अपराधियों द्वारा की जा रही अंधाधुंध गोलीबारी से वे गम्भीर रुप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए शीघ्रता से अस्पताल ले जाया गया, जहां घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गयी।

एस.पी. मऊ अतिरिक्त बल सहित वहां पहुंचे, श्री विजय सिंह मीना, एस पी आजमगढ़ भी वहां पहुंचे और उन्होंने अपराधियों को आत्मसमर्पण करने की चुनौती दी, लेकिन अपराधी उन्हें मारने के इरादे से उनकी ओर अधिक उग्रता के साथ लगातार गोलीबारी करते रहे। एसपी मऊ, आजमगढ़, सीओ सिटी मऊ, श्री बिन्द कुमार एसआई, श्री शशि भूषण राय, एसआई और श्री अशोक कुमार सिंह, एचसीएपी ने दोनों अपराधियों की खतरनाक गोलीबारी से घबराए बिना, रणनीतिपूर्वक उन पर आंसू गैस से जवाबी हमला किया जिससे लगातार और उग्रतापूर्वक पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाता हुआ एक अपराधी घर से बाहर आया और इस 'करो या मरो' की स्थिति में पुलिस दल ने अदम्य साहस दर्शाते हुए और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना और अपराधी को जीवित ही गिरफ्तार करने के दृढनिश्चय से निडरता से आगे बढ़ते हुए उसे आत्मसमर्पण करने की चुनौती दी और आत्मरक्षा में नियंत्रित गोलीबारी करते रहे जिससे अपराधी घायल होकर नीचे गिर गया।

पुलिस पार्टी ने बंधक बच्चे को बचाने और पुलिस दल पर घर के भीतर से अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे अपराधी को जीवित पकड़ने के उद्देश्य से निडरता से उन पर हमला किया और उत्कृष्ट साहस, कर्तव्यनिष्ठा की भावना दर्शाते हुए, सही दिशा में कार्य करते हुए, अपनी जान व शरीर की चिन्ता किए बगैर तत्काल घर में घुस गए और बंधक बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियंत्रित गोलीबारी की, जिससे अपराधी घायल होकर नीचे गिर गया और बंधक बच्चे को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। दोनों

ही अपराधियों को बाद में मृत घोषित किया गया और उनकी पहचान कुख्यात अपराधी धीरज और विकास के रुप में की गई।

बरामदगी

1. मैगजीन सहित 01 एफ एम पिस्तौल, 04 जिन्दा कारतूस और 9 एम एम के 10 खाली खोखे।
2. 01 पिस्तौल, 03 जिंदा कारतूस और .32 बोर के 03 न चले हुए कारतूस।
3. 03 देशी पिस्तौलें, 03 जिंदा कारतूस और .315 बोर के 31 खाली खोखे।

इस मुठभेड़ में, स्वर्गीय श्री गोविन्द सिंह, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18.04.2012 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 38-प्रेज/2014--राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. राजेश कुमार वर्मा,
   निरीक्षक
2. राकेश कुमार,
   उप निरीक्षक
3. सत्येन्द्र कुमार,
   हेड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 21.03.2013, को श्री राजेश कुमार वर्मा, निरीक्षक को बिजली – बम्बा बाईपास क्षेत्र में कोई घृणित आपराधिक कार्य करने के लिए कुछ उपद्रवियों के एक इनोवा कार में इधर-उधर घूमने के बारे में श्री राकेश कुमार, उप निरीक्षक से सूचना प्राप्त होने पर वे तुरंत हरकत में आए। पुलिस स्टेशन और क्राइम ब्रांच टीम में उपलब्ध पुलिस अधिकारियों के साथ वे तुरंत रवाना हुए और दो पुलिस वाहनों में रिठानी, रिझानी, शताब्दीनगर क्षेत्र में गश्त लगाते समय डिवाइडर रोड़ क्रासिंग चौराहे के निकट पहुंचने पर, उन्होंने दिल्ली रोड़ की ओर से एक इनोवा कार को आगे आते देखा और ज्योंही यह कार

क्रासिंग के पास आई, तो सामने पुलिस के वाहनों को देखकर उन्होंने शीघ्रता से अचानक दायीं ओर डिवाइडर रोड की गलत दिशा में गाड़ी मोड़ी और पंचवटी की ओर भागे।

श्री राजेश कुमार वर्मा और श्री राकेश कुमार को इनोवा कार में बैठे लोगों की इस प्रकार की असामान्य और अचानक कार्रवाई से यह विश्वास हो गया कि वे लोग उपद्रवी ही हैं, अत: उन्होंने डिवाइडर रोड के पास ही शीघ्रता से अपने वाहन मोड़ दिए और तेजी से वाहन चलाकर उनका पीछा करके उन्हें रणनीतिपूर्वक रोक लिया और दोनों ही निडरता से पुलिस वाहनों से कूदकर डिवाइडर रोड़ के बीच में, इनोवा कार के सामने आकर उपद्रवियों को ऊंची आवाज में चुनौती दी और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, किन्तु अपराधों में माहिर 6 उपद्रवियों ने चिल्ला-चिल्ला कर यह कहते हुए कि "मारो सालों को, ये पुलिस वाले हैं" तेजी से इनोवा से कूदकर, पुलिस पार्टी पर मारने इरादे से अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए बचने के लिए भागे। उपद्रवी उन्हें मारना चाहते थे, किन्तु भाग्यवश वे बच गए।

इस 'करो या मरो' की स्थिति में श्री राजेश कुमार वर्मा ने पुलिस पार्टी पर सामने से गोलियां चला रहे और बचकर भागने का प्रयास कर रहे 6 आतंकवादियों का अदम्य साहसपूर्वक सामना किया और उनकी कमान में श्री राकेश कुमार उप निरीक्षक और श्री सत्येन्द्र कुमार हेड कांस्टेबल अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा एवं संरक्षा की परवाह किए बगैर और उपद्रवियों को जीवित पकड़ने के दृढ़संकल्प के साथ उत्कृष्ट वीरता, साहस और कर्तव्यपरायणता की भावना प्रदर्शित करते हुए और आत्मरक्षा में नियंत्रित गोलीबारी करते हुए आगे बढ़े और रणनीतिपूर्वक उपद्रवियों को दबोचकर जबरन उनके आग्नेयास्त्र छीन लिए और 6 उपद्रवियों को सफलतापूर्वक जीवित पकड़ लिया जिनकी पहचान कुख्यात अपराधी योगेश भड़ोदा के रुप में हुई जिसके सिर पर 5000/- रु. का इनाम था और उसके गैंग के भगोडे अपराधियों और सक्रिय खूंखार गैंगस्टरों नामत: लीलू, राहुल, गौरव, अंकित और संदीप के रुप में की गई। उनके कब्जे से विदेश में निर्मित गैरकानूनी अत्याधुनिक आग्नेयास्त्र, गोलाबारुद और एक टोयोटा इनोवा कार बरामद हुई।

बरामदगी:

1. मेगजीन सहित एक सेमी-ऑटो कारबाइन, 10 जिन्दा कारतूस और .30 बोर का 01 खाली खोखा।
2. मैगजीन सहित एक पिस्तौल, 04 जिन्दा कारतूस और 9 एम एम बोर का 01 खाली खोखा।
3. मैगजीन सहित एक पिस्तौल, .30 एम एम बोर के 06 जिन्दा कारतूस, 7.62 एम एम का 01 खाली खोखा।
4. एक पिस्तौल, 04 जिन्दा कारतूस, .315 बोर के 02 खाली खोखे।
5. एक देशी पिस्तौल, 02 जिन्दा कारतूस, 315 बोर का 01 खाली खोखा।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री राजेश कुमार वर्मा, निरीक्षक, राकेश कुमार, उप निरीक्षक और सत्येन्द्र कुमार, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 21.3.2013 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 39-प्रेज/2014--राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री संतोष कुमार सिंह, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

वर्ष 2011 में सारंदा जंगल से खदेड़ दिए जाने के बाद नक्सलियों का सतत प्रयास किशनदा (सीपीआई माओवादी पदक्रम में नम्बर 2) के नेतृत्व में अपने पूर्वी क्षेत्रीय ब्यूरो मुख्यालय की स्थापना झारखंड के पोरहट क्षेत्र में करने का था। यह क्षेत्र तीन जिलों के त्रि-जंक्शन पर स्थित है, जहां पास में घने जंगल, बचकर निकलने के आसान रास्ते एवं दुगर्म मार्ग हैं और संचार सुविधाओं की कमी है। संकारा गांव के आसपास के इलाके में कुंदन, पाहन, प्रसादजी आदि जैसे अन्य स्टेट कमेटी के सदस्यों के साथ सेंट्रल मिलिटरी कमीशन चीफ ऐनल की मौजूदगी के बारे में सूचना मिली। यह समूह कार्मिक-विरोधी और वाहन-रोधी सुरंगें बिछाकर और पहुंच मार्गों पर छोटे दलों द्वारा घात लगाकर तथा स्थानीय गोरिला दल के संतरियों को तैनात करके इस इलाके को सुरक्षा बलों के हमले से बचा रहा था।

यह सूचना मिलने पर 209 कोबरा ने पश्चिम सिंहभूम के पुलिस स्टेशन टेबो के अधीन संकारा गांव के आस-पास लक्षित क्षेत्र में हमला करने की योजना बनाई। तीन हमला दल बनाए गए, जिन्होंने दिनांक 02.09.2013 की रात को जंगल में प्रवेश किया और नक्सलियों के संतरियों से बचते हुए लक्षित स्थान की ओर बढ़े। ये दल रात भर घने जंगल में घने झाड़-झखाड़ का सामना करते हुए ऊबड़-खाबड़ जमीन पर चोरी से इधर-उधर घूमते हुए लक्ष्य के निकट पहुंचे। तीन दलों ने इस इलाके में दो दिशाओं से हमला करने और हर एक पहाड़ी को घेरने का निर्णय लिया। तद्नुसार हमला दल-। संकरा गांव के पश्चिम की ओर से और हमला दल-2 और 3 दक्षिण-पूर्व दिशा से पहुंची। जब संबंधित हमला दल पहाड़ियों पर जा रहे थे, तब हमला दल-। पर नक्सलियों द्वारा तीन दिशाओं से भारी गोलीबारी शुरु कर दी गई। नक्सली पहाड़ी की चोटियों पर टिक गए थे और मोर्चों के पीछे छिप गए थे। अंधाधुंध गोलबारी के बाद आईईडी से किए गए विस्फोटों से सैन्य दल भयभीत नहीं हुए और उन्होंने भी कारगर जवाबी हमले में भारी गोलीबारी करते हुए नक्सलियों को चुनौती दी। दूसरी ओर, जब हमला दल-2 और 3 दक्षिण-पूर्व की ओर से आगे बढ़े, तब उन्होंने भी उसी तरह अपने आप को नक्सलियों द्वारा की जा रही

भारी गोलीबारी में घिरा पाया। ऐसा महसूस हुआ कि नक्सलियों ने क्षेत्र की सभी पहाड़ियों की चोटियों को घेर लिया है और सुरक्षा बलों को भारी क्षति पहुंचाने के लिए पहाड़ियों पर लाइट मशीन गनें लगा दी थीं। पहाड़ी के ऊपर चढ़ना मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि मशीन गनों से भारी गोलीबारी दलों पर की जा रही थी। कांस्टेबल/जीडी संतोष कुमार सिंह ने मशीन गन की चौकी पर हमला करने का निर्णय किया ताकि उनके दल के साथी आगे बढ़कर कैंप तक पहुंच सकें। उन्होंने भली-भांति छद्मावरण वाले मोर्चे का पता लगाया, जहां से मशीन गन द्वारा सैन्य दल पर भारी गोलीबारी की जा रही थी। उन्होंने मोर्चे पर गोलियां चलायी और गोलियां चला रही मशीन गन को रोकने के लिए आगे बढ़ गए। एलएमजी के पीछे से नक्सली ने उन्हें आगे आते देख लिया और उन पर सीधी गोलीबारी शुरु कर दी। इस बहादुर सिपाही की इस कार्रवाई से नक्सली संतरी का ध्यान भंग हो गया और उसने कांस्टेबल/जीडी संतोष पर संकेद्रित गोलियां चलानी शुरु कर दी, जिससे अन्य सैनिकों को आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। किन्तु अभी काम आधा ही हुआ था, क्योंकि सुरक्षित कैंप में घुसने के लिए नक्सलियों के संतरी को शांत करना महत्वपूर्ण था। कांस्टेबल/जीडी संतोष कुमार ने यह जिम्मेदारी स्वयं ली और अपने कवर से बाहर आकर मोर्चे पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरु कर दी। संतरी और कांस्टेबल/जीडी संतोष के बीच परस्पर भारी गोलीबारी हुई, किन्तु कांस्टेबल/जीडी संतोष की प्रभावी और निशाने पर चलाई गई गोलियों के सामने संतरी टिक नहीं सका और मार गिराया गया। दोनों तरफ से गोलीबारी के दौरान एक गोली इस बहादुर सैनिक के दायीं ओर पीठ में लगी। मशीन गन की गोलीबारी बंद होने से सैनिकों में नवजीवन का संचार हुआ और वे युक्तिपूर्वक हिलटॉप की ओर बढ़े। पाला बदलने की अहसास होते ही नक्सली अपने घायल और मृतक साथियों को लेकर बचकर भागने लगे। कांस्टेबल/जीडी संतोष कुमार अपनी जख्मों की परवाह किए बिना अपने साथियों के साथ तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक कि सारा इलाका साफ नहीं कर दिया गया और गोलीबारी रूक नहीं गई। उन्हें इलाज के लिए रांची ले जाया गया लेकिन वहां ले जाने के दौरान ही इस बहादुर सैनिक की मृत्यु हो गयी।

इस बहादुरी की कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल/जीडी संतोष कुमार सिंह ने प्रतिकूल परिस्थितियों में बड़ी संख्या में नक्सलियों के विरुद्ध अपनी जान जोखिम में डालते हुए अदम्य वीरता, असाधारण बहादुरी और अद्वितीय साहस का परिचय दिया। उनकी अभियान संबंधी कुशाग्रता और बहादुरी की कार्रवाई से उनके दल के साथियों के अमूल्य जीवन की रक्षा हुई और उत्कृष्ट अभियान की सफलता का श्रेय उनके वीरतापूर्ण कृत्य को जाता है।

की गई बरामदगियां

(क)	45 मोर्चों वाला नक्सली कैम्प (चट्टान और लट्ठे से बना)		
(ख)	क्ले मोर माइन्स	-	06
(ग)	लीड्स (टिफिन बम) (3-3)	-	18
(घ)	क्लेमोर माइन्स और आईईडी		
(ङ)	400 मीटर तार सहित प्रेशर बम	-	01

इस मुठभेड़ में स्वर्गीय श्री संतोष कुमार सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 03/09/2013 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 40-प्रेज/2014--राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. उग्रसेन त्रिपाठी, (वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)(मरणोपरांत)
    कांस्टेबल
02. अली हसन, (वीरता के लिए पुलिस पदक)
    कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

मणिपुर में विधानसभा चुनाव-2012 के दौरान, दिनांक 27/01/2012 को एफ/155 बटालियन के कांस्टेबल/जीडी उग्रसेन त्रिपाठी और कांस्टेबल/जीडी अली हसन को 5 पोलिंग स्टाफ एवं ईवीएम के साथ पुलिस स्टेशन चकपिकरोंग, जिला-चंदेल (मणिपुर) के अंतर्गत ताम्पी में पोलिंग बूथ संख्या 41/40 पर एचसी/जीडी प्रेम दास की कमान के अधीन सेक्शन संख्या 2 में तैनात किया गया था। दिनांक 28.01.2012 को 0600 बजे एचसी/जीडी प्रेम दास, सेक्शन कमांडर ने सेक्शन संख्या 2 के सभी कर्मिकों को उनके द्वारा निर्वहन की जाने वाली ड्यूटी के बारे में जानकारी दी। मतदान की प्रक्रिया 0700 बजे शुरु हुई और समस्त जत्थे को उनके संबंधित स्थानों/मोर्चों पर तैनात कर दिया गया था। मतदाताओं की व्यवस्थित रुप से तलाशी ली जा रही थी, उन्हें उचित प्रकार से कतारबद्ध किया जा रहा था और 1230 बजे तक मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही थी।

लगभग 1230 बजे अचानक मतदान बूथ भवन के पिछले हिस्से से सटे वन क्षेत्र से कुछ उपद्रवियों/उग्रवादियों ने गोलीबारी शुरु कर दी। कांस्टेबल/जीडी एम. सत्यनारायण, कांस्टेबल/जीडी अशोक यू. (मोर्चा संख्या 2) और कांस्टेबल/जीडी दीपक मनोहर शाल्के (मोर्चा संख्या 3) ने फौरन अपने संबंधित हथियारों से जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी। सेक्शन कमांडर एचसी/जीडी प्रेम दास ने, जो स्वयं मोर्चा संख्या 01 के निकट तैनात थे, उपद्रवियों के ऊपर गोलीबारी करने के स्पष्ट आदेश दिए और उन्होंने स्वयं भी अपनी एके-47 राइफल से गोलीबारी की। कांस्टेबल/जीडी अली हसन ने भी, जो कि मतदान

बूथ भवन के पीछे खिड़की के निकट तैनात थे, अपनी एके-47 राइफल से गोलीबारी की। तत्पश्चात, सेक्शन कमांडर एचसी/जीडी प्रेम दास (मोर्चा संख्या 01), कांस्टेबल/जीडी एम. सत्यनारायण एवं कांस्टेबल/जीडी अशोक यू. (मोर्चा संख्या 02), कांस्टेबल/जीडी दीपक मनोहर शाल्के (मोर्चा संख्या 03) और कांस्टेबल/जीडी अली हसन ने स्वयं युक्तिपूर्वक मतदान बूथ भवन के पीछे जाकर पोजीशन लेते हुए घने जंगल के उस हिस्से की ओर गोलीबारी शुरु की, जहां से उन पर गोलीबारी की जा रही थी। दोनों ओर से गोलीबारी के परिणामस्वरुप मतदाता इधर-उधर भागने लगे और मतदान केंद्र के भीतर मतदान स्टाफ के बीच अफरा-तफरी फैल गई।

इस स्थिति का लाभ उठाते हुए एक उग्रवादी मतदान केंद्र परिसर के भीतर घुसने में सफल हो गया और उसने मतदान स्टाफ पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। कांस्टेबल/जीडी उग्रसेन त्रिपाठी ने, जो कि मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के निकट तैनात थे, उस उग्रवादी को फौरन ललकारा और अपनी एके-47 राइफल से उस पर गोली चलाई। उस उग्रवादी ने भी जवाबी गोलीबारी की और दोनों ओर से गोलीबारी में कांस्टेबल/जीडी उग्रसेन त्रिपाठी के गर्दन के बाएं हिस्से में गोली लग गई। गंभीर रुप से घायल होने के बावजूद, कांस्टेबल/जीडी उग्रसेन त्रिपाठी अपनी जान की परवाह किए बगैर उग्रवादी की ओर बढ़े और अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने बहादुरीपूर्वक उस उग्रवादी का मुकाबला किया। मतदान केंद्र के भीतर गोलीबारी की आवाज सुनकर मतदान केंद्र भवन के पीछे खिड़की के निकट तैनात कांस्टेबल/जीडी अली हसन ने एक दुर्दांत उग्रवादी को मतदान केंद्र के मतदान अधिकारी पर अपनी एम-20 पिस्तौल तानते हुए देखा और इसलिए उन्होंने उस उग्रवादी के ऊपर अपनी एके-47 राइफल से गोली चला दी और तत्काल उसे मार गिराया। इस प्रकार दोनों बहादुर कांस्टेबलों ने न केवल एक दुर्दांत आतंकवादी को मार गिराया, बल्कि अपने प्रजातांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने आए मतदाताओं की बेशकीमती जान भी बचाई और इस कवायद में कांस्टेबल/जीडी उग्रसेन त्रिपाठी ने अत्यधिक बुद्धिमत्ता, अनुकरणीय बहादुरी, उच्च स्तर की कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन किया और उन्होंने देश की सेवा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए।

एफ/155, सीआरपीएफ के कांस्टेबल/जीडी उग्रसेन त्रिपाठी और कांस्टेबल/जीडी अली हसन द्वारा प्रदर्शित उच्च स्तर की सावधानी, अनुकरणीय बहादुरी और कर्तव्यपरायणता ने न केवल शेष जत्थे एवं मतदान स्टाफ की जान की रक्षा की और सरकारी संपत्ति को नुकसान से बचाया, बल्कि मणिपुर विधान सभा चुनाव-2012 में जिला-चंदेल के पुलिस स्टेशन चकपिकरोंग के अंतर्गत ताम्पी में मतदान केंद्र संख्या 41//40 में मतदान की शांतिपूर्ण प्रक्रिया को बाधित करने के उग्रवादियों के सुनियोजित प्रयास को भी विफल किया। उन्होंने बेहेनसन नुला, पुत्र-दलखल नुला नामक एनएससीएन (आईएम) के दुर्दांत उग्रवादी को मार गिराया, जो बड़ी संख्या में लोगों को मारने के उद्देश्य से एम-20 पिस्तौल लेकर मतदान केंद्र में घुस गया था।

बरामदगी

1. एक एम-20 पिस्तौल
2. एम-20 पिस्तौल की एक मैगजीन

3. एम-20 पिस्तौल के पांच जिंदा राउंड
4. एम-20 के 02 खाली खोखे
5. एक नोकिया मोबाइल
6. उग्रवादी का एक ड्राइविंग लाइसेंस संख्या डीएल संख्या 141/2626 एमटीएच
7. एक पहचान पत्र और दो एटीएम कार्ड

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री स्वर्गीय उग्रसेन त्रिपाठी, कांस्टेबल और अली हसन, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28/01/2012 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 41-प्रेज/2014--राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री एस. प्रभु, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 14/08/2012 को गुरिल्ला प्रतिरोधी विशेष अभियान के संचालन के लिए 1030 बजे श्री एस. इलांगों, उप पुलिस महानिरीक्षक (ऑपरेशन्स) बीजेआर द्वारा ब्रीफिंग के उपरांत, श्री गोपाल राम, सहायक कमांडेंट की कमान में 210 कोबरा की टीम संख्या 09 बासगुडा, जिला-बीजापुर, छत्तीसगढ़ स्थित बेस कैंप से छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बासगुडा-पुसबाका मार्ग पर पुसबाका की ओर अत्यधिक संवदेनशील एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विशेष बारुदी सुरंग-रोधी ड्यूटी के लिए रवाना हुई। जब यह दल अपने बेस स्थान से लगभग 03 किमी० की दूरी पर पिसपारा जंगल के निकट पहुंचा और एक नाला/ पुलिया पार कर रहा था, तभी घने जंगल में छिपे सशस्त्र नक्सलियों ने कोबरा टीम के ऊपर भारी गोलीबारी शुरु कर दी। जिस समय सभी जवान पुलिया को पार कर रहे थे, तभी कांस्टेबल/जीडी एस. प्रभु, जो कि स्काउट थे और दल का सामने रहकर नेतृत्व कर रहे थे, भारी गोलीबारी के अंदर आ गए। उन्होंने फोरन पोजीशन संभाली और हमले का जवाब दिया, जिसकी वजह से उनके पीछे-पीछे पुलिया पार कर रहे जवानों को नक्सली अपना निशाना नहीं बना सके। उन्होंने बहादुरीपूर्वक नक्सलियों का सामना किया और रेंगते हुए/अपना स्थान बदलते हुए उनका जवाब दिया। वे अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए छिपे हुए नक्सलियों की ओर रेंगते हुए आगे बढ़े, जिससे

नक्सली पीछे हटने पर मजबूर हो गए। इस प्रकार उन्होंने नक्सलियों द्वारा जत्थे में शामिल जवानों की हत्या करके उनके हथियार छीनने की योजना को बहादुरीपूर्वक झटका दिया। कांस्टेबल/जीडी एस. प्रभु का बहादुरीपूर्ण कृत्य नाला पार कर रहे अन्य जवानों के लिए मनोबल बढ़ाने वाला कार्य था। उन्होंने यूबीजीएल सहित अपने हथियारों से तुरंत गोली चलाई। कांस्टेबल/जीडी एस० प्रभु के अनुकरणीय साहस से नक्सली पीछे हटने को मजबूर हो गए और उन्होंने नक्सलियों से अपने जत्थे के जवानों की रक्षा की और उनके हथियारों को लूटे जाने से भी रोका। तथापि, अपनी पोजीशन बदलने और जवाबी गोलीबारी के दौरान, कांस्टेबल/जीडी एस. प्रभु के सिर में नक्सलियों की एक गोली लग गई और वे वहीं गिर गए। वे उसी दिन अर्थात 14/08/2012 को उसी स्थान पर लगभग 1205 बजे शहीद हो गए। कांस्टेबल/जीडी एस० प्रभु की बहादुरीपूर्ण केंद्रित कार्रवाई के कारण संपूर्ण टीम अपने एरिया हथियारों से हमले का जवाब देने और किसी अतिरिक्त क्षति के बिना घात से बाहर निकलने में सफल रही।

इस मुठभेड़ में, स्वर्गीय श्री एस. प्रभु, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14/08/2012 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 42-प्रेज/2014--राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. नरेन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल (मरणोपरांत)
02. पारसमणी झा, कांस्टेबल (मरणोपरांत)
03. सुबीर दास, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

10वें राज्य विधान सभा चुनाव-2012 के संबंध में ऐशी (मणिपुर) में मतदान केन्द्र सं.:43/42 एवं कोंगकान मतदान केन्द्र सं.:43/43 पर सुरक्षा ड्यूटी के लिए दिनांक 26.01.2012 को के.रि.पु.ब. की

बी/175 बटालियन की दो टीमें तैनात की गई थीं। अत्याधिक खतरे का अहसास करते हुए ऐशी मतदान केन्द्र को कोंगकान में स्थानांतरित कर दिया गया था। तदनुसार, ब्रीफिंग के पश्चात लगभग 10 बजे, कोंगकान एवं ऐशी मतदान केन्द्रों में से प्रत्येक के लिए 5 (पांच) मतदानकर्मियों के साथ के.रि.पु.ब. की बी/175 बटालियन की दो टुकड़ियों वाली पार्टी और 2 पुलिस रिप. (पीडीएफ) मतदान केन्द्र पर ड्यूटी के लिए कामजोंग हाई स्कूल (कंपनी लोक. बी/175 बटालियन) से रवाना हुई। मतदानकर्मी, मतदान सामग्री और सामान आदि को दो शक्तिमान ट्रकों में ले जाया जा रहा था, जबकि, खतरे की संभावना, दुर्गम पहाड़ी भू-भाग एवं जंगल को ध्यान में रखते हुए के.रि.पु.ब. की पार्टी युक्तिसंगत तरीके से पैदल आगे बढ़ रही थी, क्योंकि वाहन से आगे जाना खतरनाक हो सकता था और हताहतों की संख्या अधिक हो सकती थी। कांस्टेबल/जीडी पारसमणि झा को स्काउट (आर-I) के रूप में तैनात किया गया था और वे अपने कर्तव्य का निष्पादन उत्कृष्टतापूर्वक कर रहे थे। लगभग 12 बजे जब यह पार्टी कोंगकान की ओर कामजोंग से लगभग 10 कि.मी. की दूरी पर एक स्थान पर पहुंची, तभी पार्टी की अगुवाई कर रही टुकड़ी के ऊपर कोराकाम (यू एन एल एफ) वे संदेह वाले घाटी आधारित भूमिगत उग्रवादी गुटों द्वारा दो दिशाओं से भारी गोलीबारी होने लगी। स्काउट की ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल/जीडी पारसमणि झा (आर-I) सड़क के बांयी ओर (पहाड़ की तरफ) अंधे मोड़ की ओर आगे बढ़ रहे थे और उनसे लगभग 30 गज पीछे सड़क के दाहिनी ओर (ढ़ाल की तरफ) सीटी/जीडी सुबीर दास (आर-2) चल रहे थे और सेक्शन कमांडर सड़क की बांयी ओर आर-2 से 2-3 गज पीछे थे। कांस्टेबल/जीडी पारसमणि झा (आर-I) को आगे किसी अवरोध की आशंका हुई और वे रास्ते को खोलने के लिए सड़क के दाहिनी ओर चले गए जो दुश्मनों के स्थान से मात्र कुछ ही फीट की दूरी पर था। अपने ऊपर गोली चलने के खतरे को भांपते हुए कांस्टेबल/जीडी पारसमणि झा (आर-I) ने स्वयं पोजीशन ले ली और अपनी पार्टी को भी पोजीशन लेने के लिए सावधान कर दिया और ऐसा करते समय उग्रवादियों ने कांस्टेबल/जीडी पारसमणि के ऊपर भारी गोलीबारी करके वहीं पर उनकी हत्या कर दी। उक्त कांस्टेबल/जीडी सबसे आगे थे और स्काउट की परिभाषा के अनुसार वे सर्वाधिक खतरे का सामना कर रहे थे। "जानते हुए और स्वेच्छा से खतरे का सामना करना स्वयं में अनुकरणीय बहादुरी का कृत्य है" और कांस्टेबल/जीडी पारसमणी झा अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे और उन्होंने सड़क के दूसरी ओर अंधे मोड़ के निकट उग्रवादियों की मौजूदगी को भांपते हुए भी अपना कर्तव्य निभाया। कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे अपनी बहादुरी नहीं दिखानी होती, वहीं रूककर जमीन पर लेट जाता या पीछे की ओर भाग जाता। ऐसा करने के बजाय कांस्टेबल/जीडी पारसमणी झा ने वहां डटे रहना उचित समझा और ऐसा करने में वे जान-बूझ कर स्वयं सामने आ गए और अपने शरीर पर दुश्मन की गोलियों की बौछार झेली। ऐसा करके उन्होंने उग्रवादियों को अपने कवर और छिपने के ठिकाने से बाहर निकाल दिया। इससे पीछे वाले जवानों को उग्रवादियों के ऊपर गोलीबारी करने का अवसर मिल गया और उग्रवादी वहां से भागने पर मजबूर हो गए। इस प्रकार, दुश्मन की मौजूदगी को भांपते हुए भी बगैर भयभीत हुए उन्होंने किसी स्काउट द्वारा की जाने वाली बेहद जोखिमपूर्ण ड्यूटी का निर्वहन करते हुए अनुकरणीय बहादुरी का प्रदर्शन किया। उन्होंने जान-बूझकर अपने ऊपर गोली चलवाने की स्थिति का निमंत्रण दिया, जिससे दुश्मन को अपने छिपने के ठिकाने से बाहर निकलने पर मजबूर किया जा सके और इस स्थिति में उनकी स्वयं की जान की कीमत पर उनके

साथियों को जवाबी गोलीबारी करने का मौका मिल सके और दुश्मन वहां से अपनी जान बचाकर भागने के लिए मजबूर हो जाएं। उपर्युक्त कृत्य से यह पता चल चुका है कि कोई दुश्मन, जिसने घात लगा रखी है, निश्चित रूप से कवर और गुप्त ठिकाने, दोनों के बारे में कुछ न कुछ जानता होगा। अत: इस तथ्य का कोई महत्व नहीं है कि उग्रवादियों को हताहत करने के लिए कांस्टेबल/जीडी पारसमणी झा उनके ऊपर गोली नहीं चला सके। जो कोई भी घात लगाकर रखता है, वह ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि वे पहले गोली चलाएं और दूसरे पक्ष के लोगों को हताहत करें। घात में ऐसा ही होता है और यह बहस करना कि सिर्फ वही व्यक्ति बहादुर है जिसने गोली चलाई है, सर्वथा गलत है। पेशेवर तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपनी जान दे देना और इस प्रकार अपने साथियों की रक्षा करना वास्तव में अनुकरणीय बहादुरी का कृत्य है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उसी समय कांस्टेबल/जीडी सुबीर दास को भी दाहिने पैर में गोली लग गई जिससे वे नीचे गिर गए और उन्होंने सड़क के ढ़लान की ओर पोजीशन लेकर छह राउंड गोली चलाई। सेक्शन कमांडर, एचसी/जीडी नरेंद्र सिंह ने तत्काल कांस्टेबल/जीडी सुबीर दास से आगे निकलते हुए अपने जान की परवाह किए बगैर दुश्मनों के ठिकाने की ओर अपनी राइफल से गोलियां चलाई, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें उग्रवादियों की एक गोली लग गई। घायल होने के बावजूद उन्होंने कई गज आगे बढ़कर सड़क पर पहाड़ की ओर पोजीशन ले ली जहां वे उग्रवादियों की ओर से भारी गोलीबारी के अंदर आ गए और उन्हें सीने के दाहिने हिस्से और दाहिने कंधे में गोली लग गई। इसके परिणामस्वरूप गोली लगने से घायल होने के कारण एचसी/जीडी नरेंद्र सिंह की मौत हो गई और इस प्रकार उन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। कांस्टेबल/जीडी सुबीर दास अपने दाहिने पैर में गोली लगने से घायल होने के बावजूद अत्यंत सूझ-बूझ से रेंगते हुए एचसी/जीडी नरेन्द्र सिंह की ओर आगे बढ़े और उन्हें मृत पाया। वे एचसी/जीडी नरेन्द्र सिंह की क्षतिग्रस्त एके-47 राइफल और वायरलेस सेट को वहां से पुन: प्राप्त करके पार्टी कमांडर एसआई/जीडी सी.एन. शिंदे के पास पहुंचे। पहली टीम के ऊपर घात की सूचना प्राप्त होने पर, श्री सी. हांगसिंग, टीसी घात वाले स्थान पर अतिरिक्त बल लेकर पहुंचे। उस स्थान पर पहुंच कर उन्होंने एसआई/जीडी सी.एन. शिंदे से स्थिति की जानकारी प्राप्त की, जो कि पहली टीम के पीछे थे, जबकि उग्रवादी उस समय भी रूक-रूक कर गोलियां चला रहे थे। उन्होंने कांस्टेबल/जीडी नर्जरी से उस क्षेत्र में 04 एचई बमों का विस्फोट करवाया। एक मजबूत टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए वे काफी सूझ-बूझ से चढ़ाई करते हुए पहाड़ी के उस हिस्से की ओर पहुंच गए, जहां से घात लगायी गयी था। वे आगे उस रास्ते पर बढ़ गए, जिससे उग्रवादी काफी तेजी से कुछ दूरी तक पीछे भाग कर गए थे, लेकिन आगे कोई मुठभेड़ नहीं हुई, क्योंकि पहाड़ी स्थालाकृति का लाभ उठाते हुए उग्रवादी भाग गए थे। उन्होंने सड़क और उस क्षेत्र के लगभग एक किलोमीटर के हिस्से को साफ करने के बाद पिछली पार्टी को बुलाकर अपनी सैन्य टुकड़ियों को पुन: संगठित किया। श्री सी. हांगसिंग, डीसी ने उसी स्थान पर एसआई सी.एन. शिंदे की कमान वाली पहली टीम को स्वयं ब्रीफ किया और सभी लोगों का इस अवसर पर पुन: हौसला बढ़ाते हुए उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने संपूर्ण टीम का हौसला बढ़ाते हुए स्वयं एक किलोमीटर तक उनका नेतृत्व किया और वे मारे गए जवानों को बाहर निकालने की कार्रवाई का पर्यवेक्षण करने के लिए वापस घात वाले स्थल पर गए।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री स्वर्गीय नरेन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल, स्वर्गीय पारसमणी झा, कांस्टेबल और सुबीर दास, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26.01.2012 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 43-प्रेज/2014--राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री प्रदीप कुमार, (मरणोपरांत)
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

ईस्ट गारो हिल्स में जीएनएलए एवं उल्फा के संयुक्त प्रशिक्षण कैंप के कार्यकरण के बारे में पुलिस अधीक्षक, ईस्ट गारो हिल्स, विलियम नगर से एक विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई और 210 कोबरा, बीएसएफ, सीआरपीएफ एवं मेघालय पुलिस के घटकों की 06 टीमों (02, 03, 04, 05, 13 एवं 14) को शामिल करके एक बड़े जत्थे के साथ बड़े अभियान की योजना बनाई गई, जिसे श्री डी.एस. पाल, डीसी की असॉल्ट कमान और कमांडेंट-210 कोबरा की समग्र कमान में ऑपरेशन ब्लैक आउट का नाम दिया गया। सभी टीमों को एक-दूसरे से कुछ दूरी पर तैनात किया गया था और श्री भालेंदू पांडे, एसी की कमान में 30 कार्मिकों वाली एक टीम ने पूर्व सर्वेक्षण किया/रैकी की। जब रैकी टीम अपने आधिपत्य हेतु वहां से भू-भाग के ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए आगे बढ़ रही थी, तभी जीएनएलए के उग्रवादियों ने आरपीजीएस और छोटे हथियारों से उनके ऊपर भारी विनाशकारी गोलीबारी शुरु कर दी। ऑपरेशन कमांडर ने तत्काल खतरे की दिशा का आकलन करते हुए हमले का जवाब देने हेतु उपलब्ध एकमात्र प्रभावी साधन के रूप में वहां एरिया हथियारों से गोलीबारी की और उस क्षेत्र की तलाशी ली और छिपने के संभावित ठिकानों तथा मार्गस्थ सभी संदिग्ध स्थानों की जांच करने का निर्णय लिया।

दिनांक 24.07.2012 को 1045 बजे, सीटी/जीडी मुन्ना कुमार यादव और एसआई/जीडी प्रदीप कुमार स्काउट के रूप में मार्गनिर्देशन के लिए पारस्परिक ड्यूटी पर थे। स्काउट ने आगे कुछ अर्धनिर्मित झोपड़ियां खड़ी देखीं। चूंकि वहां दृश्यता कम थी, इसलिए स्काउट रैकी करने के लिए आगे बढ़ गया और वहां की स्थिति के मूल्यांकन के पश्चात उन्होंने वहां छद्मावरण वाले पोशाकों में कुछ लोगों की मौजूदगी की सूचना दी और वहां गड़बड़ी की आशंका को भांपते हुए एसआई/जीडी प्रदीप कुमार ने अपने दल के सहयोगियों को गोलीबारी एवं कवर हेतु तैयार रहने के लिए सावधान किया और सभी

आगे बढ़ गए। उग्रवादियों के पास हथियार होने की पुष्टि होने पर एसआई/जीडी प्रदीप कुमार ने उन्हें चुनौती दी और विद्रोहियों को बेहद नजदीक से गोलीबारी में उलझा दिया। एसआई/जीडी प्रदीप कुमार ने अपने सहयोगी सीटी/जीडी मुन्ना कुमार के साथ मिलकर उग्रवादियों का पीछा किया और उनमें से दो को घायल कर दिया जो कि उनकी दिशा में अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे और वहां से भागने का प्रयास कर रहे थे। उस स्थान पर खून के निशान भी देखे गए। खराब मौसम और घनी झाड़ियों का लाभ उठाते हुए विद्रोही लड़ाई के मुख्य स्थान से दूर वहां से पिछले हिस्से की झाड़ियों में छिपने में सफल रहे।

भाग रहे विद्रोहियों का पीछा करते हुए एसआई/जीडी प्रदीप कुमार उन पर गोली चलाते हुए आगे बढ़ गए और वे घरों के दाहिनी ओर घनी झाड़ियों में छिपे उग्रवादियों की भारी गोलीबारी के सामने आ गए। एसआई/जीडी प्रदीप कुमार को कई गोलियां लगीं और वो वहीं गिर गए। दुश्मनों की भारी गोलीबारी के बीच भी अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन करते हुए एसआई/जीडी प्रदीप कुमार ने संपूर्ण टीम को कवर प्राप्त करने और जवाबी गोलीबारी करने में सक्षम बनाया। दुश्मनों की सीधी गोलीबारी से घायल होने के बावजूद, एसआई/जीडी प्रदीप कुमार ने दुश्मनों की गोलीबारी को दबाने और उन्हें शांत करने के लिए अपनी एके से गोली चलाना जारी रखा। उनके कार्य ने नि:संदेह उनके अन्य सहयोगियों की भी जान बचाई। तलाशी के दौरान पर्याप्त साक्ष्य की उपलब्धता और पुलिस अधीक्षक, विलियम नगर द्वारा की गई पुष्टि और मेघालय पुलिस से प्राप्त तकनीकी सूचनाओं से यह पता चलता है कि कोबरा पार्टी द्वारा दिनांक 24.7.12 को चलाए गए अभियान में दो उपद्रवी घालय हुए थे। इस नाज़ुक अभियान के दौरान एसआई/जीडी प्रदीप कुमार द्वारा प्रदर्शित बहादुरीपूर्ण कार्य उन्हें उत्कृष्ट सम्मान पाने का हकदार बनाता है।

बरामदगी:-

1.	9 एमएम के गोलाबारुद	5
2.	एके 56 (7.62x39)	16
1.	7.65 पिस्तौल मैगजीन	01
2.	7.65 पिस्तौल गोलाबारुद	08
3.	7.62 के खाली खोखे	01
4.	7.62 x39 के खाली खोखे	02

इस मुठभेड़ में, स्वर्गीय श्री प्रदीप कुमार, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24.07.2012 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 44-प्रेज/2014--राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. अंजनी कुमार,
सहायक कमांडेंट

02. राज कुमार,
कांस्टेबल

03. संजय यादव,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 30.09.2012 को उनके स्रोतों के माध्यम से तैयार की गई आसूचना पर आधारित जानकारी के अनुसार, रमन्ना की कमान में पीएलजीए का एक सैनिक दस्ते औटापाली ओर लंचेरू गुट्टा के बीच पहाड़ी क्षेत्र में प्राय: घूमते हुए देखा गया है, जो कि सरकेगुडा बेस कैंप से लगभग 01 किमी. उत्तर दिशा में है। इस विषय में तत्काल तलाशी एवं ध्वस्तीकरण अभियान (एसएडीओ) चलाने का निर्णय लिया गया और श्री अंजनी कुमार, एसी द्वारा एसओआई मानचित्र और गूगल अर्थ के हेलो के साथ संबंधित ब्रीफिंग की गई। श्री अंजनी कुमार, एसी स्वयं अपनी कमान में दो दलों (13 और 15) और श्री जसबीर सिंह की कमान में बी/204 की दो प्लाटूनों (5 और 6) की ब्रीफिंग के बाद 02 स्थानीय गाइडों के साथ तलाशी एवं ध्वस्तीकरण अभियान (एसएडीओ) के लिए 02 अक्तूबर, 2012 को 0430 बजे भारी बारिश में पैदल निकल पड़े।

उपर्युक्त सभी दल बेहद सूझबूझ के साथ और छिपकर घने जंगल में घोर अंधेरे में जीपीएस का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब दल गांव औटापल्ली में प्रवेश करने वाला था, तब उसे दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। श्री जसबीर सिंह, एसी की कमान में पहले समूह ने 234 मीटर की ऊंचाई पर (सरकेगुडा बेस कैंप से 03 किमी. पूर्व) लूप लिया और श्री अंजनी कुमार, एसी की कमान में दूसरे समूह ने लंचेरू गुट्टा (बेस कैंप से 04 किमी उत्तर की ओर) सरकेगुडा में लूप लिया।

लूप लेने के बाद दोनों दलों ने दो भिन्न दिशाओं से तलाशी का कार्य शुरु किया। दूसरे दल के मार्ग में 300x150 मीटर के क्षेत्र में पांच छोटी झोपड़ियां और धान की फसल वाले खेत फैले हुए थे। वस्तुस्थिति को देखते हुए अभियान के कमांडर श्री अंजनी कुमार, एसी ने 'एल' की आकृति में बाईं और दाहिनी दिशा से झोपड़ियों की घेराबंदी करने का निर्णय लिया। श्री सुनील यादव एसआई/जीडी की कमान में टीम सं. 13 ने बायीं ओर से उस क्षेत्र में घेरा डाला और श्री अंजनी कुमार, एसी की कमान में टीम सं. 15 ने दाहिनी ओर से झोपड़ियों की घेराबंदी की। लगभग 1125 बजे, जब घेराबंदी की जा रही थी, तभी टीम सं. 15 बायीं ओर से संदिग्ध नक्सलियों की भारी गोलीबारी के अंदर आ गई। धान की फसल

की आड़ में काले रंग की पोशाक में लगभग 30-35 नक्सली और अन्य संघम सदस्य थे, जो अत्याधुनिक हथियारों (जैसे इन्सास, एसएलआर एवं अन्य देशी हथियारों) से लैस थे और उन्होंने सैन्य दल के ऊपर लगभग 200-250 राउंड गोलियां चलाई। आत्मरक्षा में सैन्य दल ने भी मजबूती से और प्रभावी रूप से जवाब दिया।

जवाबी कार्रवाई के दौरान श्री अंजनी कुमार, एसी ने सैन्य दल को पुनर्संगठित किया और उन्होंने कांस्टेबल/जीडी राज कुमार और कांस्टेबल/जीडी संजय यादव के साथ मिलकर छोटे-छोटे हमला दल बनाए। उन्होंने यूनिफार्म पहने हुए एक नक्सली महिला को एक गुप्त ठिकाने से आई.ई.डी. विस्फोट करते हुए देखा। उसने एक-एक करके तीन आई.ई.डी. विस्फोट किए थे। कांस्टेबल/जीडी राज कुमार और कांस्टेबल/जीडी संजय यादव के साथ मिलकर सहायक कमांडेंट, श्री अंजनी कुमार पहाड़ी की चोटी के निकट से गोलीबारी कर रहे नक्सलियों के मुख्य गोलीबारी दल को अलग-थलग करने के उद्देश्य से रेंगते हुए आगे बढ़े। नक्सली लगातार आगे बढ़ रहे सहायक कमांडेंट, श्री अंजनी कुमार, कांस्टेबल/जीडी राज कुमार और कांस्टेबल/जीडी संजय यादव के ऊपर गोली चला रहे थे। गोलीबारी से घबराए बगैर और अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बगैर तीनों रेंगते हुए नक्सलियों की ओर आगे बढ़े। महिला नक्सली ने उनके ऊपर गोली चला कर/हथगोला फेंक कर/बम फेंक कर उन्हें मारने की कोशिश की। श्री अंजनी कुमार, सहायक कमांडेंट ने पोजीशन लेकर उस महिला नक्सली के ऊपर गोली चलाई और उसे वहीं ढ़ेर कर दिया। अन्य नक्सलियों की ओर से भारी गालीबारी के बीच कांस्टेबल राज कुमार और कांस्टेबल संजय यादव आगे बढ़कर मृत महिला नक्सली के नजदीक गए और मरने से पूर्व उसके द्वारा प्रयोग किए जा रहे हथियारों को अपने कब्जे में लिया। घनघोर गोलीबारी के दौरान कुछ और नक्सलियों को गोली लगी, लेकिन वे धान की फसलों और घने जंगल की आड़ लेकर वहां से भागने में कामयाब रहे। सहायक कमांडेंट, श्री अंजनी कुमार, कांस्टेबल/जीडी राज कुमार, बाबाजान कलिता, रूपक मेहदी, जय सिंह मीणा, अवनीश सिंह भदौरिया और इंस्पेक्टर/जीडी के.एन. मारम ने कुछ दूर तक नक्सलियों का पीछा किया। नक्सलियों को हताहत करने के लिए एरिया वीपन (51 एमएम मोर्टार) का प्रयोग किया गया। 55-60 मिनट के बाद दोनों ओर से गोलबारी रूक गई।

इस मुठभेड़ में निम्नलिखित बरामदगी की गई:-

1.	महिला नक्सली का शव	-	01
2.	भारमर राइफल	-	02
3.	टिफिन बम	-	03
4.	ग्रेनेड	-	02
5.	डेटोनेटर	-	03
6.	गोलाबारुद पाउच	-	01
7.	1.5 वी सेल	-	03
8.	मेटल स्टार कॉम्बेट कैप	-	01
9.	पिट्ठू	-	01

इस घटना में इस अभियान के कमांडर, सहायक कमांडेट, श्री अंजनी कुमार, कांस्टेबल/जीडी राज कुमार और कांस्टेबल/जीडी संजय यादव की भूमिका अहम थी। संपूर्ण अभियान का नियोजन एवं निष्पादन बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। इन लोगों ने न केवल सैन्य दल का नेतृत्व किया, बल्कि वे बहादुरी से लड़े भी। घनघोर गोलीबारी के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने हमला करने की हिम्मत दिखाई और महिला नक्सली को ढ़ेर करने में सफल रहे।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री अंजनी कुमार, सहायक कमांडेंट, राज कुमार, कांस्टेबल और संजय यादव, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 02.10.2012 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 45-प्रेज/2014--राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मुकेश कुमार बुनकर, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

गांव रबदा (जूरी), पुलिस स्टेशन प्रतापपुर, जिला-चतरा (झारखंड) के निवासी जानकी भुइयां के घर में एक नक्सल दस्ता सीपीआई (माओवादी) की मौजूदगी के संबंध में दिनांक 17.09.2012 को प्राप्त आसूचना संबंधी जानकारी के आधार पर श्री पी.आर. मिश्रा, उप कमांडेंट के नेतृत्व में श्री एस.ए. रिज़वी, एसडीपीओ चतरा और 03 डीएपी के साथ कुल 27 कर्मियों की नफरी वाले 203 कोबरा के संयुक्त दल का गठन किया गया। संयुक्त दल को ब्रीफ किया गया और ऑपरेशन ''पैंथर'' की योजना बनाई गई। नक्सली दस्ते को उसी के गढ़ में उलझाना बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था। इस कार्य में मुश्किल इस कारण और बढ़ गई थी कि उस समय लगातार बारिश हो रही थी और बेहद अंधेरी रात थी। वहां छोटी और बड़ी नदियां उफान पर थीं और काफी घनी झांड़ियां उगी हुई थीं। यह दल एक छद्मावरण वाले वाहन में चतरा से रवाना हुआ और उन्होंने लक्ष्य क्षेत्र, रबदा से लगभग 08 किमी. पहले ही सातवाहिनी में उस वाहन को छोड़ दिया। उसके बाद, यह दल समस्त प्राकृतिक बाधाओं पर काबू पाते हुए और अपनी दक्षता को बनाए रखते हुए तत्परता के साथ घोर अंधेरे में काफी सूझ-बूझ से आगे बढ़ा। पानी में डूबे धान के खेतों और घनी जंगली झाड़ियों के बीच से लगभग 08 किमी. की दूरी पैदल तय करने के बाद, श्री पी.आर. मिश्रा के नेतृत्व में यह सैन्य दल लगभग 0300 बजे गांव रबदा पहुंचा। चूंकि जिस

घर के पास नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, उसके सही स्थान की जानकारी दल को नहीं थी, अत: दल के कमांडर के साथ कांस्टेबल/जीडी मुकेश कुमार बुनकर, कांस्टेबल/जीडी प्रकाश चंद्र बलियार सिंह और कांस्टेबल/जीडी शैलेन्द्र खालखो नामक तीन कार्मिकों की एक निगरानी-सह-गहन सर्वेक्षण टीम तैयार की गई। यह बेहद जोखिमपूर्ण कार्य था लेकिन उनका जोश, सूझ-बूझयुक्त दक्षता और दृढ़ संकल्प निर्णायक साबित हुआ जिसके कारण वे एक घर के इर्द-गिर्द नक्सलियों की मौजूदगी का पता लगा सके। उस घर से नक्सलियों के भागने के संभावित मार्गों पर दो कट ऑफ को पहले ही तैनात कर दिया गया था। इसके अलावा, उस घर के भीतर नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की मौजूदगी की प्रबल संभावना थी। अत: बहादुर जवान कांस्टेबल/जीडी मुकेश कुमार बुनकर के साथ मिलकर दल के कमांडर ने निर्दोषों के हताहत होने की स्थिति को टालने के लिए अंधाधुंध गोलीबारी करने की बजाय नजदीक जाकर नक्सल दस्ते को अलग-थलग करने का निर्णय लिया। इस निर्णय में अपनी और सैन्य दल के अन्य सहकर्मियों की जान को जोखिम में डालने की स्थिति भी शामिल थी। अपने कमांडर के आदेशानुसार कांस्टेबल/जीडी मुकेश कुमार बुनकर ने जोखिम लिया और वे रेंगते हुए उस घर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे उस घर से लगभग 4 से 5 मीटर की दूरी तक पहुंचे, उन्हें नक्सलियों के साथ-साथ उस घर के सदस्यों के स्थान का आभास हो गया। उसके बाद उन्होंने माओवादी काडरों को आत्मसमर्पण करने की चुनौती दी, जिसके जवाब में घर के भीतर से और आस-पास के मक्के के खेतों से भारी गोलीबारी शुरु हो गयी। यह जवानों के साहस का वास्तविक परीक्षण था और उन्होंने स्थिति से निपटते हुए बगैर किसी कवर के बहादुरीपूर्वक जवाबी कार्रवाई शुरू की। उनके कमांडर जांघ और कंधे में गोली लगने से घायल हो गए। अपनी जान की सुरक्षा की परवाह किए बगैर अपने कमांडर के साथ कांस्टेबल/जीडी प्रकाश चंद्र बलियार सिंह ने घर के भीतर से गोलीबारी कर रहे नक्सलियों को उलझाया और सिविल पुलिस के एक कांस्टेबल के साथ मिलकर कांस्टेबल/जीडी मुकेश कुमार बुनकर ने मक्के के खेतों से गोलीबारी कर रहे नक्सलियों को उलझाया। कांस्टेबल/जीडी मुकेश कुमार बुनकर ने बहादुरीपूर्वक लड़ाई लड़ी और उन्होंने मक्के के खेतों से की जा रही गोलीबारी पर काबू पाते हुए उसे शांत किया। उसी समय एक नक्सली तेजी से घर से बाहर आया और अंधाधुंध गोली चलाने लगा, जिसमें कि उनके कमांडर को दो और गोलियां लग गईं। कांस्टेबल/जीडी मुकेश कुमार बुनकर घर के भीतर और खेतों से गोलीबारी कर रहे नक्सलियों के साथ बहादुरीपूर्वक लड़ रहे थे। उसी समय अचानक घर के भीतर से एक नक्सली ने विस्फोटक गोलीबारी की, जिसमें कांस्टेबल/जीडी मुकेश कुमार बुनकर के माथे पर एक गोली लग गई और वे गभीर रूप से घायल हो गए और कांस्टेबल संजय कुमार यादव (झारखंड पुलिस) के दाहिने कूल्हे में दो गोलियां लगीं, जिससे वे घायल हो गए। कांस्टेबल/जीडी प्रकाश चंद्र बलियार सिंह ओर कांस्टेबल/जीडी शैलेन्द्र खालखो जोखिम का सामना कर रहे थे क्योंकि दल के कमांडर एवं कांस्टेबल/जीडी मुकेश कुमार बुनकर तथा कांस्टेबल संजय कुमार यादव (झारखंड पुलिस) पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और घर के भीतर निरंतर भारी गोलीबारी करते हुए नक्सली को मार गिराया। हालांकि कांस्टेबल/जीडी मुकेश कुमार बुनकर की जान अत्यंत जोखिम में थी, फिर भी उन्होंने अपने साहस, दृढ़ निश्चय और फौलादी संकल्प को नहीं खोया। वे आधे घंटे तक नक्सलियों की भारी गोलीबारी का सामना करते रहे। इसके

परिणामस्वरूप नक्सलियों को अंधेरे और घनी झाड़ियों का लाभ उठाते हुए, गंभीर रूप से घायल अपने कामरेडों को साथ लेकर इधर-उधर भागना पड़ा। उस स्थान से भारी मात्रा में हथियार एवं गोलाबारुद एवं 40,000/-रू. नकद के साथ-साथ जितेन्द्र उर्फ जीतू नामक एक दुर्दांत नक्सली का शव बरामद किया गया। एक उप क्षेत्रीय कमांडर रघुवंश को सिविल पुलिस द्वारा पकड़ा गया, जो बुरी तरह से घायल हो गया था। कांस्टेबल/जीडी मुकेश कुमार बुनकर को अन्य घायलों के साथ तत्काल वहां से निकाल कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतापपुर ले जाया गया जहां से उन्हें हेलीकाप्टर द्वारा अपोलो अस्पताल रांची ले जाया गया। लेकिन कांस्टेबल/जीडी मुकेश कुमार बनुकर की जान, जिनके माथे पर जख्म थे, आंखें क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं और पीठ के ऊपरी हिस्से के बायीं ओर खरोंच के घाव थे, नहीं बच सकी और ट्रॉमा सेंटर, एम्स, नई दिल्ली में दिनांक 24.09.2012 को 1350 बजे इलाज के दौरान वे शहीद हो गए।

बरामदगी:

1. एके-47-01
2. .38 बोर रिवाल्वर-01
3. .315 बोर राइफल-01
4. .303 पुलिस राइफल-02
5. सेमी ऑटोमेटिक राइफल-010
6. एके-47 जिंदा राउंड-90
7. सेमी ऑटो जिंदा राउंड-87
8. .303 राइफल जिंदा राउंड-118
9. .315 बोर राइफल जिंदा राउंड-40
10. .38 जिंदा राउंड-10
11. 12 बोर जिंदा राउंड-04
12. खाली खोखे (एके-47-23, सेमी आटो-01, .303-50, भारमर-01)
13. नकदी-40,000रू./-
14. वाकी टॉकी सेट-01
15. कम्पास-02
16. मोबाइल सेट-03
17. सिम कार्ड-03
18. मेमोरी कार्ड-03

इस मुठभेड़ में स्वर्गीय श्री मुकेश कुमार बुनकर, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18/09/2012 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 46-प्रेज/2014--राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री सीबो प्रसाद पानीग्रही,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

पश्चिम बंगाल के जिला-पश्चिमी मिदनापुर में पुलिस स्टेशन सालबोनी के अंदर दुली के जंगलों में विचरण कर रहे/प्रशिक्षण कैंप संचालित कर रहे लगभग 90 से 100 की संख्या में पूर्ण रूप से हथियारों से लैस माओवादियों की मौजूदगी के बारे में प्राप्त आसूचना के आधार पर दिनांक 15.06.2010 से 16.06.2010 तक एक विशेष अभियान के लिए श्री उदय दिव्यांशु, डीसी के समग्र नेतृत्व में ग्रुप ए और ग्रुप बी नामक दो समूहों में विभाजित 202 कोबरा की चार (04) टीमें तैनात की गई थीं। घने जंगल में तलाशी लेने के दौरान लगभग 1630 बजे दोनों ग्रुप सशस्त्र माओवादियों की अनेक घात पार्टियों द्वारा, जो लगभग एक किमी. के दायरे में अति सुरक्षित स्थान पर थे, भारी अंधाधुंध गोलीबारी/आईईडी धमाकों के दायरे में आ गए। सशस्त्र माओवादी अत्याधुनिक हथियारों, जैसे एके 47 और एसएलआर तथा देशी हथियारों की सहायता से बेहद नजदीक से विभिन्न स्थानों से गोलीबारी कर रहे थे।

ग्रुप ए, माओवादी घात दलों द्वारा बनाए गए मारक क्षेत्र के भीतर आ गया। अपने प्रतिघात के क्रम में, श्री उदय दिव्यांशु, डीसी, श्री विनोद सावंत, एसी और कांस्टेबल/जीडी एस.पी. पानीग्रही ने तत्काल एक छोटी टीम तैयार की और 15 से 20 माओवादियों वाले अनेक घात दलों में से एक घात दल का पता लगा लिया और उनकी घात का बहादुरीपूर्वक जवाब दिया। इसी प्रकार, श्री राजन रोशन टिर्की, एसी ने एचसी/जीडी एम. कैलाशम और कांस्टेबल/जीडी यू. रामाराव के साथ दूसरी छोटी टीम का गठन किया और 15 से 20 माओवादियों के एक अन्य घात दल का पता लगाकर बहादुरीपूर्वक जवाबी कार्रवाई की।

हमले के जवाब के दौरान ग्रुप बी भी माओवादियों की घात के दायरे में आ गया। कांस्टेबल/जीडी प्रताप पॉल ओर कांस्टेबल/जीडी पिंगले ने दूसरी छोटी टीम बनाई और उन्होंने 10 से 15 माओवादियों वाले एक घात दल के ठिकाने का पता लगाकर उनके हमले का बहादुरीपूर्वक जवाब दिया।

अपने प्राणों को भारी जोखिम में डालते हुए, इन टीमों के सभी आठ कार्मिक बारुदी सुरंगों और माओवादियों की भारी गोलीबारी के बीच रेंगते हुए आगे बढ़े और उन्होंने उनकी घेरेबंदी वाले सुरक्षित स्थानों पर अत्यंत साहसपूर्वक नजदीकी लड़ाई लड़ते हुए उनके घात वाले स्थान को तितर-बितर कर दिया और कई माओवादियों को मार गिराया।

इन कार्मिकों द्वारा निरंतर आगे बढ़ते रहने की वजह से माओवादियों के बीच घबराहट फैल गई और वहां से भाग रहे आठ माओवादी गुरिल्ला को इन टीमों ने निष्क्रिय कर दिया। अन्य माओवादी अपने हथियार/गोलाबारुद छोड़कर वहां से भागने में सफल हो गए। घात वाले स्थान से भारी मात्रा में गोलाबारुद और आईईडी के घटकों के साथ एक एके 47, 01 एसएलआर, 4 एसबीबीएल, 02 पिस्तौल और 04 बड़ी लैंड माइन बरामद की गई। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि इन समूहों के मारे गए 08 माओवादियों के शवों को पुलिस स्टेशन सालबोनी लाते समय माओवादियों द्वारा लगाई गई दूसरी घात को तोड़ने में सफलता मिली।

इस बहादुरीपूर्ण कार्य को निष्पादित करने में माओवादियों की भारी संख्या, विपरीत एवं विषम स्थितियों और आईईडी के धमाकों के समक्ष अपनी जान को जोखिम में डालकर, इन 8 कमांडो ने अनुकरणीय बहादुरी, असाधारण शौर्य एवं साहस का प्रदर्शन किया और वे इस अभियान को बेहद सफल बनाने में कामयाब रहे।

इस मुठभेड़ में श्री सीबो प्रसाद पानीग्रही, कांस्टेबल ने उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16/06/2010 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 47-प्रेज/2014--राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. त्रिलोक नाथ सिंह,
    उप कमांडेंट
02. बिरजू कुमार,
    कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

श्री त्रिलोक नाथ सिंह, उप कमांडेंट की कमान में पुलिस स्टेशन नौहट्टा, जिला-रोहतास में नक्सल-रोधी अभियान के लिए सी/205 की तैनाती की गई थी। दिनांक 01.01.2012 को श्री टी.एन. सिंह को अपने निजी स्रोतों से गांव-यदुनाथपुर और सुवरमनवा, पुलिस स्टेशन चुटिया के निकट जंगल में एजीवी 2 के उप क्षेत्रीय कमांडर मुन्ना विश्वकर्मा की कमान में भरपूर हथियारों से लैस नक्सल समूहों की मौजदूगी के बारे में आसूचना प्राप्त हुई, जो निर्दोष लोगों की हत्या करने और पुलिस गश्ती दलों तथा पिकेटों पर हमला करने के इरादे से आए थे। आसूचना की पुष्टि के पश्चात श्री टी.एन. सिंह ने एस.पी., रोहतास के साथ मिलकर एक आक्रामक अभियान शुरु किया। श्री टी.एन. सिंह और एस.पी. द्वारा पुलिस स्टेशन चुटिया में संयुक्त ब्रीफिंग की गई।

पार्टी ने कुछ दूरी वाहन से तय की और उसके बाद उन्होंने पुनर्संगठित होकर जीपीएस की सहायता से आगे बढ़ना शुरु किया। लगभग 04:45 बजे, जब यह पार्टी पुल सं. 119 के निकट पहुंचने वाली थी, तभी स्काउट, कांस्टेबल/जीडी बिरजू कुमार और टी.एन. सिंह ने, जो कि टीम का नेतृत्व कर रहे थे, पैदल चलने की कुछ संदिग्ध आवाज सुनी। श्री टी.एन. सिंह ने तत्काल टीम सं.09 को उस क्षेत्र को उत्तर अर्थात दाहिनी ओर से और टीम सं. 08 के शेष कार्मिकों को दक्षिण अर्थात बायीं ओर से कवर करने का निर्देश दिया। सैन्य दल ने खामोशी से पुल की ओर जाना शुरु किया। तभी नक्सली समूह के संतरी ने चिल्लाना शुरु कर दिया कि "कोबरा कमांडर, एस पी और चुटिया का बड़ा बाबू अकेला पुलिस के साथ आ गया है, यही मौका है इन सब को मार दो" और इसके साथ ही आगे चल रहे कांस्टेबल बिरजू कुमार और टी.एन. सिंह के ऊपर उत्तरी और दक्षिणी दिशा से भारी गोलीबारी शुरु हो गयी। श्री टी.एन. सिंह और कांस्टेबल बिरजू कुमार ने क्रमश: उत्तर और दक्षिण की दिशा में पोजीशन ले ली। जब गोलीबारी चल रही थी, तभी काली पोशाक में एक नक्सली पार्टी पर गोली चलाते हुए सड़क की ओर आ गया। चारों ओर से हो रही गोलीबारी के बीच बहादुरी के एक स्पष्ट कृत्य में श्री टी.एन. सिंह ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बगैर सीक्यूबी पोजीशन से हमले का सामना किया। इस बहादुर अधिकारी ने दिलेरी का परिचय देते हुए एक नक्सली को वहीं ढेर कर दिया, बाद में उसकी पहचान जिला गढ़वा (झारखंड) के एरिया कमांडर, संतोष यादव के रूप में की गई।

इसी बीच कुछ नक्सली दक्षिण दिशा की ओर भाग कर गए और उन्होंने पुल के निकट से सैन्य दल पर गोलीबारी शुरु कर दी। कांस्टेबल बिरजू कुमार चारों तरफ से भारी गोलीबारी के बीच आ गए ओर अपनी जान की परवाह किए बगैर उनके बचकर भागने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। नक्सलियों ने उनकी हत्या कर हथियार लूटने और दक्षिण दिशा की ओर से बचकर भाग निकलने के लिए, उन्हें चारों ओर से घेरना शुरु कर दिया। लेकिन कांस्टेबल बिरजू कुमार ने अपने बेजोड़ पेशेवर कौशल, दृढ़संकल्प और अद्वितीय बहादुरी के परिणामस्वरूप अदम्य साहस का अनूठा प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने अकेले एक नक्सली को मार गिराया और शेष नक्सलियों के बीच खलबली मचा दी जिससे वे वहां से भागने के लिए मजबूर हो गए। तभी श्री टी.एन. सिंह ने कांस्टेबल बिरजू कुमार को अपनी दिशा से हथगोला फेंकने का आदेश दिया और उन्होंने भी स्वयं उत्तरी दिशा से हथगोला फेंका। श्री टी.एन.

सिंह ने पुन: अपने हाथ में एक सेकंड रखकर दूसरा हथगोला फेंका, जो पुल के नीचे फटा जिससे एक नक्सली गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, बाद में जिसकी पहचान काशी कोल, एरिया कमांडर के रूप में की गई। गोलीबारी बंद होने के बाद, सैन्य दल बेहद सूझ-बूझ से मुठभेड़ स्थल की ओर बढ़ा और उन्होंने उस क्षेत्र की तलाशी ली। तलाशी के दौरान, पोशाक में नक्सलियों के तीन शव बरामद किए गए और मुठभेड़ स्थल से एक घायल नक्सली को गिरफ्तार किया गया और साथ ही एक एसएलआर राइफल, एक 315 बोर राइफल, 303 राइफल, 157 जिंदा कारतूस, डेटोनेटर, वायरलेस सेट, बम विस्फोटक आदि बरामद किए गए।

यह अभियान श्री त्रिलोक नाथ सिंह और कांस्टेबल बिरजू कुमार द्वारा प्रदर्शित अनुकरणीय नेतृत्व एवं बहादुरी, असाधारण साहस एवं अद्वितीय शौर्य, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर बेहद जोखिम उठाया, के साथ-साथ सतर्क नियोजन, सही निष्पादन एवं उपयुक्त रणनीति के कारण ही सफल हो पाया। उन्होंने असाधारण बहादुरी एवं साहस का प्रदर्शन किया है, जो कि भली-भांति निष्पादित अभियान के दौरान सैन्य दल और बटालियन के मनोबल को बढ़ावा देने में अपना दूरगामी प्रभाव छोड़ेगा।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री त्रिलोक नाथ सिंह, उप कमांडेंट और बिरजू कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 02/01/2012 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च, 2014

संकल्प

सं.9/4/2010-टीयूएफएस--भारत सरकार ने मौजूदा कपास यार्न सलाहकार बोर्ड, जिसका गठन मूल रूप से दिनांक 13 सितंबर 2010 को किया गया था तथा पिछला पुनर्गठन 25 जून, 2012 को किया गया था, की अवधि 30 जून 2014 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है ।

2. बोर्ड के सदस्य बोर्ड को अपनी सेवा 30 जून 2014 तक, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक देंगे।

3. गैर सरकारी सदस्यों को कपास यार्न सलाहकार बोर्ड की बैठकों में भाग लेने हेतु वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप टीए/डीए का भुगतान किया जाएगा। वस्त्र आयुक्त, कपास यार्न अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखने वाले लोगों को कपास यार्न सलाहकार बोर्ड की बैठकों में आमंत्रित कर सकते हैं।

4. सचिवालय सहायता वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुम्बई द्वारा प्रदान की जाएगी । आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रतिलिपि सभी संबंधितों को संप्रेषित की जाए ।

5. यह आदेश दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

आर. के. श्रीवास्तव
अवर सचिव

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी 2014

कार्यकारी सारांश

सं. 1–8/2013–नीति––1. भारत ऐसे जनसांख्यिकीय बदलाव के मुहाने पर है, जो कि टाइगर कहलाने वाले पूर्वी एशियाई देशों के सकल घरेलू उत्पाद में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई शानदार बढ़ोत्तरी का कारण बननेवाले जनसांख्यिकीय बदलाव के जैसा है। तथापि, इस जनसांख्यिकीय बदलाव का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में इतनी क्षमता हो कि वह बढ़ी हुई श्रम शक्ति को रोजगार दे सके तथा अर्थव्यवस्था में उत्पादक योगदान करने के लिए युवाओं को उपयुक्त शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त हों।

2. जनसंख्या में 15-29 वर्ष की आयु के युवा 27.5% तथा 13-35 वर्ष की आयु के युवा 41.3% हैं। फिलहाल भारत की सकल राष्ट्रीय आय(जीएनआई) में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं का योगदान लगभग 34% है, तथापि श्रम शक्ति में राष्ट्र के इस श्रेणी के नागरिकों की भागीदारी तथा उनकी उत्पादकता बढ़ाकर उनके योगदान में भारी बढ़ोत्तरी करने की बहुत संभावनाएं हैं।

3. भारत सरकार फिलहाल[12] युवा विकास कार्यक्रमों पर प्रति वर्ष 90,000 करोड़ रुपए से अधिक अर्थात प्रति युवा प्रति वर्ष लगभग 2,710 रुपए का निवेश युवा-लक्षित कार्यक्रमों(उच्चतर शिक्षा, कौशल विकास, किशोर/किशोरी स्वास्थ्य देखरेख इत्यादि) तथा अन्य ऐसे कार्यक्रमों(खाद्य सब्सिडी, रोजगार इत्यादि) के माध्यम से कर रही है, जो केवल युवाओं पर लक्षित नहीं हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारें और कई अन्य स्टेकहोल्डर भी युवा विकास तथा युवाओं की उत्पादक भागीदारी को संभव बनाने के कार्य में सहायता कर रहे हैं। तथापि गैर-सरकारी क्षेत्र में अलग-अलग संगठन छोटे एवं बँटे हुए हैं तथा युवाओं संबंधी मुद्दों पर कार्यरत इन विभिन्न स्टेकहोल्डरों के बीच कोई समन्वय नहीं है।

4. राष्ट्रीय युवा नीति 2014(एनवाईपी 2014) में देश के युवाओं के विषय में भारत सरकार के विज़न को परिभाषित करने तथा उन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने का प्रयास किया गया है, जिनमें युवा विकास को संभव बनाने के लिए कार्य किए जाने की जरूरत है, जहाँ पर्याप्त कार्य नहीं किया जा रहा है तथा सभी स्टेकहोल्डरों के कार्यों का फ्रेमवर्क दर्शाया गया है। इस नीति का उद्देश्य मार्गदर्शक दस्तावेज की भूमिका निभाना है तथा 5 वर्षों में एक बार इस नीति की समीक्षा की

[12]स्रोत : केंद्रीय बजट, 2011-12

जानी चाहिए, ताकि भारत सरकार युवाओं के विषय में अपनी प्राथमिकताओं में आवश्यकतानुसार बदलाव ला सके।

5. एनवाईपी 2014 में भारत के युवाओं के विषय में संपूर्ण विज़न दर्शाया गया है, जिसका उद्देश्य **"देश के युवाओं को अपनी पूर्ण क्षमताओं को विकसित करने के लिए सशक्त बनाना तथा उनके माध्यम से भारत को अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उसका सही स्थान दिलाना है"।** इस विज़न को साकार करने के लिए सभी स्टेकहोल्डरों को 5 प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयास करने चाहिएं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए युवा विकास हेतु चिह्नित किए गए 11 प्राथमिकता क्षेत्रों में से एकाधिक क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने की आवश्यकता है। आगे दर्शाया गया एग्जिबिट एनवाईपी 2014 के इन विज़न, उद्देश्यों तथा प्राथमिकता क्षेत्रों का सार प्रस्तुत करता है। इसमें इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपलब्ध सकारात्मक कारकों की सूची भी दर्शाई गई है।

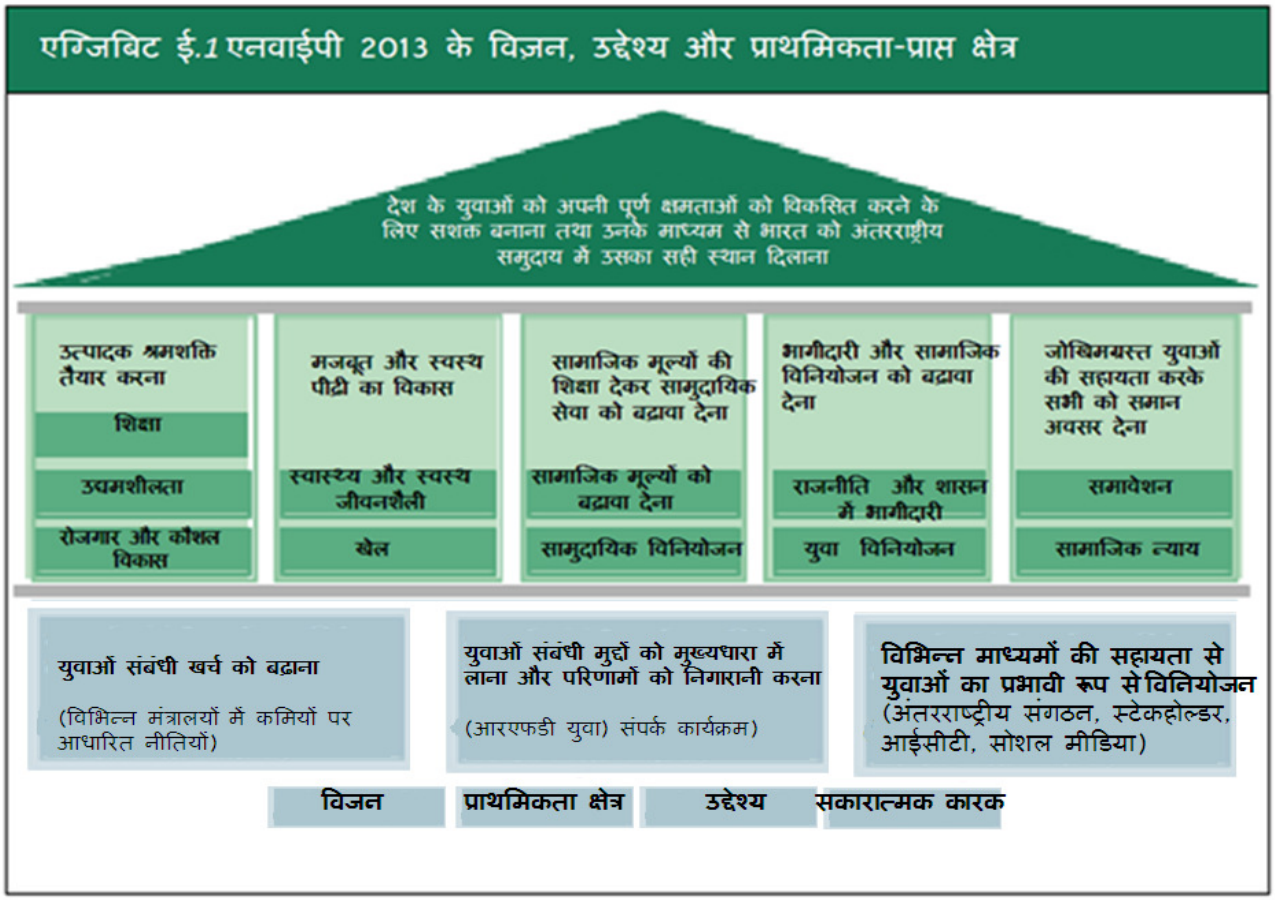

6. इस नीति में प्राथमिकता वाले 11 क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र के लिए आवश्यक विशिष्ट भावी नीतिगत पहलों की सिफारिश करने की कोशिश की गई है। इन्हें आगे सारणी में संक्षेप में दर्शाया गया है :

एग्जिबिट ई2: एनवाईपी 2014 के उद्देश्य, प्राथमिकता वाले क्षेत्र और भावी आवश्यकताएं

उद्देश्य	प्राथमिकता वाले क्षेत्र	भावी आवश्यकताएं
1. एक सफल कार्यबल का गठन करना जो भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित करने की दिशा में स्थायी योगदान दे सके।	शिक्षा	• क्षमता एवं गुणवत्ता बढ़ाने की प्रणाली तैयार करना • कौशल विकास और आजीवन शिक्षण को बढ़ावा देना
	रोजगार और कौशल विकास	• लक्षित युवाओं तक पहुंच और जागरुकता • प्रणालियों और स्टेकहोल्डरों के बीच संपर्क बढ़ाना • सरकार और अन्य स्टेकहोल्डरों की भूमिका तय करना
	उद्यमशीलता	• लक्षित युवाओं तक पहुंचने के कार्यक्रम • क्षमता बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्यक्रमों का दायरा विस्तृत करना • युवा उद्यमियों के लिए कस्टमाइज्ड कार्यक्रम तैयार करना • व्यापक निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली का क्रियान्वयन
2. एक ऐसी सशक्त और स्वस्थ पीढ़ी तैयार करना जो भावी चुनौतियों	स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवन शैली	• सेवा प्रदायगी की स्थिति को बेहतर बनाना • स्वास्थ्य, पोषण और निवारक उपायों के बारे में जानकारी

का सामना करने के लिए तैयार हो।		• युवाओं के लिए लक्षित नियंत्रण कार्यक्रम
	खेल	• खेल सुविधाओं और प्रशिक्षण की बेहतर उपलब्धता • युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देना • प्रतिभाशाली खिलाडियों की सहायता और उनका विकास
3. सामाजिक मूल्यों की भावना मन में बैठाना और राष्ट्रीय जिम्मेवारी बढ़ाने के लिए सामुदायिक सेवा को प्रोत्साहित करना	सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना	• नैतिक मूल्य की शिक्षा प्रणाली को उचित रूप देना • युवा के विनियोजन कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना • नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की दिशा में कार्यरत एनजीओ और गैर-लाभकारी संगठनों को सहायता
	सामुदायिक विनियोजन	• विद्यमान सामुदायिक विकास संगठनों की सेवाएं लेना • सामाजिक उद्यमशीलता को बढ़ावा देना
4. शासन के सभी स्तरों पर नागरिकों की सेवाएं लेना और उनकी भागीदारी	राजनीति और शासन में भागीदारी	• राजनैतिक व्यवस्था से बाहर के युवाओं को शामिल करना • युवाओं के लिए सहायक शासन तंत्र सृजित करना • शहरी शासन में युवा भागीदारी को

को आसान बनाना		बढ़ावा देना
	युवाओं की भागीदारी	• युवा विकास योजनाओं की प्रभाविता की निगरानी और उसके लिए उपाय • युवाओं के विनियोजन के लिए मंच तैयार करना
5. जोखिमग्रस्त युवाओं के लिए सहायता और लाभ से वंचित एवं सीमांत युवाओं के लिए समता-मूलक अवसर सृजित करना	समावेशन	• लाभ से वंचित युवाओं को समर्थ बनाना एवं उनकी क्षमता को बढ़ाना • हिंसा-ग्रस्त क्षेत्रों में युवाओं के लिए आर्थिक अवसर सुनिश्चित करना • विकलांग युवाओं की मदद के लिए एक बहु-सूत्री दृष्टिकोण तैयार करना • युवाओं के लिए जानकारी एवं अवसर बढ़ाना
	सामाजिक न्याय	• अनुचित सामाजिक प्रथाओं को दूर करने के लिए युवाओं की सेवाएं लेना • सभी स्तरों पर न्याय की सुविधा बढ़ाना

7. कार्य के 11 प्राथमिकता क्षेत्रों में निर्धारित की गई कमियों को दूर करने के उद्देश्य से सभी स्टेकहोल्डरों की ओर से समन्वित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। स्टेकहोल्डर मानचित्र तैयार करके उसमें स्टेकहोल्डर की भूमिकाएं तथा दायित्व निर्धारित किए जाने चाहिएं। सरकार को इन युवाओं के रूप में उपलब्ध अवसर का लाभ उठाने के लिए युवाओं संबंधी प्रयासों में अपना निवेश बढ़ाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ सभी सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ निश्चय से प्रयास करने चाहिएं कि सभी क्षेत्रों और नीतियों की मुख्यधारा में युवाओं को शामिल किया जाए। युवा विकास को बढ़ावा देने के लिए कई साधनों का सहारा लिया जा सकता है, जिनमें

युवाओं के बीच गहरी पैठ रखने वाला मीडिया तथा मौजूदा युवा विकास संगठनों का नेटवर्क शामिल हैं।

8. इसके अतिरिक्त एनवाईपी 2014 की सफलता की निगरानी तथा उसका मूल्यांकन करना आवश्यक है। अग्रणी और परिवेष्टन संसूचक निर्धारित किए गए हैं। इन सभी संसूचकों के संबंध में बेसलाइन निर्धारण किया जाना चाहिए, वार्षिक लक्ष्य तय किए जाने चाहिएं तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रगति की निगरानी की जानी चाहिए। संसूचकों के संबंध में प्रगति की जानकारी राष्ट्र को देने, प्रमुख उपलब्धियों को उजागर करने तथा नई और निपटाई न जा सकी चुनौतियाँ निर्धारित करने के उद्देश्य से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय को युवाओं की स्थिति के विषय में द्विवार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए। इस रिपोर्ट से देश के युवाओं को भी उनके विकास के लिए शुरू किए गए सरकार के विभिन्न उपायों की जानकारी मिल सकेगी।

9. राष्ट्र को आजादी दिलाने से लेकर यथास्थिति में बदलाव लाने वाली नई प्रौद्योगिकियों के आविष्कार और कला, संगीत एवं संस्कृति की नई शैलियों के विकास तक इतिहास के हर दौर में युवा ही बदलाव के अग्रदूत रहे हैं। भारत के युवाओं के विकास में सहायता करना एवं उसे बढ़ावा देना ही इस राष्ट्र के सभी क्षेत्रों और स्टेकहोल्डरों की सर्वप्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए।

युवाओं का महत्त्व

"युवा" की परिभाषा

1.1 युवा किसी निर्धारित आयु-वर्ग से अधिक व्यापक श्रेणी है। प्रायः अनिवार्य शिक्षा छोड़ने तथा अपना पहला रोजगार पाने के बीच वाली आयु के व्यक्ति को "युवा" माना जाता है। अक्सर युवा आयु-वर्ग को विभिन्न देश/एजेंसियाँ तथा एक ही एजेंसी विभिन्न संदर्भों में अलग-अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 'युवा' को 15 से 24 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है[13]।

1.2 राष्ट्रीय युवा नीति-2003 में 'युवा' को 13 से 35 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया था, लेकिन जहाँ तक विभिन्न नीतिगत उपायों का संबंध है, और अधिक संकेंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के उद्देश्य से मौजूदा नीतिगत दस्तावेज में युवा आयु-वर्ग को 15 से 29 वर्ष के रूप में परिभाषित किया गया है।

1.3 तथापि, इस तथ्य को समझने की जरूरत है कि इस आयु-वर्ग में आने वाले सभी युवा व्यक्तियों का एक जैसे सरोकारों और जरूरतों वाले समान समूह में शामिल होना संभव नहीं है तथा उनकी भूमिकाएं एवं दायित्व अलग-अलग हैं।

[13]http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/youth/youth-definition/ ; 1 July 2013 को देखी गई।

जनसांख्यिकीय लाभ

1.4 अनुकूल जनसांख्यिकीय रूपरेखा से भारत को लाभ : जनसंख्या में 15-29 वर्ष की आयु के युवा 27.5% हैं।[14]. आशा है कि भारत वर्ष 2025 तक अमरीका, चीन और जापान[15] के बाद वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 5.5% से 6% तक योगदान करने वाली चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जहाँ एक ओर इनमें से अधिकांश देशों में श्रम शक्ति के वृद्ध होने का खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत में जनसांख्यिकीय रूपरेखा बहुत अनुकूल होने की आशा है, जैसा कि एग्जिबिट 1.1 में दर्शाया गया है। वर्ष 2020 तक भारत की जनसंख्या 1.3 बिलियन से अधिक हो जाने की संभावना है, जिसकी मध्यम आयु 28 वर्ष होगी, जो कि चीन और जापान की संभावित मध्यम आयु से काफी कम है। भारत की कामकाजी आबादी वर्ष 2020 तक बढ़कर 592 मिलियन होने की आशा है, जो कि केवल चीन से कम होगी(776 मिलियन), जिसका अर्थ यह है कि युवा देश के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान करेंगे। इस 'जनसांख्यिकीय लाभ' से भारत को बेहतर अवसर प्राप्त होता है।

एग्जिबिट 1.1भारत में जनसांख्यिकीय रूपरेखा बहुत अनुकूल होने वाली है

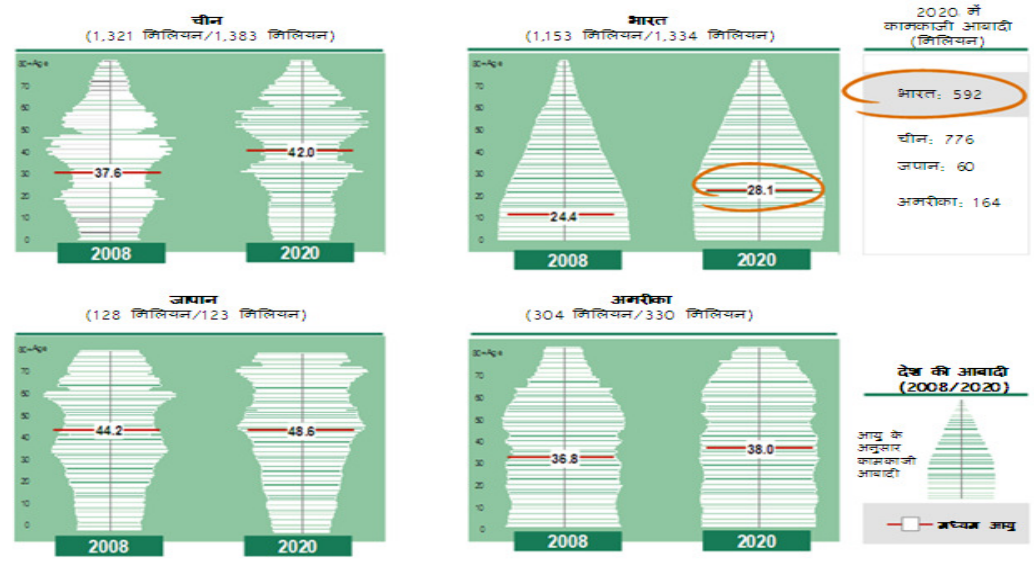

1. कामकाजी आबादी में केवल आर्थिक रूप से सक्रिय जन समुदाय शामिल है।
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान,बीसीजी विश्लेषण।

[14] आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। उपलब्ध आंकड़े 0 से 4 वर्ष तक की आयु के 5 वर्षीय समूदायों के हैं।

[15] 12वीं पंचवर्षीय योजना खंड 1

भारत में युवा संबंधी प्रयास

2.1 भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के लिए निवेश करती है : भारत सरकार युवाओं को ही लक्ष्य करके योजनाएं चलाने वाले तथा सामान्य जनसमुदाय को लक्ष्य करके योजनाएं चलाने वाले मंत्रालयों के माध्यम से युवा विकास पर काफी धनराशि व्यय करती है। भारत सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और नियोजन के क्षेत्रों में युवा विकास पर लक्षित योजनाओं पर लगभग 37,000 करोड़ रुपए तथा आबादी के विभिन्न वर्गों के लिए बनाई गई उन योजनाओं पर लगभग 55,000 करोड़ रुपए व्यय करती है, जिनका मुख्य लक्ष्य युवा न होते हुए भी, जिनके लाभार्थियों में काफी युवा होते हैं। कुल मिलाकर यह व्यय 90,000 करोड़ रुपए से अधिक बैठता है(एग्जिबिट 2.1)[16] ।

- 37,000 करोड़ रुपए के लक्षित व्यय में 80% से अधिक निधियाँ मानव संसाधन विकास मंत्रालय(एमएचआरडी) तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय(एमओएसजेई) के माध्यम से शिक्षा के लिए आबंटित कर दी जाती हैं। मुख्यतः विभिन्न सरकारी स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले अनुदानों और माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियों व फेलोशिप के रूप में छात्र/छात्राओं को दिए जाने वाले प्रत्यक्ष नकद लाभ के माध्यम से यह व्यय किया जाता है। इसके अलावा कौशल विकास, रोजगार, स्वास्थ्य एवं नियोजन के क्षेत्रों में युवा विकास पर लक्षित कार्यक्रम भी हैं।
- खाद्य सब्सिडी, मनरेगा जैसे रोजगार कार्यक्रमों, स्वास्थ्य कार्यक्रमों, बुनियादी ढांचे के विकास, रोग नियंत्रण एवं परिवार कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों पर किए जाने वाले गैर-लक्षित व्यय के भी काफी लाभार्थी युवा होते हैं। अपनी कुछ योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने वाले अन्य मंत्रालयों में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय(एमएलई), जनजातीय कार्य मंत्रालय(एमओटीए) तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय शामिल हैं।

[16] स्रोत : केंद्रीय बजट, 2011-12।.

यह व्यय कुल मिलाकर लगभग 2,710 रुपए प्रति युवा बैठता है, जिसमें से 1,100 रुपए लक्षित व्यय है, जैसा कि एग्जिबिट 2.1 में दर्शाया गया है।

एग्जिबिट ई. 4 युवाओं पर भारत सरकार का लक्षित और गैर-लक्षित व्यय

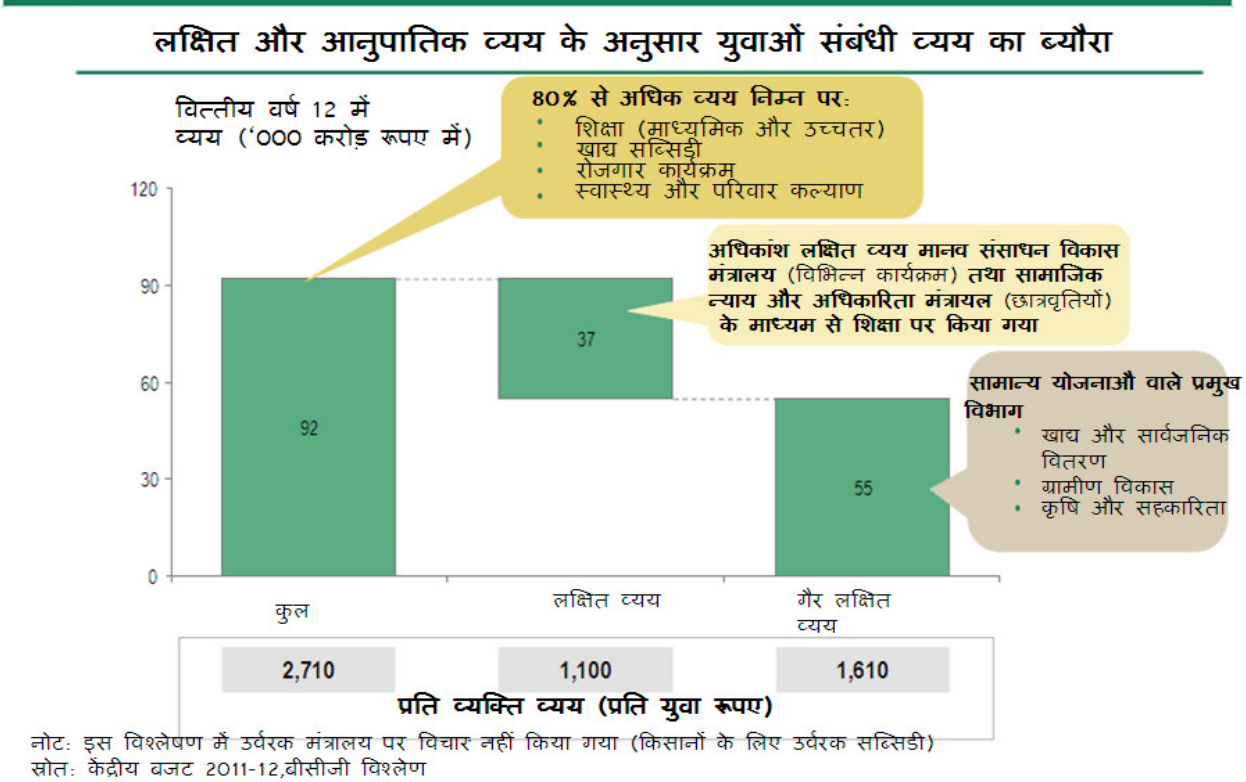

नोट: इस विश्लेषण में उर्वरक मंत्रालय पर विचार नहीं किया गया (किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी)
स्रोत: केंद्रीय बजट 2011-12,बीसीजी विश्लेण

2.2 राज्य सरकारें भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं पर निवेश करती हैं : युवाओं पर अधिकांश लक्षित व्यय शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं संबंधी सेवाओं पर किया जाता है। राज्य सरकारें भी इन शीर्षों पर काफी व्यय करती हैं, जो भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय के अतिरिक्त है। अतः, युवाओं पर कुल व्यय (केंद्र और राज्य सरकारों का व्यय मिलाकर) बहुत अधिक होगा।

2.3 गैर-सरकारी स्टेकहोल्डर छोटे और बंटे हुए हैं : सरकार के अतिरिक्त विभिन्न स्टेकहोल्डर भी युवाओं से संबंधित मुद्दों पर काम कर रहे हैं। इन स्टेकहोल्डरों में सामाजिक संगठन, कारपोरेट और उद्योग संघ शामिल हैं। इन स्टेकहोल्डरों के दो उद्देश्य इस प्रकार हैं: पहला उद्देश्य तो शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखरेख, खेल इत्यादि से संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से युवा विकास को बढ़ावा

देना है। दूसरा उद्देश्य सामुदायिक विकास, नीतियों, शासन इत्यादि में युवाओं की भागीदारी और नियोजन में मदद करना है।

2.4 हालाँकि विभिन्न स्टेकहोल्डर युवाओं से संबंधित मुद्दों पर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रायः इन संगठनों का आकार छोटा होता है। इसके अतिरिक्त जिन मुद्दों पर, जिन क्षेत्रों में और युवाओं के जिन वर्गों के लिए ये संगठन काम करते हैं, उन सभी के संदर्भ में ये संगठन आपस में बंटे हुए हैं। प्रायः स्टेकहोल्डर किसी समन्वय और व्यापक उद्देश्य या फ्रेमवर्क के बिना कार्य करते हैं।

2.5 युवाओं से संबंधित मुद्दों पर समन्वित कार्रवाई का फ्रेमवर्क : मुख्य चुनौती तो यह है कि युवा वर्ग की मौजूदा स्थिति, उनके सामने आने वाली चुनौतियों तथा इन क्षेत्रों के पारस्परिक संबंधों को समझने के लिए कोई व्यवस्थित मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त युवा विकास के लिए कार्यरत विभिन्न स्टेकहोल्डरों की पहचान करने, उनके कार्यकलापों के प्रभाव का विश्लेषण करने तथा यह जानने के लिए कोई समन्वित प्रयास नहीं किया गया है कि युवाओं को और अधिक प्रभावी सहायता प्रदान करने के लिए इन स्टेकहोल्डरों को कैसे एकसाथ लाकर इनके संसाधनों को बढ़ाया जा सकता है।

2.6 युवाओं के सामने आ रही चुनौतियों का समग्र मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। स्टेकहोल्डरों की मैपिंग की जानी चाहिए, ताकि इन स्टेकहोल्डरों की संख्या, उनके कार्यकलापों के क्षेत्र और युवा विकास एवं नियोजन पर उनके प्रभाव का निर्धारण किया जा सके। अंततः, इन स्टेकहोल्डरों को एकसाथ लाने तथा मुख्य मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क बनाए जाने की जरूरत है।

***

राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का विज़न, उद्देश्य और प्राथमिकता क्षेत्र

राष्ट्रीय युवा नीति 2014(एनवाईपी 2014) का उद्देश्य भारत के 15 से 29 वर्ष तक की आयु के युवाओं की स्थिति का समग्र परिदृश्य दर्शाना है। इसमें युवाओं के प्रमुख मुद्दे और उनके समक्ष आने वाली चुनौतियाँ उजागर की गई हैं तथा यह जानकारी दी गई है कि सभी स्टेकहोल्डर कैसे यह सुनिश्चित करने में युवाओं की सहायता कर सकते हैं कि वे वर्तमान और भविष्य में भी समाज के विकास में सकारात्मक योगदान करें।

विज़न

एनवाईपी 2014 में भारत के युवाओं के विषय में संपूर्ण विज़न दर्शाया गया है, जो कि इस प्रकार है :

"**देश के युवाओं को अपनी पूर्ण क्षमताओं को विकसित करने के लिए सशक्त बनाना तथा उनके माध्यम से भारत को अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उसका सही स्थान दिलाना**"।

उद्देश्य

इस विज़न को साकार करने के लिए सरकार तथा सभी स्टेकहोल्डरों को आगे दर्शाए गए पाँच सुपरिभाषित उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयास करने होंगे :

उद्देश्य 1: भारत के आर्थिक विकास में स्थायी योगदान कर सकने वाली उत्पादक श्रम शक्ति तैयार करना

उत्पादक युवा श्रम शक्ति तैयार करने के लिए यह आवश्यक है कि देश के युवाओं को स्थायी योगदान करने के लिए सही साधन एवं अवसर उपलब्ध हों। युवाओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने तथा श्रम बाजार के लिए अपेक्षित आवश्यक कौशल विकसित करने के उचित अवसर प्राप्त होने चाहिएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें लाभदायक रोजगार प्राप्त हों। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश श्रम शक्ति स्व-रोजगारी है, युवाओं में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा व्यवसाय की योजना बनाने, व्यवसाय को परिपक्व बनाने तथा वित्त-पोषण की प्रक्रिया के माध्यम से उनकी सहायता की जानी चाहिए।

उद्देश्य 2: ऐसी मजबूत और स्वस्थ पीढ़ी का विकास करना, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो

भविष्य की चुनौतियों का सामना करने तथा अपनी क्षमताओं को पूर्णतः विकसित करने में सक्षम भारतीय युवाओं की पीढ़ी विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि युवा स्वस्थ हों तथा उनकी जीवनशैली संतुलित हो। युवाओं के स्वास्थ्य विशिष्ट मुद्दों का समाधान लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाना चाहिए। युवाओं को संतुलित पोषण और स्वस्थ जीवनशैली की जानकारी दी

जानी चाहिए। युवाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए खेलों और मनोरंजक कार्यकलापों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम हो।

उद्देश्य 3 : देश में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने के लिए सामाजिक मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए तथा सामुदायिक सेवा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए

विविधता के सम्मान और सौहार्द के महत्त्व जैसे सामाजिक मूल्यों की शिक्षा देने वाले कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रीय स्वाभिमान तथा देश को अपना मानने की भावना विकसित करने की आवश्यकता है। युवाओं को विशेषकर सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में सामुदायिक सेवा तथा विकास कार्यकलापों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारतीय युवाओं में अपने देश के अन्य नागरिकों, विशेषकर जो उनसे कम भाग्यशाली हैं, के प्रति नैतिक दायित्व की सुदृढ़ भावना होनी चाहिए। देश के युवाओं को नागरिकों के रूप में अपने दायित्वों की पूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इसके द्वारा ऐसा परिवेश तैयार करना चाहिए, जिसमें सभी नागरिकों को वे अधिकार प्राप्त हों, जिनकी गारंटी हमारे संविधान में दी गई है।

उद्देश्य 4 : शासन के सभी स्तरों पर भागीदारी और सामाजिक नियोजन

शासन के लिए नागरिकों का सक्रिय होना आवश्यक है और यह देखते हुए कि 15 से 29 वर्ष तक की आयु के युवा देश की आबादी में 27.5% हैं, राजनीति और शासन में युवाओं की भागीदारी की व्यवस्था तैयार करना बेहद जरूरी है। युवा राष्ट्र का भविष्य हैं और उन्हें स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें प्रभावी नीति-निर्माता बनने तथा सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सक्षम बनने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिएं।

उद्देश्य 5 : जोखिमग्रस्त युवाओं की सहायता करना तथा सभी वंचित एवं उपेक्षित युवाओं को समता-मूलक अवसर उपलब्ध कराना

इस युवा आबादी के कुछ वर्गों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इन वर्गों में आर्थिक रूप से पिछड़े युवा, महिलाएं, विकलांग युवा, वामपंथी उग्रवाद सहित संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले युवा, नशे की लत, अवैध मानव व्यापार या खतरनाक परिस्थितियों में कार्य करने के कारण जोखिमग्रस्त युवा शामिल हैं। यह आवश्यक है कि सरकारी नीतियाँ समावेशी हों तथा सभी को उचित अवसर प्रदान करती हों। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इन युवाओं को कलंक या भेदभाव का शिकार न होना पड़े और युवाओं के सभी वर्गों के साथ सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें न्याय का उचित अवसर प्राप्त हो।

प्राथमिकता क्षेत्र

इन पाँचों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रों में कार्य करने की जरूरत होगी। आगे दर्शाई गई सूची में उन 11 प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें कार्य करना उपर्युक्त पाँचों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है।

एग्जिबिट ई-5 : राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के उद्देश्य एवं प्राथमिकता क्षेत्र

उद्देश्य	प्राथमिकता क्षेत्र
6. भारत के आर्थिक विकास में स्थायी योगदान कर सकने वाली उत्पादक श्रम शक्ति तैयार करना	12. शिक्षा
	13. रोजगार और कौशल विकास
	14. उद्यमशीलता
7. भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम मजबूत और स्वस्थ पीढ़ी का विकास करना	15. स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवनशैली
	16. खेल
8. राष्ट्र को अपना मानने की भावना विकसित करने लिए सामाजिक मूल्यों की शिक्षा देना तथा सामुदायिक सेवा को बढ़ावा	17. सामाजिक मूल्यों का संवर्धन
	18. सामुदायिक सहभागिता
9. शासन के सभी स्तरों पर भागीदारी तथा सामाजिक सहभागिता	19. राजनीति और शासन में भागीदारी
	20. युवा सहभागिता
5. जोखिमग्रस्त युवाओं की सहायता करना तथा सभी वंचित एवं उपेक्षित युवाओं को समता-मूलक अवसर उपलब्ध कराना	21. समावेशन
	22. सामाजिक न्याय

अगले खंड में प्रत्येक प्राथमिकता क्षेत्र की विस्तार से जाँच की गई है।

मौजूदा नीतियाँ और भावी आवश्यकताएं

4.1 प्राथमिकता क्षेत्र 1: शिक्षा

4.1.1 वर्तमान स्थिति

आर्थिक विकास में योगदान करने वाली उत्पादक युवा श्रम शक्ति तैयार करने के लिए युवाओं को शिक्षित किया जाना चाहिए तथा स्थायी आजीविकाओं के लिए उन्हें आवश्यक कौशल सिखाए जाने चाहिएं। सभी युवा एक जैसे नहीं होते हैं तथा शिक्षा संबंधी उनकी आवश्यकताएं भिन्न-भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए स्कूली शिक्षा प्राप्त न कर रहे तथा बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ देने वाले युवाओं के लिए एक जैसी नीतियाँ नहीं अपनाई जा सकती हैं, क्योंकि शिक्षा पाने को इच्छुक लेकिन स्कूल में दाखिला न ले पाने वाले युवा स्कूली शिक्षा छोड़कर श्रम बाजार में भागीदारी करने को इच्छुक युवाओं से भिन्न हैं। अतः, विभिन्न वर्गों के युवाओं के लिए अलग से तैयार और लक्षित नीतियों की जरूरत है। इसके अतिरिक्त विकलांग युवाओं, महिलाओं, अल्पसंख्यकों जैसे विभिन्न वर्गों से संबंध रखने वाले युवा भी हैं, जिनके लिए ऐसी विशेष नीतियों की जरूरत है, जिनसे उन्हें शिक्षा प्रणाली के उचित लाभ प्राप्त करने के अवसर मिल सकें। युवाओं के लिए शिक्षा के महत्त्व और युवाओं की विषमताओं को समझते हुए, सरकार ने शिक्षा प्रणाली में सुधार करने तथा विभिन्न वर्गों के युवाओं के लिए उपयुक्त नीतियाँ तैयार करने पर बहुत जोर दिया है।

भारत सरकार ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने, शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से कई नीतियाँ कार्यान्वित की हैं। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने, तकनीकी एवं उच्चतर शिक्षा की क्षमता बढ़ाने, साक्षरता और बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने, प्रशिक्षित अध्यापकों इत्यादि के संवर्ग तैयार करने के उद्देश्य से योजनाएं चलाई जा रही हैं।[17] पाठ्यचर्या में सुधार, उच्चतर शिक्षा के विनियमन तथा गुणवत्ता में सुधार पर भी काफी जोर दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रणाली से तैयार होने वाले स्नातक रोजगार पाने के योग्य हों। उच्चतर शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान(आरयूएसए) नामक नई योजना की संकल्पना तैयार की है, जिसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता, उपलब्धता और समावेशन के मुद्दों का समाधान मिशन मोड में करना है। इसके अतिरिक्त मेधावी छात्रों को उच्चतर शिक्षा पाने के लिए बैंकिंग प्रणाली शैक्षणिक ऋण दे रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को दिए जाने वाले शैक्षणिक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी भी देता है।

[17]माध्यमिक, उच्चतर, तकनीकी और प्रौढ़ शिक्षा संबंधी नीतियों की पूरी सूची मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट ehttp://mhrd.gov.in/schemes_home पर देखी जा सकती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय जैसे अन्य मंत्रालय भी कुछ प्राथमिकता-प्राप्त वर्गों के युबाओं के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रमों जैसी लक्षित योजनाएं चला रहे हैं।.

इसके अतिरिक्त सरकार, सामाजिक संगठन और निजी क्षेत्र छात्रों को सीधे शिक्षा, वित्तीय सहायता प्रदान करते रहे हैं, सरकारी नीतियों का मूल्यांकन एवं प्रणाली में जवाबदेही का संवर्धन करते रहे हैं। सरकार, सामाजिक संगठनों और निजी क्षेत्र के इन समन्वित प्रयासों के सकारात्मक लाभ प्राप्त हुए हैं, जिनमें माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा में जीईआर बढ़ना शामिल है।

तथापि युवा शिक्षा की चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं। बारहवीं योजना में शिक्षा नीति में ऐसे कार्यनीतिक बदलाव निर्धारित किए गए हैं, जिनसे युवा विकास को बढ़ावा मिलेगा। इन बदलावों में प्रारंभिक शिक्षा के छात्रों को माध्यमिक शिक्षा तक ले जाने पर जोर देना, जहाँ काफी रुकावट देखी गई है, आजीवन शिक्षण को सहायता देने वाली प्रणाली विकसित करना, शिक्षा का व्यावसायीकरण करना तथा कौशल विकास को बढ़ावा देना शामिल हैं।

4.1.2भावी आवश्यकताएं

आगे प्रणाली में (i)क्षमता एवं गुणवत्ता का विकास करना तथा (ii)कौशल विकास एवं आजीवन शिक्षण को बढ़ावा देना ही युवा शिक्षा के संवर्धन की दो प्रमुख प्राथमिकताएं होनी चाहिएं।

(क) प्रणाली में क्षमता और गुणवत्ता का विकास करना : माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के संबंध में 12वीं योजना की प्राथमिकताओं का सार इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है (क) उपलब्धता बढ़ाना, (ख) समानता सुनिश्चित करना, (ग) इनपुट और आउटकम की गुणवत्ता में सुधार करना तथा (घ) पहले से अधिक सुशासन और जवाबदेही को बढ़ावा देना।

- शिक्षा की उपलब्धता और समानता बढ़ाने के लिए माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा में **क्षमता सुधार** किया जाना चाहिए। इन सुधारों में वास्तविक बुनियादी ढांचे को सुधारना, अपेक्षाकृत कम शैक्षणिक नामांकनों और आउटकम वाले क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार बढ़ाना

तथा अध्यापक चयन एवं भर्ती कार्यक्रमों में वृद्धि करना शामिल हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) में अपेक्षाकृत छोटी योजनाओं को शामिल करके इस अभियान को माध्यमिक शिक्षा का व्यापक कार्यक्रम बनाया जा रहा है[18]। आरएमएसए में निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मौजूदा योजनाओं के उद्देश्य आंशिक तौर पर या पूरी तरह भुला न दिए जाएं तथा वंचित वर्गों और क्षेत्रों के युवाओं का कारगर ढंग से मुख्यधारा में शामिल किया जाए। इसी प्रकार मौजूदा उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की क्षमताओं के विस्तार की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न हो।

- छात्रों संबंधी परिणामों में सुधार लाने के लिए अनेक **गुणवत्ता सुधार** कार्यक्रम चलाए गए हैं। इन कार्यक्रमों में अध्यापक प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम, पाठ्यचर्या सुधार, संशोधित छात्र मूल्यांकन मानक तथा स्कूलों और कालेजों को मान्यता प्रदान करना शामिल हैं। मौजूदा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों की सफलता की समीक्षा करना, निष्प्रभावी सिद्ध हुई कार्यनीतियों में संशोधन करना तथा सफल कार्यक्रमों को और व्यापक बनाना बेहद जरूरी है।
- शिक्षा प्रदान करने के कार्य में **सरकार और निजी क्षेत्र की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित** करना जरूरी है। नए पीपीपी माडलों की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है तथा उपयुक्त विनियमन प्रणालियाँ, मान्यता प्रदान करने की प्रक्रियाएं, नीतियाँ तथा प्रोत्साहन व्यवस्थाएं विकसित की जानी चाहिएं, ताकि निजी शिक्षा प्रदाता माध्यमिक शिक्षा का निरंतर विस्तार और सुधार करने की चुनौती का सामना कर सकें।

[18]जैसे कि माध्यमिक चरण में विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा योजना, भाषा अध्यापकों की नियुक्ति इत्यादि। पूरी सूची 12वी पंचवर्षीय योजना में देखी जा सकती है।

- **माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के वित्तपोषण की व्यवस्थाएं विकसित की जानी चाहिएं।** निशुल्क शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने या कुछ छात्रों के लिए निशुल्क शिक्षा जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें सरकार कराधान के माध्यम से संसाधनों की उगाही करेगी। अन्य विकल्पों में प्रत्यक्ष मांग के आधार पर सब्सिडी एवं छात्रों के लिए आवश्यकता-आधारित छात्रवृत्ति के माध्यम से किया जाने वाला वित्तपोषण या सस्ते ऋण शामिल हैं। शिक्षा के वित्तपोषण की सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्थाएं निर्धारित करने के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिएं।

(ख) कौशल विकास और आजीवन शिक्षण को बढ़ावा देना : यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षा प्रणाली ऐसे अर्हता-प्राप्त व्यक्ति तैयार करे, जो स्वयं अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुसार अपने कौशलों को विकसित करने में सक्षम हों।

- कौशल विकास और आजीवन शिक्षण को बढ़ावा देने वाली महत्त्वपूर्ण व्यवस्था का अर्थ औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास कार्यक्रमों, साक्षरता और बुनियादी शिक्षा कार्यक्रमों जैसी **प्रणालियों के बीच पारस्परिक संबंध** विकसित करना है। राष्ट्रीय कौशल विकास अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) जैसे मानकीकृत अर्हता फ्रेमवर्क तथा व्यक्ति को विभिन्न शिक्षा एवं कौशल विकास कार्यक्रमों की अर्हता प्राप्त करने के साधन तैयार करना आवश्यक है। इसके लिए छात्र के प्रमाणन और संस्थाओं का सत्यापन करके मान्यता प्रदान करने संबंधी व्यवस्थाओं में सुधार करना भी आवश्यक था। इससे व्यक्ति एक शिक्षण प्रणाली को छोड़ दूसरी प्रणाली में शामिल होकर अपने विकास और नियोक्ता की आवश्यकताओं के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त कौशल सीख सकेंगे तथा अर्हता प्राप्त कर सकेंगे।
- शिक्षा प्रणाली में लचीलापन बढ़ाने तथा सामुदायिक कालेज डिग्री, उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को अंतरित किए जा सकने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण क्रेडिट इत्यादि जैसी नई प्रकार की शिक्षा शुरू करने की कई योजनाएं हैं। तथापि, 15 से 24 वर्ष तक की आयु के **युवाओं की**

शिक्षा को नियंत्रित करने वाली कोई व्यापक नीति या समन्वय फ्रेमवर्क नहीं है। इसे विकसित किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हों तथा उनमें प्रणाली में सुशासन, जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर दिया गया हो।

***

4.2 प्राथमिकता क्षेत्र 2 : रोजगार और कौशल विकास

4.2.1 वर्तमान स्थिति :

यह सुनिश्चित करने के लिए कि युवा रोजगार पाने के योग्य हों तथा श्रम की मांग व आपूर्ति के बीच कोई अंतर न आने पाए, युवाओं को ऐसे कौशल सीखने चाहिएं, जो रोजगार संबंधी जरूरतों के अनुरूप हों। औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, विशेषीकृत कौशल प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुधार जैसे उपायों से इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है तथा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि युवाओं को उनके कौशलों के अनुरूप पर्याप्त आय-अर्जन के अवसर प्राप्त हो सकें। साथ ही राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों को भी परिभाषित किए जाने और प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रमों को ऐसे मानकों के अनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता है। युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अपेक्षाकृत कम कुशल व्यक्तियों के लिए दो उद्देश्यों वाला दृष्टिकोण अपनाया है अर्थात (i)कौशल विकास में मदद देना और (ii)प्रत्यक्ष रोजगार कार्यक्रम चलाना।

भारत सरकार ने कौशल विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता मान लिया है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कौशल विकास का संस्थागत आधार तैयार करने के उद्देश्य से वर्ष 2008 की शुरुआत में तीन स्तरों वाली संस्थागत संरचना स्थापित की गई थी, जिसमें प्रधान मंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद(एनसीएसडी), राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड(एनएसडीसीबी) तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम(एनएसडीसी) शामिल हैं। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (एनएसडीपी) शुरू की, जिसमें वर्ष 2020 तक 500 मिलियन लोगों के कौशल विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जून, 2013 में राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) बनने पर अब इसी में एनसीएसडी, एनएसडीसीबी तथा प्रधान मंत्री के कौशल विकास सलाहकार कार्यालय को शामिल कर लिया गया है। एनएसडीए एक स्वायत्त निकाय है, जो 12वीं योजना तथा उसके बाद के लक्ष्यों की प्राप्ति के सरकार और निजी क्षेत्र के कौशल विकास प्रयासों के बीच समन्वय एवं तालमेल स्थापित करेगा तथा कौशल विकास में सामाजिक, क्षेत्रीय, महिला-पुरूष और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के प्रयास करेगा।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास तथा रोजगार के क्षेत्र में कई नई पहल की हैं। उदाहरण के लिए उक्त मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे उन्नत प्रशिक्षण संस्थान तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। उक्त मंत्रालय ने व्यावसायिक प्रशिक्षण के मूल्यांकन और प्रमाणन की मानक प्रणाली स्थापित की है तथा पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने के कार्य में उद्योगों की सहायता ली जा रही है। रोजगार कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से चलाई जा रही राष्ट्रीय रोजगार सेवा का आधुनिकीकरण करके इसे राष्ट्रीय कैरियर सेवा बनाया जा

रहा है तथा शिक्षुता व्यवस्था में भी काफी सुधार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त मंत्रालय राष्ट्रीय रोजगार नीति भी तैयार कर रहा है।

इसी प्रकार ग्रामीण विकास मंत्रालय भी हिमायत नामक योजना चला रहा है, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर में युवाओं को उन क्षेत्रों का त्रैमासिक कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिनकी मांग नियोक्ताओं में बहुत ज्यादा है, तथा प्रशिक्षण के बाद रोजगार दिलाया जाता है और रोजगार मिलने के बाद दी जाने वाली सहायता भी दी जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एनआरएलएम कार्यक्रम में भी ग्रामीण स्व-रोजगार के लिए आवश्यक कौशल सिखाने पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा भारतीय बैंक संघ ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए माडल शैक्षणिक ऋण योजना तैयार की है, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए ऋण दिए जाते हैं।

भारत सरकार ने उन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रोजगार योजनाएं भी शुरू की हैं, जिन क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसर सीमित हैं। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत श्रम सघन कार्यों में मजदूरी करने को इच्छुक सभी ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। कम कुशल व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिलाना तथा ईबीआर, एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में भर्ती करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देना प्रमुख चुनौती है।

4.2.2 भावी आवश्यकताएं

कौशल विकास प्रणाली में सुधार की भावी प्राथमिकताएं 12वीं योजना में सूचीबद्ध की गई हैं। इन प्राथमिकताओं में पीपीपी को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय कौशल विकास अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) कार्यान्वित करना, संस्थागत संरचना में सुधार करना, क्षेत्रीय समानता और प्रसार बढ़ाना तथा शिक्षुता कार्यक्रम में सुधार करना शामिल हैं। तीन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है, जिनमें (क) यह सुनिश्चित करना कि युवाओं को कौशल विकास के अवसरों का लाभ मिले, (ख) स्टेकहोल्डरों की भूमिकाओं को स्पष्टतः परिभाषित करना, तथा (ग) प्रणालियों तथा स्टेकहोल्डरों के बीच तालमेल का विकास करना शामिल हैं।

क) लक्षित युवा प्रसार और जागरूकता कार्यक्रम : कौशल विकास के तत्वावधान में आने वाले सभी कार्यकलापों में एनएसडीपी का युवा और प्रयोक्ता केंद्रित दृष्टिकोण शामिल किया जाना चाहिए।

- **युवाओं को लक्षित जानकारी प्राप्त होनी चाहिए** ,जो कि उन्हें उपलब्ध कौशल विकास और प्रशिक्षण के विभिन्न विकल्पों के विषय में हो। संस्थाओं की गुणवत्ता की जानकारी ,उदाहरण के लिए कार्यक्रम के बाद रोजगार दिलाने के स्कोरकार्ड ,पाठ्यचर्या के बेंचमार्क इत्यादि की आवश्यकता है और युवाओं को कौशल विकास के लाभ के विषय में मार्गदर्शन मिलना जरूरी है। युवाओं को कार्यक्रम के बाद रोजगार के विकल्पों संबंधी आंकड़े जरूर मिलने चाहिएं[19]। युवाओं को सस्ते ऋणों , कार्यक्रम के बाद रोजगार से जुड़े भुगतान के विकल्पों इत्यादि के रूप में उपलब्ध विभिन्न वित्तीय सहायता पैकेजों की जानकारी दी जानी चाहिए।
- युवाओं को जानकारी प्रदान करने के लिए **सर्वाधिक उपयुक्त नियोजन व्यवस्था का निर्धारण** जरूरी है। युवा प्रसार कार्यक्रमों की प्रभावोत्पादकता की निगरानी की जानी चाहिए तथा निरंतर लाभ प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कार्यनीतियों में अपेक्षित बदलाव किए जाने चाहिएं।

ख) विभिन्न प्रणालियों और स्टेकहोल्डरों के बीच संयोजन विकसित करना : शिक्षा प्रणाली तथा रोजगार बाजार के साथ कौशल विकास के समेकन को देखते हुए, विभिन्न प्रणालियों तथा स्टेकहोल्डरों के बीच संयोजन विकसित करना आवश्यक है।

- **प्रशिक्षण संस्थाओं और नियोक्ताओं के बीच** संयोजन विकसित किया जाना चाहिए। नियोक्ताओं को प्रशिक्षण पाठ्यचर्या के लिए इनपुट प्रदान करने चाहिएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि युवाओं के कौशल श्रम बाजार की जरूरतों के अनुरूप हों। इसी प्रकार प्रशिक्षण संस्थाओं को नियोक्ताओं से तालमेल करके छात्रों को कार्यक्रम के बाद रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिएं।
- **शिक्षा प्रणाली तथा कौशल विकास संस्थानों के बीच** संयोजन विकसित किया जाना चाहिए, ताकि ओओएस व्यक्ति जाब-रेडी कौशल सीख सकें और आगे चलकर जब चाहें तब वापस

[19] 12वीं योजना में क्षेत्र-वार आधार पर तात्कालिक जानकारी प्रदान करने के लिए श्रम बाजार सूचना प्रणाली प्लेटफार्म स्थापित करने की सिफारिश की गई है, ताकि प्रशिक्षुओं को सर्वाधिक उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का चयन करने में मदद मिल सके।

औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल हो सकें। एनएसक्यूएफ कार्यान्वित करने और विश्वविद्यालय की डिग्रियों और डिप्लोमाओं से बराबरी की प्रणाली विकसित करने से ही यह संभव होगा।

- **क्षेत्र-वार कौशल परिषदों, नियोक्ताओं और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच** संयोजन विकसित किया जाना चाहिए। इससे व्यावसायिक मानक परिभाषित करने, नियोक्ता की जरूरत के क्षेत्रों में संस्थानों की स्थापना करने और प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाने की सक्रिय और प्रगतिशील प्रतीत होने वाली प्रक्रिया तैयार होगी।

ग) सरकार और अन्य स्टेकहोल्डरों की भूमिका परिभाषित करना : कौशल विकास के पैमाने और युवाओं की रोजगार की जरूरतों को देखते हुए, गैर-सरकारी स्टेकहोल्डरों को सभी नीतियों के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। सभी स्टेकहोल्डरों की स्पष्ट भूमिकाएं परिभाषित की जानी चाहिएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्धारित कमियों की पूर्ति हो रही है।

- वित्त-पोषण के संबंध में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस पूरी कौशल विकास व्यवस्था के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र से वित्त-पोषण सहायता लेने की जरूरत होती है। सरकार को सीधे संस्थाओं अथवा छात्रों का वित्त-पोषण करना चाहिए तथा निजी वित्त-पोषण और नए छात्र ऋण पैकेज तैयार करने के लिए अनुकूल परिवेश भी तैयार करना चाहिए।
- प्रदायगी की दृष्टि से सरकार को यह निर्धारित करना चाहिए कि उसके धन का सर्वाधिक प्रभावी उपयोग किस तरीके से होगा। विकल्पों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन के माध्यम से क्षमता विकास में निवेश करना या प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में निवेश करके वास्तविक प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य निजी क्षेत्र पर छोड़ देना शामिल हैं।

उपर्युक्त उपाय करते समय कौशल विकास और रोजगार के संबंध में महिलाओं की जरूरतों पर उचित ध्यान देना जरूरी है। युवतियों का सशक्तीकरण संपूर्ण युवा सशक्तीकरण का महत्त्वपूर्ण

पहलू है। इसी प्रकार अन्य वंचित वर्गों के युवाओं की कौशल विकास और रोजगार संबंधी जरूरतों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

***

4.3 **प्राथमिकता क्षेत्र 3 : उद्यमशीलता**

4.3.1 वर्तमान स्थिति

युवाओं को भारत के आर्थिक विकास में उत्पादक योगदान करने के योग्य बनाने के लिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। फिलहाल लगभग 50% श्रम शक्ति स्व-नियोजित है[20], और 70 मिलियन लोग एसएमई में नियोजित हैं, जो कि संपूर्ण श्रम शक्ति का लगभग 15% है। कौशल विकास पर जोर दिए जाने से कुशल व्यक्तियों की संख्या और श्रम शक्ति में भागीदारी बढ़ने पर उद्यमियों की संख्या और बढ़ने की संभावना है।

ऐसा अनुकूल परिवेश तैयार करने के उद्देश्य से, जिसमें युवा स्व-रोजगार और उद्यमशीलता के स्थायी अवसर उत्पन्न कर सकें, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उन्हें उपक्रमों की योजना बनाने एवं कार्यान्वित करने और उपक्रमों को परिपक्व बनाने के लिए प्रशिक्षण, प्रारंभिक सहायता तथा वित्त-पोषण उपलब्ध हो।

भारत सरकार उद्यमियों को प्रशिक्षण और वित्त-पोषण उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं तथा कार्यक्रम चला रही है[21]। लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय(एमओएसएमई) द्वारा चलाया जा रहा प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(पीएमईजीपी) ऋण से जुड़ी सब्सिडी की सबसे बड़ी योजनाओं में शामिल है। इस योजना के तहत विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उद्यमी उपक्रम लगाने की लागत के लिए वित्त-पोषण किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन(एनआरएलएम) ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम चला रहा है, जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक प्रयोजनों के लिए पूँजी की उपलब्धता में काफी वृद्धि हुई है। व्यवसाय की योजना सोचने, तैयार करने, ऋण प्राप्त करने और योजना को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों की मदद करने के लिए एनआरएलएम के तहत सूक्ष्म-उद्यम परामर्शदाताओं (एमईसी) के संवर्ग को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान(आरएसईटीआई) स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

भारत सरकार की ये योजनाएं उद्यम शुरू करने की आकांक्षा रखने वालों की विभिन्न जरूरतों की पूर्ति करने के लिए शुरू की गई हैं और भारत में उद्यमशीलता के विकास के लिए ये योजनाएं जरूरी हैं। ये योजनाएं जनसमुदाय के अपेक्षाकृत बड़े वर्ग को ऋण सुलभ कराने, उद्यमशीलता के बुनियादी साधन प्रदान करने तथा उद्यमशीलता के सृजन एवं संवर्धन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने में ज्यादा सफल रही हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि एनआरएलएम एमईसी कार्यक्रम में देखा गया, केवल सस्ते ऋण उपलब्ध कराने या अल्पकालिक उद्यमशीलता प्रशिक्षण प्रदान करने की

[20] रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण की रिपोर्ट। श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

[21] कई मंत्रालय. लक्षित उद्यमशीलता कार्यक्रम चला रहे हैं, जिनमें लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय शामिल हैं। यहाँ सूचीबद्ध दो योजनाएं उद्यम लगाने के आकांक्षी उद्यमियों को उपलब्ध सहायता का स्वरूप दर्शाती हैं।

बजाए उद्यमियों की जरूरतों की पूर्ति हेतु पूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए इन योजनाओं की रूपरेखा में बदलाव किए जा रहे हैं। तथापि, मौजूदा योजनाओं की जाँच से पता चलता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें सुधार करके इन योजनाओं की प्रभावोत्पादकता बढ़ाई जा सकती है।

4.3.2 भावी आवश्यकताएं

ऐसे चार क्षेत्र हैं, जहाँ युवा उद्यमियों को और ज्यादा सहायता प्रदान करने के लिए मौजूदा उद्यमशीलता कार्यक्रमों में सुधार किए जा सकते हैं। ये क्षेत्र इस प्रकार हैं (क) प्रसार और जानकारी का प्रावधान, (ख) पैमाना और समावेशन, (ग) कार्यक्रम की गुणवत्ता और प्रासंगिकता तथा (घ) निगरानी और मूल्यांकन।

क) लक्षित युवा प्रसार कार्यक्रम : युवाओं को उन विभिन्न उद्यमशीलता योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए, जिन योजनाओं में वे शामिल हो सकते हैं, ताकि वे सही विकल्प का चुनाव कर सकें।

- उपर्युक्त जानकारी देने का एक तरीका तो यह है कि विभिन्न योजनाओं और उनमें से प्रत्येक के लाभ के विषय में **लक्षित सूचना कार्यक्रम** युवाओं के लिए तैयार किया जाए। यह जानकारी प्रदान करने के लिए जिस राष्ट्र-व्यापी नेटवर्क की सहायता ली जा सकती है, उस नेटवर्क का नाम है नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) के स्वयंसेवक। विभिन्न योजनाओं की जानकारी का जमीनी स्तर पर प्रचार करने के लिए विवरणिकाएं तथा जानकारियाँ इन स्वयंसेवकों को दी जानी चाहिएं।
- **पीएमईजीपी के कार्यान्वयन माडल में जागरूकता शिविरों के माध्यम से प्रसार शामिल है** और इन शिविरों में शुरू की जा सकने वाली परियोजनाओं के स्वरूप के विषय में प्रचार सामग्री बाँटी जाती हैं, संभावित प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम से स्नातक होने वाले सफल उद्यमियों से मिलाया जाता है तथा प्रतिभागिता के लाभ के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए एनवाईकेएस स्वयंसेवकों तथा जमीनी स्तर के अन्य संगठनों की सहायता ली जाती है। यह जानने के लिए इस माडल का मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि क्या यह माडल इतना प्रभावी है कि इसका अनुकरण किया जा सकता है।

ख) क्षमता बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना : भारत सरकार के विभिन्न उद्यमशीलता कार्यक्रमों के पैमाने और बजट में काफी अंतर है[22]। यह आवश्यक है कि विभिन्न उद्यमशीलता विकास और प्रशिक्षण संस्थानों का पर्याप्त क्षमता विकास किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि उद्यमशीलता के वित्त-पोषण की योजनाओं का बजटीय आबंटन संभावित मांग की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त हो।

- **मौजूदा योजनाओं की समीक्षा इस उद्देश्य से की जानी चाहिए** कि न केवल अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता निर्धारित की जाए, बल्कि इन योजनाओं के भौगोलिक और जनसांख्यिकीय प्रसार को भी समझा जाए। भारत सरकार राज्य सरकारों, सामाजिक संगठनों और निजी भागीदारों के साथ मिलकर उन क्षेत्रों में भी इन योजनाओं का विस्तार करने का प्रयास कर सकती है, जिन क्षेत्रों में फिलहाल इन योजनाओं की पहुँच बहुत सीमित या बिल्कुल भी नहीं है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विशेषकर सामाजिक-आर्थिक कारकों, विकलांगता, महिला होने के कारण या अन्य कारणों से वंचित युवा भी इन योजनाओं में पूरी भागीदारी कर सकें।
- **यह समझने के लिए विभिन्न शिक्षुता माडलों पर विचार किया जाना चाहिए** कि सफल उद्यमी कैसे आकांक्षी युवा उद्यमियों में आवश्यक कौशल, अनुभव और 'व्यवसाय संबंधी' संपर्क सूत्र विकसित करने में उनकी मदद कर सकते हैं। इस क्षेत्र में बहुत सफल रहे जर्मनी जैसे देशों के अनुभव से काफी कुछ सीखा जा सकता है।

ग) युवा उद्यमियों के लिए कस्टमाइज्ड कार्यक्रम तैयार करना :

चल रही उद्यमिता प्रशिक्षण योजनाओं की समीक्षा की जा सकती है और इन्हें सुदृढ़ किया जा सकता है। दिए गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता और युवाओं के लिए इसकी प्रासंगिकता का आकलन करने की भी जरूरत है।

- अपने-अपने जनसांख्यिकी प्रोफाइल, कौशल, अनुभव और व्यावसायिक विचारों के मायने से उद्यमी एक गैर-सदृश समूह हैं। पाठ्यक्रम की समीक्षा तथा युवा विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल

[22]एमएसएमई के परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज(आरएफडी) में उल्लिखित है कि एमओएसएमई द्वारा चलाए जा रहे उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों के तहत वर्ष 2009-10 में 2.9 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया। पीएमईजीपी से 2.67 लाख लोगों को रोजगार मिला तथा राजीव गाँधी उद्यमी मित्र योजना(आरजीयूएमवाई) से पहली पीढ़ी के 4000 उद्यमियों को सहायता प्राप्त हुई।

को तैयार करने या इसके संभावित कस्टमाइजेशन की जरूरत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए अध्ययन से प्रमाणित होती है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि हालांकि आरएसईटीआई प्रशिक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की औसत आयु 22 वर्ष है, पहली पीढ़ी के छोटे उद्यमियों की औसत आयु 40 वर्ष है और अपेक्षाकृत अधिक उम्र के प्रशिक्षु स्व-रोजगार में तेजी से लिप्त हो जाते हैं।

- व्यावसायिक आयोजना और निष्पादन की दृष्टि से ऐसे युवा भागीदारों जिनमें उद्यमी बनने हेतु आत्मविश्वास, राशि और संपर्कों की कमी है को **कार्यक्रम के पश्चात विशिष्ट सहायता** दी जा सकती है जिनमें अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सके। एनआरएलएम तथा स्व-रोजगार के अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत इसे शुरू किया जा सकता है।

घ)व्यापक निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली क्रियान्वित करना : इस बात की आवश्यकता है कि योजनाओं में सुदृढ़ निगरानी, डाटा एकीकरण और मूल्यांकन तंत्र हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन योजनाओं के लक्ष्य पूरे हो रहे हैं और उद्यमी बनने की आकांक्षा रखने वाली आबादी के कतिपय लोगों के हित पूरे हो रहे हैं।

- एमएसएमई 'सर्वे, अध्ययन और नीतिगत अनुसंधान की योजना' मॉडल की समीक्षा की जा सकती है और इसके सफल साबित होने पर अन्य मंत्रालय योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (PEO) और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (PEO) से उचित सहायता प्राप्त करके इसे अपना सकते हैं।

***

4.4 प्राथमिकता क्षेत्र 4 : स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवनशैली

4.4.1 वर्तमान स्थिति :

स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा के लिए अनिवार्य है और सभी व्यक्तियों के पास उसके वहन योग्य स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं होनी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों में कमी और खराब स्वास्थ्य की वजह से आमदनी से ज्यादा खर्च ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना युवा सहित आबादी के सभी वर्गों को करना होता है और इसका समाधान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कुछेक युवा विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हैं जिनके लिए लक्षित दुष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। इनमें (क) अनियमित जीवनशैली की वजह से युवा वयस्कों को होने वाली गैर-संक्रामक बीमारियों अर्थात मोटापा, कार्डिओवैस्कुलर रोग, मधुमेह, स्ट्रोक, फेफड़े की गंभीर बीमारी, कैंसर इत्यादि का सामना करने के लिए युवाओं में स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा दिया जाना। (ख) विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन, गर्भ-निरोध, एसटीडी, एचआईवी/एड्स और नशीले पदार्थों का सेवन के

बारे में जानकारी फैलाना और (ग) किशोर युवकों के मामले में भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य (उदाहरण के तौर पर डिप्रेशन तथा आत्महत्या के संभावित प्रयासों का जोखिम) से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जाना शामिल है।

स्वास्थ्य देख-रेख संबंधी व्यवस्था को पर्याप्त ढंग से बेहतर बनाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए वित्तपोषण को तिगुना कर दिया गया है। 12वीं योजना के तहत जन स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे को बढ़ाने का प्रयास किया गया है कि ताकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जरिए सर्वव्यापी स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। इस संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, निजी क्षेत्र के समूहों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अनेक पहलें की गई हैं।

मुख्य उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- मुख्यत: जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), विश्वसनीय सामाजिक स्वास्थ्य कर्मी (आशा) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएलएम) से प्राप्त सहायता से प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसी योजनाओं के सफल होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मातृत्व मृत्यु दर (एमएमआर) में कमी आई है।

- पोलियो उन्मूलन की दिशा में भारत ने भारी सफलता हासिल की है।

- रोग नियंत्रण उपायों के कारण देश में एचआईवी/एड्स संक्रमण के मामले में 57 प्रतिशत की कमी आई है।

- राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम 70 प्रतिशत मामले की जांच दर और उपचार में 85 प्रतिशत सफलता दर के लक्ष्य को हासिल कर पाने में समर्थ रहा है।

- गैर-संक्रामक रोगों के संबंध में, कैंसर, मधुमेह, सीवीडी और स्ट्रोक्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत मधुमेह और हाइपरटेंशन की जांच शुरू की गई है।

- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत एम्स जैसे 6 संस्थानों की स्थापना किए जाने और 13 मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन किए जाने से मेडिकल प्रशिक्षण और शिक्षा की सुविधा बढ़ी है। राज्य सरकार स्तर के 72 मेडिकल कॉलेजों को भी सुदृढ़ किया गया है।

इन कार्यक्रमों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रमों के बावजूद विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों में उपलब्धियों में अंतर है और अनेक लक्ष्य अधूरे हैं। सभी स्तरों पर सेवा प्रदायगी व्यवस्था में सुधार की जरूरत है।

4.4.2 भावी आवश्यकताएं

क) उन्नत सेवा प्रदायगी : सर्वव्यापी स्वास्थ्य देख-रेख सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, सबसे पहले बुनियादी स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं बहाल करना अनिवार्य है।

- देश भर में व्यक्तियों के लिए विशेषकर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के **स्वास्थ्य संबंधी देख-रेख की पर्याप्त सुविधा** सृजित की जाएगी। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख (पीएचसी) सुविधाओं के प्रभाव की समीक्षा करने की जरूरत होती है और जहां कहीं मौजूदा कार्यनीतियां अप्रभावी सिद्ध होती हैं वहां कार्यान्वयन के दौरान ही सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

- मेडिकल कॉलेजों और प्रशिक्षण संस्थाओं का विस्तार करते हुए **डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों का एक विशाल प्रशिक्षित पूल** बनाए जाने की आवश्यकता है। उन्हें दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा करने के लिए वित्तीय रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि इस व्यवस्था में समानता को बढ़ावा दिया जा सके। आंगनबाड़ी कर्मियों, आशा कर्मियों और स्वास्थ्य से जुड़े अन्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों को हब के रूप में विकसित किए जाने की जरूरत है। प्रशिक्षण केंद्रों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना में निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी से अत्यधिक बोझ से दबे सरकारी तंत्र और संसाधनों को मदद मिल सकती है।

- **महिला युवतियों से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों** पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसमें 14-18 वर्ष की नाजुक उम्र में महिलाओं के लिए प्रसव-पूर्व और प्रसव के पश्चात देख-रेख करने, मातृत्व और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, बाल लिंग अनुपात को बढ़ाने के लिए महिला भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान चलाने इत्यादि की आवश्यकता होगी।

ख) युवाओं के लिए लक्षित जागरूकता कार्यक्रम : स्वास्थ्य देख-रेख संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता को बढ़ाने के अलावा स्वास्थ्य संबंधी विशिष्ट मुद्दों पर लक्षित जागरूकता

कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाएंगे। युवाओं को उत्तम पोषण और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की शिक्षा दी जाएगी। युवकों को निरोधी स्वास्थ्य देख-रेख के लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी। युवाओं को ड्रग्स/नशीले पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में भी जानकारी दिए जाने की जरूरत है। विद्यालयों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य और पोषण को शामिल करने से इस लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। मौजूदा अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र(पीएचसी) सुविधाएं, आंगनवाड़ी केंद्र और गैर-सरकारी संगठन ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में अपनी व्यापक पहुँच के जरिए इस संबंध में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस प्रकार की जागरूकता सृजित करने में, बढ़ते हुए किशोर(सक्षम योजना के अंतर्गत) और एनएसएस एवं एनवाईकेएस के अंतर्गत युवा स्वयंसेवी भी अत्यंत प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।

ग) युवाओं के लिए लक्षित रोग नियंत्रण कार्यक्रम : युवाओं में जानकारी की कमी और निरोधात्मक देख-रेख की कम सुविधा की वजह से एचआईवी/एड्स और टीबी होने का खतरा बना रहता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय जागरूकता और उपचार कार्यक्रम तैयार करके इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। रोग की जांच, नियंत्रण और जागरुकता कार्यक्रमों का दायरा बढ़ाने के लिए एनआरएचएम, एनएसीपी और मौजूदा एनजीओ कार्यक्रमों का विस्तार किया जा सकता है। विशेष रूप से गर्भवती और उच्च जोखिम वाले अन्य समूहों के लिए संक्रामक रोगों की जांच और उपचार के लिए संवर्धित क्षमता का विकास किया जाएगा।

***

4.5 प्राथमिकता क्षेत्र 5 : खेल

4.5.1. वर्तमान स्थिति

खेल और मनोरंजक क्रियाकलाप युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास का एक अनिवार्य घटक है। खेलों से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास होता है। इससे स्वस्थ जीवनशैली अपनाने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि युवक सामाजिक कार्य से जुड़े हैं और समाज के लिए लाभदायक हैं। खेलों में भाग लेने से प्रतिस्पर्धा और मिलजुल कर कार्य करने की भावना पनप सकती है जिससे युवाओं के समग्र विकास में मदद मिलती है। खेलों को उत्तरोत्तर रूप से एक व्यवहार्य पेशेवर विकल्प के रूप में भी माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजनों में देश का प्रतिनिधित्व करने से राष्ट्र का गौरव बढ़ता है और युवाओं में अपनापन और राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करने में मदद मिलती है।

न केवल सरकार ने बल्कि खेल संघों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और गैर-सरकारी संगठनों जैसे विभिन्न स्टेकहोल्डरों ने भी युवाओं के विकास में साहसिक खेलों सहित खेलों की भूमिका को स्वीकार दिया है। ये संगठन कुल मिलाकर युवाओं को खेल संबंधी बुनियादी सुविधाएं, कोचिंग और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और एक अनुकूल माहौल बनाने पर विशेष ध्यान देते हैं। कुछ विशिष्ट नवीन पहलें इस प्रकार हैं :

- **खेलों को मजबूत आधार प्रदान करना :** सरकार शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रो में खेलों और कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराते हुए खेल को मजबूत आधार प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस कार्य को पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए) (जिसे अब राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए) कहा जा रहा है), नेशनल प्लेईंग फील्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनपीएफएआई) और विभिन्न स्तरों पर शहरी आधारभूत सुविधाओं के सृजन की योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। आरटीई अधिनियम में भी सभी विद्यालयों में खेल के मैदानों और क्रीड़ात्मक सुविधाएं उपलब्ध करने का अधिदेश दिया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), राष्ट्रीय खेल संघ और राज्य स्तरीय संगठन जैसे संगठन भी कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने, प्रतिस्पर्धा का आयोजन करने, प्रतिभा वाले खिलाड़ियों का चयन करने और उनके विकास में मदद करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स (एनआईएस) और लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजीकल एजुकेशन (एलएनआईपीई) खेल के क्षेत्र में स्नातक और परा-स्नातक स्तरों पर शिक्षण पाठ्यक्रम मुहैया कराते हैं।

- **खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना :** खेल संबंधी आधारभूत सुविधाओं और कोचिंग सुविधाओं में निवेश की वजह से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों का

प्रतिनधित्व बढ़ा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) स्पेशल एरिया गेम्स (एसएजी) और साई प्रशिक्षण केंद्र (एनटीई) विभिन्न स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों को एक आधार और प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया कराते हैं। इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न स्तरों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को वित्तीय प्रोत्साहन और अवार्ड प्रदान करती हैं।

4.5.2 भावी आवश्यकताएं

विभिन्न स्टेकहोल्डरों द्वारा देश में खेल के विकास के लिए सहायता प्रदान करने के प्रयासों के बावजूद, चीन जैसे देशों की उत्कृष्टता और भागीदारी के स्तरों की बराबरी करने के लिए पर्याप्त प्रगति करनी होगी।

क) खेल सुविधाओं और प्रशिक्षण को बढ़ाना : विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के निर्धनतम हिस्सों में खेल और शारीरिक शिक्षा के अवसरों की उपलब्धता अभी भी काफी कम है। खेल संबंधी आधारभूत सुविधाओं के विकास और रख-रखाव के प्रति लक्षित पीवाईकेकेए(जिसे अब आरजीकेए कहा जा रहा है) और एनपीएफएआई जैसी योजनाओं को ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की सहायता से और अधिक सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है। विशेषकर विद्यालयों, कालेजों और सामुदायिक क्षेत्रों में खेल के मैदानों का निर्माण करने और खेलों की सुविधाएं प्रदान करने में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए निजी क्षेत्र के संगठनों को वित्तीय रूप से प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

ख) युवाओं में खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देना : देश में खेल संबंधी क्रियाकलापों में भागीदारी का वर्तमान स्तर चीन या क्यूबा जैसे देशों की तुलना में काफी कम है। युवाओं में खेलों की संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। युवाओं को इस तरह से योग्य बनाया जाएगा कि वे खेलों को केवल एक मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप न मानते हुए इसे जीविका का संभावित विकल्प भी मानें। इसके लिए विद्यालय और कॉलेज स्तरों के पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में खेल संबंधी क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत होगी। राज्य सरकारों, शिक्षा बोर्डों और नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) के कार्यक्रमों के स्तर को उठाया जाएगा और इसके बाद ही मौजूदा अवसंरचना को सुदृढ़ करके औपचारिक शिक्षा प्रणाली में खेलों को समाविष्ट किया जा सकता है।

ग) प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए सहायता और उनका विकास : खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभा की खोज, कोचिंग, प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी और वित्तीय प्रोत्साहन की व्यवस्था के लिए एक तटस्थ चैनल तैयार किए जाने की जरूरत है। युवाओं का बहुत बड़ा हिस्सा और राष्ट्र की खेल प्रतिभा ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। इसलिए खेलों और सुविधाओं की सीमित उपलब्धता के साथ क्षेत्रों में अत्यधिक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का निर्धारण करके उन्हें प्रशिक्षण

प्रदान करने के लिए एक सक्रिय मॉडल तैयार करना अनिवार्य है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए साई, विभिन्न खेल संघों, राज्य स्तरीय संगठनों और स्थानीय संस्थाओं के साथ समन्वय और सहयोग की जरूरत पड़ती है।

***

4.6. प्राथमिकता क्षेत्र 6 : सामाजिक नैतिकता को बढ़ावा देना

4.6.1 वर्तमान स्थिति

युवा राष्ट्र के भविष्य हैं और आने वाले वर्षों में वे राष्ट्र के अगुवा बन जाएंगे। इसलिए, यह अनिवार्य है कि युवाओं में उच्च स्तर की सामाजिक नैतिकता और नैतिक मूल्य हों।

- भारत सजातीयता, धर्म, भाषा, जाति और संस्कृति की दृष्टि से विविधतापूर्ण देश है। इस विविधता के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक असमानता और उग्रवाद की समस्या भी है जिनमें एक साथ इस समाज को विभाजित करने की क्षमता है। इसलिए, युवावस्था से ही व्यक्तियों में सौहार्द और भाई-चारे की भावना उत्पन्न करना अनिवार्य है।

- आंतरिक नैतिक मूल्य अर्थात करुणा, दया, सहृदयता, सहानुभूति और परानुभूति को विकसित करना भी आवश्यक है। समाज में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार इस तथ्य को इंगित करता है कि युवाओं में ईमानदारी और सच्चाई की भावना उत्पन्न करने की सख्त जरूरत है। उन्हें अलग-अलग और सामूहिक क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

- बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण और प्रदूषण के साथ, युवाओं को पर्यावरण की सुरक्षा और बेहतरी के बारे में संवेदनशील बनाना और अन्य सजीव जंतुओं के लिए करुणा की भावना विकसित करना भावी स्थायित्व के लिए अनिवार्य हो चुका है।

- युवाओं को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे देश की परंपरागत कला और संस्कृति का आदर करें। समृद्ध और अनमोल भारतीय कला और संस्कृति को बचाने के लिए युवाओं को इसके प्रोत्साहन, संरक्षण और अभिग्रहण में सक्रिय रूप से शामिल होना होगा।

नैतिक शिक्षा केवल सरकार और शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी नहीं है। यह परिवार के साथ घर में शुरू होती है और सोसायटी इसमें समान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कक्षा में दी गई शिक्षा और सोसायटी की बेहतरी के लिए किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों में तैनात करके किसी भी व्यक्ति को नैतिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। कुछ विशेष नवीन पहलें इस प्रकार हैं :

- नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने में शिक्षा की भूमिका पर शिक्षण नीतियों में लगातार बल दिया गया है। हाल ही में एनसीईआरटी ने नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क और द फ्रेमवर्क और वैल्यूम एजुकेशन इन स्कूल्स की शुरूआत की है। नैतिक शिक्षा प्रदान करने का विचार

सतत और व्यापक मूल्यांकन योजना के अंतर्गत शुरू किए शिक्षण सुधारों के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। इस फ्रेमवर्क के विद्यालयों में नैतिक शिक्षा के लिए व्यापक और व्यावहारिक दृष्टिकोण का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। विद्यालयों की विभिन्न जरूरतों, संदर्भों और संसाधनों के हिसाब से कमरे का कस्टमाइजेशन करना संकेतात्मक है, आदेशात्मक नहीं। एनसीईआरटी ने विद्यालय व्यवस्था में सभी स्तरों पर नैतिक शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए नोडल केंद्र बनाए हैं।

- ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, रक्त दान, टीकाकरण, आपदा प्रबंधन इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यकलापों में युवकों को काम पर लगाए जाने के लिए राष्ट्रीय सेवा स्कीम (एनएसएस) एनवाईकेएस और एनसीसी जैसे संगठनों को शामिल किया जाता है। इनमें युवाओं में राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने और राष्ट्रीय एवं सामाजिक नैतिक मूल्यों का विकास करने की क्षमता है।
- अन्य सरकारी योजनाएं/कार्यक्रम भी हैं जो नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करते हैं। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी) एक योजना चला रही है जिसके अंतर्गत युवाओं को प्राचीन स्मारकों/स्थलों, संग्रहालयों इत्यादि का भ्रमण कराया जाता है - जो युवाओं को देश की समृद्ध परंपरा की जानकारी देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। सक्षम योजना (11-18 वर्ष की आयु के किशोर बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए), का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ युवाओं के मन में महिलाओं के प्रति आदर की भावना बैठाना और उन्हें राष्ट्र का निर्माण करने वाले क्रियाकलापों में शामिल करना है। इसी प्रकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के 'अहिंसा संदेशवाहक' कार्यक्रम में महिलाओं के लिए आदर बढ़ाने और महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने का प्रयास किया जाता है।

4.6.2 भावी आवश्यकताएं

सामाजिक नैतिकता को बढ़ावा देने और देश के युवाओं में सौहार्द की भावना बढ़ाने के मुद्दे पर ठोस कदम उठाये जाने की जरूरत है।

क) नैतिक शिक्षा को औपचारिक रूप देने की दिशा में किया गया प्रयास : विद्यालयों में नैतिक शिक्षा संबंधी फ्रेमवर्क में विद्यालयों के लिए छात्रों के सर्वांगीण विकास और नैतिक शिक्षा के प्रावधान से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देशों का खुलासा किया गया है। तथापि, विद्यालय और कॉलेज के सभी स्तरों पर नैतिक मूल्य का प्रशिक्षण देने की औपचारिक प्रणाली तैयार करने और इसे व्यक्तिगत

निष्पादन मूल्यांकन का अनिवार्य घटक बनाए जाने की जरूरत है। औपचारिक शिक्षण पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र, सिविल कानून और संहिता पर अधिक जोर दिए जाने की जरूरत है।

ख) युवाओं के लिए विनियोजन कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण : युवाओं में अपनापन, भाईचारा और सौहार्द की भावना उत्पन्न करने में एनएसएस, एनवाईकेएस, एनसीसी जैसे कार्यक्रम काफी सफल रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दायरे को बढ़ाए जाने और सुदृढ़ किए जाने तथा युवाओं को नैतिक मूल्य की शिक्षा प्रदान करने पर अधिक से अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

ग) नैतिकता और सौहार्द बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को सहायता : नैतिक शिक्षा से जुड़े सभी मुद्दों का पूरी तरह समाधान कर पाना सरकार और शिक्षा व्यवस्था के लिए संभव नहीं है। कुल मिलाकर सामाजिक समूह और सोसायटी युवाओं में सामाजिक नैतिक मूल्य और सौहार्द के बारे में बताने और इसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक व्यक्ति को इन संगठनों द्वारा किए जा रहे कार्यों को बढ़ावा देने और इसमें सहायता प्रदान करने का कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार युवाओं में भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले संगठनों को प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान की जाएगी।

***

4.7 प्राथमिकता क्षेत्र 7 : सामुदायिक विनियोजन

4.7.1. वर्तमान स्थिति

आबादी में एक बहुत बड़ा हिस्सा युवाओं का है जिन्हें सामुदायिक सेवा और विकास कार्यक्रमों के लिए एकजुट किया जा सकता है। एक ओर तो सामुदायिक सेवा स्कीमों में भाग लेकर युवा पिछड़े क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर विकास के लिए किए गए प्रयासों में अपना योगदान देते हैं और वहां की प्रगति में सहायता करते हैं। साथ ही, इन पहलों से युवा में उनके खुद के कौशल अर्थात संप्रेषण, नेतृत्व पारस्परिक संपर्क को बढ़ाने में मदद मिलती है और उनमें नैतिक जिम्मेदारी और राष्ट्र के प्रति स्वामित्व की भावना विकसित होती है।

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (एमओवाईएएस) युवाओं को उनके समुदाय के साथ विनियोजित करने और साथ ही जमीनी स्तर पर विकास कार्य में भागीदारी कर पाने में सक्षम बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाता है इनमें से कुछ योजनाएं है- एनवाईकेएस, एनवाईपीएडी और एनएसएस। इन योजनाओं में अलग-अलग युवा वर्गों और भागीदारी का अलग-अलग मॉडल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की योजनाओं के अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के भारत निर्माण स्वयंसेवी (बीएनवी) कार्यक्रम जैसी अनेक सरकारी योजनाएं हैं। बीएनवी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे ऐसे लगनशील स्वयंसेवी हैं जो लोगों को उनके अधिकारों और हकदारियों के बारे में जानकारी देने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार, एनआरएलएम के अंतर्गत सामुदायिक कर्मियों के सृजित किए गए पद उनके लिए पर्याप्त आय का माध्यम बनने के साथ-साथ उन्हें विकास कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करते हैं।

देश के विभिन्न हिस्सों में (पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित) ऐसे अनेक समुदाय-आधारित युवा संगठन हैं जो सामुदायिक विकास की दिशा में कार्य कर रहे हैं। स्वच्छ ईंधन के उपयोग से लेकर मानव तस्करी को रोकने एवं पुनर्वास करने तक के मुद्दों के संबंध में देशभर में गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संगठनों, कॉरपोरेट निकायों को उनके सीएसआर कार्यक्रमों तथा सामाजिक उद्यमिता के जरिए विनियोजित किया जाता है। इनमें से अनेक संगठनों में युवा स्वयंसेवी और युवा कर्मचारी हैं।
सामुदायिक विनियोजन को संस्थागत बनाए जाने और योजना की रूपरेखा तैयार करने तथा उन्हें इस प्रकार से स्ट्रीमलाइन बनाए जाने की जरूरत है, ताकि वे गैर-सजातीय युवा आबादी की जरूरतों को पूरा कर सकें।

4.7.2 भावी आवश्यकताएं

क) मौजूदा सामुदायिक विकास संगठनों (सीडीओ) के दायरे को बढ़ाना और उन्हें प्रोत्साहित करना : हालांकि सरकार को ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन को जारी रखना चाहिए जो काफी अधिक सफल रही है, किंतु इससे आगे जाकर उन्हें ऐसे अनेक संगठनों के दायरे को बढ़ाना चाहिए जो कि पहले से ही सामुदायिक विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। इससे देश में युवा समुदाय को काम पर लगाए

जाने का दायरा कई गुणा बढ़ जाएगा तथा इसमें जमीनी स्तर पर सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं।

- एनजीओ या सीडीओ के प्रत्यायन या प्रमाणन के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाना चाहिए। इससे वित्तपोषी एजेंसियों और युवा स्वयंसेवियों को उनकी जरूरतों के आधार पर सबसे उपयुक्त संगठनों को चयन करने में मदद मिलेगी। इससे ऐसे संगठनों को बढ़ावा दिया जा सकता है जिनके लक्ष्य स्पष्ट रूप से तय किए गए हैं और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में जिनका रिकार्ड अच्छा है।

- स्वयंसेवी एक्सचेंज मंच तैयार किया जाना चाहिए। इस मंच के माध्यम से सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के इच्छुक युवा भारतीयों की पहचान की जा सकती है। इसी प्रकार, इस क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठन जिन्हें युवा स्वयंसेवियों या कर्मचारियों की जरूरत है, अपनी जरूरतें पोस्ट कर सकते हैं। इससे संगठनों के साथ स्वयंसेवियों की प्रभावी तरीके से मैचिंग करने में मदद मिलेगी।

- **आपदा से निपटने वाले कार्यकलापों में युवाओं की भागीदारी को संस्थागत बनाना :** स्थानीय युवा अपनी ऊर्जा और समीपता की वजह से किसी भी प्रकार के बचाव एवं आपदा राहत क्रियाकलाप में अनिवार्य रूप से सबसे पहले आगे आते हैं। मुसीबत के समय मिलजुल कर किया जाने वाला इस प्रकार का क्रियाकलाप न केवल दोस्ताना व्यवहार और नेतृत्व की भावना बढ़ाता है बल्कि इसके साथ ही पीड़ित व्यक्तियों को अत्यंत आवश्यक सहारा भी प्रदान करता है। इसमें ऐसी संरचनाएं बनाए जाने की जरूरत है जो कि इस अन्तर्हित संसाधन का उपयोग करे और उपयुक्त प्रशिक्षण के जरिए और साजो-सामान से लैस करके उनकी पूरी क्षमता को काम में लगाए तथा राज्य आपदा राहत तंत्र के प्रयासों के साथ उनके प्रयासों को समन्वित करे। देश के प्रत्येक राज्य और जिले में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है जैसा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा अधिदेशित है। सिविल डिफेंस एक्ट, 1968 में भी संशोधन किए गए हैं ताकि 'आपदा प्रबंधन' को इसके दायरे में शामिल किया जा सके। इसके अलावा, पंचायतें भी आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन तंत्रों के जरिए युवाओं को आपदा से निपटने वाले क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से शामिल किया जा सकता है।

- इसी प्रकार, सामुदायिक सौहार्द बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के कार्य में भी युवाओं की अन्तर्हित क्षमता और ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

- पंचायती राज संस्थाओं जो कि स्थानीय स्वशासन में अपनी बढ़ती हुई भूमिका बेहतर ढंग से निभा रही हैं, के जरिए निर्माणकारी क्षेत्रों में भी युवाओं की क्षमताओं का उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर अभियान चलाना और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद करना शामिल होगा।

ख) सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देना : भारत में ऐसे सामाजिक उद्यमियों की संख्या बढ़ रही है जिनका यह मानना है कि वे खुद को फायदा पहुंचाने के साथ-साथ जमीनी स्तर पर स्थायी विकास कर सकते हैं। सामाजिक उद्यमिता का दायरा अलग-अलग है और इनमें से अधिकांश अव्यवस्थित हैं तथा सरकार को चाहिए कि वे सामाजिक उद्यमिता के लिए एक सहायक माहौल तैयार करें।

- युवा भारतीयों के लिए रोजगार के आकर्षक प्रस्ताव के रूप में सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा दिए जाने से स्वयंसेवा और लोकोपकार से हटकर स्थायी विकास किया जा सकेगा। इससे सामुदायि विकास का स्वरूप बदल सकता है और युवाओं को अल्पावधि विकल्प के स्थान पर जीविका का स्थायी विकल्प प्राप्त हो सकता है।

- सामाजिक उद्यमियों को प्रारंभिक वित्तपोषण और परोपकारी निवेश के रूप में सहायता की जरूरत होती है। सरकार ऐसी सहायक नीतिगत व्यवस्था बना सकती है जो कि इन निधियों के सृजन में मदद करे। यह समर्थन प्रक्रिया के माध्यम से विश्वसनीय उपक्रमों और पूंजीपतियों के निर्धारण में मदद कर सकती है। वह सहायता अनुदान और अवार्ड कार्यक्रमों के जरिए सामाजिक उद्यमियों को उनके कार्य निष्पादन के लिए इनाम भी दे सकती है। इन रिकार्डों से युवाओं को सामाजिक उपक्रम में एकजुट किया जा सकता है।

- सरकार सामाजिक उद्यमियों, स्थानीय समुदायों, निवेशकों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद का माध्यम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सामाजिक उपक्रमों की जनसभाएं बुलाई जा सकती है जिससे सफल मॉडलों के बारे में जानकारी साझा करने, जटिल नीतिगत माहौल में मार्गदर्शन करने में मदद मिल सकती है और इससे उपक्रमों में पूर्वापरक संपर्क को बढ़ाया जा सकता है। सामाजिक उद्देश्य वाले संगठनों के लिए प्राथमिकता आधार पर उनके कार्य में आने वाली अड़चनों को दूर करने से और अधिक सामाजिक उपक्रम भी तैयार किए जा सकते हैं।

***

4.8. प्राथमिकता क्षेत्र 8 : राजनीति और शासन में भागीदारी

4.8.1. वर्तमान स्थिति

आबादी में 27.5 प्रतिशत हिस्सेदारी युवाओं की है, इस बात को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि उनका प्रतिनिधित्व किया जाए और वे सभी स्तरों पर राजनीति में हिस्सा ले सकें। युवाओं की भागीदारी और राजनीति, लोकतंत्र, जवाबदेही और शासन संबंधी सभी मुद्दों में उन्हें शामिल करने से देश के भावी नेताओं की एक योग्य पीढ़ी तैयार करने में मदद मिलेगी।

चूंकि सरकारी योजनाओं की संख्या और लाभार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से दिए जाने वाले लाभों में वृद्धि हो रही है, इसलिए इस बात को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि नागरिक वर्ग सक्रिय बने रहे और लीकेज को रोकने में जुटे रहे। 11वीं योजनावधि की तुलना में 12वीं योजनावधि में जमीनी स्तर पर सामाजिक एकजुटता के महत्व पर और जोर देते हुए पीआरआई को दी जाने वाली निधियों में 10 गुणा वृद्धि की गई है और यह राशि 636 करोड़ रु. से बढ़कर 6437 करोड़ रु. हो गई है। काम में लगाया गया नागरिक वर्ग जवाबदेही बढ़ाने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद करेगा और इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मदद मिल सकती है। देश भर में विकास संबंधी परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं की जवाबदेही बढ़ाने और इसके कार्यान्वित पर नजर रखने वाले संसाधन के रूप में युवाओं की सेवाएं ली जा सकती हैं।

पंचायती राज मंत्रालय राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना चला रहा है जिसके अंतर्गत युवाओं और पहली बार निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमताएं बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी केंद्रीय योजनाओं के संचालन एवं निगरानी में युवा भागीदारी बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलोशिप (पीएमआरडीएफ) के माध्यम से युवाओं को देश के आईएपी जिलों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन और निधियों के उपयोग में सहायता करने के लिए सहयोगित किया गया है। चुनाव आयोग चुनावों में युवा मतदाताओं को पंजीकृत कराने और मत डलवाने के लिए आउटरिच प्रोग्राम चलाता है, और इसके जरिए राजनीति और लोकतंत्र में युवा भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है।

शासन के निचले स्तरों पर युवा भागीदारी पर विशेष ध्यान दिए जाने और छात्रों एवं युवा राजनैतिक पार्टियों के युवा वर्ग को राष्ट्रीय पार्टियों में शामिल करने वाले स्पष्ट राजनैतिक प्रोत्साहन के बावजूद राजनीति और शासन में युवा भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बहुत कम समन्वित कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों जैसे मौजूदा कार्यक्रमों में राजनैतिक व्यवस्था में और अधिक युवाओं को शामिल करने की बजाए ऐसे युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो पहले से ही निर्वाचित नेता हैं या किसी और तरह से राजनीति से जुड़े हैं।

सिविल सोसायटी समूह अक्सर सरकार के साथ भागीदारी के माध्यम से इन कमियों को दूर करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तथापि बगैर किसी समन्वित प्रेरणा और स्पष्ट युवा फोकस के ये कार्यक्रम युवाओं को राजनीति के दायरे में लाने और शासन के सभी स्तरों पर जनता को विनियोजित करने की दिशा में शायद ही कोई मदद कर सकें।

4.8.2 भावी आवश्यकताएं

क) राजनैतिक व्यवस्था से बाहर के युवाओं को तैनात करना : इस बात को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के सभी स्तरों पर राजनीति में युवा की भागीदारी हो।

- ऐसे अनेक **पुश एंड पुल फैक्टर** हैं जो राजनीति में युवा भागीदारी को चलाते हैं। राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की दृष्टि से कारगर नीति एवं कार्यक्रम बनाने के लिए इनका विस्तृत मूल्यांकन करने की जरूरत है। किसी भी तरह की नकारात्मक सोच को दूर करने के लिए कारगर कार्यनीति तैयार करने में राजनीति के प्रति युवाओं की सोच को समझना होगा। राजनीति को आकर्षक बनाया जाएगा और राजनीति में भाग लेने वाले युवाओं को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए उपयुक्त रिवार्ड प्रणाली बनाई जाएगी। राजनीति में प्रवेश के समय आने वाले अवरोधों अर्थात अभियान क्रियाकलापों के लिए वित्तीय संसाधन को कम किया जाएगा। छात्र राजनीति को राष्ट्रीय राजनीति में बदलने के लिए बेहतर माध्यम तैयार किए जाएंगे।

- यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि युवा राजनीति भागीदारी केवल चुनाव लड़ रहे युवाओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें युवाओं को अपना मत देने तथा लोकतांत्रिक तंत्रों तथा प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से कामकाज करने के लिए प्रोत्साहित करना भी शामिल है। युवा मतदाताओं को शामिल करने, उनकी बातों को समझने तथा अपने पसंदीदा उम्मीदवार या दल को अपना मत देने के अल्पावधि तथा दीर्घावधि लाभ देखने में मदद करने के अधिक से अधिक प्रयास करने की भी आवश्यकता है।

ख) ऐसी शासन व्यवस्था तैयार करना जिसका युवा लाभ उठा सकें : सूचना का अधिकार अधिनियम एक ऐसा ऐतिहासिक कानून है जो साधारण नागरिकों को सरकार के कामकाज को समझने और उनसे सवाल पूछने में सक्षम बनाता है।

- सक्रिय नागरिक वर्ग के महत्व पर जानकारी बढ़ाना आवश्यक है। शिक्षण पाठ्यक्रम को इस तरह से संशोधित किया जाए कि नागरिकशास्त्र घटक और प्रासंगिक बन जाए। युवाओं को

उनके लिए उपलब्ध ऐसे विभिन्न माध्यमों की जानकारी होनी चाहिए जिनसे जुड़कर वे सरकारी एजेंसियों से सवाल कर सकें।

• **युवा सरकारी व्यय के क्षेत्र में निगरानी एवं जवाबदेही तय करेंगे तथा सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को संस्थागत बनाया जाएगा।** सार्वजनिक खर्च संबंधी रिकार्ड और अधिक पारदर्शी होंगे तथा आबादी के सभी वर्गों के लिए सुलभ होंगे। 12वीं योजना में सामाजिक प्रेरकों की भूमिका के बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है और केंद्रीय प्रयोजित योजनाओं (सीएसएस) की आयोजना और कार्यान्वयन में नागरिक भागीदारी के महत्व को उजागर किया गया है इसमें शासन में नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए आवंटित समर्पित निधियों के प्रावधान की सूची बनाई गई है और इसे क्रियान्वित करने की कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को संस्थागत बनाया जाएगा ताकि युवा वर्ग सरकारी खर्च की प्रभाविकता के संबंध में सही जानकारी दे सकें। ग्राम स्तर पर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए युवाओं को ग्राम सभा/महिला सभा की बैठकों में शामिल किया जाना चाहिए। अधिकारी वर्ग और नागरिकों के बीच वर्तमान निगरानी और औपचारिक जानकारी का माध्यम भी तैयार किया जाएगा।

ग) शहरी शासन में युवा भागीदारी को बढ़ावा देना : नागरिक वर्ग से जुड़े ग्रामीण शासन तंत्र और पीआरआई के कामकाज पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित किया गया है। तथापि शहरी शासन में व्यवस्था पर इसी प्रकार का ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की मदद करने में नागरिक वर्ग की भूमिका का अभाव है। बढ़ते हुए शहरीकरण और शहरी जीवन की गुम होती विशेषताओं को देखते हुए सरकार के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करें और ऐसे माध्यम एवं प्रक्रियाएं तैयार करें जिनके जरिए युवा भारतीय शहरी निर्णय निर्माताओं के साथ जुड़कर शहरी शासन में अपना योगदान दे सकते हैं।

***

4.9 प्राथमिकता क्षेत्र 9: युवाओं का विनियोजन

4.9.1 वर्तमान स्थिति

युवाओं के साथ भारत सरकार युवाओं संबंधी प्रयासों के दो उद्देश्य हैं। पहले तो सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि युवाओं को जानकारी उपलब्ध कराई जाए और युवाओं के सर्वांगीण विकास में मदद की जाए। उद्देश्य यह है कि, सरकार सीधे युवाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों, नीतियों और विशिष्ट कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी युवाओं से प्राप्त की जाए। युवाओं के संबंधी प्रयासों और उनमें नेतृत्व और अन्य अंतर्वैयक्तिक कौशलों का विकास करके सरकार युवाओं की ऐसी पीढ़ी तैयार करने में मदद करेगी जो नागरिक, सामाजिक और राजनैतिक प्रगति के प्रति वचनबद्ध हो।

भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के माध्यम से युवाओं का सर्वांगीण विकास करने और उनमें नेतृत्व का गुण बढ़ाने के उद्देश्य से युवा विनियोजन के लिए अनेक कार्यक्रम चलाती है। इनमें एनपीवाईएडी, स्काउटिंग एण्ड गाइडिंग, साहसिक खेल योजनाएं इत्यादि शामिल हैं। राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट (आरजीएनआईवाईडी) भी युवाओं से जुड़े विभिन्न संगठनों के सदस्यों को प्रशिक्षण देता है और उनकी क्षमता का विकास करता है। भारत सरकार ने आरजीएनआईवाईडी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में बदलने का निर्णय लिया है और फिलहाल इस मामले में कार्रवाई चल रही है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भी युवा विकास निधि की स्थापना कर रहा है जिससे भारत सरकार के युवा विकास प्रयासों के लिए सीएसआर के अंतर्गत निजी क्षेत्र के योगदानों को निर्दिष्ट करने में मदद मिलेगी।

नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास प्राय: एनवाईकेएस, एनएसएस और एनसीसी जैसी अन्य युवा योजनाओं का गौण लाभ है। विद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षण पाठ्यचर्चा के जरिए अलग-अलग तरीकों से ये कौशल प्रदान किए जाते हैं।

हालांकि अलग-अलग सफलता वाले कुछेक कार्यक्रम हैं जो युवा के सर्वांगीण विकास में मदद करते हैं, फिर भी युवाओं की मदद करने वाले भारत सरकार के सुव्यवस्थित कार्यक्रमों का अभाव है। शैक्षणिक संस्थाओं जैसे मंचों पर नीति निर्माताओं और युवा भारतीयों के बीच कुछ अनौपचारिक वार्ताएं हुई हैं। तथापि, सरकार और युवा नागरिक के बीच विनियोजन के लिए कोई व्यवस्थित माध्यम नहीं है और न ही युवाओं के लिए सरकार को जानकारी उपलब्ध कराने का कोई तंत्र ही है। कुछ संगठनों ने इस कमी को आंशिक रूप से पूरा किया है। ये संगठन सार्वजनिक नीतिगत मुद्दों पर विश्लेषण और टिप्पणियां उपलब्ध कराते हैं।

4.9.2 भावी आवश्यकताएं

क) भारत सरकार की विकास योजनाओं की प्रभाविता के लिए किए गए उपाय एवं इनकी निगरानी : युवा कार्य और पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की विकास योजनाओं की प्रभाविता का आकलन करने के लिए एनवाईकेएस, एनसीसी और एनएसएस के जरिए जमीनी स्तर के अपने

मौजूदा स्वयंसेवी नेटवर्क का उपयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सभी वर्ग के युवा इन कार्यक्रमों का लाभ उठा रहे हैं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सफल प्रयासों को दोहराया जा सकता है और ऐसे वर्गों, जिन्हें लाभ नहीं मिल रहा है, के लिए लक्षित योजनाएं क्रियान्वित की जा सकती हैं।

ख) युवाओं के साथ जुड़ने के लिए मंच तैयार करना : देश भर के युवाओं के साथ जुड़ने के लिए एक व्यवस्थित मंच तैयार करना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। इस विनियोजन के अलग-अलग उद्देश्य हैं और इसलिए अलग-अलग विनियोजन मॉडलों का प्रयोग करके इन्हें क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

- **युवाओं को जानकारी देने और उनका नियमित 'पल्सचेक'** करने के लिए सरकार को देश के सभी युवाओं के साथ जुड़ना चाहिए। विभिन्न स्तरों पर युवा मंच, इंटरएक्टिव ऑन लाइन पोर्टल एवं विकिपीडिया-स्टाइल फोरम कुछ ऐसे माध्यम है जिनके जरिए इस कार्य को किया जा सकता है सरकार युवाओं से जुड़ने के लिए एनवाईकेएस, एनएसएस, गैर-सरकारी संगठनों तथा शैक्षणिक संस्थाओं जैसे सहभागी संगठनों की सेवाएं ले सकती हैं और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी एवं सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकती है।

- **विशिष्ट नीतिगत मुद्दों पर जानकारी** प्राप्त करने के लिए सरकार को युवाओं के प्रतिनिधि समूह के संपर्क में रहना चाहिए। सूचना संचार प्रौद्योगिकी आधारित चैनलों इत्यादि के जरिए विषयपरक कार्यशालाएं आयोजित करे, नीतिगत नोट की जरूरत को प्रकाशित करके इस कार्य को किया जा सकता है। इन्हीं मुद्दों के आधार पर सरकार युवाओं से जुड़ने वाला माध्यम तैयार करने के लिए प्रतिनिधि शिक्षण संस्थाओं, युवा समूहों और अन्य सहभागियों का निर्धारण कर सकती है।

- युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय को युवाओं के एक ऐसे उपवर्ग का निर्धारण करना चाहिए जिसके साथ वह निरंतर और व्यवस्थित ढंग से बातचीत कर सके और जो **उसके कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों में मदद** कर सके। मंत्रालय को चाहिए कि वह विशिष्ट परंतु प्रतिनिधि वर्ग के व्यक्तियों का एक युवा सलाहकार परिषद बनाए। यह परिषद सरकार को मुख्य नीतिगत मुद्दों पर अधिक विस्तृत जानकारी दे सकता है, युवाओं को एकजुट करने के लिए कार्यक्रम चला सकता है और विभिन्न वर्ग के युवाओं के साथ अधिक नियमित रूप से जुड़ा रह सकता है।

- भारत सरकार को चाहिए कि वह आरजीएनआईवाईडी को भी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का अधिकार प्रदान करे ताकि आरजीएनआईवाईडी देश में युवा विकास के प्रयासों में नीतिगत समर्थन और क्षमता विकास के लिए शीर्ष स्तरीय संसाधन केंद्र के रूप में कार्य कर सके।

***

4.10 प्राथमिकता क्षेत्र 10 : समावेशन

4.10.1 वर्तमान स्थिति

ऐसे अनेक युवा हैं जो जोखिमग्रस्त हैं और हाशिए पर चले गए है, और उन पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें सरकारी कार्यक्रमों की सुविधा और लाभ मिल रहे हैं। इन युवाओं को मोटे तौर पर निम्नलिखित रूप से श्रेणीकृत किया जा सकता है :

- सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभ वंचित युवा, जिनमें अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग समूह के युवा, प्रवासी युवा और महिलाएं शामिल है किंतु यह श्रेणी इन युवाओं तक ही सीमित नहीं है।

- विद्यालय नहीं जाने वाले या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले युवा जो कि औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा से दूर चले गए हैं।

- हिंसा प्रभावित जिलों में रहने वाले युवा, विशेषकर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित युवा और जम्मू-कश्मीर एवं पूर्वोत्तर के युवा।

- विकलांग युवा या गंभीर रोगों से पीड़ित युवा

- जोखिम ग्रस्त युवा, जिनमें नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले युवक, ऐसे युवक जिनकी मानव तस्करी में जाने का खतरा हो और जोखिम वाले पेशों में कार्यरत युवा, यौनकर्मी इत्यादि शामिल तो हैं, किंतु इस श्रेणी में अन्य युवा भी शामिल हैं।

- सामाजिक या नैतिक लांछन वाले युवा, जिनमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर (एलजीबीटी) युवा, एचआईवी/एड्स संक्रमित युवा शामिल है, साथ ही इसमें अन्य युवा भी शामिल हैं।

- संस्थागत देख-रेख, अनाथालय, सुधारगृह और कारागार में रहने वाले युवा।

यह श्रेणीकरण उन सम्मिलित उपायों को दर्शाता है जिनका उपयोग इन युवाओं की सहायता करने के लिए किया जा सकता है, जिन्हें अधिकार संपन्न बनाना और समर्थ बनाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

युवाओं की इन विभिन्न श्रेणियों की चुनौतियों से निपटने की दिशा में अनेक मंत्रालय कार्य कर रहे हैं। इन समूहों को लक्षित करते हुए कुछ क्षेत्र विशिष्ट मंत्रालयों ने विशिष्ट कार्यक्रम बनाए हैं जिनमें अधिक समावेशी और समतुल्य सोसायटी बनाने का प्रयास किया जाता है। उदाहरणस्वरूप,

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर बालिकाओं की शिक्षा में सहायता प्रदान करने और लिंग-भेद-भाव आधारित बृहद अंतर को कम करने वाली विशेष योजनाएं हों। अन्य मंत्रालय विशिष्ट समूहों के कल्याण के प्रति जवाबदेह नोडल एजेंसियों के रूप में कार्य करता है। उदाहरणस्वरूप, जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय व्यक्तियों के सम्मुख आने वाली समस्याओं अर्थात आजीविका सुरक्षा और प्रोत्साहन या शिक्षा की उपलब्धता को देखता है।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के युवा और महिलाओं को ध्यान में रखकर अनेक नीतियां बनाई गई हैं जिनका उद्देश्य समानता और समावेशन को बढ़ावा देना है। ये नीतियां (क) एजुकेशन स्कॉलरशिप और छात्रावास (ख) स्वरोजगार और उद्यमिता की सहायता के लिए ऋण (ग) मलमूत्र ढोने जैसे कतिपय पेशों से बाहर निकाले गए व्यक्तियों का पुनर्वास और (घ) शासन के विभिन्न स्तरों पर राजनैतिक आरक्षण के क्षेत्र में लागू होती हैं। इन नीतियों में इन समूहों के व्यक्तियों को प्रारंभ से ही समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया जाता है जिसका उद्देश्य यह है कि आने वाली पीढ़ी इसका लाभ उठा सके और लाभ वंचन एवं गरीबी की स्थिति से उबर सके।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित तथा हिंसाग्रस्त अन्य क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने पर अधिक ध्यान दिया गया है। भारत सरकार हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि युवाओं को उपयोगी कार्यों में लगा दिया गया है। उदाहरणार्थ, योजना आयोग इन क्षेत्रों का त्वरित विकास करने के लिए वर्ष 2010-11 से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 9 राज्यों के 82 चुनिंदा जिलों (जिसकी संख्या बढ़कर अब 88 हो गयी है) में समेकित कार्य योजना (आईएपी) का क्रियान्वयन कर रहा है। कौशल विकास इस योजना के अंतर्गत ध्यान दिया जाने वाला प्रमुख क्षेत्र है। इसी प्रकार गृह मंत्रालय भी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किए गए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत कौशल विकास योजनाएं चलाने के लिए निधियां प्रदान करता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत विकलांगता कार्य विभाग एजुकेशन स्कॉलरशिप, उपकरणों या यंत्रों की खरीद के लिए सहायता, पुनर्वास के लिए अनुदान और विकलांग व्यक्तियों की सेवाएं लेने पर नियोक्ताओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों की सहायता करता है।

सरकार का यह मानना है कि इस समय न केवल जोखिम ग्रस्त युवाओं को मदद प्रदान करना अनिवार्य है बल्कि यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि युवाओं को भविष्य में ऐसी किसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़े जो उन्हें जोखिम में डालती हो। उदाहरणार्थ- वर्तमान में ड्रग्स या एल्कोहल का सेवन करने वाले युवाओं के लिए, भारत सरकार जागरुकता एवं जानकारी का प्रचार-प्रसार, काउंसलिंग तथा पुनर्वास को कवर करने वाला अंतर-क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपना रही है।

लाभ से वंचित युवाओं या जोखिम ग्रस्त युवाओं के कतिपय वर्गों को लक्ष्य में रखकर बनाए गए उपयुक्त कार्यक्रमों के अलावा, अन्य सरकारी कार्यक्रमों में भी युवाओं के ऐसे वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उदाहरणार्थ, ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी), प्रवासी, अल्पसंख्यकों, मानव तस्करी के शिकार व्यक्तियों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों, पूर्वोत्तर एवं जम्मू-कश्मीर के युवाओं, जोखिम से भरे पेशों में लगे युवाओं आदि जैसी श्रेणियों के युवाओं को उच्च प्राथमिकता देने का प्रयास किया गया है।

4.10.2 भावी आवश्यकताएं

क) लाभ से वंचित युवाओं को समर्थ बनाना और उनकी क्षमताएं बढ़ाना : यह आवश्यक है कि सरकार औपचारिक व्यवस्था में समता को बढ़ावा देने तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को मुख्य धारा में शामिल करने पर ध्यान दिए जाने की प्रक्रिया को जारी रखे। भारत सरकार इन युवाओं के लिए अपने वर्तमान कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी और इस बात का पता लगाएगी कि ये कार्यक्रम कहां प्रभावी रहे हैं और कहां असफल रहे हैं और इसके कारण क्या हैं। शिक्षा लाभ से वंचित युवाओं के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है और हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा का अधिकार और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है, फिर भी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है कि युवा स्वस्थ रहें और अधिकांश शैक्षणिक कार्यक्रमों का लाभ उठाने के साथ-साथ आय अर्जक अवसरों को न गवाएं जो कि उनके लिए अधिक जरूरी है।

ख) हिंसा-प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं के लिए आर्थिक अवसर सुनिश्चित करना : हिंसा और उग्रवाद में युवाओं की भागीदारी का मुख्य कारण है - उनके लिए आजीविका अवसरों की कमी। इसलिए यह अनिवार्य है कि इन युवाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। अवसंरचना विकास, सामाजिक-राजनैतिक पहुंच और जागरुकता सृजन का कार्यक्रम युवाओं को ऐसा क्रियाकलापों की ओर आकर्षित होने से लंबे समय तक रोक सकता है।

ग) विकलांग युवाओं की सहायता करने के लिए बहु-सूत्री दृष्टिकोण बनाना : हालांकि भारत सरकार ने विकलांग युवाओं की सहायता के लिए अनेक उपाय किए हैं, फिर भी इन युवकों के लिए प्रणाली और अवसंरचना का सृजन करना आवश्यक है ताकि वे सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकलांग व्यक्तियों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर अनेक सिफारिशें की गई हैं तथा सभी संबंधित मंत्रालयों को इस संबंध में कार्य योजनाएं तैयार करनी चाहिए।

घ) युवाओं को जोखिम से बचाने के लिए जागरुकता एवं अवसरों का सृजन : हालांकि सरकार जोखिम ग्रस्त युवाओं के लिए सहायता एवं पुनर्वास प्रणाली बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं, फिर भी, इसके साथ-साथ ऐसी व्यवस्थाएं बनाना अनिवार्य है कि युवाओं को ऐसी परिस्थितियों का फिर से सामना करना न पड़े जो कि उनके लिए शारीरिक एवं मानसिक जोखिम का खतरा बने। ऐसे युवाओं, जिनके जोखिम में पड़ने की संभावनाएं हैं, के लिए लक्षित एवेयरनेस एंड आउटरिच प्रोग्राम तैयार किया जाना चाहिए और इसे प्राथमिकता आधार पर शुरू किया जाना चाहिए।

***

4.11 प्राथमिकता क्षेत्र 11 :सामाजिक न्याय

4.11.1 वर्तमान स्थिति

इस बात को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी पृष्ठभूमि के युवा भेदभाव, लांछन और लाभवंचन की स्थिति से मुक्त रहें और उनके पास मुस्तैद और निष्पक्ष न्याय प्रणाली का सहारा हो। इस बात को सुनिश्चित करने के ठोस प्रयास किए गए हैं कि भारत सरकार का कार्यक्रम समावेशी हों और लाभ से वंचित समूहों को मदद मिल रही है।। यह महत्वपूर्ण है कि ठोस कार्रवाई और अन्य लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से लाभ से वंचित समूहों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए प्रयास किया जाए। इसके अलावा, दहेज, बाल विवाह, ऑनर किलिंग, जाति आधारित भेदभाव और एलजीबीटी युवा का लांघन अर्थात गैर-कानूनी सामाजिक प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए बेहतर निगरानी और मीडिया का ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि जमीनी स्तर पर नैतिक विचारधारा को बदलने और शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाए ताकि लांछन और भेदभाव की प्रथाएं दूर की जा सकें और सभी को सामाजिक न्याय मिल सके।

4.11.2 भावी आवश्यकताएं

क) अनुचित सामाजिक प्रथाओं को दूर करने के लिए युवाओं को शामिल किया जाना : अनुचित सामाजिक प्रथाओं को दूर करने के उद्देश्य से जमीनी स्तर पर जागरुकता बढ़ाने और शिक्षा देने के कार्य में देश के युवाओं को शामिल किया जा सके। इसके अलावा, जमीनी स्तरों पर अनुचित सामाजिक प्रथाओं की मौजूदगी का जायजा लेने और इसकी जानकारी देने के लिए युवाओं को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है।

ख) सभी स्तरों पर न्याय की सुविधा बढ़ाना : व्यक्तियों को सभी स्तरों पर औपचारिक न्याय व्यवस्था की बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए। मुकदमों का तेजी से निपटान किया जाना चाहिए ताकि औपचारिक दंड का डर बना रहे। जमीनी स्तरों पर वर्तमान अड़चनों और खामियों की जानकारी रखनी चाहिए और उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

****

निगरानी, मूल्यांकन एवं समीक्षा

राष्ट्रीय युवा नीति(एनवाईपी) 2014 की सफलता का निर्धारण

5.1 युवा पर नीति के प्रभाव को समझने और देश में युवाओं के लिए भावी कार्यनीतियां तय करने की दृष्टि से एनवाईपी 2014 की सफलता पर नजर रखना और इसका मूल्यांकन करना अनिवार्य है। थोड़े समय के लिए एनवाईपी 2014 को तब सफल माना जा सकता है जब यह दस्तावेज ऐसा प्राथमिकता क्षेत्र हो, जिस पर युवाओं के विकास के लिए तत्काल फोकस किया जाना चाहिए, तो ऐसे दिशा-निर्देश बनाए जाएं जिनकी मदद से स्टेकहोल्डर कार्य करने योग्य कार्यनीतियां तैयार कर सकें और स्टेकहोल्डरों में आपसी तालमेल बढ़ाया जा सके, उन्हें कार्रवाई के लिए ठोस फ्रेमवर्क प्रदान किया जा सके। लंबे समय के लिए, सफलता इस आधार पर निर्धारित की जा सकती है कि क्या युवाओं के लिए एनवाईपी 2014 के उद्देश्य हासिल हुए हैं। अर्थात क्या युवा सफल, स्वस्थ और सक्रिय, सामाजिक रूप से जिम्मेदार, राजनीति से जुड़े हुए और मुख्य धारा में शामिल हैं। साथ ही ये परिभाषाएं एक साथ मिलकर एनवाईपी 2015 की सफलता तय करने का फ्रेमवर्क तैयार करती हैं और उचित संकेतक चुनने का दिशा-निर्देश उपलब्ध कराती हैं।

निगरानी और मूल्यांकन

5.2 एनवाईपी 2014 में देश के युवाओं के प्रति भारत सरकार के विजन को स्पष्ट करने और उन प्रमुख क्षेत्रों का निर्धारण करने का प्रयास किया गया है जहां युवाओं के विकास में मदद करने के लिए ज्यादा सुधार नहीं किया गया है और वहां कार्रवाई करने की जरूरत है। इसका तात्पर्य एक मार्गदर्शक दस्तावेज का प्रयोजन पूरा करने और सभी स्टेकहोल्डरों के लिए कार्रवाई संबंधी फ्रेमवर्क प्रदान करना है।

5.3 देश की विविधता और युवा व्यक्तियों की चिंताओं तथा क्षेत्र विशिष्ट जरूरतों जो एनवाईपी 2014 में सही ढंग से नहीं दर्शाए गए हैं, को पूरा किए जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य को चाहिए कि वह एनवाईपी 2014 में निर्दिष्ट समग्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर अपनी खुद की राज्य युवा नीति भी बनाए।

5.4 इस तथ्य के आलोक में कि भारत सरकार के कई मंत्रालयों के कार्यक्रमों और नीतियों में युवाओं से सम्बद्ध महत्वपूर्ण घटक हैं, युवाओं से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए अंतर-क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, एनवाईपी 2014 के अंतर्गत पूर्व के नीतिगत दस्तावेजों में दिए गए सुझावों के अनुरूप केंद्र और राज्य स्तरों पर समन्वयन तंत्र स्थापित किए जाने का समर्थन किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल का वरिष्ठ सदस्य राज्य समन्वयन समिति की अध्यक्षता कर सकता है इससे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के पास उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो जाएगा तथा नीति एवं कार्यक्रम संबंधी पहलों को सरल बनाया जा सकेगा।

एनवाईपी 2014 की सफलता को मापनेवाले संकेतक

5.5 नीति की सफलता या प्रभाव को मापने के लिए दो प्रकार के संकेतकों का चयन किया जा सकता है; मुख्य संकेतक और पश्चता संकेतक। मुख्य संकेतक नीति के अल्पावधिक प्रभावों को मापते हैं और ये अधिकांशत: प्रक्रिया आधारित हो सकते हैं। ये इस बात का पूर्व संकेत देते हैं कि नीति अपने उद्देश्यों को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है या नहीं। दूसरी ओर पश्चता संकेतक पर्याप्त समय के लिए स्थापित कर दिए जाने के बाद नीति के दीर्घावधिक प्रभाव को मापते हैं। इस संकेतकों से इस बात का पता चलता है कि जिन नतीजे को बदला जाना था उन पर नीति का प्रभाव पड़ा है या नहीं और क्या नीति से इसके उद्देश्य हासिल हुए हैं।

5.6 एनवाईपी 2014 की सफलता के **मुख्य संकेतकों** से यह निर्धारित होता है कि क्या नीति से स्टेकहोल्डरों को फ्रेमवर्क और मार्गदर्शन मिल पाया है और इसके प्रयोजन पूरे हुए हैं। निम्नलिखित चार मुख्य संकेतकों का चयन किया गया है :

क) युवा नीति बनाने वाले राज्यों की संख्या ?

ख) केंद्र/राज्य सरकार की नीति संबंधी अन्य दस्तावेजों, रिपोर्टों और आरएफडी में एनवाईपी 2014 का कितनी बार संदर्भ लिया गया है ?

ग) मीडिया, सिविल सोसायटी, निजी क्षेत्र सहित स्टेकोल्डर के दस्तावेजों में एनवाईपी 2014 का कितनी बार संदर्भ लिया गया है ?

घ) एनवाईपी 2014 में निर्धारित कमियों को दूर करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों/नीतियों की संख्या ?

5.7 एनवाईपी 2014 की सफलता के पश्चता संकेतकों की मदद से नीति में युवाओं के लिए निर्धारित 5 उद्देश्यों में से प्रत्येक को हासिल करने की दिशा में हुई प्रगति को मापा जाता है। संबद्ध उद्देश्यों/प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित 5 पश्चता संकेतकों का चयन किया गया है :

एक्जिबिट ई.6 : एनवाईपी 2014 के पश्चता संकेतक

उद्देश्य	एनवाईपी 2014 की सफलता का पश्चता संकेतक	
1. सफल कार्यबल बनाना	युवा बेरोजगारी दर	उच्च शिक्षा पूरा करने की दर
2. सशक्त और स्वस्थ पीढ़ी तैयार करना	मातृत्व मृत्यु दर	कॉमनवेल्थ खेल में जीतने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वर्ण पदक

3. सामाजिक नैतिकता की भावना मन में बिठाना और सामुदायिक सेवा को बढ़ावा देना	दोषी युवाओं की संख्या (आईपीसी एवं एसएलएल1)	
4. नागरिकों की भागीदारी और विनियोजन को बढ़ावा	35 वर्ष से कम आयु के निर्वाचित पीआरआई सदस्यों की संख्या	बनाए गए नए मतदाता
5. समावेशन और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना	विभिन्न सामाजिक समूहों में बेरोजगारी दर	

5.8 एक बेसलाइन मूल्यांकन कराया जाएगा और प्रत्येक संकेतक के लिए वार्षिक लक्ष्य तय किए जाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसके कारणों की छानबीन की जाएगी और कार्यान्वयन के दौरान उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। इन संकेतकों को व्यापक युवा विकास संकेतक में भी शामिल किया जा सकता है।

'युवाओं की स्थिति' पर द्विवर्षी रिपोर्ट

5.9 एनवाईपी 2014 में इस बात की सिफारिश की गई है कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय प्रत्येक 2 वर्ष में युवाओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। इस रिपोर्ट में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वयन की जा रही युवाओं से जुड़ी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए। रिपोर्टों में एनवाईपी 2014 की सफलता के मुख्य एवं पश्चता संकेतकों से संबंधित लक्ष्यों की तुलना में हुई प्रगति का उल्लेख किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में युवाओं के साथ भली-भांति जुड़कर निर्धारित की गई प्राथमिकताओं और विचारों का भी संश्लेषण किया जाना चाहिए। अंत में, इस रिपोर्ट में युवाओं के सामने विगत में आई अज्ञात नौतियों को लिखा जाएगा और इन क्षेत्रों में भावी कार्य-योजनाएं बनाने की सिफारिश की जाएगी।

एनवाईपी 2014 की समीक्षा

5.10 एनवाईपी 2014 की हर पाँच वर्ष में एक बार समीक्षा की जाएगी, ताकि भारत सरकार प्रमुख उपलब्धियों एवं चुनौतियों का जायजा लेकर युवाओं संबंधी अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव लाते हुए आगे बढ़ सके।

***

भावी कार्ययोजना के विषय में सिफारिशें

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश की आबादी में 27.5 प्रतिशत युवा वर्ग शामिल हैं और देश की प्रगति एवं विकास में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, युवाओं को सक्षम बनाने और सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता देनी होगी। इस दस्तावेज में 11 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का वर्णन किया गया है और ऐसी विशिष्ट कमियों को उजागर किया गया है जिन पर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है ताकि युवा अपने सामने आने वाली चुनौतियों से निपट सकें और भारत अपनी विशाल आबादी का लाभ उठा सके।

इस बात की आवश्यकता है कि युवाओं के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पहलों का निर्धारण किया जाए और इन्हें किसी ऐसे कार्यक्रम पर लागू किया जाए जो इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव डाले। इसके लिए युवाओं हेतु चलाए जा रहे मौजूदा सरकारी कार्यक्रमों की समीक्षा करने, स्टेकहोल्डरों के क्रियाकलापों के प्रभाव का मूल्यांकन करने और युवाओं के लिए नए कार्यक्रमों को वृहत पैमाने पर शुरू करने से पूर्व प्रायोगिक परियोजनाएं चलाने की जरूरत होती है। इसके अलावा यह भी नोट किया जाए कि चुनौतियों की व्यापकता को देखते हुए सभी स्टेकहोल्डरों द्वारा समेकित प्रयास किया जाना अत्यावश्यक है। युवा विकास और उनकी भागीदारी के लिए निर्धारित उद्देश्यों के संबंध में स्टेकहोल्डरों में तालमेल की जरूरत होगी और युवाओं के समग्र विकास में मदद करने के लिए ऐसे नवीन समाधानों की जरूरत है जिनमें उपलब्ध संसाधनों और साधनों का इस्तेमाल किया जाता है।

6.1. जनसंख्या से लाभ प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को युवा में और अधिक निवेश करने की जरूरत

आज युवाओं को अर्थव्यवस्था में भारी अवसर मिल रहा है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। शिक्षा, हुनर, उद्यमशीलता का विकास और स्वास्थ्य संबंधी देखरेख के लिए लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं की सफलता को बढ़ाने का भी पर्याप्त अवसर है।

भारत सरकार फिलहाल विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से प्रत्येक युवा व्यक्ति पर लगभग 2710 रु. खर्च कर रही है जिसमें 1100 रु. लक्षित कार्यक्रमों के जरिए दिए जाते हैं। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए सरकार को विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में युवाओं के लिए और अधिक निवेश करने की जरूरत होगी।

6.2. युवाओं से जुड़े मुद्दों को विकास प्रक्रिया की मुख्य धारा में शामिल करना

यह स्पष्ट है कि युवा राष्ट्र के भावी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि युवाओं से जुड़े मुद्दों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और युवा को राष्ट्रीय प्राथमिकता क्रम में रखा जाए। कई तरीकों से ऐसा किया जा सकता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- **आरएफडी में युवा विकास को शामिल करना :** जैसा कि खंड 5 में उल्लेख किया गया है, युवा विकास एक ऐसा क्रिया कलाप है जो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय अकेले

नहीं कर सकता। सभी मंत्रालय युवाओं के विकास और भागीदारी को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने की दिशा में कार्य करें इस बात को सुनिश्चित करने का एक मुख्य तरीका यह है कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों के बीच संबंधों का निर्धारण किया जाए और इन्हें संबंधित आरएफडी में समाविष्ट किया जाए। युवा विनियोजन और भागीदारी को संबंधित आरएफडी में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की सफलता के मीट्रिक्स के रूप में शामिल किया जाए।

- **प्रमुख मंत्रालयों को 'यूथ कनेक्ट' कार्यक्रम बनाना चाहिए :** इस बात को देखते हुए कि 27.5 प्रतिशत आबादी युवा वर्ग है और प्रत्येक मंत्रालय के लक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा इसी वर्ग से संबंधित है, इसलिए यह आवश्यक है कि मुख्य मंत्रालय युवाओं से संपर्क बनाए रखे। एनवाईपी 2014 में इस बात की सिफारिश की गई है कि सभी सम्बद्ध मंत्रालय अनिवार्य रूप से 'यूथ कनेक्ट' कार्यक्रम बनाएं। यह कार्यक्रम युवाओं से जुड़ने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में युवाओं को मंत्रालय द्वारा उनके लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। कार्यशालाओं, ब्रीफिंग और जानकारी सत्र के जरिए ऑफ लाइन तरीके से या सम्बद्ध योजनाओं के हिसाब से आईसीटी एवं सोशल मीडिया के जरिए ऑन लाइन यह जानकारी दी जा सकती है। इन कार्यक्रमों के जरिए उपलब्ध कराई गई सामग्री या जानकारी भी ब्रोड-बेस्ड युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय यूथ इंगेजमेंट पोर्टल में फीड की जा सकती है।

6.3. सभी स्टेकहोल्डरों की भूमिका तय करना और इन पर चर्चा करना

युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों की व्यापकता और अलग-अलग दक्षता वाले स्टेकहोल्डरों की विस्तृत श्रेणी को देखते हुए, प्रत्येक स्टेकहोल्डरों की भूमिका तय करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए दो संभावित भूमिकाएं हैं - कार्यक्रम बनाने के प्रति जवाबदेह 'कर्ता' की या कार्य के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने और अन्य स्टेकहोल्डरों के कार्य को प्रोत्साहित करने वाले 'सहायक' की। कर्ताओं और क्रियाकलापों की श्रेणी को समझने के लिए प्रत्येक प्राथमिकता वाले क्षेत्र में स्टेकहोल्डर मैप बनाए जाने की आवश्यकता है। प्रत्येक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए, इस बात का निर्धारण करना महत्वपूर्ण है कि कौन से स्टेकहोल्डर कार्यक्रमों को सीधे वित्तपोषित करने और क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी उठाएंगे और कौन से स्टेकहोल्डर अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेवारी उठाएंगे। उदाहरणार्थ, सामुदायिक विनियोजन के लिए, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय अपने एनएसएस, एनवाईकेएस और एनवाईसी जैसे कार्यक्रमों के

जरिए 'कर्ता' की भूमिका निभा सकेगा, जो कि युवाओं को सामुदायिक विकास पहलों में शामिल करने की दिशा में कार्य करता है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय प्रणालियां तैयार करने में मुख्य 'सहायक' की भूमिका भी निभाता है जिससे युवाओं को मौजूदा सामुदायिक विकास संगठनों के साथ जुड़ने और उनके कार्य में सहयोग करने में मदद मिलती है।

6.4 युवाओं के प्रभावी विनियोजन और भागीदारी के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग :

ऐसे अनेक माध्यम विद्यमान हैं जिनका उपयोग सरकार युवाओं को प्रभावी ढंग से काम पर लगाने और युवा विकास को बढ़ावा देने के लिए कर सकती है। इसमें से दो प्रमुख माध्यम हैं - आईसीटी और अन्य युवा संगठन।

- **युवा से काम लेने के लिए आईसीटी का इस्तेमाल :** युवाओं से जुड़ने और उनसे काम लेने के लिए आईसीटी और सोशल मीडिया जैसे प्रमुख माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटरनेट में युवाओं की बढ़ती हुई रुचि खासकर स्मार्ट फोनों के जरिए को देखते हुए, भारत सरकार को उन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करते हुए, जिनका युवा प्रतिदिन उपयोग कर रहे हैं, युवाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए। युवा आउटरिच कार्यक्रमों को अब यूथ क्लबों और इस प्रकार के अन्य नेटवर्कों के जरिए ही नहीं चलाया जाएगा, बल्कि इन्हें इंटरनेट, मोबाइल फोन एप्लिकेशनों और सोशल मीडिया के जरिए भी कार्यान्वित किया जाएगा।

- **मौजूदा संगठनों के जरिए युवा विकास को बढ़ावा देना :** सरकार को चाहिए कि वह बड़ी संख्या में ऐसे स्टेकहोल्डरों की सेवाएं लेने की दिशा में कार्य करे जो इस युवाओं के विकास और भागीदारी बढ़ाने के लिए पहले से ही कार्य कर रहे हैं और सरकार को इन्हीं संगठनों के नेटवर्क के माध्यम से युवाओं में अपनी पैठ और पहुंच का विस्तार करना चाहिए।

सभी स्टेकहोल्डरों को एनवाईपी 2014 में युवाओं के विकास के लिए निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार ही अपनी कार्यनीतियों की समीक्षा करनी चाहिए। उन्हें विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य योजनाएं, कार्यक्रम तैयार करना चाहिए और इस बात की निगरानी और मूल्यांकन करना चाहिए कि युवाओं पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है।

संक्षिप्तियों की सूची

एएसएचए	मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
एडब्ल्यूडब्ल्यू	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
बीसीजी	द बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप(इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
बीएनवी	भारत निर्माण स्वयंसेवी
सीसीई	निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन
सीओई	उत्कृष्टता केंद्र
डीएसी	एड्स नियंत्रण विभाग
ईबीआर	आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र
जीईआर	सकल नामांकन दरें
जीएनआई	सकल राष्ट्रीय आय
जीओआई	भारत सरकार
आईसीटी	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
आईईओ	स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय
आईटीआई	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
जेएसवाई	जननी सुरक्षा योजना
एलएएमपी	संसद सदस्यों के विधायी सहायक
एलएनआईपीई	लक्ष्मीबाई नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ फिजिकल एजुकेशन
एलडब्ल्यूई	वामपंथी उग्रवाद
एमईसी	लघु उद्यम परामर्शदाता
एमजीएनआरईजीए	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एमएलई	श्रम और रोजगार मंत्रालय
एमएमआर	मातृ मृत्यु दर
एमओएचएफडब्ल्यू	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
एमओपीआर	पंचायती राज मंत्रालय
एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमओएसजेई	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
एमओएसएमई	लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमओटीए	जनजातीय कार्य मंत्रालय
एमओडब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एमओवाईएएस	युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

एमयूडी	शहरी विकास मंत्रालय
एनएसीओ	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन
एनसीसी	नैशनल कैडेट कोर
एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
एनआईएस	राष्ट्रीय खेल संस्थान
एनपीएफएआई	नैशनल प्लेयिंग फील्ड्स एसोसिएशन आफ इंडिया
एनपीवाईएडी	राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम
एनआरएचएम	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एनएसडीपी	राष्ट्रीय कौशल विकास नीति
एनएसक्यूएफ	राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क
एनएसएस	राष्ट्रीय सेवा योजना
एनवाईसी	राष्ट्रीय युवा कोर
एनवाईकेएस	नेहरू युवा केंद्र संगठन
एनवाईपी 2014	राष्ट्रीय युवा नीति 2014
पीईओ	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन
पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
पीएमईजीपी	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
पीएमईवाईएसए	पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान
पीएमआरडीएफ	प्रधान मंत्री ग्रामीण विकास फेलोशिप
पीएमएसएसवाई	प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
पीपीपी	सार्वजनिक निजी भागीदारी
पीआरआई	पंचायती राज संस्थाएं
पीवाईकेकेए	पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान
आरएफडी	परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज
आरजीएनआईवाईडी	राजीव गाँधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान
आरजीपीएसए	राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण योजना
आरजीयूएमवाई	राजीव गाँधी उद्यमी मित्र योजना
आरएमएसए	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
आरएसईटीआई	ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान
आरटीई	शिक्षा का अधिकार अधिनियम
आरटीआई	सूचना का अधिकार अधिनियम
एसएजी	स्पेशल एरिया गेम्स

एसएआई	भारतीय खेल प्राधिकरण
एसटीसी	एसएआई(साई) प्रशिक्षण केंद्र
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूएचसी	यूनीवर्सल हेल्थ कवरेज
यूएलबी	शहरी स्थानीय निकाय

सुधीर कुमार
संयुक्त सचिव

****

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 21st March 2014

No. 24–Pres/2014--The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Jayanta Sonowal,
AB Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 29.09.2012 at about 1600 Hrs on receipt of secret information from the reliable sources that 4/5 suspected ULFA cadres with a plan to wage war against Union of India and to launch subversive actitites were taking shelter in the general area of Sukanichuk, Rotonipather village under Bordumsa PS. Accordingly joint operation was launched under the leadership of Shri Jayanta Sarathi Borah, Addl. SP (HQ) Tinsukia along with Dr. Pradip Saikia APS, Dy.SP Tinsukian, Police staff of Bordumsa Police Station and Pengaree Police Station along with 8th Bihar Army Regiment, Camp Bordumsa. During search operation at about 1900 hrs the police team led by Shri Jayanta Sarathi Borah, APS, Addl.SP (HQ), Tinsukia noticed some suspected movement in the house of Shri Bireswar Moran of Sukanichuck Rotonipather Village. Upon noticing the suspected movements the leader of the operational team Shri Jayanta Sarathi Borah, Addl.SP (HQ) alongwith the police forces under his directions closed near suspected house and in the process, they were spotted by the extremists, who opened indiscriminate firing. The operational team came under heavy fire, subsequently the extremist also lobbed a hand Grenade targeting Jayanta Sarathi Borah and his party. The heavily armed extremists fired on the Police team with a view to kill the members of the team while simultaneously taking cover of the civilians, immediately then Jayanta Sarathi Borah without loosing a single minute commanded the other staff for immediate retaliation. Accordingly, operational team retaliated the fire exposing themselves into the extreme danger of their lives. During the brief exchange of fire one Constable Jayanta Sonowal was grievously injured by bullet injury and one extremist sustained bullet injuries and the other extremist managed to escape by taking advantage of darkness. After the firing stopped, the police team immediately evacuated the injured police constable and the ULFA cadre to Pengaree PHC for treatment. Upon searching the body of injured suspected ULFA cadre, One AK-81 rifle, Magazine (AK-81)-3 Nos, Magazine (pistol)-2 nos., Live Ammunition AK series- 40 rounds, live ammunition pistol-3 nos., Mobile handset- 1 no. pocket diary-2 nos., Mobile SIM card- 7 nos., Remote Control of RCIED- 1 No. and incriminating documents were found from his possession which were seized. Later on, the security forces searched the general area and 7 nos. of AK series empty cartridges and splinter etc were recovered from the

PO. The injured ULFA cadre who was shifted to Pengaree PHC for treatment was declared dead by the doctor of Pengaree PHC. Further the injured Constable Jayanta Sonowal referred from Pengaree PHC to IOC (AOD) Hospital, Digboi and he was immediately shifted to AMCH Dibrugarh for better treatment. In this regard an FIR has been submitted by Shri Jayanta Sarathi Borah, APS, Addl. SP (HQ) Tinksukia and on the basis of the FIR, Bordumsa PS Case No. 53/2012 U/S 120(B), 121(A)/333/307/34 IPC, R/W Sec 25(1) (a)/27 Arms Act, R/W Sec 10/13 UA(P) Act, R/W Sec 3 of ES Act was registered.

Later on the dead body of ULFA cadre was identified by Shri Sulen Gogoi s/o Shri Joykanta Gogoi of Hullong Gutibari village, PS: Bordumsa as the deceased was his nephew S.S. Sgt Maj. Diganta Gogoi @ Mohdn Gogoi (age 28 years) s/o Shri Gonesh Sahu of Hullong Gutibari village PS: Bordumsa.

In this encounter Shri Jayanta Sonowal, AB Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30/09/2012.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 25–Pres/2014- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Tahir Sajad Bhat,
Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 07.10.2011, acting on a specific information about the shifting of base camp by two HM terrorists namely Assadullah @ Ufaidullah r/o Swat Pakistan and Qasim Shah @ Talha r/o Dhir Pakistan from upper reaches of Ganderbal forests to village Pathpora Chattergul Kangan (Ganderbal), a special team from Police component Srinagar led by Shri Tahir Sajad Bhat, SP operations Srinagar carried out reccee of the area for planning an operation against the said terrorists. On 08.10.2011, a team from Police Component Srinagar headed by Shri Tahir Sajad Bhat, SP Opertations Srinagar rushed to the spot in the wee hours. Before the operation was conducted, it was decided to co-opt Army (24 RR) and District Police Ganderbal in order to avoid

collateral damage and to conduct the operation cleanly. The nafri was divided into three parties. First party comprised of Ganderbal Police and 24 RR. It was tasked to lay the outer cordon of the target area. The second party comprised of a team of Srinagar Police and 24 RR. Accordingly, the Mohalla was cordoned off in which the target house was located. The third party comprised of Police Component Srinagar and Gandebal Police. The party was tasked to lay the inner cordon of the house of Mohd Subhan Mir s/o Gani Mir r/o Pathpora Chattergul in which the terrorists were hiding and if required to make an intervention under the command of Shri Tahir Sajad Bhat, SP Operation Srinagar with full coordination. All the parties marched towards the target area at about 0500 hours on 09.10.2011 and positioned themselves as per plan. At 0530 hours, Shri Tahir Sajad Bhat SP Operation Srinagar, in-charge of the inner cordon party, formed a small team of Jawans from Police Component Srinagar for evacuation of the inmates of the target house. The team very tactfully and bravely evacuated the inmates of the house and shifted them to a safer place. Likewise, inmates of adjoining houses were also evacuated to ensure that there is no collateral damage. In the first instance, Shri Tahir Sajad Bhat, SP asked the two holed up terrorists to surrender, which they declined and instead opened indiscriminate firing on the operational party. The inner cordon party took the positions and planned intervention of the house. The intervention party, having taken all precautions, started the process of intervention.

However, as the intervention party reached near the target house, it came under heavy fire from holed-up terrorists, who had taken position inside the house. In a tactical move, the intervention party withdrew only to enter the house from the rear side. At this stage, SP Tahir Sajad Bhat, constituted two small parties and decided to enter the house from rear side as well as front side. As soon as the second party tried to enter the house from the rear side, the holed up terrorists lobbed grenades from a window but it caused no damage as the approaching party remained advancing tactically. SP Tahir Sajad Bhat, alongwith his team crawled nearer to the window, from where the terrorists had lobbed the grenades. Meanwhile, the terrorists opened the main door of the first floor and started firing indiscriminately in an attempt to break the cordon and run away. At this moment, SP Tahir Sajad Bhat alongwith few Police personnel had reached target house retaliated the fire effectively without caring for their personal lives resulting into killing of one of the hiding terrorist namely Assadullah @ Ufaidullah r/o Swat Pakistan top Commander of HM. Feeling the gravity of the situation, his associate namely, Qasim Shah @ Talha r/o Dhir Pakistan, made an attempt to escape from the cordon, set the house on fire and opened indiscriminate fire from the rear side window but the first party who had already taken the position near the house, retaliated the fire bravely and in the exchange of fire, the said terrorist also got killed. The elimination of both the terrorists was a big achievement for the Police and a severe jolt to the network of HM outfit.

Recovery:

1.	AK rifle	02 Nos.
2.	Magazine AK	08 Nos.
3.	Pistol	02 Nos.
4.	UBGL	01 No.
5.	Radio Set	01 No.
6.	AK live ammunition	28 rounds

In this encounter Shri Tahir Sajad Bhat, Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 09/10/2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 26–Pres/2014--The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Pankaj Sharma,
Sub Inspector

02. Imtiyaz Mohammad,
Head Constable

03. Lateef Ahmad,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 03-02-2012 at about 1715 hours, a specific intelligence was received by SOG Pulwama regarding presence of two terrorists in village Adoora, Pulwama. Accordingly, the information was shared with 55 RR, 182 Bn CRPF and a joint cordon was laid. SOG Pulwama cordoned the Northern and North Western side of the target area, CRPF Eastern side and the rest of area by 55 RR. S.I Pankaj Sharma along with Head Constable Imtiyaz Ahmad while strengthening and tightening the cordon, reached the road near the western side of the house of Bashir Ahmad Shah S/O Ab Ahad Shah R/O Adoora and at the same time terrorists hiding in the said house hurled a Grenade and started indiscriminate firing on them from the window facing the road. The grenade rolled over the road and exploded in the nearby drain

giving them a narrow escape. Showing exemplary courage and presence of mind, S.I Pankaj Sharma immediately took position behind a dump of bricks and HC Imtiyaz Mohammad behind a tree and due to retaliate fire, forced the terrorists to go back and thus foiling their attempt to escape. In the exchange of fire, one of the terrorist was injured who later succumbed to his injuries and his body was recovered next day.

As the presence of the terrorists got exposed, cordon around the target house was strengthened. By the time, as light became dim, lighting arrangement was made with the help of generator sets by SF's so that terrorists could not escape taking advantage under the cover of darkness. It was also confirmed that some civilians were also got trapped inside the target house and adjoining houses. The senior officers took the command of the situation and directed the troops to remain extra cautious so that no innocent civilians got harmed. Accordingly all the officers/ officials of SOG pulwama, Army and CRPF remained vigilant throughout night despite sub zero temperature. On 04.02.2012 in the early morning, P.A system was used to address the civilians trapped there. A team was constituted to rescue the civilians which included S.I.Pankaj Sharma, HC Imtiyaz Mohammad and Const. Lateef Ahmad. After several attempts, they managed to rescue 17 civilians from the target and adjoining houses in spite of exchange of firing between security forces and terrorists. The rescued persons informed that there were two terrorists inside the houses and one of them was seriously injured and later succumbed to injuries besides also informed that there are no more civilians trapped inside the target house. Based on the relevant and important information gathered from them, two teams one of Army and another of SOG headed by S.I Pankaj Sharma and including HC Imtiyaz Mohammad and Const. Lateef Ahmad was constituted for final assault to neutralize the another terrorist by entering the target house. Under covering fire when the assault teams of SOG and army took positions near the boundary wall of the target house, they saw the hiding terrorist changing position from one building to other. The assault teams without wasting time immediately fired upon the terrorist and neutralized him. The killed terrorists were later identified as Syed Ashaq Hussain S/O Syed A Gani R/O Panzgam Awantipora Commander of Let outfit for Distt Pulwama and Sameer Ahmad Nazar S/O Ab Rehman Nazar R/o Batpora Arwani Bijbehara of Let outfit.

S.I Pankaj Sharma, HC Imtiyaz Mohammad and Ct. Lateef Ahmad fought bravely without caring for their personal lives during the whole encounter and took the leading position in elimination of both the terrorists. Moreover, many civilian and children who were caught in cross firing were evacuated without any collateral damage due to presence of mind of the above mentioned officers/officials.

Recovery:-

1. Rifle AK 56	:	02 Nos.
2. Mag AK 47	:	05 Nos.
3. Rds AK 47	:	120 Nos.

4. Pouches : 03 Nos.
5. Matrix Sheet : 06 Nos.

In this encounter S/Shri Pankaj Sharma, Sub Inspector, Imtiyaz Mohammad, Head Constable and Lateef Ahmad, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 03/02/2012.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 27–Pres/2014--The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

01. Sher Mohammad,
Head Constable

02. Mohammad Majnoon,
Follower

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 05/07/2012, an information regarding presence of terrorists in village Bowan of Police District Handwara was received. Shri Rajesh Kumar, IPS DIG NKR Baramulla developed the intelligence further and planned the operation with Army 06,21,30,31,32,35 RR and 09 PARA. Small components of Police and Army led by above mentioned officer reached village Bowan and moved towards the target site. Sensing the presence of civilians in the area, the officer formed a rescue team and led from the front assisted by HC Sher Mohammad,7th Bn. and Follower Mohammad Majnoon. Exhibiting high courage, the rescue team moved towards the civilians amid heavy volley of fire from the hiding terrorists. The commitment on part of DIG NKR and the above named officials was extraordinary which led to successful evacuation of civilians. Soon after rescue exercise, the operation team engaged the terrorist in a fierce firefight. Exhibiting high presence of mind, the above officer advanced towards the terrorist in an effective cover fire support from rest of the operational team. On reaching close proximity of the hiding location, they launched an assault on the terrorist and firefight continued for hours during which HC Sher Mohammad and three other Army Jawans sustained bullet injuries. Despite constant bleeding, HC Sher Mohammad remained positioned and retaliated the fire, Shri Rajesh Kumar, IPS and a few Army/Police personnel volunteered and rescued the injured HC/Army

Jawans. The operation continued for the whole night and in wee hours of July,06, DIG NKR Baramulla alongwith Mohammad Majnoon, Follower and a few associates of Army/Police further advanced towards the terrorist and stormed the hiding location and killed one unidentified terrorist.

Recoveries Made:-

1. AK 47 Rifle	-	01 No.
2. AK 56 Rifle	-	01 No.
3. AK Magazine	-	04 Nos (Two burnt)
4. AK-Rds.	-	48 Nos.
5. Empty Cartridge	-	01 No.

In this encounter S/Shri Sher Mohammad, Head Constable and Mohammad Majnoon, Follower displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 06/07/2012.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 28–Pres/2014--The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry/1st Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

01. Fayaz Ahmad, (PMG)
Dy. Superintendent of Police

02. Showkat Ahmed, (1st Bar to PMG)
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 28.03.2012, over a specific information regarding presence of terrorists in Panjwani forests, Dy.SP Fayaz Ahmad (then SDPO Handwara) planned an operation with the assistance of 21 RR. The officer commanded a small component of Police and rushed to target site where he was joined by the troops of RR and other operational components of Police and started the cordon/search operation in the area.

The searching party led by HC Showkat Ahmed while moving towards a house adjacent to the hiding location of the terrorists was fired upon by the terrorists. Sensing the presence of civilians in the area, Dy.SP Fayaz Ahmad instructed the searching party not to retaliate in order to avoid civilian casualties. The officer alongwith HC Showkat Ahmed and a few personnel of Police/Army volunteered for the job of evacuation of civilians and did relentless efforts by putting themselves in extreme risk. Dy.SP Fayaz Ahmad exhibited high order of professionalism and guided his men effectively during rescue operation which lead to safe evacuation of civilians from the adjoining places of target area. However, HC Showkat Ahmed, who was also engaged in rescuing the civilians, faced volley of fire from the terrorists. Dy.SP Fayaz Ahmad immediately moved a BP rakshak towards the location of HC Showkat Ahmed, which was also attacked by the terrorists but could not stop the officer in reaching the proximity of the official. As soon as the BP rakshak covered certain distance, HC Showkat Ahmed moved towards it alongwith two civilians and managed to rescue them.

As the rescue exercise of civilians got completed, Dy. SP Fayaz Ahmad and other operational officers present on the spot framed a special strategy to launch assault on the terrorists for which three different joint assault parties were framed. Dy. SP Fayaz Ahamad himself led one such assault party alongwith HC Showkat Ahmed and others and advanced towards the target site. Sensing this, the terrorists tried to break the cordon by triggering massive assault, however, the personnel deployed in the inner cordon showed good presence of mind and did not provide a single chance to terrorists to flee the spot. In the meantime, the party led by Dy. SP Fayaz Ahmad engaged the terrorists in fierce firefight from one side and other two assault teams also engaged the terrorists from other sides. After every minute, the operation was getting more and more challenging as the terrorists were trying to harm the Police personnel by indiscriminate firing and grenade throwing and were also making constant efforts to break the cordon. The close range gun battle between the party led by Dy. SP Fayaz Ahmad and the terrorists took place for more than one hour. Sensing that the retaliation on part of terrorists is increasing, the police officials, alongwith few other personnel, advanced further towards the terrorists and stormed the target site which lead to elimination of three terrorists namely Zabiullah R/O PoK of LeT, Ali Bhai R/O PoK and Muzamil @ Abid R/O PoK.

Recoveries made:-

i)	AK 47 Rifle	:	03 Nos.
ii)	AK Magzine	:	13 Nos.
iii)	Hand Grenade Chinese	:	02 Nos.
iv)	AK rounds	:	304 Rds .
v)	RS Antenna	:	03 Nos. (Damaged)
vi)	UBGL Thrower	:	02 Nos.
vii)	UBGL Grenade	:	03 Nos.

In this encounter S/Shri Fayaz Ahmad, Dy. Superintendent of Police and Showkat Ahmed, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal/1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28/03/2012.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 29–Pres/2014- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jharkhand Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

01. Deepak Kumar Sinha,
Addl. Superintendent of Police

02. Md. Perwez Alam,
Sub Inspector

03. Raju Singh **(Posthumously)**
Constable

04. Ramesh Giri,
Constable

05. Sita Ram Mardi,
Constable

06. Brajesh Kumar,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 11.09.2011 at 12.15 hrs Md. Perwez Alam, SI cum Officer Incharge, R.I.T.P.S District Seraikella- Kharsawan received information from Deepak Kumar Sinha. Addl.S.P (Operation), Seraikella that two jail breaker hardcore Naxalites, Ravi Singh Munda and Balram Sahu @ David @ Bolo Sahu, wanted in several criminal cases since long were living secretly in a house in Saldih Basti under Adityapur P.S. with intention to collect levy and to murder someone. Following instructions from

Addl. SP. (Operation), he with Tiger Mobile CT Raju Singh, CT Barjesh Kumar, CT Tinku Kumar and CT Raviendra Kumar reached immediately at Ashiana More, Adityapur. The Naxalites were inside a tiled house just in front of ESI Hospital, Saldih and were about to depart. Addl. SP (Operation), SI Md Perwez Alam, CT Barjesh Kumar, CT Ramesh Giri, CT Sitaram Mardi and CT Raju Singh stepped in the compound furtively. The moment they stepped in, two men present in the inner room, sensed their arrival and tried to hide themselves. Seeing this Addl.SP introduced himself in loud voice and asked them to surrender. No response was made despite repeated calls. The Addl.SP then ordered CT Sitaram Mardi, CT Raju Singh, CT Ramesh Giri, CT Barjesh Kumar and CT Neeraj Kumar to enter into the room cautiously and arrest the hidden nexalites. The moment they neared the room, one of the naxalites opened fire from inside the room which whizzed past CT Sitaram Mardi. Showing utmost courage and dogged determination, swiftly pounced on him and seized him by the arms. Seeing this another naxalite opened fire which unfortunately hit CT Raju Singh in his chest and he fell down. The naxalites fired again aiming at Addl. SP (Operation) and SI Md Perwez Alam who were facing the ultras from the front. Finding the situation precarious and with no alternative in sight to encounter attack, Addl. SP ordered his bodyguard CT Sitaram Mardi to open restricted firing. He fired four rounds from his AK-47 rifle. Balram Sahu @ David @ Bolo Sahu, one of the two naxalites. tried to flee in the east direction firing on police party. CT Barjesh Kumar chased him while firing from his pistol. Despite his best efforts, the desperado slipped away taking advantage of dense population of the area. The police team waited and watched for a few minutes, no movement was noticed inside the room. Then Addl.SP and SI Md. Perwez Alam entered the room cautiously. One naxalite was found dead due to bullet injury, sunk in blood on the floor of the room who was identified as Ravi Singh Munda, CT Raju Singh who was serious due to bullet injury was immediately taken to hospital where he was declared dead.

Two country made pistols, 4 (Four) empty shells of 7.62 M M and 5 (Five) live cartridges were found lying behind the dead body of the deceased naxalite. One looted Hero Honda (Passion Plus) bearing No-JH 01 H-7213 was recovered from the courtyard of the house where the naxalites were living secretly, this refers to Ichagarh P.S. Case No-42/11 U/s 392 I.P.C.

From further investigation of Adityapur P.S Case No-213/11 dated 11.09.2011 U/s 353/307/302/34 I.P.C. 25 (1-b)a/26/27/35 Arms Act & 17 CLA Act it reveals that the deceased Ravi Singh Munda and the escapee Balram Sahu were extremely violent and motivated naxalites. They committed many gruesome and heinous crimes. They were synonyms of terror. They extorted levy from people of Seraikella, Chandil and its adjoining areas. Emboldened they broke out of the sub jail Seraikella on 17.08.2011 and escaped. This refers to Seraikella P.S Case No 63/11 dated 18.08.11 U/s 224/225/225(A)/341/342/ 222/120(B) I.P.C & 17 CLA Act.

In this encounter S/Shri Deepak Kumar Sinha, Addl. Superintendent of Police, Md. Perwez Alam, Sub Inspector, (Late) Raju Singh, Constable, Ramesh Giri,

Constable, Sita Ram Mardi, Constable and Brajesh Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11/09/2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 30–Pres/2014--The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jharkhand Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

01. Ashwini Kumar Sinha,
Sub Divisional Police Officer

02. Birendra Kumar Ram,
Sub Inspector

03. Pradeep Kumar Mehta,
Constable

04. Praveen Kumar Jha,
Constable

05. Uday Chand Meena,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 27/28.01.2011 at about 2100 hrs SP Latehar informed that 14 to 15 armed CPI Maoist cadres have entered in the Village Luhur under Barwadih PS to result a major crime incident. Based on that information SDPO Barwadih Sri Ashwini Kumar Sinha along with his house guard, Barwadih PS Reserve guard, Barwadih PS SI Birendra Kumar Ram, SI R P Singh, CRPF Company Commander Subhash Jha Camp Barwadih and CRP Force proceeded to raid at about 1.00 pm. SP Latehar again informed on mobile that above armed CPI Maoist cadre have arrived at village Luhur and have taken shelter in the house of one Baijnath Singh Kharwar. On the basis of that information SDPO Barwadih Sri Ashwini Kumar Sinha formed a striking party comprising him self, Const Praveen Kumar Jha, Const Uday Chand Meena, Const Gopal Choudhary, OC Barwadih PS SI Virender Kumar Ram Const

Awadhesh Paswan, Const Pradeep Kumar Mehta, Const Syed Juber Ahmad and 11 Bn CRPF Insp/GD S C Jha and their troops. The party moved towards Luhur Barwadih with the help of night vision device. It was mid night and darkness prevailed everywhere. One kilometer before the target the Police party took their position as per the planning around the target. With the help of NVD it was noticed that a sentry has been placed with weapon in front of the house of Baijnath Singh Kharwar at a distance of 5-10 meters where other naxals were hiding. The Police party led by Sri Ashwini Kumar Sinha SDPO Barwadih alongwith CRPF striking party led by Inspr/SC Jha moved crawling towards the sentry. When the Police party reached nearer their movement was sensed by the sentry and he started firing on them and ran toward the house where other naxals were hiding. The Police party asked the naxals to stop firing and surrender but the naxals continued firing from the window and from the main door. The naxals were firing heavily on the Police party from the main door but SDPO Barwadih Sri Ashwini Kumar Sinha along with his party risking their lives and inspite of fire coming directly on them, fired at the naxals which hit them and ultimately naxals collapsed near the door. The firing stopped for 4-5 minutes but again gun shot was fired from inside. The last naxal was identified as Basant Yadav tried to escape and ran in eastern direction but the Police party led by SDPO Barwadin Sri Ashwini Kumar Sinha proceeded crawling in the same direction with firing to shot him dead. After day break the encounter site was thoroughly searched and dead bodies of nine hardcore CPI Maoist were recovered.

Apart from the dead bodies following arms/ammunition and items were also recovered from the site.

(1) 7.62 mm SLR- 01 (body No 10050017390FF95).

(2) 7.62mm Bolt rifle- 5.

(3) Country made pistol alongwith barrel- 03.

(4) SLR magazine- 02.

(5) 7.62 mm live Amn- 76 rounds.

(6) 7.62 mm empty case- 10.

(7) 7.62x39 mm live ammunition- 41 rounds.

(8) 7.62x39 mm empty case- 12.

(9) Semi automatic empty case (Caliber not known)-02.

(10) 08 mm empty case- 01.

(11) Round Bullet (Caliber not known)-01.

(12) Mobile Nokia- 03 with extra Battery,

In this regard on the basis of self statement of OC Barwadih PS SI Birender Kumar Ram Barwadih PS case No 4/11 dated 28.01.11 u/s 147/148/149/353/307/121 IPC, 25(1-B)A/26/27/35 Arms Act. And 17/CLA Act. Against CPI Maoist Sub-Zonal Commander Basant Jee alia Basant Yadav s/o Johan Yadav village Ambatand PS-

Ranka Distt- Garhwa (Dead) (2) Deoduth Yadav alias Vikrant s/o Gopal Yadav village Honhe PS Ranka Distt- Garhwa, seven other dead naxalees and 5-6 unknown naxalees have been registered.

The Police team bravely faced the naxals risking their lives and shot dead CPI Maoist Sub-zonal Commander Basant jee alias Basant Yadav who was wanted in several cases along with 8 other naxals and recovered 9 arms, huge quantity of live cartridges and other items.

In this encounter S/Shri Ashwini Kumar Sinha, Sub Divisional Police Officer, Birendra Kumar Ram, Sub Inspector, Pradeep Kumar Mehta, Constable, Praveen Kumar Jha, Constable and Uday Chand Meena, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28/01/2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 31–Pres/2014--The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Madhya Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

01. Rakesh Pratap Singh,
Superintendent of Police

02. Ratnesh Tomar,
Inspector

03. Vasudev Rawat,
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 25th June, 2012 ASI Brajmohan Rawat and HC Vasudev Rawat received credible information that dreaded dacoit Pappu Gurjar along with his gang members from village Madewa side will move towards village Pawa crossing Agra-Bombay Road. The input from informer was that this gang will assassinate Ramhet and Ramavatar Gurjar and kidnap some officers of Marikheda Dam. On receiving this information, Inspector Ratnesh Tomar, ASI Brajmohan Rawat, AD team, SO Satanwara Sanjay Mishra and force as per directions of SP Shivpuri assembled on A.B. Road near village Kanker and joined by SP Shivpuri, who reached to this

destination. Shri R.P. Singh posted earlier in dacoity infested areas like Gwalior and Morena and also served in Naxal area Narainpur (Chhattisgarh) used his knowledge and vast experience in field craft and tactics and tactical movement in night in briefing the force thoroughly. The officers and men were briefed about the task ahead.

Then the entire force was divided into two parties. Party number one was led by S.P. himself assisted by Inspector Ratnesh Tomar, ASI Masih Khan, ASI Brajmohan, HC Vasudev, HC Aslam Khan, HC Praveen Trivedi, Constable Udal Singh etc. and Party number two was led by SI Sanjay Mishra, SO Satanwara the members of which were HC Gaurishankar, Constable Rudra Pratap Singh, Const. Adesh Dhakar etc. The entire force reached beside the A.B. Road and took positions for ambush.

At about 10 PM some voices were herd coming from the tunnel side below the A.B. Road. Five armed persons appeared crossing the tunnel viewed with the help of night vision device and dim moonlight. SP Rakesh Pratap Singh asked them who were they? SP also warned them to surrender, but undeterred by police warning miscreants opened indiscriminate firing aiming at police parties. Then Inspector Ratnesh Tomar, HC Vasudev Rawat and HC Aslam Khan amidst the heavy spray of bullets showered by dacoits, crawled to reach to the left side of dacoits by showing exemplary courage and outstanding tactics viewing this brave movement, dacoit with intention to kill started heavy firing aiming at this group. One of the dacoits abused and introduced himself as Pappu Gurjar and told that he had looted rifles from police and also killed a Constable. Viewing imminent danger to their lives and limbs they retaliated in self defense to gun down two dacoits one of them was later identified as Pappu Gurjar. Dacoits continued heavy firing with intention to kill police force, then SP R.P. Singh endangering heavy risk to his life together with HC Praveen etc. started crawling and in dire threat to life, retaliated in self defense and gunned down one dacoit. This was an outcome of the tremendous courage tactical move and bravery on the part of SP R.P Singh . Another dacoit was liquidated in the same gallant manner by Inspector Ratnesh Tomar, Constable Udal Singh etc. after a chase. During this final charge and firing by police a shrill cry was heard. Immediately after, firing from dacoit's side stopped. The fifth dacoit disappeared from the scene taking advantage of forest and nalla.

During the search, the dead bodies of four dacoits were found later they were identified as Pappu Gurjar, Ramkishan Adivasi both carrying reward of Rs. twenty five thousand each declared by DGP, MP Bhopal, Ramkhilari Gurjar with reward of Rs. five thousand declared by S.P. Shivpuri and Ramnath Guarjar Papu Gurjar listed as target-39 was the leader of his own gang.

Lethal arsenals one 7.62 mm SLR, one .315 bore rifle and two 12 bore guns with a large quantity of live and empty cartridges were recovered from the spot. The facts elucidated above describe acts of conspicuous gallantry, leadership, exemplary devotion towards duty and self sacrifice of a rare order by the police officers. Last

but not least Pappu Gurjar gang was so fearless and desperate that in the year 2010 they killed Constable SAF Indra Bahadur during an encounter in Shivpuri.

In this encounter S/Shri Rakesh Pratap Singh, Superintendent of Police, Ratnesh Tomar, Inspector and Vasudev Rawat, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25/06/2012.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 32–Pres/2014- The President is pleased to award the Presidents Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Maharashtra Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

01.	**Pardeshi Sukuji Devangan** **Head Constable**	**(PPMG)**	**(Posthumously)**
02.	**Vitthal Shankar Pawar,** **Sub Inspector**	**(PMG)**	

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 19.08.2011 in the early morning at about 03.50 hrs, AOP Potegaon police party comprising of district police and CRPF set out to conduct anti-naxal operation in Makadchuwa jungle area after getting information about suspicious movement of naxalites in the area. HC Devangan Sukuji Pardeshi who was posted at AOP Potegaon was a member of the advance unit party.

At around 07.30 hrs, when police party reached near village Makadchuwa, Shri Joshi, Asstt. Comdt, CRPF F/192 Bn alerted police party after seeing some suspicious movements of armed naxals. HC Devangan Sukuji Pardeshi who was in the front, took position behind a cover. When AC Joshi asked those armed naxals to surrender to police, they started indiscriminate firing over police party. HC Devangan Sukuji Pardeshi who was in the front returned fire. As part of strategy HC Devangan Sukuji Pardeshi led his men from left whereas AC Joshi and his men resorted to heavy gun fire attack over hiding naxals from right side. When AC Joshi with a few men was advancing towards hiding naxals, HC Devangan Sukuji Pardeshi and his men strategically supported them with cover fire. One naxal who got bullet injury in

this attack, started running towards dense forest. When AC Joshi and other police men tried to chase him, the hiding naxals fired at them from left side in which CRPF constable Chandan Nath got a bullet injury. Naxals resorted to heavy gun fire attack over AC Joshi's party to encircle them. HC Devangan Sukuji Pardeshi, realizing that life of his colleagues was in danger, took a courageous decision instantly and gallantely advanced from other side with heavy fire towards naxals who were trying to encircle police. His gallant advancement forced naxals to withdraw and two naxals got injured, in this attack. Brave HC Devangan Sukuji Pardeshi fearlessly continued his advancement in order to prevent them from absconding. Then some hiding naxals fired at HC Devangan Sukuji Pardeshi from maize field and a bullet hit his chest. Even in that critical situation, HC Devangan Sukuji Pardeshi continued to advance. But as the bullet had hit his vital organ, he succumbed to his injuries in the midst of action.

After this mishap, when a helicopter movement was planned to send reinforcement and evacuate injured policemen, PSI Vitthal Shankar Pawar, I/C C-60 parties went ahead in this operation. Within half an hour, he was on the spot. Without being deterred by continuous firing attack of naxals, this brave officer succeeded in evacuating the injured CRPF constable Chandan Nath, whose life could be saved because of this gallant act of PSI Vitthal Shankar Pawar. He further continued his engagement with naxals. When Vitthal Shankar Pawar with a few men of CoBRA 206 Bn, tried to cordon naxals from left side, naxals fired heavily towards PSI Vitthal Shankar Pawar. In retaliation, PSI Vitthal Shankar Pawar and his party also launched strong attack on hiding naxals. This charge was so effective that naxals lost their nerves and decided to retreat. On observing that some naxals were trying to drag their injured colleagues in dense forest, a few constables of CoBRA tried to chase the naxals. Some hiding naxals opened retaliatory fire from right side, in which CoBRA constables Chandrashekhar Tore and Yaser Khan got serious bullet injuries and succumbed to their injuries. On seeing the CoBRA men badly injured, PSI Vitthal Shankar Pawar advanced towards injured personnel to provide cover fire to them. But this time he was not so lucky and he was hit in leg by bullet fired by naxals. On seeing the officer being hit, the other policemen got shaken, but PSI Vitthal Shankar Pawar, with cool mind continued to advance and motivated others to follow. After some time PSI Vitthal Shankar Pawar and his men succeeded in evacuating the injured men to safer place. Later, PSI Vitthal Shankar Pawar was evacuated by helicopter to Gadchiroli for medical treatment.

HC Devangan Sukuji Pardeshi and PSI Vitthal Shankar Pawar fought valiantly and did not relent even under the thick of continuous fire from naxals. This gallant action of both of them is a great example of indefatigable courage in fight against the evil designs of naxalism.

Recoveries made :

(i) .303 Rifle	-	01 No.
(ii) Live Rounds of .303	-	14 Nos
(iii) Magazine	-	01 No.
(iv) Chargers	-	04 Nos.

(v) Cash of Rs.10,231/-.
(vi) Letters & Photographs.

In this encounter S/Shri (Late) Pardeshi Sukuji Devangan, Head Constable and Vitthal Shankar Pawar, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20.08.2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 33–Pres/2014--The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Maharashtra Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Rajvardhan,
Dy. Commissioner of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 26th November, 2008 at about 2140 Hrs two of the ten terrorists opened indiscriminate fire with AK-47 inside crowded CST Railway Station. The other terrorists moved around in pairs and laid siege on Nariman House, Hotel Trident, Hotel Taj and Café Leopold in Colaba. The last pair first raided Café Leopold and after firing indiscriminately on foreign tourists proceeded to join their other accomplice at Hotel Taj. Before entering the hotel they also planted two powerful IEDs in the vicinity of Gateway of India.

After gaining entry in Hotel Taj, the four terrorists started indiscriminate firing on the guests. Their only intention was to kill as many people as possible and for this they also used Hand Grenades. Hotel Taj was fully packed with visitors which included a large number of foreign nationals. However timely intervention by Mumbai Police saved many lives. The team comprising of Mr. Vishwas Nangre Patil, DCP, Zonel-I, Mr. Rajvardhan, DCP, SB-II, Mr. Deepak Dhole, PI, Mr. Kakade, PSI, Mr. Amit Khetle, PC, Mr. Arun Mane, PC, Mr. Rahul Shinde. PC, SRPF and Mr. Samadhan More, PC, SRPF were in the forefront to contain the terrorists hold up in Hotel Taj. They immediately launched a counter offensive against the terrorists returning their fire and in the process one of the terrorists was injured. The team pursued the terrorists and forced them to one side of the hotel building on the 6th floor, thereby shielding the other guests/tourists from enemy fire. The team pinned

these terrorists on 6th Floor for more than 3 hours, continuously replying to their fire and not allowing them to escape or harm more people. During this period, the team also coordinated with hotel management and Fire Brigade in successfully evacuating more than 500 tourists and employees trapped in the hotel.

Soon after the attack, the Govt. of Maharashtra had constituted a High Level Enquiry Committee under the Chairmanship of Mr. Pradhan to study the response of different government agencies in mitigating and responding to the crisis. In the report, the committee has appreciated exemplary and gallant work done by the team.

Role played by Mr. Rajvardhan, DCP, SB-II, Mumbai

In 2008, Mr. Rajvardhan was on deputation in I.B. and DCP, SB-II, Mumbai. On 26.11.2008 at about 2140 hrs., when the said attack was launched, Mr. Rajvardhan was at home. As soon as he got news of the attack on Café Leopold, Colaba, he immediately rushed to Colaba Police Station to know more details. On arriving there, he got the news of the ongoing attack at Hotel Taj. He immediately decided to move towards Hotel Taj.

Mr. Rajvardhan has good experience in tactical fight and had gained this experience during his posting as SP, Gadchiroli. When Mr. Rajvardhan arrived at Hotel Taj, he realized that this was well coordinated terrorists attack. He immediately teamed up with Mr. Vishwas Nangre Patil and his team who were fighting with the terrorists. Subsequent to Team's response, the terrorists retreated upstairs. Hotel Taj being a very large hotel, it was impossible for the team to pinpoint their location. At this juncture, Mr. Rajvardhan approached the CCTV Control Station of the hotel and pinpointed accurately the position of the terrorists who had taken shelter on the 6th floor. This immensely helped the team to strategize and take positions to pin the terrorists on the upper floors. These terrorists made various attempts to come downstairs with hostages but the team kept on firing and restricted their movements within 5th and 6th floor of the hotel for more than 3 hours. During this period, Mr. Rajvardhan also coordinated with hotel management and Fire Brigade in successfully evacuating more than 500 tourists and employees trapped in the hotel. This dedication and courageous act of the team is highly praise-worthy given the fact that terrorists were armed with one of the most sophisticated weapons as against the police team who had only their service revolvers,/pistols to fight with.

At about 0300 hrs. in the morning NSG arrived on the scene and took charge from the team. There was a lull in the firing as the guard was being changed and as the team moved from their well entrenched position, the highly infuriated terrorists fired upon the team and simultaneously lobbed Hand Grenade in which Mr. Rahul Shinde, PC, SRPF attained martyr and Mr. Rajvardhan and two other constables were critically injured.

In the report, the High Level Enquiry Committee has also appreciated exemplary and gallant work done by the team led by Mr. Rajvardhan and Mr. Vishwas Nangre Patil and to quote "Amongst them we would like to mention two in particular:

Mr. Vishwas Nangre Patil, DCP, Zone-I and Mr. Rajvardhan, DCP in-charge of SB-II, who tried to ferret out terrorists from within the Heritage Taj,"

In this encounter Shri Rajvardhan, Dy. Commissioner of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26.11.2008.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 34–Pres/2014--The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Punjab Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Gurdial Singh, (Posthumously)
Assistant Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

Shri Gurdial Singh, ASI was posted as in-charge of Police Post Shaheed Bhagat Singh Nagar (PS Sarabha Nagar Ludhiana). This police post is spread over a very large area and is sensitive in nature from law and order point of view. Anti social elements were active in the area and many incidents of snatching of gold ornaments from morning walkers were reported. As a result there was acute panic in the general public. To prevent this crime and to apprehend the accused, the local police had launched a special campaign such as anti social elements to create sense of confidence and security in the general public. Intelligence network was also strengthened to curb criminal activities in the area.

On 17.05.2011 ASI Gurdial Singh attended the Hon'ble Punjab and Haryana High Court at Chandigarh in connection with an urgent bail matter and returned back to the Police post in the late evening. Thereafter, he alongwith Police personnel laid down a special naka in connection with searching of anti social elements and checking suspected vehicles. During the naka bandi he received an information from source that some anti social elements are planning to commit a major crime in the area. At this, ASI Gurdial Singh took immediate action and rushed to the spot, but criminals succeeded to flee away.

On 18.05.2011 in the early morning ASI Gurdial Singh incharge Police Post Shaheed Bhagat Singh Nagar, (PS Sarabha Nagar) Ludhiana alongwith HC Amarjit Kumar and source were on patrolling on the basis of an information about the presence of the anti social elements in the area. The police party headed by ASI Gurdial Singh noticed two persons moving on a motor cycle without number plate under suspicious circumstances they were immediately chased by the Police parties without caring for their personal safety/security and ASI Gurdial Singh succeeded in apprehending one criminal after a long scuffle. But in the meantime co-accused who was equipped with weapon fired on ASI Gurdial Singh which hit in the head. As a result ASI Gurdial Singh fell down due to grievous injury. The accused also fired on source and injured him. Then by taking advantage of the situation accused fled away. On receipt of information about this incident, the senior officers immediately rushed to the spot. ASI Gurdial Singh immediately taken to DMC & Hospital Ludhiana for treatment, where he struggled for life and succumbed to injuries on 12.06.2011. In this regard, a case FIR No.94 dated 18.05.2011 u/s 307/34, IPC 25/54/59 Arms Act was registered at PS Sarabha Nagar, Ludhiana against unknown accused persons.

ASI Gurdial Singh has laid down his life while fighting with anti social elements without caring for his personal safety and security by showing indomitable courage and bravery.

In this encounter Late Shri Gurdial Singh, Assistant Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18.05.2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 35–Pres/2014--The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Rajasthan Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Nihal Singh, (Posthumously)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 02.07.2011 at 08:45 AM Shri Nihal Singh , Ct posted at PS Sadar while on casual leave, he was sitting on the bus stand Barodakan in his home village. There he saw Mahendra Meena (wanted accused on vehicle theft) and his group member. He

informed to C.O. city Alwar about this frequently. CO City then ordered SHO Kathumar to arrest the culprits. On seeing SHO Kathumar at the bus stand, Mahendra Meena and his group member tried to run away. To catch them Ct Nihal Singh on his motor cycle run after them. Then criminal Mahendra Meena shot fire on Ct Nihal Singh by "Deshi Katta". Due to this, a lot of rounds got inserted in his stomach and right side of body. On hearing the sound of firing Police party and villagers run after culprits. Meanwhile Police parties from nearby Police station were informed to reach at that point. Injured Ct Nihal Singh was admitted to Govt. Hospital Kathumar for first aid and then admitted to General hospital Alwar from there he was referred to SMS Hospital Jaipur for further treatment. A case No. 173/2011 dated 02.07.2011 u/s 307, 332, 353 IPC and 3/25 Arms Act was got registered at PS Kathumar District Alwar by Shri Balram s/o Shri Daulatram Yadav r/o Barodkan.

Shri Nihal Singh Ct PS Sadar performed his duty very well while on leave. He sacrificed his life while catching wanted criminal Mahendra Meena. Shri Nihal Singh showed great courage and dedication to duty even though he was on leave. During this he was seriously injured and was admitted in Hospital and during treatment on 22.07.2011 he was expired.

In this encounter Late Shri Nihal Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 02/07/2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 36–Pres/2014--The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Tamil Nadu Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri T. Alwin Sudhan, (Posthumously)
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

Shri T. Alwin Sudhan was recruited as direct Sub Inspector of Police (Category-I) during the year 2011. After completion of academic training he was posted to Tirunelveli District, Sankarankovil Taluk PS for practical training. After completion of Practical training, he was posted in Sivagangai District and joined in Thirupachethy PS on 24.08.2012. During the short period of two months, he has done

an excellent job in Law and Order. He has taken severe action against the sand mafia gangs and curtailed illegal activities. He has registered 28 cases under various sections of IPC and controlled the activities of rowdism. Out of 28 cases, 7 cases were convicted, 8 cases were charge sheeted and 7 cases are UI and 6 cases were action dropped. He had performed various bondobust duties in temple functions conducted in Micheal Pattinam. Meenatchipuram, Mathur, T. Velarngulam, Vempathur and Malavarayanenthal villages which are in limits of Thiruppachithy PS. On11.09.2012 during the Immanuel Shekaran Memorial Day, he has done a good job to public and the volunteers in the sensitive area of Pacheri Colony areas. On 27.10.2012 during the Maruthupandiyar Guru Pooja at Kalaiyarkovil he has performed well and ensured for free flow of traffic movements in NH 49. At that time he got informed that some rowdies, under the head of Prabu, who belongs to V Puthukulam in a 2-TATA Sumo Car were making rowdism and causing public nuisance at Vempathur. To solve the problem he went to the spot. At that time above said Prabu gang quarreled with Manamadurai Deputy Superintendent of Police Shri Karunanithi and Inspector Shri Vijayakumar at Vempathur Lashmipuram road and knocked down the Deputy Superintendent of Police and tried to kill him by sword. At that time Shri T Alwin Sudhan Sub Inspector of Police, tried to save him and also try to secure the rowdy. But the rowdy Prabu attacked the Sub Inspector of Police with sword on his chest. On the way to hospital he succumbed to injury.

Shri T Alwin Sudhan saved the life of the Deputy Superintendent of Police, one Inspector and 2 Head Constable by giving his soul.

In this encounter Late Shri T. Alwin Sudhan, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27/10/2012.

SURESH YADAV

OSD to the President

No. 37–Pres/2014--The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Uttar Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Govind Singh, Inspector **(Posthumously)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 18.04.2012, Shri Jogendra Kumar, SP Mau received an information about the police encounter of SOG with notorious and rewarded criminal Dheeraj Singh in village Karmi Mathia, PS Chirrayakot, immediately, sprung into action and rushed to the site. Criminal Dheeraj and his companion, had forcibly entered in the house of Ramji Barnwal, in Karmi Mathia and brutally killed him, hostaged his 05 years child and were incessantly firing towards the police party. Shri Govind Singh, Inspector/SHO Kotwali city Mau, in the mean time, arrived there and leading the police team, strategically challenged the criminals-duo and without caring for his life and limb, displaying conspicuous gallant act of bravery, moved ahead, with controlled firing, to arrest them alive, but in indiscriminate firing by the criminals, he was seriously injured, and he promptly, rushed to hospital for treatment, where he succumbed to his injuries.

S.P.Mau arrived there with reinforcement, Shri Vijay Singh Meena, S.P.Azamgarh also reached there and challenged the criminals to surrender, but criminals dared to continue incessant firing, more violently, towards them, with an intention to kill. SP Mau, SP Azamgarh, CO city Mau, Shri Bind Kumar SI, Shri Shashi Bhushan Rai SI and Shri Ashok Kumar Singh HCAP undeterred of dangerous firing offensive of criminals-duo, strategically, counter attacked them with teargas, causing one of the criminal, coming out of the house, firing, incessantly and violently, towards the police party and in this situation of 'do or die', police team with indomitable courage and in utter disregard of their personal safety and with determination to arrest the criminal, alive, challanged him, to surrender and fearlessly moved ahead, in front of him, resorting controlled firing in self-defence and the criminal fell injured.

The police team with an objective to rescue the hostage child and capture the criminal alive, who was terribly firing towards the police party, from inside the house, dauntlessly led the attack, continuing performance of conspicuous gallant and sense of dedication towards their duty. Without caring for their life and limb, police party immediately barged in the house and ensuring the safety of hostaged child, resorted restricted firing and criminal fell down, injured and the hostage child was successfully rescued. Both the criminal were later declared to be dead and identified as notorious criminal Dheeraj and Vikas.

Recovery:

(1) 01 F.M. Pistol with Magazine, 04 live cartridges and 10 empty shells of .9 mm.
(2) 01 Pistol, 03 live cartridges and 03 missed cartridges of .32 bore.
(3) 03 Country made Pistols, 03 live cartridges and 31 empty shells of .315 bore.

In this encounter Late Shri Govind Singh, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18/04/2012.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 38–Pres/2014--The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttar Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

01. Rajesh Kumar Verma,
Inspector

02. Rakesh Kumar,
Sub Inspector

03. Satayendra Kumar,
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 21/03/2013, Shri Rajesh Kumar Verma Inspector having received information, from Shri Rakesh Kumar SI, about roaming of few miscreants, in Innova car, to commit some heinous criminal activity, in the area of Bijli-Bamba bypass, immediately sprung into action. He alongwith the available police officials at the police station and crime branch team, promptly moved and while, patrolling, in two police vehicles, in the area of Rithani, Rijhani and Shatabdinagar. On reaching near the Divider road crossing, they saw a Innova car, coming, in front, from Delhi road side and as it came closer to the crossing, seeing the police vehicles, in front, abruptly and hurriedly turned, right, on the wrong side of the divider-road and ran towards Panchwati.

Shri Rajesh Kumar Verma and Shri Rakesh Kumar, prompted by unusual and abrupt action, of the occupants of Innova car, became confident, that they are miscreants and they, swiftly turned their vehicles, on the adjoining divider-road, chased them and moving their vehicles, faster, strategically stopped and both of them, fearlessly jumped from police vehicles and came in the middle of Divider-road, in

front of coming Innova car and loudly challenged the miscreants, to surrender, but, crime-clever 06 miscreants, shouting-*Maro saalo ko, yeh policewale hai*, furiously jumped out of Innova car and ran to escape, firing incessantly, towards the police team, with an intention to kill, but saved providentially.

Shri Rajesh Kumar Verma, Ins., in this situation of 'do or die', when 06 desperados, in his front, opened firing towards the police party and trying to escape, he, with indomitable courage and under his command, Shri Rakesh Kumar, SI and Shri Satyandra Kumar HC, in utter disregard of their personal safety and security and determined to arrest the miscreants, alive and displaying conspicuous gallant, courage and great sense of dedication towards their duty and followed by the team with controlled firing in self-defence, boldly moved ahead and tactically pounced the miscreants, forcefully snatched their fire-arms and successfully, captured, 06 miscreants alive, who were identified to be, notorious criminal Yogesh Bhadoda having a reward of Rs.50,000/- and absconder criminals & active dreaded gangsters of his gang, namely, Lilu, Rahul, Gaurav, Ankit & Sandeep. The sophisticated foreign-made illicit firearms and ammunition and one Toyota Innova car were found from their possession.

Recovery:-

1- One semi-auto carbine with magazine, 10 live cartridges and 01 empty shell of .30 bore.
2- One pistol with magazine, 04 live cartridges and 01 empty shell of .9mm bore.

3- One pistol with magazine, 06 live cartridges of .30mm bore. 01empty shell of 7.62mm.

4- One pistol, 04 live cartridges and 02 empty shell of .38 bore.

5- One country made pistol, 02 live cartridges and 01 empty shell of .315 bore.

In this encounter S/Shri Rajesh Kumar Verma, Inspector, Rakesh Kumar, Sub Inspector and Satayendra Kumar, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21/03/2013.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 39–Pres/2014--The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Santosh Kumar Singh, Constable **(Posthumously)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

After getting dislodged from Saranda forest in the year 2011 it has been the constant endeavour of Naxals to establish their Eastern Regional Bureau Headquarters under leadership of Kishanda (No. 2 in CPI Maoist hierarchy) at Porahat area of Jharkhand. The area is strategically located at the tri-junction of three districts with contiguous dense forest, easy escape routes, inaccessible terrain and poor communication facility. An information about presence of Central Military Commission Chief Anal a/w other state committee members like Kundan Pahan, Prasadji etc. in the area around village Sankara was received. The group was securing the area from the attack of Security Forces by planting anti-personnel and anti-vehicle mines, placing small team ambushes and Local guerilla squad sentries on the approach routes.

On receipt of information 209 CoBRA planned to attack the target area around village Sankara under P/S Tebo, West Singhbhum. Three strike teams were formed which entered the jungle in the night of 02/09/13 and moved towards the target avoiding the sentries of Naxals. The teams stealthily traversed whole night through dense forest, negotiated thick undergrowths and undulating ground and reached nearer to the target. The three strikes decided to attack the area from two directions and cover each and every hill. Accordingly Strike 1 approached from west and Strike 2 and 3 from South East direction of village Sankara. As the respective Strikes began clearing the hills, Strike 1 was fired upon heavily by Naxals from three directions. The Naxals had perched themselves on the hilltops and made themselves secure behind morchas. The indiscriminate firing followed by blasting of IEDs did not deter the troops and they also retaliated effectively with heavy fire and challenged the Naxals. On the other side when Strikes 2 and 3 advanced from south east direction they too met the same fate and found themselves trapped amidst heavy fire of Naxals. It was felt that Naxals had occupied all the hill tops in the area and placed their Light Machine Guns on the hills in order to inflict heavy damage on the Security Forces. The upward advance was getting tougher as the Machine Guns were raining havoc on the troops. CT/GD Santosh Kumar Singh made up his mind to attack the machine gun post so that his teammates could advance and run over the camp. He located a well camouflaged morcha from where a machine gun was belching heavy fire on the troops. He fired at the morcha and advanced to stop the blazing machine gun. The Naxal behind the LMG noticed his advance and opened direct fire on him. This act of the brave soldier distracted the sentry of naxals and he began concentrating his fire on Ct/GD Santosh thereby opening the route for other troops to advance. But the task was half-done and in order to enter the secured camp it was important to silence the sentry of the Naxals. CT/GD Santosh took this responsibility on himself and came out of his cover and opened indiscriminate fire on the morcha. The duel between

Sentry and CT/GD Santosh started with heavy exchange of fire but the sentry could not stand the effective and accurate firing of CT/GD Santosh and was gunned down. In the exchange of fire one bullet hit this brave soldier on his right upper back. The stopping of machine gun fire infused a new life on the troops and they tactically advanced to clear the hilltops. The Naxals on sensing the tide changing began to escape carrying their injured and dead cadres. CT/GD Santosh Kumar without caring of his injury advanced with his troops till the whole area was cleared and firing stopped. He was evacuated to Ranchi for treatment but this brave soldier died while being evacuated.

In the execution of this brave act, CT/GD Santosh Kumar Singh displayed conspicuous gallantry, exceptional bravery and unparalleled courage under great personal risk against a large numbers of Naxals in adverse conditions. His operational acumen and bold action saved the precious life of his teammates and his gallant action was largely responsible for an outstanding operational success.

Recoveries made :

(a)	Naxal camp with 45 Morchas (rock & logs)		
(b)	Clay More Mines	-	06
(c)	Leads (Tiffin bomb) (3-3),	-	18
(d)	Claymore Mines & IEDs		
(e)	Pressure bomb alongwith 400 Mtr wire	-	01

In this encounter Late Shri Santosh Kumar Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 03/09/2013.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 40–Pres/2014--The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

01. Ugresen Tripathi, Constable (PPMG) (Posthumously)

02. Ali Hasan Constable (PMG)

Statement of service for which the decoration has been awarded

During Assembly Election – 2012 in Manipur, CT/GD Ugrasen Tripathi and CT/GD Ali Hassan of F/155 Bn, were deployed in Section No. 2, along with 5 polling staff and EVM on 27/01/2012 under command of HC/GD Prem Das, at polling booth No. 41/40 at Tampi, under P.S Chakpikarong, Distt- Chandel (Manipur). On 28/01/2012 at 0600 Hrs, HC/GD Prem Das, Section Commander, briefed all personnel of Section No. 2 about duties to be performed by them. The polling process started at 0700 Hrs and all the troops were positioned in their respective location/morchas. Voters were being systematically frisked, properly lined up and polling process was going on peacefully till 1230 Hrs.

All of a sudden at about 1230 Hrs., some miscreants/ militants resorted to burst fire from nearby forest area located behind the polling booth building. Ct/GD M. Satyanarayan and Ct/GD Ashok U. (Morcha No.02) and Ct/GD Deepak Monohar Shalke (Morcha No.03) immediately retaliated by firing from their respective weapons. Section Commander HC/GD Prem Das, who was also positioned near Morcha No. 01, gave firm orders to open fire against the miscreants, and he too fired with his AK-47 Rifle. CT/GD Ali Hassan, who was positioned near the window behind the polling booth building also fired from his AK-47 Rifle. Subsequently Section Commander HC/GD Prem Das (Morcha No.01), Ct/GD M. Satyanarayan and Ct/GD Ashok U.(Morcha No.02), Ct/GD Deepak Monohar Shalke (Morcha No. 03) and Ct/GD Ali Hassan positioned themselves tactically behind the polling booth building, started firing towards the thick forest area from where the firing came. As a result of exchange of fire the voters ran berserk and there was utter chaos among polling staff inside the polling booth.

Taking advantage of the situation, one militant managed to sneak inside the premises of polling booth and started firing indiscriminately on the polling staff. CT/GD Ugrasen Tripathi, who was positioned near the entrance of the polling booth, immediately challenged the millitant and fired with his AK-47 Rifle. The militant also fired back, and in the exchange of fire, CT/GD Ugrasen Tripathi was hit on the left side of his neck. Inspite of grevious injury, Ct/GD Ugrasen Tripathi without caring for his life advanced towards the militant and fought gallantly with the militant till he breathed his last. On hearing the sound of firing inside the polling booth CT/GD Ali Hassan who was positioned near the window behind the polling booth building saw the hard core militant pointing his M-20 Pistol at the Polling Officer of Polling Booth, so he opened fire from his AK-47 Rifle on the militant and killed him instantly. Thus both the brave Constables not only killed a hard core militant but also saved precious lives of many voters who came to exercise their

democratic right, in which, Ct/GD Ugrasen Tripathi depicted sharp presence of mind, conspicuous bravery, high order of devotion to duty and laid his life in the service of the nation.

Due to high order of alertness, conspicuous bravery and dedication to duty displayed by Ct/GD Ugrasen Tripathi and Ct/GD Ali Hassan of F/155, CRPF, not only saved further loss of lives of the remaining troops, polling staff and govt. property could be averted but also foiled a deliberate attempt of militants to disrupt the peaceful process of polling at polling booth No. 41/40 at Tampi, under P.S Chakpikarong, Distt- Chandel in Manipur State Assembly Election-2012. They neutralized a hard core NSCN(IM) militant namely Behenson Nula s/o Dalkhal Nula who had sneaked into the polling booth carrying M-20 Pistol with a motive to cause heavy loss to human lives.

Recoveries made:

1. One M-20 Pistol
2. One Magazine of M-20 Pistol
3. 05 Live rounds of M-20 pistol
4. 02 Empty cases, M-20
5. One Nokia mobile
6. One driving license No. DL No. 141/26 MTH of militant .
7. One identity card and two ATM cards

In this encounter S/Shri Late Ugresen Tripathi, Constable and Ali Hasan, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal /Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28/01/2012.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 41-Pres/2014- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri S. Prabhu (Posthumously)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 14/08/2012 at 1030 hrs after briefing by Sh. S. Elango, DIG (OPS) BJR on a special ops to be carried on counter guerrilla, team No 09 of 210 CoBRA U/C Sh. Gopal Ram, Asstt. Commandant left the base camp at Basaguda, Dist – Bijapur,

Chhattishgarh for specific de-mining duty in a highly sensitive & naxal infected area towards Pusbaka on Basaguda-Pusbaka road in Bijapur district of Chhattisgarh. When the party reached near Pisepara jungle, which is approximately 03 Kms from the base location and while crossing a Nallah/culvert, armed naxals hiding in the dense forest opened heavy fire on the CoBRA team. While Jawans were crossing the culvert, CT/GD S.Prabhu who was a scout and leading from the front came under heavy fire. He immediately took position and retaliated because of which the men crossing the culvert behind him could not be targeted by the Naxals. He faced the naxal attack bravely, retaliated while crawling/changing his positions. By crawling, he moved forward without caring for his personal safety towards the hiding Naxals which forced the Naxals to retreat. Thus he bravely gave a blow to the Naxals plan to kill and snatch the weapons of the troops. Ct/GD S.Prabus's gallant action was a morale booster to the other men crossing the nallah. They promptly fired from their weapons including UBGL. CT/GD S.Prabhu's exemplary courage forced the naxals to retreat and own troops and weapons were saved from snatching by the naxals. However, while changing his position and counter firing CT/GD S.Prabhu was hit on his head by a naxal's bullet causing him to collapse. He was "martyred" on the spot at about 1205 hrs on the day viz 14/08/12. Due to Ct/GD S.Prabhu's gallant focused action the team was able to retaliate aptly by area weapons and came out of the ambush safely without any material losses.

In this encounter Late Shri S. Prabhu, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14/08/2012.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 42–Pres/2014--The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Narender Singh (Posthumously)
Head Constable

02. Parasmani Jha (Posthumously)
Constable

03. Subir Das,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 26/01/2012 two teams of B/175 Bn CRPF were detailed for security duty in connection with the 10th State Assembly election-2012 at Aishi (Manipur) polling booth No : 43/42 & Kongkan Polling booth No : 43/43. Due to heavy threat perception Aishi Polling booth was shifted to Kongkan. Accordingly after briefing, at about 1000 hrs, the party consisting of two sections of B/175 Bn CRPF along with polling staff 5 (five) each for Kongkan and Aishi polling booths and 2 (two) police rep. (VDF) left Kamjong High School (Company loc. of B/175 Bn) for polling booth duty. Polling staff, polling material and luggage etc. were carried in two shaktiman trucks while CRPF party considering the threat perception, hostile hilly terrain and forest were moving tactically by foot as movement in vehicle could have been riskier and casualties could have been higher. CT/GD Parasmani Jha was detailed as (R-1) scout and performing said duty excellently. At about 1200 hrs when the party reached the spot, almost 10 kms from Kamjong towards Kongkan, the leading section suddenly came under heavy volume of fire from two direction by valley based UG's suspected (UNLF) of Cor Com. CT/GD Parasmani Jha (R-1) doing the duty of scout was negotiating the blind curve along the left side of the road (hill side) followed by CT/GD Subir Das (R-2) who was about 30 yards behind on the right side of the road (slope side) and section commander was 2-3 yards behind R-2 on the left side of the road. CT/GD Parasmani Jha (R-1) suspecting something traversed towards the right side for clearing the road which happened to be few feets away from the enemy position. Sensing danger of being fired upon CT/GD Parasmani Jha (R-1) took position alerted the party to take position and while doing so militants opened massive fire on CT/GD Parasmani Jha killing him on the spot. The said CT/GD was in the forefront and by definition of the scout, faced the maximum danger. "Facing danger knowingly and willingly is in itself an act of conspicuous bravery" and CT/GD Parasmani Jha did not flinch, done his duty even as he sensed the presence of the militants near the blind curve on the other side of the road. A man, who would not have shown bravery would have halted, hit the ground by lying down or run backwards. CT/GD Parasmani Jha instead, choose to continue and in doing so, he, in a way, deliberately exposed himself and attracted enemy fire on his own body. By doing so, he made the terrorists expose their cover & concealment. This enabled those in the rear to open fire on the terrorists and force them to flee. Thus, he had displayed conspicuous bravery by discharging the riskiest duty of a scout in an exemplary fashion by not being afraid even when he sensed the presence of the enemy. He deliberately invited hostile fire upon himself so as to force the enemy to expose their concealment, by enabling his comrades at the cost of his own life, to return fire and force the enemy to flee besides saving their lives. From the above act, it has been revealed that an enemy who has set-up an Ambush would necessarily know something about both cover and concealment. Hence there is no significance of the fact that CT/GD Parasmani Jha could not fire upon them to inflict causalities. One, who has set-up an ambush, does so to ensure that they fire first and inflict causalities. This is precisely what happens in ambushes and to argue that only such persons is brave who has fired, is simply wrong. To give up one's life while

performing one's duty in a professional manner and thereby saving the lives of his Comrades is indeed an act of conspicuous bravery which has to be recognized. Meanwhile CT/GD Subir Das also sustained bullet injury on his right leg, fell down and took position on the slope side of the road and fired 6 rounds. Immediately, Section Commander, HC/GD Narender Singh charged towards the enemy position firing from his rifle without caring for his life, by over taking CT/GD Subir Das, but got unfortunately hit by a bullet fired by the UGs. Despite being injured, he still advanced a few yards and took position at the hill side of the road, where he came under direct heavy firing from the UGs, and sustained bullet injury on the right lateral chest and right shoulder. Consequently HC/GD Narender Singh succumbed to the bullet injury and thus made a supreme sacrifice in the service of the nation. CT/GD Subir Das, though injured on right leg crawled tactically towards HC/GD Narender Singh and found that he was dead. He retrieved the damaged AK-47 Rifle and Wireless Set of HC/GD Narender Singh and came to the party commander SI/GD C.N. Shinde. On receipt of information of the ambush on the first team, Sh C. Hangsing, DC rushed with reinforcement to the ambush site. On reaching, he took stock of the situation from SI/GD C. N. Shinde, who was at the rear of the first team, while the UGs were still firing intermittently. He directed CT/GD P. Narzary to fire 04 HE Bombs in that area. Leading a strong section tactically he climbed the hills from where ambush was laid. He further followed the trail where the militants had made a hasty retreat to some distance but no further encounter took place, since the militants taking advantage of the hilly terrain had escaped. After sanitizing the area and the road for about a kilometer, the rear party was called and he re-organized the troops. Sh C. Hangsing, DC personally briefed the first team under command of SI C.N. Shinde on the spot, re-motivated and inspired them to rise up to the occasion and complete their assigned task, personally led them up to a kilometer to boost up their morale, and returned back to the ambushed site to supervise evacuation of the dead jawans.

In this encounter S/Shri Late Narender Singh, Head Constable, Late Parasmani Jha, Constable and Subir Das, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26/01/2012.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 43–Pres/2014--The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Pradeep Kumar (Posthumously)
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

Specific Information received from SP East Garo hills, Williamnagar about functioning of joint training camp of GNLA & ULFA in East Garo hills and a massive operation with sizeable troops was planned with 06 team (02,03,04,05,13 & 14) of 210 Cobra, BSF, CRPF & Meghalaya Police components and was named ops Black Out with assault command of Sh D. S. Pal, DC and overall command of Commandant-210 CoBRA. The teams were placed at intervals and assault team comprising of 30 personnel under command of Sh. Bhalendu Pandey, AC conducted a preview survey/reccee. While the reccee team moved ahead on contours to obtain dominating heights, GNLA extremists opened massive destructive fire with RPGS and small arms. Ops commander immediately evaluating direction of threat, fired area weapons as the only effective means available to repulse attack and searched area and decided to check all other suspicious places enroute and likely designated as hideout.

On 24/07/2012 at 1045 hrs, CT/GD Munna Kumar Yadav and SI/GD Pradeep Kumar were on mutual duty as scout to navigate. The due scout observed ahead presence of some semi built up huts. As the visibility was less, scout advanced to carry reccee, reached ahead and after assessing the situation intimated presence of suspected personnel in camouflage dress and SI/GD Pradeep Kumar sensing trouble warned team-mates to be ready for fire and cover advanced. On confirmation of weapon with extremists, SI/GD Pradeep Kumar challenged, fired and engaged rebels in a gun battle from close range. SI/GD Pradeep Kumar along with buddy CT/GD Munna Kumar Yadav literally chased the militants, who were blindly firing in their direction and making efforts to flee from spot and hit two of them. Blood stain were also seen on the spot. The rebels taking advantage of bad weather condition, thick vegetation succeeded to conceal at rear vegetation far away from the main battle site.

While chasing the fleeing rebels, the SI/GD Pradeep Kumar firing on fleeing rebels advanced, all of a sudden came wider fire from right side of houses of extremists, who had taken cover of thick jungle, SI/GD Pradeep Kumar was hit by a hail of bullet and fell down. SI/GD Pradeep Kumar showing exemplary courage under intense enemy fire, enabled the entire team to gain cover and return fire. Even while injured by direct enemy fire, SI/GD Pradeep Kumar continued to fire with his AK to suppress enemy fire and enable their neutralisation. His action no doubt also saved his teammates. SI/GD Pradeep Kumar made the supreme sacrifice of his life while performing duty. The availability of substantial evidence during search and as confirmed by SP William Nagar and Technical Inputs of Meghalaya Police indicates that two rebels, were injured on OPS dated 24/7/12 by CoBRA party. The gallant action displayed by SI/GD Pradeep Kumar during this critical operation renders his worthy of a very high honour.

Recoveries made :

1	9 MM Ammunition	05 Nos
2	AK 56 (7.62 X39) Ammn.	16 Nos
3	7.65 Pistol Magazine	01 No.
4	7.65 Pistol Ammunition	08 Nos
5	Empty cases of 7.62	01 No.
6	Empty cases of 7.62 X39	02 Nos

In this encounter Late Shri Pradeep Kumar, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24/07/2012.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 44–Pres/2014--The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

01. Anjani Kumar,
Assistant Commandant

02. Raj Kumar,
Constable

03. Sanjay Yadav,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 30/09/2012 based on Intelligence input developed through their sources that one military platoon of PLGA under command Rammana is seen frequently moving in the mountain area between Autapali and Lancheru Gutta which is about 04 Kms north of Sarkeguda base camp. It was decided to carry out search and destroy operation (SADO) immediately. Briefing was done by Shri Anjani Kumar,AC with the help of SOI Map and Google Earth. After briefing two teams (13 and 15) under command of Shri Anjani Kumar,AC himself and two platoons of B/204 (5 and 6) under command Shri Jasbir Singh along with 02 local guides left for search and

destroy operation (SADO) and moved on foot, by 02 Oct, 2012 at 0430 hrs under heavy rain.

The above parties were moving tactically and stealthily in thick forest under absolute darkness using GPS. When the party was about to enter the village Autapalli the party was divided into two groups. First group under command Shri Jasbir Singh, AC took LUP at height 234 (03 Km East of the base camp Sarkeguda) and second group under command Shri Anjani Kumar, AC took LUP at Lancheru Gutta (04 Km North of base camp) Sarkeguda.

After taking the LUP both the party started searching from two different directions. In the way of second party there were five small huts and paddy fields spread over in the dimension of 300x 150 meter. Seeing this, Ops commander Shri Anjani Kumar, AC decided to cordon the huts from left and right direction in 'L' shape. Team No.13 under command SI/GD Sunil Yadav cordon the area from left side and Team No.15 under command Shri Anjani Kumar, AC cordon the hut from right direction. At around 1125 hrs while the cordon was carrying out Team No.15 came under heavy fire by suspected naxals from left side. There were about 30-35 naxals in black coloured uniform and other Sangham members with sophisticated weapons like (INSAS, SLR and Country made weapons) under cover of paddy fields and they fired about 200-250 rounds on the troops. In self defense, the troops also retaliated strongly and effectively.

During counter offence Shri Anajni Kumar, AC reorganized troops, he along with CT/GD Raj kumar and CT/GD Sanjay Yadav formed a micro assault teams. They noticed a uniform clad lady naxal exploding I.E.Ds from a concealed area. She had exploded three I.E.Ds one by one. Shri Anjani Kumar, Asstt. Comdt. Along with CT/GD Rajkumar and CT/GD Sanjay Yadav moved ahead by crawling with the intention to cut-off naxals main firing party as they were firing from near by hilltop. The Naxals were firing continuously on the advancing Sh Anjani Kumar, A/C, Ct/GD Raj Kumar and Ct/GD Sanjay Yadav. Undeterred by the firing without caring their personal safety the trio advanced towards the naxal by crawling. Lady naxal tried to kill them by firing / throwing Grenade / Bombs on them. Sh. Anjani Kumar A/C took position and fired on the lady naxal and killed her on the spot. Ct Raj Kumar and Ct Sanjay Yadav further went close to the dead naxal amid the heavy firing from the other naxal and took away the weapons she was using before dying. During the fierce gun battle some more naxals were hit but they managed to escape from the scene taking cover of paddy field and deep forest. Sh. Anjani Kumar, AC, CT/GD Rajkumar, Babajan Kalita, Rupak Mehdi, Jay Singh Meena, Avanish Singh Bhadauriya and Insp/GD K.N. Maram chased them for shorter distance. Area Weapon (51mm mortar) was used to inflict causalities on naxals. After 55-60 minutes the exchange of fire from both the side was stopped.

In this encounter the following recoveries were made:-

1. Dead body of lady naxal- 01 No.
2. Bharmar rifle - 02 Nos.
3. Tifin Bomb - 03 Nos.

4.	Grenade	- 02 Nos.
5.	Detonator	- 03 Nos.
6.	Ammunition pouch	- 01 No.
7.	1.5V cell	- 03 Nos.
8.	Metal star combat cap	- 01 No.
9.	Pitthu	- 01 No.

The role of the ops commander, Shri Anjani Kumar, AC, CT/GD Raj Kumar and CT/GD Sanjay Yadav were vital in this incident. The whole operation was planned and executed in a classical manner. They not only lead the troop but also fought valiantly. During the fierce gun battle without caring for their life they dared to assault and became instrumental in neutralizing the lady naxal.

In this encounter S/Shri Anjani Kumar, Assistant Commandant, Raj Kumar, Constable, and Sanjay Yadav, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 02/10/2012.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 45–Pres/2014--The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Mukesh Kumar Bunkar, Constable **(Posthumously)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 17/09/12 based on an intelligence input regarding presence of a naxal dasta CPI(Maoist) in the house of Janki Bhuiyan of village Rabda(Juri), PS-Pratap pur, Distt- Chatra(Jharkhand), a combined party of 203 CoBRA under Command Dy. Commandant Shri P.R. Mishra alongwith Shri S.A Rizvi, SDPO Chatra and 03 DAP total strength-27. The combined party was briefed and planned an Operation "Panther". It was a challenging and extremely difficult task to engage the dasta in their bastion. The arduousness of the task was compounded by the fact that it was a pitch dark night with continuous rainfalls. The rivers and rivulets were swollen and the vegetation was at its peak. The team moved from Chatra in a camouflage vehicle and debussed at Satbahini about 08 kms short of the target area, Rabda. Thereafter, the team moved tactically in the pitch darkness with alacrity maintaining skill and

surprise beating odds of the nature. After covering a distance of about 08 kms on foot wading through watery paddy fields and thickened forest patches, the troops under command of Shri P.R. Mishra reached village Rabda at around 0300 hrs. Since the exact location of the house around which the naxal presence was reported was not known to the team, therefore, an observation cum reconnaissance team of three personnel CT/GD Mukesh Kumar Bunkar, CT/GD Prakash Chandra Baliar Singh and Ct/GD Shailendra Xalxo alongwith party commander was mounted. This was very risky assignment but the zeal, tactical deftness and guts of them proved decisive and they could locate the naxal presence around a house. Two cut off had already been deployed at probable escape routes of naxals from the house. Again there was strong possibility of presence of civilians, ladies and children in the house. Therefore the party commander alongwith brave Jawan CT/GD Mukesh Kumar Bunkar, decided to move close and segregate the naxal dasta instead of using indiscriminate fire to avoid innocent casualties. This decision involved putting to risk the life as well as other troops. As per order of their commander CT/GD Mukesh Kumar Bunkar took the risk and crawled their way towards the house. Once they reached at a distance of about 4 to 5 Mtrs from the house they could sense the location of the naxal as well as the family members of the house owner. Thereafter, they challenged the Maoist cadres to surrender which was instantly responded with fusillade of bullets from the house as well as adjoining maize fields. This was the real test of their courage and they rose to the occasion and started retaliating gallantly without any cover. Their commander got bullet injuries in his thigh and shoulder. Without caring for their personal lives CT/GD Prakash Chandra Baliar Singh with his Commander engaged the naxals who were firing from inside of the house and CT/GD Mukesh Kumar Bunkar with one constable of civil police engaged the naxals firing from the maize fields. CT/GD Mukesh Kumar Bunker fought gallantly and suppressed and silenced the firing from maize field. In the meantime, one naxal rushed out of the house resorting to burst fire in which their commander got two more bullets. CT/GD Mukesh Kumar Bunkar was fighting bravely with naxals who was firing from under the house & fields. One naxal fired a burst immediately from the house in which CT/GD Mukesh Kumar Bunkar was seriously injured by a bullet hitting his forehead and CT Sanjay Kumar Yadav(JKD Police) got 02 bullet injury on right hip. CT/GD Prakash Chandra Baliar Singh and Ct/GD Shailendra Xalxo faced the risk as Team commander and Ct/GD Mukesh Kumar Bunker and Ct Sanjay Kumar Yadav (JKD police) had already seriously injured did not lose nerve and continued to fire heavily inside the house and killed the naxal. Though CT/GD Mukesh Kumar Bunkar, was exposed to life threat but they did not lose the grit, determination and steely resolved. They continued face the heavy naxal fire for half an hour. As a result the naxals had to flee helter-skelter with their seriously injured comrades taking the advantage of darkness and dense vegetation. Dead body of a dreaded naxal namely Jitendra alias Jeetu was recovered alongwith a large number of Arms & ammunitions alongwith Rs. 40,000/- cash from the spot. One Sub Zonal Commander Raghuvansh was severely injured which was intercepted by civil police. CT/GD Mukesh Kumar Bunkar alongwith other injured were immediately evacuated to PHC Pratappur and further lifted by Chopper to Appolo Hospital, Ranchi. But CT/GD Mukesh Kumar Bunkar could not survived his injuries on his fore head with

damaged eyes and left side upper back having lacerated wound and martyred during treatment at Trauma Centre, AIIMS, New Delhi at 1350 hours on 24/09/2012.

Recovery:-

Revolver-01

3. .315 bore Rifle- 01

4. .303 Police Rifle-02

5. Semi automatic rifle-01

6. AK-47 live rounds- 90

7. Semi auto live rd

1. AK-47- 01

2. .38 bore s-87

8. .303 rifle live rounds- 118

9. .315 bore Rifle live rds -40

10. .38 live rds – 10

11. 12 bore live rds – 04

12. Empty cases (AK-47-23 Nos, Semi auto-01No, .303- 50 Nos, Bharmar -01 No)

13. Cash- Rs. 40,000/-

14. Walkie-Talkie set- 01

15. Compass-02 Nos

16. Mobile set-03 Nos

17. SIM Cards-03 Nos

18. Memory cards-03 Nos

In this encounter Late Shri Mukesh Kumar Bunkar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18/09/2012.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 46–Pres/2014- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Sibo Prasad Panigrahi,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

Four (04) teams of 202 COBRA Bn divided into two Groups namely Group A and GroupB under overall command of Shri Uday Divyanshu, DC were detailed for a special operation from 15-06-10 to 16-06-10 on the basis of intelligence about presence of 90 to 100 heavily armed Maoists moving/organizing training camps inside the jungles of Duli under PS-Salboni in Distt-West Midnapur of West Bengal. At around 160430 hrs while combing the dense jungles, both the Groups came under heavy indiscriminate firing/IED blasts by multiple ambush parties of armed Maoists from well fortified positions stretching to a radius of nearly one Km. The armed Maoists were firing from different positions from close range with the help of sophisticated weapons like AK 47 & SLR and also by country made weapons.

Group A came under the killing zone configured by Maoist ambush parties. In the course of their counter ambush, Shri Uday Divyanshu DC, Shri Vinod Sawant AC, and Ct/GD S.P.Panigrahi immediately formed a small team and detected one of the multiple ambush parties consisting of 15 to 20 Maoists and counter ambused gallantly. Similarly, Shri Rajan Roshan Tirkey AC, formed another small team with HC/GD M.Kailasam and CT/GD U. Ramarao and detected another Maoist ambush group consisting of 15 to 20 Maoists and retaliated bravely.

Group B also came under Maoist ambush during their counter offensive. Ct/GD Pratap Paul and Ct/GD Pingle formed another small team detected one of the multiple ambush parties consisting of 10 to 15 Maoists and retaliated bravely.

Taking great risk of their lives, all the eight personnel of these teams crawled amidst minefields and heavy firing by the Maoists and launched a daring close quarter battle on their fortified positions and shattered their ambush and killed many Maoists.

The continuous pursuit by these personnel in their line of advance created panic amongst the Maoists and eight of the fleeing Maoist guerillas were neutralized by these teams. Other Maoists managed to escape away leaving behind their Arms/Amns. 01 AK 47, 01 SLR, 4 SBBL, 02 Pistols, 04 large landmines along with a huge cache of ammunitions, IED components were recovered from the site of ambush. More importantly, these Groups succeeded in breaking another ambush set by the Maoists while bringing the 08 dead bodies of the neutralized Maoists to PS Salboni.

In executing this brave act, the 8 commandos displayed conspicuous gallant and exceptional bravery and courage by putting their own lives at risk against overwhelming numbers of Maoists, adverse and unfavorable conditions and IED blasts and succeeded in effecting an outstanding operational success.

In this encounter Shri Sibo Prasad Panigrahi, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16/06/2010.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 47–Pres/2014--The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

01. Trilok Nath Singh,
Dy. Commandant

02. Birju Kumar,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

C/205 was deployed at P.S. Nauhatta, Distt- Rohtas for Anti Naxal OPS u/c Sh. Trilok Nath Singh Dy. Commandant. On 01/01/12 Int. was received by Sh. T.N. Singh by his own cultivated source about presence of heavily armed naxal groups under command Munna Vishwakarma Sub Zonal Commander of SGV2 in the Jungle near Vill-Yadhunathpur and Suwarmanwa, P.S.-Chutia with intention to kill innocent people and to attack police patrol and pickets. After verification of int. Sh. T.N. Singh launched an offensive OPS alongwith S.P, Rohtas. Joint briefing was done by Sh. T. N. Singh and S.P. at P.S. Chutia.

Party moved by vehicle to some distance, re-organised and started navigating with the help of GPS. At about 04:45 hrs. when the party was approaching near bridge No 119, suspicious sound of foot steps was heard by scout CT/GD Birju Kumar and T.N. Singh who were leading the team. Sh. T.N.Singh immediately directed team No. 09 to cover the area from north i.e. from right side and remaining personnel of team No. 08 from south i.e. from left side. Troops approached silently towards bridge. Sentry of naxal group shouted "Cobra Commander, SP aur Chutia Ka Bara Babu Akela Police ke sath Aa gaya hai, yehi mauka hai in sab ko mar do" and heavy firing started from north and south direction on the leading buddy CT Birju Kumar and Sh. T.N. Singh . Sh. T.N. Singh and CT Birju kumar took position in north and south direction respectively. While firing was going on one naxal in black

uniform charged towards road by firing on the party. In the midst of a volley of fire from all sides Sh. T.N.Singh in a glaring act of bravery and without caring for his personal safety, faced the attack from a virtual CQB position. This gallant officer dared to neutralize one naxal, later on he was identified as Santosh Yadav area commander of Garhwa Distt.(Jharkhand).

In the mean time some naxals ran towards the south direction and started firing on troops from near the bridge, CT Birju Kumar came under heavy firing from all sides and without caring of his life, dared to block the escape route. Naxals started surrounding him from all sides with an intention to kill him, snatch his weapon and to escape from south side. But unmatched professional skills undeterred determination and unparallel bravery of CT Birju Kumar resulted in bare display of raw courage where he single handedly killed a naxalite and created panic in them and forced rest of them to run away. Then Sh. T.N. Singh ordered CT Birju Kumar to lob hand grenade from his side and he himself lobbed a hand grande from the north side. Sh. T.N Singh, again threw another hand grenade, after holding for one second in his hand, which exploded under the bridge in which one naxal received grievous injury and died, who was later identified as Kashi Kol, Area Commander. After the firing stopped, troops moved tactically towards the encounter site and searched the area. During the search operation three dead bodies of Naxals in uniform were recovered and one injured naxal apprehended alongwith one SLR rifle, one 315 bore rifle, 303 rifle, 157 live cartridges, detonators, wireless set, bomb exploder etc recovered from encounter site.

The operation was a great success only due to meticulous planning, precise execution, right strategy coupled with exemplary leadership and bravery, extraordinary courage and exceptional gallant exhibited by Shri Trilok Nath Singh and CT Birju Kumar, who took immense personal risk without caring about their life. They have shown extra ordinary bravery and courage, which will go a long way in boosting the moral of troops and battalion during the well executed operation.

In this encounter S/Shri Trilok Nath Singh, Dy. Commandant and Birju Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 02/01/2012.

SURESH YADAV
OSD to the President

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 25th March 2014

RESOLUTION

No. 9/4/2010-TUFS--The Government of India has decided that the term of the existing Cotton Yarn Advisory Board originally constituted on 13th September, 2010 and last reconstituted on 25th June, 2012 shall be extended upto 30th June, 2014.

2. The member of the Boards will serve on the Board upto 30th June, 2014 or until further orders whichever is earlier.

3. The non official members will be allowed TA/DA for attending the meetings of the Cotton Yarn Advisory Board in accordance with the instructions of Ministry of Finance. Textile Commissioner may invite individuals with considerable experience in cotton yarn economy for the meetings of the Cotton Yarn Advisory Board.

4. Secretariat Assistance will be provided by the Office of the Textile Commissioner, Mumbai. Ordered that the copy of this Notification be communicated to all concerned.

5. Ordered also that it be published in the Gazette of India.

R.K. SRIVASTAVA
Under Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi dated 21st February, 2014

NATIONAL YOUTH POLICY – 2014

Executive Summary

No.1-8/2013-Policy--

1. India lies on the cusp of a demographic transition, similar to the one that fuelled the spectacular rise in GDP of the East Asian Tigers in the second half of the 20th century. However, in order to capture this demographic dividend, it is essential that the economy has the ability to support the increase in the labour force and the youth have the appropriate education, skills, health awareness and other enablers to productively contribute to the economy.

2. Youth in the age group of 15-29 years comprise 27.5% of the population. At present, about 34% of India's Gross National Income (GNI) is contributed by the youth, aged 15-29 years. However, there exists a huge potential to increase the contribution of this class of the nation's citizenry by increasing their labour force participation and their productivity.

3. The Government of India (GoI) currently[1] invests more than Rs 90,000 Crores per annum on youth development programmes or approximately Rs 2,710 per young individual per year, through youth-targeted (higher education, skill development, healthcare etc.) and non-targeted (food subsidies, employment etc.) programmes. In addition, the State Governments and a number of other stakeholders are also working to support youth development and to enable productive youth participation. However, individual organisations in non-Government sector are small and fragmented, and there is little coordination between the various stakeholders working on youth issues.

[1] Source: Union Budget, 2011-12.

4. The National Youth Policy, 2014 (NYP-2014) seeks to define the Vision of the Government of India for the Youth of the Country and identify the key areas in which action is required, where not enough is being done, to enable youth development and to provide a framework for action for all stakeholders. It is intended to serve as a guiding document, and should be reviewed in 5 years, so that GoI may re-focus its priorities for youth development, as may be necessary.

5. NYP-2014 provides a holistic Vision for the youth of India which is **"to empower the youth of the country to achieve their full potential, and through them enable India to find its rightful place in the community of nations**". In order to achieve this Vision, all stakeholders must work towards meeting 5 key objectives. This requires specific action in one or more of 11 priority areas, identified as important for youth development. The following Exhibit summarises the Vision, the objectives and the priority areas of NYP-2014. It also lists the enablers available to achieve these objectives.

Exhibit E.1 Vision, objectives and priority areas of NYP-2014

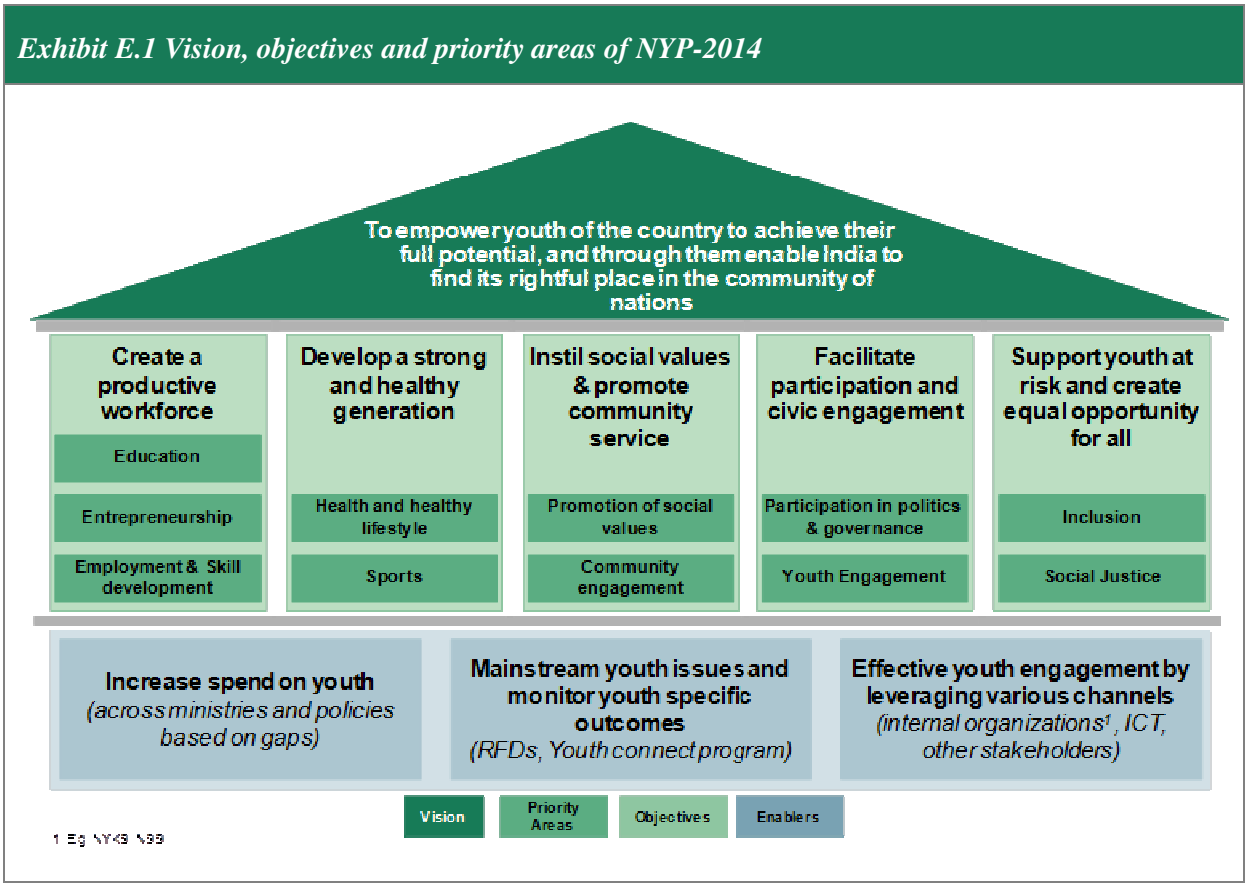

6. The Policy seeks to recommend specific future policy interventions required in each of the 11 priority areas. These are summarised in the Table below:

Exhibit E.2: Objectives, Priority Areas and Future Imperatives of NYP 2014

Objective	Priority area	Future imperatives
1. Create a productive workforce that can make a sustainable contribution to India's economic development	Education	• Build system capacity and quality • Promote skill development and lifelong learning
	Employment and Skill development	• Targeted youth outreach and awareness • Build linkages across systems and stakeholders • Define role of government vis-a-vis other stakeholders
	Entrepreneurship	• Targeted youth outreach programmes • Scale-up effective programmes to build capacity • Create customised programmes for youth entrepreneurs • Implement widespread monitoring and evaluation systems
2. Develop a strong and healthy generation equipped to take on future challenges	Health and healthy lifestyle	• Improve service delivery • Awareness about health, nutrition and preventive care • Targeted disease control programmes for youth
	Sports	• Increase access to sports facilities and training • Promotion of sports culture among youth • Support and development for talented sportspersons
3. Instil social values and promote community service to build national ownership	Promotion of social values	• Formalise values education system • Strengthen engagement programmes for youth • Support NGOs and for-profit organisations working towards spreading values and harmony
	Community engagement	• Leverage existing community development organisations • Promote social entrepreneurship
4. Facilitate participation and civic engagement at all levels of	Participation in politics and governance	• Engage youth that are outside the political system • Create governance mechanisms that

Objective	Priority area	Future imperatives
governance		youth can leverage • Promote youth engagement in urban governance
	Youth engagement	• Measure and monitor effectiveness of youth development schemes • Create a platform for engagement with youth
5. Support youth at risk and create equitable opportunity for all disadvantaged and marginalised youth	Inclusion	• Enablement and capability building for disadvantaged youth • Ensuring economic opportunities for youth in conflict-affected regions • Develop a multi-pronged approach to supporting youth with disability • Create awareness and opportunities to prevent youth being put at risk
	Social Justice	• Leveraging youth to eliminate unjust social practices • Strengthen access to justice at all levels

7. In order to work towards closing the gaps identified in the 11 priority areas of action, it is imperative to have a concerted effort from all stakeholders. A stakeholder map must be drawn up and stakeholder roles and responsibilities should be identified. The government must increase its investment in youth in order to capitalise on the opportunity they present. For this, all government departments must make a determined effort to ensure youth mainstreaming across sectors and policy areas. There are several tools that can be leveraged in order to promote youth development, including social media which enjoys high penetration amongst the youth, and the network of existing youth development organisations.

8. In addition, it is important to monitor and evaluate the success of NYP-2014. A set of leading and lagging indicators have been identified. A baseline assessment must be undertaken across these indicators, annual targets must be set and progress against these targets monitored. The Ministry of Youth Affairs and Sports should publish a Biennial Report on the status of the youth in order to inform the Nation about progress against indicators, highlight key achievements and identify new and unmet challenges. The report shall also serve the purpose of informing the youth of the country about various government initiatives for the development of the youth.

9. All through history, youth have been the harbingers of change – from winning independence for nations, to creating new technologies that upset the status quo, to new forms of art, music and culture. Supporting and promoting the development of India's youth must be one of the foremost priorities, across all sectors and stakeholders, of this nation.

Importance of Youth

Definition of the 'Youth'

1.1 Youth is a more fluid category than a fixed age-group. 'Youth' is often indicated as a person between the age where he/she leaves compulsory education, and the age at which he/she finds his/her first employment. Often, Youth age-group is defined differently by different countries/ agencies and by same agency in different contexts. United Nations defines 'youth' as persons between 15 and 24 years of age[2].

1.2 In the National Youth Policy-2003, 'youth' was defined as a person of age between 13-35 years, but in the current Policy Document, the youth age-group is defined as 15-29 years with a view to have a more focused approach, as far as various policy interventions are concerned.

1.3 However, it needs to be recognised that all young persons within this age-group are unlikely to be a homogeneous group. Different segments of the Youth would have different needs and concerns, which need to be addressed.

The Demographic Dividend

1.4 **India stands to benefit from its favourable demographic profile:** Youth in the age group of 15-29 years comprise 27.5% of the population[3]. India is expected to become the 4th largest economy by 2025, contributing about 5.5%-6% to the world GDP, only after the United States, China and Japan[4]. While most of these countries face the risk of an ageing workforce, India is expected to have a very favourable demographic profile, as shown in Exhibit E.3. The population of India is expected to exceed 1.3 billion by 2020 with a median age of 28 which is considerably less than the expected median ages of China and Japan. The working population of India, is expected to increase to 592 million by 2020, next only to China (776 million), pointing to the fact that youth will make a significant contribution to the economic development of the country. This 'demographic dividend' offers a great opportunity to India.

[2] http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/youth/youth-definition/ ; Accessed 1 July 2013

[3] Data as per Census 2011. Data available for 5 year cohorts starting age group 0 to 4.

[4] 12th Five Year Plan Volume 1

Exhibit E.3 India to have a very favourable demographic profile

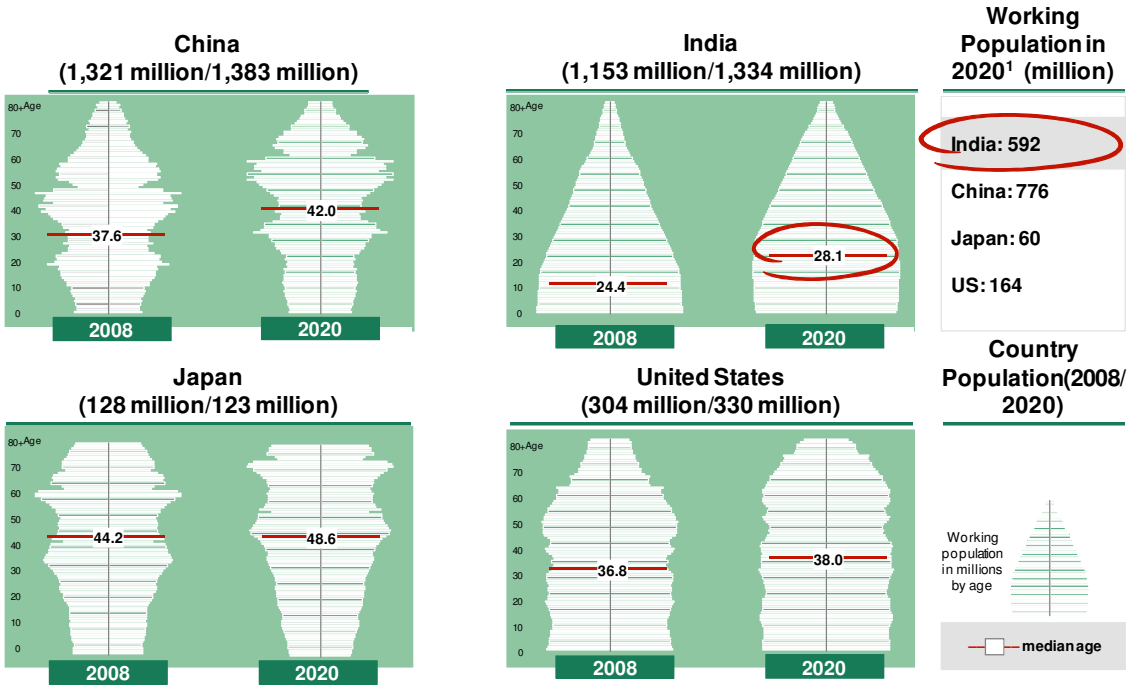

1. Working population includes only economically active population
Sources: National statistical institutes; BCG analysis.

Youth related Efforts in India

2.1 GoI currently invests in youth through a wide range of programmes: GoI spends a considerable amount of money on youth development through Ministries that have schemes targeted at the youth and schemes that target the general population of the country. GoI spends about Rs.37,000 crores on schemes targeted at development of youth in areas of education, health, skill development and engagement and about Rs.55,000 crores on non-targeted schemes designed for various demographic segments of which youth are significant beneficiaries. Together, this totals a spend of more than Rs.90,000 crores (Exhibit E.4)[5].

- Of the targeted expenditure of Rs.37,000 Crores, more than 80% of the funds are allocated towards education through the Ministry of Human Resource Development (MHRD) and Ministry of Social Justice and Empowerment (MoSJE). The expenditure is primarily through grants to various government schools and universities and direct cash benefits to students in the form of scholarships and fellowships for both secondary and higher education. Further, there are programmes targeting youth in the areas of skill development, employment, health and engagement.

- Of the non-targeted spend, food subsidies, employment programmes like MGNREGA, health programmes related to infrastructure development, disease control and family welfare constitute a significant share. Other Ministries with schemes providing direct benefit to youth through some of their schemes are Ministry of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Finance, Ministry of Labour and Employment (MLE), Ministry of Tribal Affairs (MoTA) and Ministry of Rural Development (MoRD).

This totals a per capita spending on youth of about Rs 2,710 of which Rs 1,100 is targeted spending as shown in Exhibit E.4.

[5] Source: Union Budget, 2011-12.

Exhibit E.4 GoI targeted and non-targeted expenditure on youth

Expenditure on youth split by targeted vs apportioned expenditure

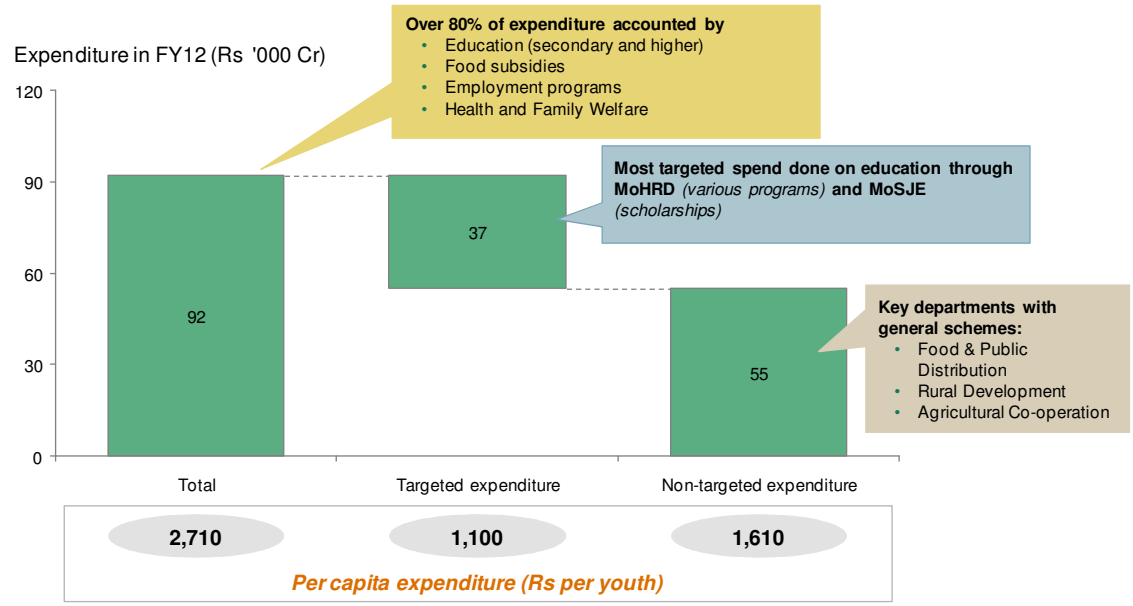

Note: Ministry of Fertilizers not considered in analysis (Fertilizer subsidies for farmers)
Source: Union Budget 2011-12, BCG analysis

2.2 State Governments also invest in youth through a wide range of programmes: Bulk of the targeted expenditure on youth is on education, health and youth services**.** The State Governments incur substantial expenditure on these heads, over and above the expenditure being incurred by the Government of India. Thus, the aggregate expenditure on youth (Central and State Governments combined) would be much higher.

2.3 Non-governmental stakeholders are small and fragmented: In addition to the government, there are a range of stakeholders working on youth related issues. These include civil society organisations, corporates and industry associations. These stakeholders have two objectives; the first is to promote youth development through programmes on education, skill development, health care, sports etc. The second is to facilitate youth participation and engagement on issues such as community development, politics, governance etc.

2.4 While there are multiple stakeholders working on youth related issues, the size of these organisations is often small. Furthermore, they are fragmented with respect to the issues they address, the regions they operate in and the youth segments they target. Stakeholders often work with little coordination and no overarching objective or framework.

2.5 Framework for coordinated action on youth issues needed: A key challenge is that there has been no systematic assessment to understand the current status of the youth segment, the challenges they face and the inter-linkages between these areas. Furthermore, there has been no concerted effort to identify the range of stakeholders working on youth development, analyse the impact of their activities and determine how these stakeholders can be aligned and leveraged to more effectively support the youth.

2.6 A holistic assessment of the challenges facing the youth is required. A stakeholder mapping exercise must be undertaken to determine the number of stakeholders, the scope of their activities and the impact they have on youth development and engagement. Finally, an overarching framework needs to be developed in order to align stakeholders and to provide guidance on key issues.

***

Vision, Objectives and Priority Areas of NYP-2014

The National Youth Policy (NYP-2014) aims at providing an overview of the state of the youth aged 15-29 years in India. It highlights key issues and challenges faced by the youth and elaborates on how all stakeholders can support the youth to ensure that they contribute positively to the development of the society, now and in the future.

Vision

NYP-2014 provides a holistic Vision for the youth of India which is:

"To empower youth of the country to achieve their full potential, and through them enable India to find its rightful place in the community of nations".

Objectives

Achieving this Vision requires the Government and all stakeholders to work towards five clearly defined objectives which are as follows:

Objective 1: Create a productive workforce that can make a sustainable contribution to India's economic development

In order to create a productive youth workforce, it is essential that the youth of the country have access to the right set of tools and opportunities to make a sustainable contribution. The youth must have equitable access to high quality education and be able to develop the necessary skills that are required by the labour market to ensure that they are gainfully employed. Given that a large proportion of the workforce is self-employed, entrepreneurship must be encouraged amongst the youth and they must be supported through the process of idea generation, incubation and financing.

Objective 2: Develop a strong and healthy generation equipped to take on future challenges

In order to create a generation of young Indians equipped to take on future challenges and achieve their full potential, it is necessary that the youth are in good health and make healthy and balanced lifestyle choices. Youth specific health issues must be addressed through targeted programmes. Balanced nutrition and healthy lifestyle information must be provided to the youth. Youth must also be encouraged to engage in sports and recreation in order to ensure their physical well-being.

Objective 3: Instil social values and promote community service to strengthen nationalism in the country

It is important to build national pride and ownership in the youth through a programme of education on social values including respect for diversity and the importance of harmony. Youth must be encouraged to participate in community service and development activities, especially in the most backward regions. The youth of India must have a strong sense of moral responsibility towards their fellow citizens, especially those that are less fortunate than themselves. Youth of the

country must be encouraged fulfil their duties as citizens and thus create an environment in which all citizens enjoy the rights guaranteed in our Constitution.

Objective 4: Facilitate participation and civic engagement at all levels of governance

Governance requires an active citizenry, and given that the youth in the age group of 15-29 years comprise 27.5% of the population, it is essential to create mechanisms for youth participation in politics and governance. Youth are the future of the nation and must be encouraged to participate in politics at local and national levels. They must be provided the necessary training and tools to become effective policy makers and to be able to execute government's schemes and programmes.

Objective 5: Support youth at risk and create equitable opportunity for all disadvantaged and marginalised youth

A few segments of the youth population require special attention. These include economically backward youth, women, youth with disabilities, youth living in conflict affected regions including left wing extremism, and youth at risk due to substance abuse, human trafficking or hazardous working conditions. It is essential that government policies are inclusive and provide equitable opportunities to all. It is also important to ensure these youth do not suffer from stigma or discrimination, and have equitable access to justice to ensure a dignified life to all segments amongst the youth.

Priority Areas

Achieving each of these five objectives requires action in a set of key priority areas. The following table lists the 11 key priority areas where action is required to meet the five stated objectives:

Exhibit E.5: Objectives and Priority Areas of NYP 2014

Objectives	Priority Areas
1. Create a productive workforce that can make a sustainable contribution to India's economic development	1. Education
	2. Employment and Skill development
	3. Entrepreneurship
2. Develop a strong and healthy generation equipped to take on future challenges	4. Health and healthy lifestyle
	5. Sports
3. Instil social values and promote community service to build national ownership	6. Promotion of social values
	7. Community engagement
4. Facilitate participation and civic	8. Participation in politics and governance

engagement at levels of governance	9. Youth engagement
5. Support youth at risk and create equitable opportunity for all dis-advantaged and marginalised youth	10. Inclusion
	11. Social justice

Each priority area is examined in further detail in the next section.

Current Policies and Future Imperatives

4.1 Priority area 1: Education

4.1.1 Current Status:

In order to create a productive youth workforce that contributes to economic development, the youth must be educated and equipped with the necessary skill-set to forge sustainable livelihoods. The youth are not a homogeneous group and their education needs vary. For example, the out-of-school (OoS) and school drop-outs cannot be addressed by one set of policies since youth that wish to but cannot enrol in school are different from drop-outs that are looking to join the labour market. Therefore, different segments of the youth need tailored and targeted policies. Additionally, there are cross-cutting youth groups like disabled youth, women, minorities etc. that need special policies that will enable them to equitably access and benefit from the education system. Recognising the importance of education for youth and the heterogeneity of youth, a lot of emphasis has been placed by the government on reforming the education system and devising appropriate policies for the various youth segments.

GoI has implemented several policies aimed at universalising access, creating equity and improving quality of education. Schemes are aimed at promoting inclusive education, expanding the capacity of technical and higher education, enhancing literacy and basic education, building a cadre of trained teachers etc.[6] There has also been significant focus on curriculum reform, regulation and improving quality of higher education to ensure that the graduates from the system are employable. The Department of Higher Education has conceptualised a new scheme, namely, Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) which seeks to address the issues of quality, access and inclusion through a Mission Mode scheme for the higher education sector. Further, educational loans are being provided from the Banking system to the meritorious students for pursing higher education. Ministry of Human Resource Development also provides interest subsidy on educational loans to students from economically weaker sections.

In addition to the government, civil society organisations and the private sector have been directly delivering education, providing financial support to students, evaluating government policies and promoting accountability in the system. These concerted efforts of the government, civil society and the private sector have seen positive benefits, including rising GERs in secondary and higher education.

[6] A complete list of policies for secondary, higher, technical and adult education can be found on the MHRD website http://mhrd.gov.in/schemes_home Other Ministries such as MoSJE and MoTA also have targeted schemes such as scholarship programmes for certain priority youth groups.

However, challenges to youth education remain. The 12th Plan identifies strategic shifts in education policy that will further youth development. These include an increased focus on the upward transition of students from elementary to secondary education where there is a significant bottleneck, building a system that supports lifelong learning, vocationalising education and promoting skill development.

4.1.2 Future Imperatives

Going forward, two key priorities to promote youth education must be (i) to build capacity and quality in the system and (ii) to promote skill development and lifelong learning.

Build capacity and quality in the system: The 12th Plan priorities for secondary and higher education can be summarised as (a) increasing access, (b) ensuring equity, (c) improving the quality of inputs and outcomes and (d) promoting greater governance and accountability.

- ***Capacity improvements*** must be made in both secondary and higher education to support increased access and equity. These include *physical infrastructure improvements, expanded reach to regions with lower education enrolments and outcomes as well as enhanced teacher selection and recruitment programmes*. The Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) is being developed into an umbrella programme for secondary education, subsuming smaller schemes[7]. A *monitoring and evaluation system* must be built into RMSA to ensure that the objectives of existing schemes are not diluted or lost and that youth from disadvantaged groups and regions are effectively mainstreamed. Similarly, expansion of capacity in existing higher education institutions must be monitored closely to ensure that the quality is not compromised.

- A number of ***quality improvement*** programmes have been implemented to improve student outcomes. These include the teacher training programme and certification, curriculum improvements, revised student assessment norms, and accreditation of schools and colleges. It is essential to *review the success of existing quality improvement programmes*, to revise strategies that have proved ineffective and to scale-up successful programmes.

- It is important to clearly ***define the role of government vis-a-vis private sector*** in the delivery of education. New PPP models can be explored and appropriate regulation systems, accreditation procedures, policies and incentives must be developed to enable private education providers to take on the challenge of expanding and improving secondary education.

[7] Such as Inclusive Education for Disabled at Secondary Stage, Scheme of Vocational Education, Appointment of Language Teachers etc. A full list can be found in the 12th Five Year Plan

- ***Mechanisms for financing both secondary and higher education must be developed.*** Several options are available such as universalising free education or free education for certain students, with resources raised by government through taxation. Other options include direct demand side financing through subsidies and need-based scholarships to students or low-cost education loans. *Pilot projects must be undertaken and evaluated* in order to determine the most appropriate mechanisms for financing education.

Promote skill development and lifelong learning: This is essential in order to ensure that the education system produces qualified individuals who are able to build on their skills as per their own developmental needs.

- A critical mechanism to promote skill development and lifelong learning is to ***build inter-linkages between systems*** such as formal education, vocational training, skilling programmes, literacy and basic education programmes. It is important to *develop a standardised qualifications frameworks* like the National Skill Qualification Framework (NSQF) and tools to translate qualifications between different education and skilling programmes. This also requires improved *student certification* and *accreditation mechanisms* that verify institutions. This will enable individuals to transition between learning systems, building skills and acquiring qualifications most suitable to their own development and employer needs.

- There are several plans for increasing the flexibility of the education system and introducing new types of education offerings such as community college degrees, vocational training credits that can be transferred to higher education institutions etc. However, there is no ***overarching policy or coordinating framework to govern education for youth*** aged 15-24 years. This must be developed in order to ensure that the objectives are clearly defined and should emphasise *governance, accountability and transparency* of the system.

4.2 Priority area 2: Employment and Skill development

4.2.1 Current Status:

Youth must develop skills that are relevant to employment needs, in order to ensure employability and to prevent labour demand-supply mismatches. This can be achieved by measures such as quality improvements in formal education, vocational education, specialised skills training and by ensuring sufficient income-generation opportunities commensurate to their skills. Also, the National Occupation Standards need to be defined and the training and skill development programmes need to be aligned to such standards. In order to promote employment of youth, GoI has taken a two-pronged approach, namely, (i) enabling skill development and (ii) implementing direct employment programmes for lower skilled individuals.

The Government of India has adopted skill development as a national priority. In order to create an institutional base for skill development in India at the national level, a three-tier institutional structure, consisting of the PM's National Council on Skill Development (NCSD), the National Skill Development Coordination Board (NSDCB) and the National Skill Development Corporation (NSDC), was created in early 2008. In 2009, GoI launched the National Skill Development Policy (NSDP) with a target for skilling 500 million people by 2020. With the creation of National Skill Development Agency (NSDA) in June, 2013, the NCSD, the NSDCB and the Office of the Adviser to Prime Minister on Skill Development have now been subsumed in NSDA. NSDA is an autonomous body which will coordinate and harmonize the skill development efforts of the Government and the private sector to achieve the skilling targets of the 12th Plan and beyond and endeavour to bridge the social, regional, gender and economic divide in skilling.

Ministry of Labour and Employment has taken a number of initiatives in the field of skill development and employment. For instance, training of trainers is being conducted by Advanced Training Institutes and Regional Vocational Training Institutes run by the Ministry. The Ministry has also set up a standard system of assessment and certification of vocational training and industries are being involved in curriculum design. The National Employment Service run through network of employment exchanges is being modernised and being converted into National Career Service and the apprenticeship regime is also being significantly improved. In addition, the Ministry is also bringing out a National Employment Policy.

Similarly, the Ministry of Rural Development also runs a Scheme called Himayat, under which 3 months' skill training is imparted to the youth in Jammu & Kashmir in sectors where there is high employer demand, followed by job placement and post-placement support. The NRLM programme

of MoRD also places emphasis on imparting necessary skills for rural self-employment. Further, the Indian Banks' Association has formulated a Model Educational Loan Scheme for Vocational Courses, under which loans are provided for undergoing vocational training courses.

GoI has also instituted direct employment schemes in rural areas where there are limited opportunities for youth. MGNREGA, a flagship scheme of Government of India, provides 100 days of guaranteed employment to all rural households willing to work on labour-intensive projects. A key challenge is to enable training of low skilled individuals and to incentivise employers to recruit in EBRs, LWE affected regions, J&K and North East.

4.2.2 Future Imperatives

The 12th Plan lists future priorities for strengthening the skill development system. These include promoting PPPs, implementing the National Skills Qualifications Framework (NSQF), strengthening the institutional structure, increasing regional equity and access and improving the apprenticeship programme. There are three critical areas that need to be prioritised, which are (a) ensuring youth can benefit from skill development opportunities, (b) clearly defining stakeholder roles, and (c) building inter-linkages between systems and stakeholders.

a) Targeted youth outreach and awareness programmes: NSDP's youth and user-centric approach must be embedded in all activities that fall under the aegis of skill development.

- Targeted ***information must be made available to the youth*** about the various skill development and *training options available* to them. Information on the *quality of institutions,* for example, post-programme placement scorecards, curriculum benchmarking etc. is required and youth need guidance on the benefits of skill development training. Youth must have access to data on their post-programme *employment options*[8]. Youth must be made aware of the different *financial support packages* available such as low-cost loans, post-programme employment-linked payment options etc.

- It is important to ***identify the most appropriate engagement mechanisms*** for information provision to the youth. The effectiveness of the youth outreach programmes must be *monitored*, and strategies should be adapted, as required, in order to ensure sustained benefits.

[8] 12th Plan recommends the setting up of a Labour Market Information System platform for real time information on a sectoral basis to help trainees select the most appropriate training programmes

b) Build linkages across systems and stakeholders: Given the integration of skill development with the education system as well as the job market, it is essential to build linkages across systems and stakeholders.

- Linkages must be developed ***between training institutions and employers***. Employers must provide *inputs into the training curriculum* in order to ensure relevance of youth skills to labour market needs. Similarly, training institutions must tie-up with employers to create *post-programme placement opportunities* for students.

- Linkages must be developed ***between the education system and skills institutes*** to enable OoS individuals to develop job-ready skills, and return to formal education at a later date should they choose. This will be possible by i*mplementing the NSQF and creating a system of equivalence to university degrees and diplomas*.

- Linkages must be built ***between Sectoral Skill Councils, employers and training institutes***. This will enable the creation of a dynamic and forward looking process for *defining occupational standards, setting up institutes in areas of employer need and placement of trained youth into jobs*.

c) Define role of government vis-a-vis other stakeholders: Given the scale of the skill development and employment needs of the youth, non-governmental stakeholders must be brought into the purview of all policies. Clear roles must be defined for all stakeholders, in order to ensure that the identified gaps are being closed.

- With respect to financing, there is no doubt that the skill development eco-system needs financing support from the *government as well as the private sector*. The government should directly fund institutions or students and should also create an enabling environment for private financing and the development of innovative student credit packages.

- On the delivery side, the *government should determine where its money would be most effectively spent*. Options include investments in capacity expansion through upgradation of Industrial Training Institutes (ITIs) or investments in programmes that train the trainer, and leave the actual delivery of skills training to the private sector.

While making the above interventions, there is need to place due emphasis on special requirements for skill development and employment of women. Empowerment of women youth is critical aspect

of the overall youth empowerment. Similar attentions needs to be given to special needs for skill development and employment of other disadvantaged sections of the youth.

4.3 Priority area 3: Entrepreneurship

4.3.1 Current Status

Promoting entrepreneurship is essential in order to enable youth to productively contribute to India's economic development. About 50% of the labour force is currently self-employed[9], and SMEs employ 70 million people which is approximately 15% of the labour force. As the number of skilled individuals increases through the renewed push for skill development and labour force participation grows, the number of entrepreneurs is likely to increase further.

In order to create an environment in which youth can generate sustainable self-employment and entrepreneurship opportunities, it is essential that they have access to training, incubator support to develop and execute their ideas, and to credit to finance their ventures.

The GoI runs several schemes and programmes to train and finance entrepreneurs[10]. The Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) administered by the Ministry of Small and Medium Enterprises (MoSME) is one of the largest credit-linked subsidy schemes. It provides finance towards the set-up costs of entrepreneurial ventures in the manufacturing and services sectors. The National Rural Livelihoods Mission (NRLM) of the MoRD runs programmes to promote self-employment in rural areas, which has significantly enhanced availability of capital for productive purposes in rural areas. Under the NRLM, a cadre of Micro-Enterprise Consultants (MECs) is also being trained to support rural entrepreneurs through the process of idea incubation, business plan generation, credit sourcing and execution. Further, Rural Self-employment Training Institutes (RSETIs) are playing an important role by providing training for self-employment.

These GoI schemes have been set up to cover the various needs of aspirant entrepreneurs and are important for the growth of entrepreneurship in India. They have been successful at delivering better access to credit, providing basic tools for entrepreneurship to a broader segment of the

[9] Report on Employment & Unemployment Survey, Ministry of Labour & Employment, Government of India

[10] Several Ministries provide targeted entrepreneurship programmes, including Ministry of Small and Medium Enterprises, Ministry of Rural Development and Ministry of Women and Child Development. The two schemes listed here are indicative of the type of support available to aspirant entrepreneurs

population and building private sector involvement in entrepreneurship creation and promotion. Furthermore, as demonstrated by the MEC programme of NRLM, the design of these schemes is evolving to respond to entrepreneurs' needs for end-to-end support rather than simply providing low-cost credit or short-term entrepreneurship training. However, an examination of existing schemes reveals that there are a few areas where they can be strengthened to deliver greater impact.

4.3.2 Future Imperatives

There are four areas where on-going entrepreneurship programmes can be strengthened to offer greater support to youth entrepreneurs. These are (a) outreach and information provision, (b) scale and inclusion, (c) programme quality and relevance, and (d) monitoring and evaluation.

a) Targeted youth outreach programmes: Youth should have information on the various entrepreneurship schemes that they can participate in, so that they may make the correct choices.

- One way to do so is to create a ***targeted information programme*** for youth about various schemes and potential benefits of each. A vast cross-country network that can be *leveraged to provide this information is the Nehru Yuva Kendra Sangathan (NYKS) volunteers*. They should be provided brochures and other material for dissemination of information on the various schemes at the grassroots.

- The ***PMEGP's implementation model includes outreach through awareness camps*** that circulate publicity materials, the type of projects that can be undertaken, connecting potential participants with successful entrepreneurs that have graduated from the program and leveraging NYKS volunteers and other grassroots organizations to generate awareness on the benefits of participation. This must be evaluated to determine whether it is an effective model that can be replicated.

b) Scale-up effective programmes to build capacity: The scale and budgets of the GoI entrepreneurship programmes vary significantly[11]. It is essential to build sufficient capacity in various entrepreneurship development and training institutes and ensure that budgetary allocations to entrepreneurship financing schemes are sufficient to meet likely demand.

[11] MSME Results Framework Document (RFD) states that 2009-10 2.9 lakh people were trained under entrepreneurship development programmes run by MoSME . PMEGP generated employment for 2.67 lakh people and the Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojana (RGUMY) assisted 4000 first generation entrepreneurs.

- ***Existing schemes must be reviewed*** not only to determine additional capacity needed but also to understand the geographic and demographic reach of the schemes. *GoI can work with state governments, civil society and private players to expand schemes* to areas where there is little or no access currently, in order to ensure that youth especially those marginalized due to socio-economic factors, disability, gender or other reasons can fully participate in these schemes.
- ***Various apprenticeship models must be explored*** to understand how aspirant youth can be supported by successful entrepreneurs, and can develop the necessary skills, experience and contacts 'on the job'. Lessons can be learnt from the experience of countries such as Germany, that have been highly successful in this regard.

c) Create customised programmes for youth entrepreneurs: On-going entrepreneurship training schemes can be reviewed and strengthened. There is also a need to assess the quality and relevance to youth of training delivered.

- Entrepreneurs are a non-homogenous group with respect to their demographic profile, skills, experience and business ideas. The need for a review of curriculum and possible ***customisation or development of youth specific training modules*** is borne out by a MoRD study which shows that while the average age of participants in RSETI training is 22, the average age of first generation micro-entrepreneurs is 40 years and that older trainees are settled faster into self-employment.

- ***Specialised post-programme support*** for business planning and execution can be introduced for youth participants who lack the confidence, finances and contacts to become entrepreneurs, in order to enable them to set up businesses successfully. This could be institutionalised under NRLM and other programmes for self-employment.

d) Implement widespread monitoring and evaluation systems: It is essential that schemes have strong monitoring, data collection and evaluation mechanisms in order to ensure that they are achieving their targets and serving the interests of the cross-section of the population aspiring to become entrepreneurs.

- The MSME 'Scheme of Surveys, Studies and Policy Research' model can be reviewed and, if proven successful, adopted by other Ministries, drawing on appropriate support from the Planning Commission's Programme Evaluation Organisation (PEO) and Independent Evaluation Office (IEO).

4.4 Priority area 4: Health and healthy lifestyle

4.4.1 Current Status:

Health is essential to social security and all individuals must have access to affordable healthcare facilities. Inadequate health resources and high out-of-pocket expenditure due to ill health are problems that are faced by all segments of the population, including the youth; and must be resolved. Additionally, there are a few youth-specific health issues that require a targeted approach. These include (a) promoting a healthy lifestyle among youth to combat non-communicable diseases attributable to lifestyle disorders like obesity, cardio-vascular diseases, diabetes, stroke, chronic lung diseases, cancer, etc. which have been increasingly affecting young adults, (b) creating awareness about family planning, birth control, STDs, HIV/AIDS and substance abuse, especially in rural areas and (c) addressing issues concerning emotional and mental health (e.g. risk of depression and potential suicide attempts), esp. in case of adolescent youth.

Given the need to significantly improve the health care system, funding to the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) has trebled under the 12th Five Year Plan. The 12th Plan seeks to extend the outreach of public health services for moving towards the goal of Universal Health Coverage (UHC) through National Health Mission. In this context, various initiatives have been taken by MoHFW, Ministry of Women and Child Development (MoWCD), private sector groups and NGOs.

Key achievements include:

- The Maternal Mortality Rate (MMR) has improved during the 11th Five Year Plan, primarily due to the success of schemes like Janani Suraksha Yojana (JSY), Accredited Social Health Activists (ASHAs) and Reproductive and Child Health Programme with support from National Rural Health Mission (NRHM) in rural areas.
- India has achieved major success in terms of elimination of Polio.
- Disease control measures have led to a reduction in the incidence of HIV/AIDS infections in the country by 57%.
- The National TB Control Programme has been able to achieve its targets of a 70% case detection rate and 85% treatment success rate.
- Regarding non-communicable diseases, screening for Diabetes and Hypertension has been initiated under the *National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, CVDs and Strokes*.

- Access to medical training and education has increased with the setting up of 6 AIIMS-like institutes and upgradation of 13 medical colleges under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) scheme. 72 State Government medical colleges have also been strengthened.

Despite these and other programmes undertaken by MoHFW, there are disparities in attainments across various health indicators and several unmet targets. Improvements in the delivery systems are required at all levels.

4.4.2 Future Imperatives

a) Improved service delivery: In order to achieve the goal of providing UHC, it is imperative to first have basic healthcare facilities in place.

- ***Adequate healthcare access*** must be created for individuals across the country, especially pregnant and lactating mothers. This requires a *review of the efficiency of primary health care (PHC) facilities* and course correction mechanisms to be implemented where existing strategies are proven to be ineffective.

- It is essential to ***create a large trained pool of doctors, nurses and health workers*** through expansion of medical colleges and training institutes. They must be *incentivised to serve in remote areas*, in order to promote equity in the system. Anganwadi Centres need to be developed as hub in rural areas to *provide training to Anganwadi Workers (AWWs), ASHAs and other health activists*. *Active participation of the private sector* in setting up training centres, colleges and research institutes can provide support to the over-burdened government resources and machinery.

- There is need to pay special attention to **health issues concerning women youth**. This would entail greater pre-natal and post-natal care for women in vulnerable age group of 14-18 years, need to bring down maternal and infant mortality rates, campaign against female feticide to improve child sex ratio, etc.

b) Targeted awareness programmes for youth: Apart from increasing access to health care facilities, targeted awareness programmes on specific health issues must be implemented. The youth must be educated about ***nutrition choices and leading a healthy lifestyle***. The youth must be made aware of the *benefits of preventive healthcare*.

There is also need to create awareness among the youth about ill-effects of drug/ substance abuse.

Inclusion of health and nutrition in the curriculum of schools and colleges will help further this goal. In this regard, the existing hospitals, PHC facilities, anganwadi centres and NGOs can also contribute significantly through their extensive reach in rural and inaccessible areas. In creating such awareness, progressive adolescents (as under the Saksham scheme) and youth volunteers under NSS and NYKS can also play very effective role.

c) Targeted disease control programmes for youth: Youth are at risk of contracting HIV/ AIDS and TB due to lack of information and poor access to preventative care. This can be addressed by developing ***robust awareness and treatment programs*** especially in rural areas. The NRHM, NACP and on-going NGO programme*s* can be leveraged to expand disease detection, control and awareness programmes. Enhanced *capacity for detection and treatment* of communicable diseases must be developed, especially for pregnant mothers and other high risk groups.

4.5 Priority area 5: Sports

4.5.1 Current Status

Sports and recreational activities form an essential component of the growth and development of a young individual. Sports activities promote physical, mental and emotional growth. They help support a healthy lifestyle and ensure the youth are engaged and productive. Participation in sports can inculcate the spirit of competitiveness and teamwork which helps in the holistic development of the youth. Sports is increasingly being considered a viable professional option. Representing the country in international sporting events fosters national pride and helps inculcate a feeling of national unity and belonging amongst the youth.

The role of sports, including adventure sports, in the development of youth has been recognised and addressed not only by the government but also by various stakeholders like sports federations, private sector companies and NGOs. These organisations largely focus on promoting a sporting culture and providing access to sports infrastructure, coaching and training to youth. Some significant initiatives are:

- **Broad basing of sports**: The government is working towards broad basing sports by providing access to sports facilities and coaching in both urban and rural areas. This is done through programmes like Panchayat Yuva Krida aur Khel Abhiyan (PYKKA) [being recast as Rajiv Gandhi Khel Abhiyan (RGKA)], National Playing Fields Association of India (NPFAI) and the Scheme for creation of urban infrastructure at various levels. The RTE Act also mandates access to playgrounds and recreational facilities in all schools. Organisations like Sports Authority of India (SAI), national sports federations and state level organizations are also working towards provision of coaching facilities, organizing competitions, selecting talented sportsmen and supporting their development. National Institute of Sports (NIS) and Lakshmibai National Institute

of Physical Education (LNIPE) provide academic courses at graduate and post graduate levels in the area of sports.

- **Promoting excellence in sports:** Investment in sports infrastructure and coaching facilities has improved the representation of Indian sports persons in international competitions. Centres of Excellence (COE), Special Area Games (SAG) and SAI Training Centre (STC) provide training facilities and a platform to promising young sportsperson to participate in various local, national and international competitions. In addition, both the Central and State Governments provide incentives and awards to sports persons who excel at various levels.

4.5.2 Future Imperatives

Despite the efforts of various stakeholders to support the development of sports in the nation, significant progress must be made to reach the levels of participation and excellence of countries like China.

a) Increasing access to sports facilities and training: Access to sport and physical education opportunities still remains highly inadequate, especially in rural areas and the poorer parts of urban areas. *Schemes like PYKKA (being recast as RGKA) and NPFAI that are targeted towards development and maintenance of infrastructure for sports need to be strengthened* further with support from MoRD and Ministry of Urban Development (MUD). *Private sector organizations need to be incentivised* to participate actively in setting up playgrounds and sports facilities especially in schools, colleges and community areas.

b) Promotion of sports culture among youth: Current participation levels in sports activities are very low in India as compared to countries like China. A sports culture needs to be promoted among youth. ***The youth must be enabled to consider sports not just a recreational activity but also a potential career option***. This would require a greater *focus on sports activities as a part of the curriculum* at school and college levels. State Governments, educational boards and the National Cadet Corps (NCC) programme must be leveraged and further integration of sports into formal education system can be achieved by strengthening existing infrastructure.

c) Support and development for talented sportspersons: A seamless channel for ***talent identification, coaching, participation in competitions and incentive provision*** needs to be developed to promote excellence in sports. A significant proportion of the youth, and hence the sporting talent of the nation, is in the rural areas. Therefore, it is imperative to develop *robust models to identify and train high potential sportspersons* in rural areas. Coordination and collaboration between SAI, various sports federations, state level organizations and local associations is required in order to achieve this goal.

4.6 Priority area 6: Promotion of social values

4.6.1 Current Status

Youth are the future of the nation, and in the years to come will become the leaders of the nation. Hence, it is essential that the youth uphold social values and moral standards of highest order.

- India is a diverse nation with respect to ethnicity, religion, language, caste and culture. Alongside this diversity resides socio-economic disparity and extremism, which together have potential for creating a divide in the society. Hence, it is imperative to instil a sense of harmony and togetherness in individuals from a young age.

- It is also important to develop inner values like compassion, kindness, sympathy and empathy. There is also a serious need to inculcate the spirit of integrity and truthfulness in the youth. They must be encouraged to strive for excellence in all spheres of individual and collective activity.

- With increasing industrialization and pollution, sensitizing youth about protection and improvement of the environment and developing compassion for other living creatures has become essential for future sustainability.

- Youth must also be encouraged to develop an appreciation of the traditional arts and culture of the country. The rich and invaluable Indian art and culture will not survive without the active involvement of the youth in its adoption, promotion and preservation.

Values education is not the sole responsibility of the government and the education system. It starts at home with the family and society playing an equally important role. Values can be imparted in an individual through both classroom education and engagement in various activities aimed at improvement of the society. Some significant initiatives are:

- The role of education in fostering values has continually been emphasised in education policies. Most recently, the National Curriculum Framework and the Framework on Values in Schools have been introduced by NCERT. The idea of imparting values education is closely linked with education reforms that have been introduced under the scheme of Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE). The framework articulates a holistic and pragmatic approach to values education in schools. It is suggestive, not prescriptive, leaving room for customisation suited to varied needs, contexts and resources of the schools. NCERT has been made the nodal centre for strengthening value education at all levels in the school system.

- Organizations like National Service Scheme (NSS), NYKS and the NCC are involved in the engagement of youth in various initiatives like rural development, environment protection, blood donation, immunisation, disaster management etc. These have the potential to foster national and social values among the youth and develop a sense of responsibility towards the nation.

- There are various other Government schemes / programmes that work towards promotion of social values. The Centre for Cultural Resources and Training (CCRT) under Ministry of Culture administers a Scheme under which youth are taken to heritage monuments/ sites, museums, etc. – a significant initiative to make the youth aware of the rich heritage of the country. The Saksham Scheme (for holistic development for adolescent boys in age-group 11-18 years), inter-alia, aims at inculcating in them respect for women, and engaging them in nation-building activities. Similarly, the 'Ahimsa Messenger' programme of Ministry of Women and Child Development seeks to promote respect for women and eliminating violence against women.

4.6.2 Future Imperatives

Significant steps need to be taken in order to address the issue of promotion of social values and harmony among the youth of the nation.

a) **Moving towards formalising values education:** The Framework on Values in Schools outlines broad guidelines for schools related to provision of value education and holistic development of students. However, there is a need to have a *formal system for imparting values* at all levels of school and college, making it an *integral component of an individual's performance evaluation*. There is a need for *greater emphasis on civics, civil law and code in the formal education curriculum.*

b) **Strengthening engagement programs for youth:** Programmes such as NSS, NYKS and NCC have been very successful in instilling a sense of belongingness, brotherhood and harmony among youth. These programmes need to be *strengthened and expanded in their reach* with increased focus on imparting national values among the youth.

c) **Supporting non-government organizations working towards spreading values and harmony:** It is not possible for the government and education system to completely address all issues related to values education. Social groups and *society at large have a significant role in imparting and promoting social values* and harmony among youth. Every individual must act to support and promote the work done by these organisations. Similarly organizations promoting Indian art and culture amongst the youth must also be encouraged and supported.

4.7 Priority area 7: Community engagement

4.7.1 Current Status

Youth represent a large segment of the population that can be mobilised for community service and development programmes. On one hand, by participating in community service schemes, youth can contribute to grassroots development efforts and help create progress in backward regions. At the same time, these initiatives help the youth build their own skills, such as communication, leadership, inter-personal relationships and develop a sense of moral responsibility and national ownership.

MoYAS currently runs several schemes to enable youth to engage with their community, as well as to participate in grassroots development. Some of these schemes are NYKS, NYPAD and the NSS. These schemes target varying youth segments, and have different models of participation. In addition to MoYAS schemes, there are a range of other government schemes like the Bharat Nirman Volunteers (BNV) programme of Ministry of Rural Development. BNVs are dedicated volunteers working in rural areas for generating awareness among the people about their rights and entitlements. Similarly, the positions of community workers created under NRLM provide opportunity to such workers to get intensely involved in the development programmes, besides being avenues of substantial income to them.

There are also several community-based youth organisations in various parts of the country (including the North Eastern Region) that work towards community development. NGOs, non-profit organisations, corporates through their CSR programmes and social entrepreneurs are engaged across the country on issues ranging from clean fuel usage to prevention of trafficking and rehabilitation. Several of these organisations have youth volunteers and youth employees.

There is a need to institutionalise community engagement and to design and streamline schemes such that they cater to the non-homogenous youth population.

4.7.2 Future Imperatives

a) Promote and leverage existing community development organisations (CDOs): While the government should continue to implement the schemes that have seen great success, going forward it should also leverage the large number of organisations that are already working towards community development. This will multiply the scope of youth community engagement in the nation, and has significant potential to generate positive outcomes at the grassroots level.

- A framework for ***accreditation and certification of NGOs or CDOs*** should be developed. This will enable funding agencies and youth volunteers to select the most appropriate organisations based on their needs. It can promote the scaling up of organisations that have clearly defined goals and a successful track record for community development.

- A ***volunteer exchange platform*** should be set up. Through this platform, the young Indians that are willing to participate in community development programmes can be identified. Similarly, organisations working in the field that require young volunteers or employees can post their requirements. This will enable the matching of volunteers with organisations in an efficient manner.

- ***Institutionalise the involvement of youth in disaster response activities***. Local youth, because of their dynamism and proximity, are invariably the first responders in any disaster relief and rescue activity. Such team activity in the face of adversity not only builds camaraderie and leadership but also provides a much-needed succour to the affected individuals. There is a need to create structures that tap this latent resource and realize its full potential through proper training, equipping and coordinating their efforts with those of the state disaster relief mechanism. Every State and district of the country has Disaster Management Authority as mandated by Disaster Management Act, 2005. The Civil Defence Act, 1968 has also been amended to bring 'disaster management' within its scope. In addition, the panchayats also have a major role under the Disaster Management Act, 2005. The youth can be closely involved in disaster response activities through these mechanisms.

- Similarly, the latent potential and dynamism of youth should also be harnessed in **promoting communal harmony and environmental protection**.

- The energies of the youth should also be channelized in constructive areas through Panchayati Raj Institutions, which are increasingly playing greater role in local self-governance. This would include campaigning on various social issues and helping in effective implementation of various Government programmes.

(b) **Promote social entrepreneurship:** There are a growing number of social entrepreneurs in India who recognise that they can create sustainable grassroots development, while making a return for themselves. The social entrepreneurship space is fragmented and largely unregulated, and the government should create an enabling environment for social entrepreneurs.

- Promoting social entrepreneurship as an ***attractive employment proposition*** for young Indians will create a positive shift away from volunteerism and philanthropy to sustainable development. This can transform community development and engagement from a short-term prospect for the youth into a sustainable career option.

- Social entrepreneurs require support in the form of seed funding and angel investment. The government can create an ***enabling policy regime*** that supports the creation of these funds. It can *enable identification of credible enterprises and financiers* through an endorsement process. It can also *reward the performance of social entrepreneurs through grants-in-aid and award programmes*. These rewards can create further mobilisation of youth towards social enterprise.

- The government is well positioned to create channels of communication between social entrepreneurs, local communities, investors and policymakers. ***Social enterprise forums can be convened*** that enable the exchange of information around *successful models, navigating the complex policy environment, and can generate forward and backward linkages between enterprises*. *Removing barriers to business* on a priority basis for organisations with a social objective can also spawn the development of more social enterprises.

4.8 Priority area 8: Participation in politics and governance

4.8.1 Current Status

Given the youth comprise 27.5% of the population, it is critical that youth are represented and can participate in politics at all levels. Youth participation and engagement on issues related to politics, democracy, accountability and governance will help create an able generation of future leaders of the country.

As the number of government schemes and direct pay-outs to beneficiaries increase, it is important to ensure that the citizenry is active and engaged in order to prevent leakages. In the 12th Plan period, the funds to PRIs has increased 10-fold over the 11th Plan period from Rs 636 crores to Rs 6,437 crores, further stressing the importance of social mobilisation at the grassroots. An engaged citizenry will help build accountability and ensure better governance, and can also facilitate the implementation of schemes. The youth can be leveraged as a resource to monitor the implementation and promote accountability of welfare schemes and development projects across the country.

MoPR runs Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan (RGPSA) under which the focus is on building the capacities of all elected representatives of the Panchayati Raj Institutions, including the youth and first-time elected representatives.

MoRD has also taken steps to build youth participation in the governance and monitoring of Central schemes. Youth have been co-opted to support fund utilisation and programme implementation in the IAP districts of the country via the Prime Minister's Rural Development Fellowship (PMRDF). The Election Commission runs outreach programmes to get young voters to register and vote in elections, thereby supporting and promoting youth participation in politics and democracy.

Despite a growing focus on youth participation in lower levels of governance, and a clear political push to help more young people transition from student and youth politics to national politics; there is very little coordinated action to promote youth engagement in politics and governance. Furthermore, existing programmes such as those run by MoPR are focused on youth who are already elected leaders or in some way associated with politics, rather than on bringing more youth into political systems.

Civil society groups are working hard, often through partnerships with government, to bridge these gaps. However, without a coordinated push and clear youth focus, these programmes are unlikely to be sufficient to help bring youth into the folds of politics and promote civic engagement at all levels of governance.

4.8.2 Future Imperatives

a) Engage youth that are outside the political system: It is important to ensure that youth participate in politics at all levels, from the grassroots to the national stage.

- There are several ***pull and push factors*** that govern youth participation in politics. *A detailed analysis of these is required* in order to create effective policies and programmes to enable youth participation in politics. *Youth perceptions of politics must be understood* in order to create effective strategies to combat any negative perceptions. Politics must be made attractive and *appropriate reward systems must be created* to incentivise youth to enter politics. *Barriers to entry*, such as financial resources for campaign activities, must be lowered. *Improved channels of transition from student politics* to national politics must be developed.

- It is important to note that youth political participation is not limited to young individuals contesting elections. It also includes ***mobilising the youth to vote*** and promote the effective functioning of democratic systems and processes. A more *consistent effort is required to engage with young voters*, understand their concerns and help them see the short-term and long-term benefits of voting for their most preferred candidate or party.

b) Create governance mechanisms that youth can leverage: The Right to Information (RTI) Act is a landmark legislation that enables ordinary citizens to understand and question the workings of government.

- It is important to ***build awareness on the importance of an active citizenry***. *Education curriculums must be revised* such that the civics component is made more relevant. Youth must be made aware of the various channels available to them to engage with and question government agencies.

- ***Youth monitoring and accountability creation in the areas of government expenditure and social welfare schemes must be institutionalised***. *Public expenditure records must be made more transparent* and accessible for all segments of the population. The 12th Plan details out the role of social mobilisers and highlights the importance of citizen participation in planning and implementation of centrally sponsored schemes (CSS). It lists a provision for *dedicated funds allocated to all flagship schemes to promote citizen participation* in governance, and action must be taken to implement this. *Social audit processes* must be institutionalised to enable youth to provide structured inputs on the effectiveness of government expenditure. The youth should be involved in Gram Sabha / Mahila Sabha meetings, for monitoring the implementing of programmes at village level. *On-going monitoring and informal feedback* channels must also be created between the bureaucracy and the citizens.

c) Promote youth engagement in urban governance: There has been a significant focus on the functioning of PRIs and rural governance mechanisms that engage the citizenry. However, a similar *focus on urban governance and the role of the citizenry in supporting Urban Local Bodies (ULBs) is missing*. Given the increasing urbanisation and anonymity that characterises urban life, it is all the more important for the government to act as an intermediary and *create channels and processes by which young Indians can engage* with urban decision makers and contribute to urban governance.

4.9 Priority area 9: Youth engagement

4.9.1 Current Status

The objective of GoI engagement with the youth is two-fold. *First,* GoI must engage with youth in order to provide them with information and enable holistic youth development. *Second,* GoI must engage with youth in order to get inputs on issues, policies and specific programmes, especially those that directly impact youth. By engaging with the youth and by ensuring youth develop leadership and other interpersonal skills, the GoI will help create a generation of individuals that are committed to civic, social and political progress.

GoI, through MoYAS, runs several programmes for youth engagement with the objective of promoting holistic youth development and leadership. These include the NPYAD, Scouting and Guiding, adventure schemes, etc. The Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (RGNIYD) also provides training and capacity building for members of various youth related organisations. GoI has decided to convert RGNIYD into an Institute of National Importance and this is currently under implementation. MoYAS is also in the process of setting up a Youth Development Fund which would help channelize private sector contributions under CSR for GoI's youth development efforts.

Leadership and personal development is often a by-product of other youth schemes such as NYKS, NSS and NCC. These skills are also imparted in varying measures through the education curriculum in schools and colleges.

While there are a few programmes of varying success that support holistic development of youth, structured programmes that help the GoI engage with youth are absent. There are some unstructured interactions between policy makers and young Indians in forums such as educational institutions. However, there are no systematic channels for engagement between the government and young citizens and no mechanisms for youth to provide inputs to government. This gap has in part been filled by some organisations that provide analysis and commentary on public policy issues.

4.9.2 Future Imperatives

a) Measure and monitor effectiveness of GoI's development schemes: MoYAS is well positioned to ***leverage its existing grassroots volunteer network*** through NYKS, NCC and NSS to undertake an assessment of the effectiveness of GoI's development schemes. *Successful efforts can be replicated* to ensure that youth in all segments are benefiting from these programmes, and *targeted schemes for unaddressed segments can be implemented*.

b) Create a platform for engagement with youth: It is critical for the government to create a structured platform for engagement with the youth across the country. There are different objectives for engagement, and therefore, different engagement models must be piloted and implemented.

- Government should engage with all the youth of the nation to ***provide them information and do a regular "pulse check".*** Some ways this can be undertaken include *youth forums at various levels, an interactive online portal and wikipedia-style forums*. The government can leverage partner organisations like NYKS and NSS, NGOs and educational institutions to connect with the youth and use technology and social media in order to achieve this objective.

- Government should engage with a representative cross-section of youth to ***get inputs on specific policy issues***. This can be done by *conducting thematic workshops, putting out calls for policy notes through ICT based channels,* etc. Based on the issue, the government can identify representative

educational institutions, youth groups and other partners to create a channel to engage with the youth.

- MoYAS should identify a sub-section of youth that it interacts with in a more continuous and structured manner who can ***help support its programmes and activities.*** It should *set up a Youth Advisory Council* of exceptional yet representative individuals. This council can provide more detailed inputs to government on key policy issues, run programmes to mobilise youth and engage more regularly with diverse segments of the youth.

- GoI should also enable RGNIYD as an Institute of National Importance so that it fulfils its mandate of serving as an apex level resource centre for policy advocacy and capacity building in youth development efforts in the country.

4.10 Priority area 10: Inclusion

4.10.1 Current Status

There are a number of youth at risk and marginalised youth who require special attention in order to ensure that they can access and benefit from the government programmes. These youth can broadly be categorised as follows:

- Socially and economically disadvantaged youth, including but not limited to youth belonging to SC/ ST/ OBC groups, migrant youth and women.

- Out-of-school or drop-outs from the formal educational mainstream.

- Youth living in conflict affected districts, especially those affected by Left Wing Extremism (LWE) and youth from Jammu & Kashmir and the North East.

- Youth living with disability or suffering from chronic diseases.

- Youth at risk, including but not limited to youth suffering from substance abuse, youth at risk of human trafficking and youth working in hazardous occupations, sex workers.

- Youth that suffer from social or moral stigma including but not limited to Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) youth, youth infected or affected by HIV/AIDS.

- Youth in institutional care, orphanages, correctional homes and prisons.

The categorisation reflects the shared solutions that may be devised to support these youth, whose enablement and empowerment must be a priority for the government.

A number of Ministries are working on addressing the challenges of these categories of youth. Some sector-specific Ministries have special programmes targeted at these groups that seek to create a more inclusive and equitable society. For example, MHRD has special schemes to support girls' education and bridge the sizeable gender gap in enrolment at all levels of schooling. Other

Ministries act as nodal agencies responsible for the well-being of specific groups, for example, MoTA deals with issues that tribals face such as livelihood security and promotion of or access to education.

SC/ST/OBC youth and women have a considerable number of policies targeted at them to promote equity and inclusion. These are in the areas of (a) education scholarships and hostels, (b) credit to support self-employment and entrepreneurship, (c) rehabilitation of individuals from certain occupations such as manual scavenging, and (d) reservations at different levels of governance. These policies attempt to mainstream individuals from these groups into the society from an early age, with the objective that successive generations will be able to benefit and move out of disadvantage and poverty.

With respect to **LWE and other conflict-affected regions**, there has been an increased focus on creating infrastructure and development in such regions. GoI has also set up a range of schemes to provide employment opportunities to youth living in conflict-affected regions in order to ensure that the youth are productively engaged. For instance, the Planning Commission has been implementing an Integrated Action Plan (IAP) in 82 selected Districts (now increased to 88) of the 9 LWE affected States since 2010-11 for accelerated development of these areas. Skill development has been a major area of focus under this Plan. Similarly, the Ministry of Home Affairs also provides funds to Central Armed Police Forces deployed in LWE affected areas to undertake skill development schemes under Civic Action Programme.

The Department of Disability Affairs under MoSJE supports **individuals with disabilities** through various Schemes for education scholarships, support for purchasing aids or appliances, grants for rehabilitation and incentives to employers for hiring disabled individuals, etc.

The government recognises that not only is it essential to support **youth currently at risk** but also to ensure that youth are not faced with circumstances in the future that put them at risk. For example, for youth currently abusing drugs and alcohol, the GoI takes an inter-sectoral approach of covering awareness and information dissemination, counselling and rehabilitation.

Besides the above programmes targeted at specific sections of disadvantaged youth or youth at risk, other government programmes also maintain special focus on such sections of the youth. For instance, NRLM of MoRD seeks to give high priority to youth belonging to categories like ST/ SC/ OBC/ Primitive Tribal Groups (PTGs), migrants, minorities, victims of human trafficking, youth from LWE Districts, North East and J&K, youth engaged in hazardous occupations etc.

4.10.2 Future Imperatives

a) Enablement and capability building for disadvantaged youth:

It is essential that the government continues to ***promote equity in the formal system and focuses on mainstreaming socially and economically disadvantaged youth***. The GoI must r*eview its current programmes* for these youth and identify where these programmes have been effective, and where

they have failed and the reasons for this. A critical area of focus for disadvantaged youth is education and while the MHRD is taking steps towards ensuring education for all, via RTE and other programmes, *an inter-sectoral approach is needed* to ensure that youth can make the most of education programmes by being in good health and not losing out on income generating opportunities that they perceive as more valuable.

b) Ensuring economic opportunities for youth in conflict-affected regions: A key factor thought to contribute to youth participation in violent conflicts and extremism is the lack of livelihood opportunities. Hence, it is essential to *ensure that these youth are provided with livelihood opportunities*. In the longer term, a programme of *infrastructure development, socio-political access and awareness building* can prevent youth from being attracted to such activities.

c) Develop a multi-pronged approach to supporting youth with disability: While the GoI has taken several steps to support youth with disability, it is important to create systems and infrastructure to enable these youth to lead normal lives. The 12th Five Year Plan makes a set of recommendations on steps required to empower individuals with disabilities, and *all relevant Ministries must develop action plans in this regard*.

d) Create awareness and opportunities to prevent youth being put at risk: While the government is working to create support and rehabilitation systems for youth at risk, it is essential to simultaneously build systems to ensure that youth are not forced to put themselves into situations that constitute physical or mental risk. A *targeted awareness and outreach programme* for youth that are likely to be at risk must be developed and undertaken as a matter of priority.

4.11 Priority area 11: Social justice

4.11.1 Current Status

It is important to ensure that youth of all backgrounds are free from discrimination, stigma, and disadvantage; and have recourse to a justice system that is swift and equitable. A concerted effort has been made to ensure that GoI programmes are inclusive, and that disadvantaged groups are supported. It is important that an effort is made to mainstream the disadvantaged groups through affirmative action and other targeted programmes. Furthermore, there is need for greater monitoring and media attention to prevent illegal social practices such as dowry, child marriage, honour killings, caste-based discrimination and stigmatisation of LGBT youth. Hence, it is important to create systems of education and moral transformation at the grassroots level to eliminate these practices of stigmatization and discrimination, and deliver social justice for all.

4.11.2 Future Imperatives

a) Leveraging youth to eliminate unjust social practices: The youth of the country can be leveraged to *build awareness and provide education at the grassroots* in order to eliminate unjust social practices. Furthermore, the youth can also be *trained to monitor and report* on the prevalence of unjust social practices at the grassroots.

b) Strengthen access to justice at all levels: Individuals must be given stronger access to formal justice at all levels. The pace at which trials are held must be increased, in order for formal punishment to act as a serious deterrent. *Inputs must be taken on the current constraints and bottlenecks* at the grassroots level and appropriate action taken.

Monitoring, Evaluation and Review

Defining success of NYP-2014

5.1 It is essential to monitor and evaluate the success of NYP-2014 in order understand the impact of the policy on the youth and to determine future strategies for the youth of the nation. In the short-run, NYP-2014 can be considered successful if it documents priority areas that should be the immediate focus for youth development, creates guidelines from which stakeholders can develop actionable strategies and builds alignment amongst stakeholders, providing them with a concrete framework for action. In the longer term, success can be defined on the basis of whether the objectives of NYP-2014 for youth have been achieved. That is, whether the youth are productive, healthy and active, socially responsible, politically engaged and mainstreamed. Together, these definitions create a framework for measuring the success of NYP-2014, and provide guidelines for selecting appropriate indicators.

Monitoring and Evaluation

5.2 The NYP-2014 seeks to define the Vision of the Government for the youth of the country and to identify the key areas where action is required and not enough is being done, to enable youth development. It is intended to serve as a guiding document and provide a framework for action for all stakeholders.

5.3 Keeping in mind the diversity of the country and the need to address region-specific needs and concerns of young people that are not adequately reflected in the NYP-2014, each state should also enunciate its own State Youth Policy, keeping the overall national perspective set out in the NYP-2014 in view.

5.4 In light of the fact that many Ministries of GoI have significant components of their policies and programmes that are relevant to the youth, an inter-sectoral approach is imperative for dealing with youth-related issues. In view of this, the NYP-2014, consistent with the suggestion made in earlier Policy documents, advocates the establishment of a coordinating mechanism at the Centre and state levels. The State Coordinating Committee may be chaired by the Chief Minister of the state or a senior member of the cabinet. This will ensure optimum utilisation of resources available with different Ministries and Departments and streamlining of policy and programme interventions.

Indicators for measuring success of NYP-2014

5.5 There are two types of indicators that can be selected to measure the impact or success of a policy; leading and lagging indicators. Leading indicators measure short-run impact of the policy, and are more likely to be process-based. They are an early signal of whether the policy is on track to achieve its objectives. Lagging indicators, on the other hand, measure the longer term impact of the policy, once it has been in place for a sufficient length of time. These indicators measure whether the policy has had an impact on the outcomes it was intended to alter, and therefore, whether it has achieved its objectives.

5.6 Leading indicators of success of NYP-2014 measure whether the policy has provided a framework and guidelines for stakeholders, thereby achieving its purpose. The following four leading indicators have been selected:

a) Number of States that have created a youth policy?
b) Number of times has NYP-2014 been referenced in other Central/ State policy documents, reports and RFDs?
c) Number of times NYP-2014 has been referenced in stakeholder documents, including media, civil society, private sector?
d) Number of policies/ programmes that have been initiated to close gaps identified in NYP-2014?

5.7 Lagging indicators of success of NYP-2014 measure the progress towards achieving each one the 5 objectives for youth set out in the policy. The following 8 lagging indicators have been selected for the corresponding objectives/ priority areas:

Exhibit E.6: Lagging Indicators for NYP 2014

1	Create a productive workforce	Youth Unemployment Rate	Completion Rate of Higher Education
2	Develop a strong & healthy generation	Maternal Mortality Rate	Gold medals per capita won at Commonwealth Games
3	Instil social values & promote community service	Number of delinquent youth (IPC & SLL1)	
4	Promote participation and civic engagement	Number of elected PRI members below age 35	Youth voter turnout
5	Ensure inclusion and social justice	Unemployment rate across different social groups	

5.8 A baseline assessment must be undertaken and annual targets must be set for each one of the indicators. In the event these are not met, an investigation into the reasons for this must be done and appropriate course correction actions must be initiated. These indicators may also be combined into a comprehensive Youth Development Index.

Biennial "Status of the Youth" Report

5.9 NYP-2014 recommends that MoYAS publish a *Status of the Youth Report* every 2 years. This report should provide comprehensive information on all youth related schemes and programmes, as implemented by various Ministries. The reports should identify progress against targets on the leading and lagging indicators of success of NYP-2014. This report should also synthesise the views and priorities identified through bottom-up engagement with the youth. Finally, the report will document any previously unidentified challenges facing the youth, and recommend the way forward in these areas.

Review of NYP-2014

5.10 NYP-2014 will be reviewed every 5 years in order to enable GoI to take stock of key achievements and challenges, and refocus the priorities for youth, going forward.

Recommendations on the Way Forward

Given that youth comprise 27.5% of the population and will play a crucial role in the progress and development of the nation, supporting and enabling the youth must be made a priority. This document details 11 priority areas and highlights specific gaps where action is required in order to help youth overcome the challenges they face and India to reap the benefits of its demographic dividend.

It is important to identify the most appropriate set of interventions for youth development, and invest in the ones that will have the maximum impact in each of these priority areas. This requires a review of existing government programmes for the youth, an analysis of the impact of stakeholder activities and pilot projects before mass roll-out of new programmes for the youth. Furthermore, it must be noted that given the scale of the challenge, it is imperative to have a concerted effort from all stakeholders. Stakeholders must be aligned on the objectives for youth development and participation, and must work in a coordinated manner to facilitate holistic youth development. Innovative solutions that leverage available resources and tools are required to empower the youth of the nation.

6.1 GoI needs to increase investment in the youth to capture the demographic dividend

Youth present a considerable economic opportunity today which the government should capitalise on. There is a huge opportunity for improvements in productivity of the youth through programs targeted towards education, skilling, entrepreneurship development and health care.

GoI is currently spending approximately Rs 2,710 on every young individual through various Ministries, of which Rs 1,100 is through targeted programs. In order to capitalise on this opportunity, the government would need to invest more in youth across the various priority areas.

6.2 Mainstream youth issues in the development process

It is evident that the youth will play a crucial role in the future development of the nation. Hence it is important that the issues related to youth are mainstreamed and youth become a national priority. This can be achieved in several ways, including:

- **Building youth development into RFDs:** As identified in Section-4, youth development is not an activity that can be performed in isolation by MoYAS. One key mechanism for ensuring that all Ministries work towards mainstreaming youth development and participation is to identify linkages between MoYAS and other Ministries and incorporate these into the respective RFDs. Youth

engagement and participation measures must be included as metrics of success of various government programmes in the respective RFDs.

- **Key Ministries should develop a 'Youth Connect' programme:** Given the fact that the youth comprise 27.5% of the population, and represent a large proportion of the target segment of most of the Ministries, it is important to ensure key Ministries communicate with the youth. NYP-2014 recommends that all relevant Ministries should set up a mandatory 'Youth Connect' programme which is a targeted youth outreach programme. This programme will inform and educate the youth about the various schemes and programmes available to them that are administered by the Ministry. It can run offline through a combination of workshops, briefings and information sessions or online using ICT and social media, tailored to the relevant scheme. The outreach material and information from these programmes can also fed into the more broad-based MoYAS youth engagement portal.

6.3 Discuss and define role of all stakeholders

Given the scale of the challenges facing the youth and the wide range of stakeholders engaged in various capacities, it is important to define the role of each stakeholder. There are two possible roles, that of a 'doer' responsible for creating programmes, or an 'enabler' that creates a supporting environment for action and promotes the work of other stakeholders. It is important to build stakeholder maps in each priority area in order to understand the range of actors and activities. For each priority area, it is important to determine which stakeholders are responsible for directly financing and implementing programmes, and which stakeholders are responsible for creating an enabling environment. Formal channels for stakeholder interaction must also be developed. For example, with respect to community engagement, MoYAS could act as a 'doer' through its programmes like NSS, NYKS and NYC, which work towards engaging youth in community development initiatives. MoYAS also has a key 'enabling' role to create systems that help the youth connect with existing community development organisations and support their work.

6.4 Leverage various channels for effective youth engagement and participation

There are several existing channels that the government can leverage to effectively engage with youth and promote youth development. Two key ones are ICT and other youth organisations.

- **Use ICT to engage with the youth:** ICT and social media are key tools that can be leveraged to connect and engage with the youth. Given the growing penetration of the internet amongst young people, especially via smartphones, the GoI should more actively engage with the youth using technologies that they access on a daily basis. Youth outreach programmes no longer have to be physically implemented through youth clubs and other such networks, but can also be implemented via the internet, mobile phone applications and social media.

- **Promote youth development through existing organisations:** The government should work towards leveraging the vast number of stakeholders that are already working to support youth development and participation, and expanding its own reach and access to the youth through the networks of these organisations.

All stakeholders should review their strategies in line with the priorities for youth development identified in NYP-2014. They should create action plans, design programmes in specific areas and monitor and evaluate their impact on the youth.

List of Acronyms

ASHAs	Accredited Social Health Activists
AWWs	Anganwadi Workers
BCG	The Boston Consulting Group (India) Private Limited
BNV	Bharat Nirman Volunteers
CCE	Continuous and Comprehensive Evaluation
COE	Centre of Excellence
DAC	Department of AIDS Control
EBRs	Economically Backward Regions
GER	Gross Enrolment Rates
GNI	Gross National Income
GoI	Government of India
ICT	Information and Communication Technology
IEO	Independent Evaluation Office
ITI	Industrial Training Institute
JSY	Janani Suraksha Yojana
LAMP	Legislative Assistants to Members of Parliament
LNIPE	Lakshmibai National Institute of Physical Education
LWE	Left Wing Extremism
MECs	Micro-Enterprise Consultants
MGNREGA	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
MHRD	Ministry of Human Resource Development
MLE	Ministry of Labour and Employment
MMR	Maternal Mortality Rate
MoHFW	Ministry of Health and Family Welfare
MoPR	Ministry of Panchayati Raj
MoRD	Ministry of Rural Development
MoSJE	Ministry of Social Justice and Empowerment
MoSME	Ministry of Small and Medium Enterprises

MoTA	Ministry of Tribal Affairs
MoWCD	Ministry of Women and Child Development
MoYAS	Ministry of Youth Affairs and Sports
MSMEs	Micro, Small and Medium Enterprises
MUD	Ministry of Urban Development
NACO	National AIDS Control Organisation
NCC	National Cadet Corps
NCERT	National Council of Educational Research and Training
NIS	National Institute of Sports
NPFAI	National Playing Fields Association of India
NPYAD	National Programme for Youth and Adolescent Development
NRHM	National Rural Health Mission
NRLM	National Rural Livelihoods Mission
NSDP	National Skill Development Policy
NSQF	National Skills Qualifications Framework
NSS	National Service Scheme
NYC	National Youth Corps
NYKS	Nehru Yuva Kendra Sangathan
NYP-2014	National Youth Policy, 2014
PEO	Programme Evaluation Organisation
PHC	Primary Health Centre
PMEGP	Prime Minister's Employment Generation Programme
PMRDF	Prime Minister's Rural Development Fellowship
PMSSY	Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana
PPP	Public Private Partnership
PRIs	Panchayati Raj Institutions
PYKKA	Panchayat Yuva Krida Aur Khel Abhiyan
RFD	Results Framework Document
RGNIYD	Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development
RGPSA	Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan

RGUMY	Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojana
RMSA	Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan
RSETIs	Rural Self-employment Training Institutes
RTE	Right to Education Act
RTI	Right to Information Act
RUSA	Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan
SAG	Special Area Games
SAI	Sports Authority of India
STC	SAI Training Centre
UGC	University Grants Commission
UHC	Universal Health Coverage
ULBs	Urban Local Bodies

SUDHIR KUMAR
Jt. Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART I–SEC.1]—90 Copies